केवल अधिकारिक प्रयोग हेतु

उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

संयोजन
डी0 एम0 दिवाकर
सनातन नायक

गिरि विकास अध्ययन संस्थान
सेक्टर – ओ, अलीगंज
लखनऊ – 226 024
2005

विषय – सूची

अध्याय | पृष्ठ

अध्याय		पृष्ठ
	प्राक्कथन	
	कार्यकारी सारांश	*i-xvi*
1:	भूमिका *डी० एम० डी० दिवाकर*	1–10
2:	उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था : एक परिदृश्य *डी० एम० दिवाकर*	11–32
3:	क्षेत्रीय विषमता *यशवीर त्यागी*	33–38
4:	निर्धनता एवं बेरोजगारी *यशवीर त्यागी*	39–46
5:	कृषि एवं सम्बद्व गतिविधियॉ *मनोज कुमार अगरवाल*	47–62
6:	ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण *नील मणि प्रसाद वर्मा*	63–74
7:	औद्योगिक, विकास *ए० एन० पाण्डे*	75–86
8:	शहरी विकास एवं गरीबी निवारण *ए० एन० पाण्डे*	87–93
9:	आधारभूत संरचना विकास *सनातन नायक*	94–137
10:	सामाजिक विकास *मनोज कुमार अगरवाल*	138–147
11:	सशक्तिकरण एवम् सामाजिक न्याय *डी० आर० साहू*	148–168
12:	योजना वित्त संसाधन एवं नीजीकरण *अजित कुमार सिंह*	169–189
13:	शासन एवं सुधार *टी० एन० धर*	190–209

अध्याय लेखक

डा0 अजीत कुमार सिंह : प्रोफेसर एवं निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

डा0 डी0 एम0 दिवाकर : प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

डा0 सनातन नायक : फेलो, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

श्री टी0 एन0 धर : भारतीय प्रशासनिक सेवा निवृत्त, अवैतनिक सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा, लखनऊ।

डा0 यशवीर त्यागी : प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

डा0 नील मणि प्रसाद वर्मा : प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।

डा0 ए0 एन0 पाण्डे : संकाय सदस्य, उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।

डा0 मनोज कुमार अगरवालः रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा0 डी0 आर0 साहू : रीडर, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।

प्राक्कथन

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तर प्रदेश शासन ने दसवीं पंच वर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन का कार्य गिरि विकास अध्ययन संस्थान को देने का निश्चय किया (देखें कार्यालय मेमो न0 1481 /5/8:35–ए–2/2003–88 दिनांक 31.03.2004) प्रत्युत्तर में एक प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर संस्थान ने राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तर प्रदेश शासन को सौंपा (देखें जी0आइ0डी0एस0/407/04 दिनांक 26.04. 2004)। इसके निरंतरता में संस्थान को एक प्रस्ताव, प्रक्रिया एवं समय तालिका (देखें अर्धशासकीय पत्र सं0 5/9/ 35–ए–2/ 2003–91 दिनांक 30.04.2004) के साथ प्रस्तुत करने को कहा गया। यह प्रस्ताव नियोजन विभाग के विचारार्थ प्रेषित किया गया तथा प्रस्तुति के साथ दि0 05.07.2004 को अंतिम रूप दे दिया गया जिसमें निजी निवेश के विश्लेषण पर बल देने को कहा गया यदि आंकड़ा उपलब्ध को सके।

यह अध्ययन एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसमें गिरि विकास अध्ययन संस्थान के समन्वयन में संस्थान एवं लखनऊ के अन्य विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्थान उत्तर प्रदेश शासन से कार्य की जिम्मेदारी पाकर प्रतिष्ठित महसूस करता है। संस्थान नियोजन विभाग का कृतज्ञ है कि इस अकादमिक कार्य के लिए धन के साथ यह अवसर प्रदान किया है । उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त सहायोग के बल पर विशेषकर नियोजन विभाग के सक्रिय सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। प्रोफेसर यशवीर त्यागी डा0 मनोज कुमार अग्रवाल दोनों अर्थशास्त्र विभाग तथा डा0 डी0 आर0 साहू समाजशास्त्र विभाग ये तीनों लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक है। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नील मणि प्रसाद वर्मा, श्री टी0 एन0 धर (अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, अवैतनिक सचिव, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश) डा0 ए0 एन0 पाण्डेय, संकाय सदस्य, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ, आदि लोगों ने सलाहकार की भूमिका निभायी। संस्थान उन सभी विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंनें अपने व्यस्ततम क्षणों में से समय निकालकर इसे पूरा किया है।

संस्थान के पूर्व निदेशक डा0 गया प्रसाद मिश्र का आभार मानते हैं जिन्होंने यह दायित्व हमें सैंपा। वर्त्तमान निदेशक, प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने सभी सम्भव सहायता एवं सहयोग किया तथा प्रशासनिक और अकादमिक जिम्मेदारी एवम् व्यस्तता के बावजूद एक अध्याय भी लिखा। अन्य संकाय सदस्य जिन्होंने इस अध्ययन में अपना य़ोगदान दिया उनमें डा0 सनातन नायक, एवं प्रोफेसर डी0 एम0 दिवाकर हैं। संस्थान ने इन्हें इस अध्ययन को संयुक्त रूप से समन्वयन की जिम्मेदारी भी सैंपा।

मूलतः अंग्रेजी में तैयार किया गया यह अध्ययन नियोजन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। नियोजन विभाग ने हिन्दी में अध्ययन प्रस्तुत करने को कहा था। प्रस्तुत अध्यायों को हिन्दी में लिखने वालों में प्रोफेसर अजीत

कुमार सिंह, प्रोफेसर यशवीर त्यागी, प्रोफेसर नील मणि प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर डी0 एम0 दिवाकर, डा0 सनातन नायक, एवं डा0 मनोज कुमार अग्रवाल ने स्वयं ही लिखकर दिया है। फिर भी कई अध्यायों का अनुवाद प्रोफेसर दिवाकर को करना पड़ा है। अनुवाद कार्य को सम्पादित करने में डा0 अभिलाषा श्रीवास्तव, श्री योगेश बन्धु आर्या, श्रीमती गुंजन पाण्डे,एवम् सुश्री अनीता सोनकर से महत्वपूर्ण सहायता मिली है। श्री अभिषेक मिश्र एवं सुश्री सोनकर ने विभिन्न विभागों से आंकड़े संग्रह करने तथा उन्हें कुशलतापूर्वक परिमार्जित करने का कठिन कार्य किया है। इनके प्रभावी सहयोग के बगैर यह कार्य सम्भव नहीं हो सकता था। संस्थान के प्रशासनिक एवं सचिवालय सहयोग के बगैर यह कार्य आसान नहीं होता। सहयोग के लिए हम अपने सहकर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

हमारे प्रयत्नों के बावजूद इस अध्ययन में कई कमियां रह गयी हैं, जिन्हें हम दूर नहीं कर पाए हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी है।

डी0 एम0 दिवाकर
सनातन नायक

कार्यात्मक सारांश

नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभवों का लाभ मिला है। राष्ट्रीय योजनाओं के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी नौ पंचवर्षीय योजनाओं का कियान्वयन एवं अनुश्रवण किया है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं के अनुभवों का लाभ क्मशः अग्रिम योजनाओं के निर्माण में परिलक्षित होता रहा है। उत्तर प्रदेश सुधार के दौर में अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक एवं नीजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य से गुजर रहा है जिसमें जन केन्द्रित विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं की पहचान की गयी है। आम आदमी के कठिनाइयों को कम करने के लिए गरीबी निवारण एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने सम्बन्धी प्रयास जारी है। संसाधनों को जुटाने एवं सही दिशा में निवेश की रणनीति अपनायी गयी है जिससे विकास की प्रक्रिया एवं परिणामों का निर्धारण सम्भव हो सके।

दीर्घकालीन दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि राज्य का शुध्द घरेलू उत्पाद वर्ष 1960–61 से 2002–03 के बीच औसत 3.79 प्रतिशत के दर से बढी है जबकि प्रतिव्यक्ति शुध्द घरेलू उत्पाद मात्र 2.54 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। योजनावार औसत वार्षिक वृद्धि दर पर दृष्टि डालें तो हाल के योजनाओं में सातवीं योजना का औसत वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक 6.61 प्रतिशत रहा है। आगे के याजनाओं में इस वृद्धि दर को बनाए रखना सम्भव नही हो सका। वृद्धि दर घटकर आठवीं पंचवर्षी योजना में 5.22 प्रतिशत हो गया जो नवीं योजना में 4.34 प्रतिशत पर नीचे ही चला गया। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति राज्य शुद्ध आय का वृद्धि दर सातवी योजना में 4.25 प्रतिशत था, आठवीं योजना में 2.87 तथा नवीं योजना में मात्र 0.93 प्रतिशत हो गया। राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर का इस प्रकार घटना चिन्ता का विषय है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के कयशक्ति के गिरने का भी द्योतक है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो में राज्य आय के औसत वृद्धि दर नवीं योजना के वृद्धि दर से अधिक है । लेकिन राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर की तुलना में काफी पीछे है साथ ही राज्य का अंशदान राष्ट्रीय आय में क्मशः घटता जा रहा है । अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का सापेक्षिक स्थान नवीं योजना के तुलना में घटता जा रहा है।

कृषि की हिस्सेदारी राज्य शुध्द घरेलू उत्पाद 1993–94 के स्थिर मूल्य पर 1960–61 के 64.87 से घटकर 1970–71 में 57.21 प्रतिशत, 1980–81 में 50.89 प्रतिशत, 1990–91 में 40.97 प्रतिशत, तथा 2000–01 में 35.7 प्रतिशत हो गया। यद्यपि राज्य सांख्यिकीय डायरी 2004 के अनुसार 2000–01 में यह प्रतिशत 36.2 रहा जो घट कर 2001–02 मे 36.1 प्रतिशत, 2002–03 में 33.9 प्रतिशत एवं 2003–04 में 33.7 प्रतिशत रह गया है। स्थिर मूल्य पर खण्डवार राज्य आय के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.85 प्रतिशत रहा तथा कुल प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर 1.99 प्रतिशत रहा। यद्यपि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में भयंकर सुखार के कारण वृद्धि दर ऋणात्मक हो गया। दसवीं योजना के दूसरे वर्ष में अनुकूल मानसून के कारण कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ। लेकिन दोनों वर्ष का औसत वार्षिक दर ऋणात्मक ही रहा। तीसरा वर्ष भी भयानक सूखा पड़ा और राज्य के 61 जिलों को सूखा क्षेत्र घोषित करना पड़ा जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन खासकर खरीफ फसल पर पड़ा। इस प्रकार कृषि प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। विनिमार्ण के क्षेत्र में दसवीं योजना में स्थिति बेहतर रही जिससे वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत हासिल हो पाया। अन्य क्षेत्रों में भी 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई जो नवीं योजना से अधिक रहा।

दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष यदि इन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाय तो स्पष्ट होगा कि दसवीं योजना के लिए कृषि का वृद्धि दर 5.17 प्रतिशत रखा गया है। विनिर्माण के लिए 12.36 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 8.06 प्रतिशत (द्रष्टव्यः दसवीं पंचवर्षीय योजना खण्ड–1, भाग–1 पृष्ठ,35)।

लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से दसवीं योजना का प्रथम वर्ष में (–) 6.03 प्रतिशत एवं दूसरे वर्ष में 5.38 प्रतिशत मानसून के क्रमशः प्रतिकूल एवं अनुकूल होने के करण सम्भव हो सका। दूसरे वर्ष का धनात्मक वृद्धि दर ऋणात्मक आधार के कारण उत्साह बर्ध्दक तो दिखता है किन्तु यदि दो वर्षों का औसत लिया जाय तो वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक (– 0.37 प्रतिशत) ही रह जाता है। अतः कृषि निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे छूट गया है। वर्ष 2004–05 के व्यापक सूखा पड़ने के कारण कृषि के सुधार की सम्भावना नगण्य प्राय है। अतः मानसून की अनिश्चितता से कृषि की सुरक्षा के लिए व्यापक एवं विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः 6.22 एवं 6.78 प्रतिशत रहा जो औसत 6.5 प्रतिशत वार्षिक होता है। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य 12.36 प्रतिशत के सापेक्ष काफी कम है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी 4.3 प्रतिशत की दर से हुई औसत वार्षिक वृद्धि 8.06 के सापेक्ष काफी निराशाजनक रहा है। इस प्रकार कुल वार्षिक औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 3 प्रतिशत हो पाया है। साथ ही वर्ष 2003–04 में 5.4 प्रतिशत के दर से बढ़ना भी पिछले वर्ष के 0.3 प्रतिशत के निम्न आधार के कारण दिखता है। विभिन्न क्षेत्रों के निराशाजनक वृद्धि दर को यदि गहरायी में समझने की कोशिश की जाय तो 8 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करने का कोई ठोस आधार नही दिखता है जबतक पर्याप्त निवेश का प्राविधान न किया जाय।

यह एक आम सहमति का विषय है कि विकास निवेश का फलन है। इस फलन सम्बन्ध के परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के योजना दस्तावेज (वार्षिक योजना 2004–05 खण्ड–1, पृ014) दर्शाते है कि बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात नवीं योजना के अन्त में (2001–02) 4.08 था। इस वर्ष के लिए प्रदेश आय का वृद्वि दर 4.5 प्रतिशत था (देखें पृष्ठ–72)। अतः बचत/निवेश 18.4 (4.5ग4.08) प्रतिशत हुआ। दसवीं योजना के लिए विकास लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया। बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात के अनुसार 32.64 (8ग4.08) प्रतिशत निवेश की आवश्यकता थी। इस प्रकार निवेश में लगभग 77.4 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता थी। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत आर्थिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत रहा है। अतः 8 प्रतिशत वृद्धि दर को हासिल करना एक कल्पनाशील आकलन मात्र है। क्योंकि 32.64 प्रतिशत निवेश जुटा पाना लगभग असम्भव सा है साथ ही यह राष्ट्रीय निवेश दर से भी काफी अधिक है।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विकास दर भी 8 प्रतिशत रखा गया था किन्तु सकारात्मक नीतियों एवं कार्यक्रम के आधार पर खण्डवार तकनीकी परिवर्तन के द्वारा श्रम गहन तकनीकी पर भरोसा रखा गया था (भारत सरकार, 2002 पृ:144)। उच्च स्तर का विकास दर हासिल करने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। वर्ष 1992–93 से 1999–2000 के बीच और निवेश दर 24.4 प्रतिशत रहा एवं औसत वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत। इस प्रकार बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात 3.75 प्रतिशत हुआ। अतः 8 प्रतिशत विकास दर के लिए 30 प्रतिशत निवेश आवश्यक था। इन सबके लिए घरेलू बचत एवं विदेशी निवेश दोनों को बढ़ाने की जरूरत थी (भारत सरकार, 2002 पृ: 83)। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि दसवीं योजना में सिवाय एक वर्ष के यह लक्ष्य पाना सम्भव नहीं हो सका। अब तो एक सहमति भी बन गयी है कि दसवीं योजना में 8 प्रतिशत विकास दर पाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश नियोजन के दस्तावेज से स्पष्ट है कि कुल निवेश (364645 करोड़) का 29.4 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से तथा 70.6 प्रतिशत नीजी क्षेत्र से होना था (दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश शासन, 2003–1 पृ014)। अतः 8 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति के लिए मुख्यतः नीजी क्षेत्र पर निर्भरता रखी गयी थी। दो वर्षों के विकास दर से तो यह प्रतीत होता है कि नीजी क्षेत्र से पर्याप्त निवेश जुटाना सम्भव नही हो सका। वैसे नीजी क्षेत्र के निवेश के ऑकड़े उपलब्ध नही है। बिना किसी पृथक अध्ययन के किसी निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं लगता है। साथ ही तकनीकी टिप्पणी के अभाव में आकलन के विधियों पर टिप्पणी करना भी सम्भव नही दिखता है। अतः नियोजन विभाग को इस संदर्भ में एक विशेष अध्ययन कराने की आवश्यकता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से स्पष्ट है कि संसाधनों के आबंटन में तयशुदा व्यय का प्राविधानों में सामान्य आर्थिक सेवाएँ सर्वोपरि प्राथमिकता पर है। अन्य खण्डों पर प्राविधान नवीं योजना से भी कम है। संसाधनों का प्राविधान के अलावा संसाधनों का उपयोग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तालिका–9 से स्पष्ट है कि तीन वर्षों का उपयोग सहमति प्राविधानिक व्यय का मात्र 26.57 प्रतिशत होगा। जबकि अनुपातिक रूप से यह 60 प्रतिशत होना चाहिए। सामान्य आर्थिक सेवा जो शीर्ष प्राथमिकता पर है तथा जिसके लिए 31.26 प्रतिशत व्यय प्राविधानित है, मात्र 1.47 प्रतिशत के उपयोग की सम्भावना को दर्शाता है। अधिकांश मदों में उपयोग स्तर 40 प्रतिशत से कम ही है। सिवाय विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के। वर्ष 2002–03 में कुल उपयोग 90.55 प्रतिशत रहा जिसमे पूँजीगत व्यय 93.43 प्रतिशत था। दूसरे वर्ष में योजना व्यय का 79.26 प्रतिशत रहने की आशा है तथा पूँजीगत व्यय भी मात्र 86.04 प्रतिशत हो सकेगा। लेकिन वार्षिक आबंटन और भी कम है। इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है।

धीमी रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, ऋण एवं ऋण सेवा भुगतान, राजस्व व्यय तथा बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के कारण बदलते राजकोषीय स्वरूप जैसे विभिन्न चुनौतियों के बीच गरीब एवं वंचित समाज के हित की रक्षा के लिए उपाय सोचने एवं लागू करने की जरूरत है।

क्षेत्रीय विषमता :

दसवीं योजना के लक्ष्यों में क्षेत्रीय विषमता में कमी लाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विश्लेषण में क्षेत्रीय विषमता के कारकों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। जैसे –पिछले इलाकों में औद्योगीकरण का अभाव, पूर्वी एवं बुन्देल खण्ड इलाकों में सिंचाई सुविधा की कमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भागों में बार–बार बाढ़ आने के कारण जान माल क्षति, बुन्देल खण्ड परिक्षेत्र में मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि, निम्न फसल गहनता, नगण्य विवधीकरण, नकदी फसलों का फैलाव आदि के कारण उत्पादकता में कमी आयी है जिसके कारण कृषि अलाभकर होता जा रहा है। परिणामस्वरूप कृषि में निजी निवेश हतोत्साहित हुआ है। अनेक प्रयासों के बावजूद अन्तर्क्षेत्रीय विषमता में बढ़ोतरी होने के संकेत मिले हैं। उचित समन्वय के अभाव में नियोजित प्रयास के अनुकूल विषमता की तीक्ष्णता में कमी नहीं हो पायी है।

इन विषयों पर प्रभावी पहल के लिये नियोजन विभाग द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रति वर्ष किये जाने की जरूरत है। साधनों के अनुकूलतम एवं कुशल उपयोग के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को जनपदों के अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना तथा उचित समन्वयन आवश्यक है जिससे कार्यक्रमों के दोहरापन को रोका जा सके। पिछड़े इलाकों में आधारभूत संरचना के विकास पर बल देने की जरूरत है जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी स्वरूप बनाने के लिए नियमित मूल्यांकन आधारित अध्ययनों की आवश्यकता है। कार्यान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए योजना प्रारूप तैयार करने एवं केन्द्रीय पोषित योजनाओं का भरपूर लाभ लेने के लिए क्षमता विस्तार, तथा विषमता के अध्ययन एवं मूल्यांकन के लिए नियमित आंकड़े तैयार करने की स्थिति बहाल करने की जरूरत है। इसके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि जलवायु परिस्थिति, जनपद/क्षेत्र विशेष की समस्या एवं विकास की सम्भावनाओं का समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे अपेक्षित विकास योजना का निर्माण सम्भव हो सके।

गरीबी :

वार्षिक योजना 2004–05 में प्रकाशित अधिकारिक ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2001–02 के 29.5 प्रतिशत गरीबी से घट कर वर्ष 2003–04 में 27.8 प्रतिशत 2004–05 में 26.97 प्रतिशत एवं 2006–07 तक 25.4 प्रतिशत होने की सम्भावना है (वार्षिक योजना 2004–05,खण्ड–1 भाग–1, पृष्ठ 79)। यद्यपि सारी सम्भावनायें प्रतिकूल हैं। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर केन्द्रीय योजना आयोग ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च 336.88 रूपये के आधार पर 1999–2000 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 31.22 प्रतिशत आकलित किया है। अधिकारिक

आंकड़े बताते हैं कि गरीबी के स्तर में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण गिरावटें दर्ज की हैं। जबकि प्रदेश में भारत के गरीबों के तादाद का प्रतिशत बढ़ा है। अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक गरीब केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरा स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति का प्रतिशत गरीबों में सबसे अधिक है। (क्रमशः 47.6 एवं 34.6 प्रतिशत)। ग्रामीण इलाकों में धर्म के आधार पर हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच गरीबी में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु शहरी इलाकों में हिन्दुओं के सापेक्ष मुसलमानों की गरीबी अधिक है।

यद्यपि 55 वें दौर के ही ऑकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष विधि से आकलित करने पर ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 61 प्रतिशत होता है। ध्यान देने योग्य है कि दोनों का आधार 2400 कैलोरी ही है। जबकि 2400 कैलोरी के लिए 336.88 रूपये के सापेक्ष 455 रूपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय होता है। इस प्रकार दोनों आकलनों का अन्तर 30 प्रतिशत होता है। यदि 2200 कैलोरी का मानदण्ड लेते हैं तो आधिकारिक ऑकड़े 27. 5 प्रतिशत तथा प्रत्यक्ष विधि 47 प्रतिशत आता है। तद्नुसार मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय क्रमशः 325 एवं 400 रूपये होता है। यदि विभिन्न राज्यों के बीच के अन्तर को देखें, तो गरीबी अनुपात में भारी अन्तर है। प्रत्यक्ष रूप से गरीबी अनुपात एक भयानक चित्र प्रस्तुत करता है। जब तक कैलोरी के मानदण्ड के आधार पर गरीबी अनुपात का निर्धारिण करते हैं तो इन परिणामों को नकारना कठिन है। यद्यपि गरीबी आकलन के विधियों में बदलाव की जरूरत है क्योंकि उपभोग का स्वरूप बदलता जा रहा है साथ ही यदि पीने का पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आवास आदि मौलिक आवश्यकताओं को शामिल करें तो वंचित समदुायों का गरीबी अनुपात और भी ऊँचा होगा।

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आमदनी मुख्यतः खेती एवं सम्बन्धित गतिविधियों पर निर्भर करता है। अतः इस आर्थिक खण्ड का गरीबी निवारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दसवीं योजना के वर्षों में कृषि का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है क्योंकि खेती मानसून की अनिश्चितता का शिकार होता रहा है। वर्ष 2004–05 में भी लगभग 61 जनपदों को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है जिससे खरीफ फसल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रबी के बेहतर प्रदर्शन एक सीमा तक कुप्रभाव को तटस्थ करने में सक्षम रहा है किन्तु कुल दुष्प्रभाव को तटस्थ करना फिर भी सम्भव नहीं दिखता है। यह परीक्षण का विषय है कि कृषि के खराब प्रदर्शन के बाद भी गरीबी में कमी कैसे सम्भव है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में। हाल के जनगणना 2001 से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का श्रम शक्ति बड़ी तादादं में गैर कृषि क्षेत्र में नहीं गया है। उद्योग क्षेत्र में श्रम शक्ति की संख्या बहुत ही कम है। अतः गरीबी का आकलन एवं निवारण के उपायों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। यह नीति निर्धारकों एवं क्रियान्वयन अभिकरणों के सामाने एक चुनौती है।

बेरोजगारी :

प्रदेश में वर्ष 2004–05 से पूर्व लगभग 25 लाख लोग बेरोजगार थे। अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या का आकलन लगभग 99 लाख है। वर्ष 2004–05 में इसके अलावा 14 लाख नए लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस प्रकार 39 लाख लोगों के बेरोजगार रहने की सम्भावना है। इसप्रकार 99 लाख एवं 39 लाख अर्थात् 1करोड़ 38 लाख लोगों को रोजगार देने की चुनौतियॉं है। रोजगार सृजन का आय के बढ़ने से सीधा सम्बन्ध होता है। नवी योजना में आकलित रोजगार लोच (0.45) की स्थिति में 8 प्रतिशत विकास दर पर 14.64 लोगों को रोजगार दिया जा सकता था (वार्षिक योजना–2004–05,खण्ड–एक, पृष्ठ 84)। लेकिन 3 प्रतिशत के निम्न विकास दर पर मात्र 1.35 (3ग0.45) प्रतिशत रोजगार सृजन हो सकेगा जो अपेक्षा से काफी कम है। अतः अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रकार बेरोजगारी की स्थिति बदतर होने की सम्भावना है। यद्यपि रोजगार गारंटी कानून से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है बशर्ते प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि खुली एवं छिपी बेरोजगारी बढ़ी है यह चिन्ता की बात है। सीमान्त कर्मकरों की संख्या में तेजी से वृद्धि रोजगार के घटते गुणवत्ता को दर्शाता है। कृषि आज भी जीविका का मुख्य आधार है किन्तु गैर कृषि कार्यों में भी लोगों का सम्मान देखने को मिला है। रोजगार पंजीकरण कार्यालय में निबंधित लोगों की संख्या में कमी बेरोजगारी के कमी को इंगित करे यह आवश्यक नहीं है। संगठित सार्वजनिक क्षेत्र में घटते रोजगार की स्थिति के कारण पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की उदासीनता की ओर भी इशारा करता है।

बेराजगारी की समस्या को दूर करने के लिए विकास के दर को अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में श्रम गहन अवसर को चिन्हित करने की जरूरत है। (उदाहरण के लिए, निर्माण, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, खाद्य–प्रसंस्करण, व्यापार एवं वाणिज्य आदि) तथा राजकोषीय एवं प्रशासनिक उपायों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सामाजिक एवं अन्य आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए – शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सिंचाई, आवास, सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में विस्तार का कार्य कुशल, अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमशक्ति को बड़ी मात्रा में रोजगार का अवसर देने का काम करता है। अतः आधारभूत संरचना निर्माण पर अधिकधिक सार्वजनिक निवेश होना चाहिए। गरीबों के क्षमता का विस्तार, सामाजिक सुरक्षा उपायों का सुदृढ़ीकरण, आय प्राप्त करने के अवसरों एवं परिसम्पत्तियों का सृजन, कृषि विविधीकरण के द्वारा गैर कृषि रोजगार का विस्तार करना, निर्बल वर्गों के लिए रोजगार का विशेष अभियान चलाना, स्थानीय निकायों को रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं एवं गरीबी निवारण योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल करने जैसे उपायों पर प्राथमिकता के आधार पर बल देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में साख–जमा अनुपात बहुत ही निम्न होने के कारण सूक्ष्म–साख सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए जिससे किसानों एवं लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधि :

संरचनात्मक रूपान्तरण के कमजोर गति के कारण सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश में आज भी कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यह आयाम अधिक महत्व का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एवं भारत के अर्थव्यवस्था का सापेक्षिक अन्तराल बढ़ता जा रहा है प्रदेश वृद्धि दर लक्ष्य से काफी नीचे रहा है जहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों का सम्बन्ध कमजोर हुआ है। इस पृष्ठभूमि में राज्य कृषि पर अत्यधिक बल देने से कठिनाई और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अर्थखण्ड कमजोर वृद्धि एवं विवधीकरण के धीमी गति का शिकार है। भूमि सुधार एवं सिंचाई के विस्तार के अलावा कृषि में उत्पादकता में वृद्धि, गहन कृषि आदि से अधिकतम अंशदान की अपेक्षा की जा सकती है। यद्यपि नीतिगत पहल के कमजोर समर्थन के अलावा क्रमिक हाशियाकरण एवं लघु जोतों के आकार इस प्रक्रिया में मददगार नहीं होता है। कृषि क्षेत्र का क्रमिक रूप से निम्न आवर्द्धित मूल्य के फसलों पर निर्भता बढ़ती जा रहा है जबकि पारम्परिक फसलों के कारण या तो उत्पादन घट रहा है या फिर ठहराव का शिकार है एवं दालों का उत्पादन घटता जा रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य को प्राप्त करना काफी कठिन है क्योंकि विवधीकरण नाम मात्र का है और नए तकनीकी प्रगति का पूर्ण अभाव है। इसका प्रतिबिम्ब ठहरी हुई उत्पादकता एवं फसल गहनता में दसवीं योजना में भी देखने को मिलता है। अन्य सम्बद्ध अर्थखण्ड जैसे मछलीपालन, वानिकी एवं पशुपालन अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है जिसे और भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कृषि की दयनीय हालत के लिए राज्य का अस्थिर एवं कमजोर संरक्षण एवं समर्थन जिम्मेदार है। साथ ही योजना के लक्ष्य अक्सर अवास्तविक होते हैं क्योंकि यह अल्पकालिक सकारात्मक पहलू एवं दीर्घकालिक रणनीति की उपेक्षा करता है। अतः यह आवश्यक है कि दीर्घकालिक रणनीति की सफलता के लिए अल्पकालिक मजबूत कड़ियों की तरह पूरक प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है जो सम्पूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रख सके।

ग्रामीण विकास :

उ0प्र0 सरकार ग्रामीण विकास के लिए अनेक मार्गों/पद्धतियों द्वारा दीर्घकालिक योजना रखती है। ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न केन्द्रीय संचालित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है उसी प्रकार उ0प्र0 अनेक

योजनाओं को संचालित कर रहा है। सभी योजनाओं का उद्देश्य रोजगार द्वारा उक्त उद्देश्यों हेतु ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को विस्तृत स्तर पर कम करना है और ढॉचागत संरचना को उत्पन्न करना है। ये विशिष्ट योजनाऍं विस्तृत रूप से वर्गीकृत भी की जा सकती हैं जैसे कि स्वरोजगार योजनाऍं, पारिश्रमिक रोजगार योजनाऍं, ग्रामीण ढॉचागत संरचना की रचना, छोटे पक्के घर का प्राविधान, सुरक्षित पेयजल सुविधाऍं, टिकाऊ पक्की सड़क और अन्य सामाजिक पूॅजी। योजना आयोग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक पृथक दिशा–निर्देश जारी किया जा चुका है। (केन्द्रीय आधारित योजनाओं के लिए)राज्य पोषित योजनाओं के लिए यद्यपि सम्बन्धित सचिवालय द्वारा दिशा–निर्देश प्रदान किया जा चुका है।

समय–समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें विकास योजनाओं को मूल्यांकित करती हैं और दिशा–निर्देशों को नया आयाम दिया जाता है और पुनः संशोधन किया जाता है। लेकिन क्रियान्वयन स्तर पर जहॉं सामाजिक राजनैतिक रूकावटें हैं, उनको लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यकतानुसार दूर किया जाता है। नियमों को भी सरलीकृत करने की आवश्यकता होती है, जिससे अधिकारिक देरी या रूकावटों को कम किया जा सके, जिससे योजनाऍं क्रियान्वित हो सकें। विभिन्न विभागों के मध्य संयोजन कार्य की सफलता एवं निष्पादन हेतु बहुत जरूरी होता है। पंचायतीराज संस्थाऍं स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निस्तारण हेतु पारदर्शी बनाना आवश्यक हैं। स्थानीय स्तर पर शीर्ष निर्णय को महत्व दिया जा सकता है। स्थानीय योजनाऍं मूल्य प्रभावी भी हो सकती हैं। अनुदान चिन्हित करने और लक्ष्य निर्धारण के दौरान क्षेत्रीय सन्तुलन बराबर कम हो रहा है। इसे आन्तरिक विभागीय संयोजन द्वारा दूर करने की आवश्यकता है। स्थापना मूल्य भी कम किया जा सकता है और समय–समय पर तर्कसंगत हो सकता है। स्वयं सहायता समूह प्रेरित करने में सहायता और मूलभूत संरचना और कार्यों के पुनर्निरीक्षण के समय उदार साख बनाये रखने में सहायक हो सकती है। स्वयं सहायता समूह मात्र सूचनाओं के लिए सहायक नहीं हो सकती है यह लाभान्वित लोगों के सफलता की दर को अधिक बढ़ायेगी। भवन निर्माण के बाद लाभान्वित लोगों को तेजी से वितरण किया जाना चाहिए यह रखरखाव मूल्य को कम कर सकती है।

दसवीं योजना में रोजगार सृजन हेतु 6422414 लोगों के लिए उक्त योजनाओं द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है जबकि 2573245 सन् 2002–03 में सृजन किया गया था और 2003–04 में 3392757। यह दसवीं योजना के लक्ष्य को पूर्णरूपेण प्राप्त किया है। वार्षिक योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान। इसका अर्थ यह है कि दसवीं योजना के लक्ष्य को संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह निरीक्षण किया जा चुका है कि बहुउद्देशीय शीर्ष निर्माण का कार्य दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान पंचायत भवन भी बन चुका है। यह अनुमानित लक्ष्य को भी प्रदर्शित करता है।

दसवीं योजना में सरकार को केन्द्रीय अनुदान के निर्गत के प्रयास पर केन्द्रित करना चाहिए। चिन्हित अनुदान के पूर्ण उपयोग हेतु, उचित लाभ लेने वाले लोगों की पहचान, लक्ष्य और उपलब्धि के मध्य अन्तर को कम करना, किसी कम या अधिक अनुदान के बिना उचित लक्ष्य को निर्धारित करना, प्राथमिकता सुनिश्चित करना, केन्द्र राज्य संयोजन, राज्य विभागों के मध्य संयोजन रोजगार की लाभयुक्त योजनाऍं, पथ और संचार की योजना, ग्रामीण निवेश, साख और बाजार एवं भण्डारण और आधारभूत संरचना को जोड़कर कार्यक्रमों का त्वरित क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर जो भारतीय नेपाल सीमा में आते हैं, को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थापित करना आदि पहल की आवश्यकता है। निजी निवेश ग्रामीण क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी दृष्टिगत किया जा चुका है कि सम्पूर्ण पिछड़े जिलों के लिए अनुदान समयानुसार उपलब्ध नहीं होते हैं।

औद्योगिक विकास :

उद्योग एक महत्वपूर्ण अर्थखण्ड है जो अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के बीच अगली एवं पिछली कड़ियों के रूप में काम करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस खण्ड के विकास की गति का दसवीं योजना में मध्यवर्ती मूल्यांकन किया जाय। औद्योगिक आधार की

मजबूती के बीच औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों में कुछ महत्वपूग्र कारण इस प्रकार है – राजनीतिक अस्थिरता, प्राथमिकता का औद्योगिक क्षेत्र से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बदलाव, योजना परिव्यय आवंटन, एवं उपयोग के बीच भारी अन्तर, निम्न सार्वजनिक निवेश, कम विकसित आधारभूत संरचना अल्प उर्जा खपत, आधुनिकता का अभाव, पारम्परिक तकनीकी एवं विधियों का प्रचलन, तथा श्रम शक्ति का निम्न भागीदारी आदि। दसवीं योजना में भी यह परिस्थिति बनी रही है। स्वीकृति योजना परिव्यय घटा दिया गया है। वार्षिक आवंटन भी घटाये जा रहें है। जिससे अवसाद की स्थिति बनती जा रही है। अगर यही हालात रही तो शेष दो वर्षों में महत्वाकांक्षी 12 प्रतिशत विकास की दर पाने के बजाय यह खण्ड पहले से भी खराब स्थिति में पहुँच जायगी। लघु उद्योग के नयी इकाइयों की स्थापना एवं रोजगार सृजन में वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि प्रति इकाई निवेश एवं रोजगार सृजन घटता जा रहा है। हथकरधा प्रक्षेत्र में रोजगार की स्थिति और भी खराब है। सिल्क उद्योग दिशाहीन है। मध्यम एवं बड़े उद्योगों के विकास के लिए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू किये गए हैं। किन्तु संसाधनों के आवंटन की दृष्टि से लक्ष्य को पाना सम्भव नहीं है तथा इस गति से प्रगति के आधार पर दसवीं योजना में महत्वपूर्ण उपलब्धि की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अत : 12 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करना अप्राप्य स्वप्न है। इससे लगता है कि उद्योग एवं नियोजन विभाग के बीच समुचित समन्वय का अभाव है। इसे दूर करने की जरूरत है।

<u>शहरी विकास एवं गरीबी निवारण</u> :

उत्तर प्रदेश में हाल के जनगणना 2001 के आंकडों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या में तीव्र गति वृद्धि हुई है जिससे दसवीं योजना में आवास, शहरी विकास, रोजगार एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। रहने के लिए अतिरिक्त आवासीय घरों का निर्माण अपेक्षित धनराशि के अभाव में प्रथम दो वर्षों में चुनौतियों की और भी बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र, नगर विकास योजना, छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों का समग्र विकास आदि शहरी विकास कार्यक्रम है। लेकिन गैर अनुपातिक पक्षपात पूर्ण संसाधनों का आवंटन मूल प्राथमिकताओं से परे रहा है। शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती निकास कार्यक्रम चल रही है। पहले कार्यक्रम में शहरी गरीबी के लिए स्वरोजगार, मजदूरी आधारभूत रोजगार प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के कई अवयव है। इन कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन में अन्तर भी है। क्रमबद्ध ढंग से पारदर्शी प्रयास की आवश्यकता है जिसे योजनाओं का स्पष्ट प्रभाव शहरी गरीबों पर देखा जा सके।

<u>आधारभूत संरचना का विकास</u> :

स्थूल रूप से आधारभूत संरचना को भौतिक, सामाजिक एवं वित्तीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें सभी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वांछनीय है भौतिक अधिसंरचना में मुख्यतः सिंचाई, उर्जा, परिवहन, दूर संचार, जलापूर्ति आदि सम्मिलित है। यद्यपि इस श्रेणी के बुनियादी ढांचा का उत्पादन वृद्धि पर वाह्य आर्थिक लाभ द्वारा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ सामाजिक अधिसंरचना शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय, मनोरंजन सुविधाओं आदि के द्वारा मानव संसाधन का विकास करता है एवं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अन्त में वित्तीय अधिसंरचना जैसे बैंक प्रणाली, डाक सुविधा एवं व्यवस्था की कर देय क्षमता से राज्य के वित्तीय स्थिति का पता चलता है। ये तीनों श्रेणी के अधिसंरचना न केवल उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाता है। बल्कि अन्य कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वाह्यय लाभ देता है। अधिसंरचना का आर्थिक वृद्धि के बीच के सम्बन्ध कड़ियों को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि दसवीं योजना में उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए अधिसंरचना के प्रगति की स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। यद्यपि आंकड़े की उपलब्धियों में बाधा पर विचार करते मात्र भौतिक अधिसंरचना का आर्थिक विकास में भूमिका सिर्फ सिंचाई, उर्जा एवं परिवहन पर ही विवेचना है।

सिंचाई :

सिंचाई 1960–67 के 36.12 प्रतिशत से बढ़कर 1980–81 में 54.89 प्रतिशत, 2000–01 73.70 प्रतिशत, तथा 2001–02 में 76.3 प्रतिशत बढ़ गया है। यद्यपि निजी स्रोतों से सिंचाई जैसे निजी नलकूप/ पम्प सेट से करीब 87.09 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत होता है जबकि वृहत् एवं मध्यम सिंचाई के स्रोतों जैसे नहर से 27.19 लाख हेक्टेयर सिंचित होता है। जो करीब 21 प्रतिशत है विभिन्न योजनाओं में यह देखा गया है कि सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के विकास गैर अनुपातिक हुआ है और सार्वजनिक निवेश भी गैर अनुपातिक हो रहा है। नौवीं एंव दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर वास्तविक व्यय का अनुपात लगभग स्थिर रहा हैं। विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं साथ ही समान्य सिंचाई क्षमता एवं उसका उपयोग भी नवीं एवं दसवीं योजना में लगातार बढ़ रहा है। मध्यम एवं वृहत् सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि लगातार नयी योजनाएं शुरू की जाती रही है जिससे परियोजनाओं का तो विस्तार हुआ किन्तु संसाधनों का बिखराव, परियोजना लागत में वृद्धि एवं परियोजना पूरा न होने में देरी इसकी मूल कमियां रही हैं। भूमि अपघटन जिसका मुख्य कारण जलभराव एवं खारापन प्रदेश कृषि को खतरा हो गया है। इसी प्रकार राज्य योजना आयोग ने आकलन किया है कि राज्य में लगभग 14.93 लाख हेक्टेयर भूमि जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 6 प्रतिशत है, खारापन एवं जलभराव से ग्रस्त है। जल प्रयोग कुशलता मात्र 30 से 40 प्रतिशत है जबकि आदर्श स्तर 60 प्रतिशत है। भूगर्भ जल का अति प्रयोग एवं अपर्याप्त वर्षा जलभरण के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में भूजल का स्तर घटता जा रहा है। प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत अर्द्धजल संकट क्षेत्र के अधीन हो गया है। फुहारी सिंचाई से जल की बचत होगी तथा जल संरक्षण से भूजल स्तर ऊपर उठेगा। फलस्वरूप किसान छोटे पम्प एवं कम बिजली की खपत सम्भव हो सकेगा।

कुल योजना खर्च में सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बजट में पुनआवंटन की जरूरत है। वर्तमान में चल रहे परियोजना को पूरा करने की जरूरत है जिससे सिंचाई का पूरा लाभ लिया जा सके। बजट में रख रखाव एवं मरम्मत के लिए विशेष प्राविधान करने तथा निर्देशन एवं प्रशासन पर खर्च कम करने की जरूरत है। भूजल के प्रदूषण को रोकने की जरूरत है तथा प्रभावी तकनीक के द्वारा प्रदूषित पानी को शुद्व करने तथा ग्रामीण इलाकों में प्रयोग की आवश्यकता है। जहां नहर सिंचाई का प्रबन्ध है वहां संयुक्त सिंचाई प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है नलकूप मानसून से पूर्व कम से कम 10 मीटर नीचं जल का स्तर हो इस तरह से नहर एवं नलकूप के संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है।

उर्जा :

उर्जा की भूमिका अर्थव्यवस्था के वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यद्यपि प्रति व्यक्ति उपभोग विद्युतीकृत गावं एवं परिवार का प्रतिशत, औद्योगिक इकाइयों का उर्जा उपभोग, आदि कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो प्रदेश के योजनाकाल के प्रगति का सूचक है। प्रदेश का प्रति व्यक्ति उर्जा उपभोग 195.58 किलोवाट है जो राष्ट्रीय स्तर 359.57 किलोवाट से काफी कम है। प्रति व्यक्ति उर्जा उपभोग की दृष्टि से भारत के 18 बड़े राज्यों में प्रदेश का स्थान 15वां है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण भी एक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रदेश का स्थान इस दृष्टि से 11वां है लगभग 79 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत है जबकि भारत का 86.3 प्रतिशत वर्ष 1999–2000 में साथ ही परिवारों का विद्युतीकरण एक सही संकेतक है जिस दृष्टि से प्रदेश एक पिछड़े राज्यों के श्रेणी में आता हैं आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में मात्र 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवार विद्युतीकृत है जबकि भारत में यह प्रतिशत 44 प्रतिशत है। यह स्थिति शायद मांग एवं आपूर्ति में अन्तर, समुचित आधुनिकीकरण का अभाव, विशाल परिचालन एवं वितरण क्षति, शुल्क सुधार का अभाव आदि के कारण है। उर्जा के उत्पादन एवं आपूर्ति के बीच के खायी को पाटना आवश्यक है। परिचालन एवं वितरण क्षति को

कम करना उर्जा संरक्षण के तरीकों को अपनाने तथा मांग पक्ष प्रबन्धन की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है भूमिगत तार के प्रयोग से अवैधानिक बिजली चोरी को एक सीमा तक रोका जा सकता है। परिचालन क्षति को 400 किलोवाट ट्रान्समीशन वोल्टेज में बदल कर रोका जा सकता है। अल्मूनियम परिचालन के स्थान पर तांबे के परिचालन मेंबदल कर प्रतिरोधी क्षति को कम किया जा सकता है।

फुहारी सिंचाई से जल की बचत होगी तथा जल संरक्षण से भूजल स्तर ऊपर उठेगा। फलस्वरूप किसान छोटे पम्प एवं कम बिजली की खपत सम्भव हो सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र में अल्मूनियम, रासायनिक उर्वरक, इस्पात तलशोधक एवं पेट्रोकेमिकल्स इस क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत उर्जा का उपभोग कर लेते हैं। विद्युत उपभोग कुशलता में वृद्धि से अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उर्जा लागत प्रति इकाई उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

परिवहन :

टिकाऊ विकास के लिए एक कुशल परिवहन प्रणाली आवश्यक शर्त है यह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, उत्पादकता बढ़ाने, विश्व बाजार में एवं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रतियोगितात्मक क्षमता बढ़ाने, पिछड़े अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा मुख्यधारा से जोड़नें एवं व्यापार तथा निवेश के लिए परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़क प्रति लाख जनसंख्या तथा प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कुछ संकेतक हैं जो परिवहन शाक्ति को दर्शाते हैं। प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि सड़क प्रति लाख जनसंख्या 57.3 किलोमीटर है जबकि राष्ट्रीय औसत 82.5 किलोवाट है। यह प्रदेश 18 राज्यों में 12वां स्थान पर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 30.8 है जबकि भारत में यह 23.7 कि0 मी0 है। उत्तर प्रदेश का स्था छठा है। पंजाब में 92.2 कि0 मी0 केरल में 53.5 कि0 मी0 है। यहां भी मांग एवं पूर्ति के बीच विशाल अन्तर सड़क निर्माण में क्षेत्रीय विषमता, निम्न रख रखाव स्तर, अच्छे विनियामक का अभाव, एवं पर्यावरणीय प्रदूषण व्याप्त है।

परिवहन के क्षेत्र में मांग एवं पूर्ति के अन्तर को कम करना, राज्य के सभी क्षेत्रों में परिवहन का विस्तार सुनिश्चित करना, क्षमता विस्तार, उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार एवं उन्नति, उच्च रख रखाव स्तर, उपयोग प्रभार एवं कीमतों के सुसंगतिकरण द्वारा आन्तरिक संसाधन जुटाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, निरर्थक पूंजी निवेश को रोकने के लिए बजट में सुधार आदि उपायों को लागू करने से इस क्षेत्र को प्रभावी ढंग से प्रबन्धित किया जा सकता है। प्रचुर आंकड़ों का आधार बनाने के लिए यातायात एवं लागत का आंकड़ा को क्रमबद्ध ढंग से इकट्ठा एवं अद्यतन किया जाना चाहिए। यद्यपि भौतिक वित्तीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए आरामदायकता एवं कुशलता कम किये बगैर सवारी दर में वृद्धि के प्रयास की जरूरत है। गैर यातायात राजस्व अर्जित करने के लिए बस एवं कर्मचारी अनुपात को कम किया जाना चाहिए। निगम अत्यधिक पुरानी बसों को नियमित रूप से हटाकर अत्यधिक ईंधन उपभोग, मरम्मती एवं रख रखाव आदि खर्चों से बच सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दसवीं योजना में आर्थिक विकास दर में वृद्धि, गरीबी एवं विषमता मे कमी के लक्ष्यों को पाने के लिए आधारभूत संरचना विशेषकर सिंचाई, उर्जा एवं परिवहन में निवेश बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए वैकल्पिक कठोर नीतियां बनाने एवं लागू करने की जरूरत है।

सामाजिक विकास :

विश्व स्तर पर बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में जहां निरपेक्ष गरीबी के प्रतिबिम्ब के रूप में सामाजिक विकास की स्थिति को समझने के बजाय सामाजिक विकास के विभिन्न आयामों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। विकास के कार्यक्रमों को सूक्ष्म स्तर पर लागू करने के लिए संस्थानिक सुधार, विकेन्द्रीकरण एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के बढ़ती भूमिका की आवश्यकता है। वस्तुतः मानव विकास के लिए

बेहतर एवं सहभागी वितरण व्यवस्था जरूरी है। प्रगति के लिए प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के विकास पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है किन्तु अपेक्षित स्तर पर यह प्रगति दिख नहीं रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है। संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। राज्य की जनसंख्या एवं जननांकीय स्थिति अल्पकाल में सुधारी नहीं जा सकती हैं यद्यपि कुछ दृष्टिगोचर योग्य कारकों की पहचान अवश्य होनी चाहिए जिससे मध्यम काल खण्ड में सुधार दिख सके। खेद की बात है कि हमारे पास समुचित रणनीति एवं अधिसंरचना नहीं है। स्वयं सेवी संस्थाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि व्यवस्थित आंकड़ों के अभाव में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी एवं उनके उपलब्धियों का सही तथ्य नहीं है। यद्यपि इन संगठनों का सरकारी धनराशि पर पूर्ण निर्भरता के कारण समुचित निगरानी आवश्यक है। बदले परिदृश्य में राज्य नियोजन प्रणाली में संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है जिससे विभाग धीरे–धीरे कुशल दृष्टि नियोजक की भूमिका तथा कुशल समन्वयक के रूप में काम कर सके जिससे अल्पकाल में भी अपेक्षित लक्ष्य को पाना सम्भव हो सके।

सशक्तीकरण एवं सामाजिक न्याय :

दसवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक एवं महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण के पहल को तेज करना है। जनगणना 2001 के अनुसार महिलाएं सम्पूर्ण जनसंख्या का 47.33 प्रतिशत हैं जिसका 7.86 करोड़ उत्तर प्रदेश में है। लैंगिक अनुपात 8.76 प्रति हजार से बढ़कर 898 प्रति हजार हो गया है फिर भी यह राष्ट्रीय औसत (933) से काफी नीचे है। महिलाओं की साक्षरता भी (42.2) प्रदेश में पुरूषों की तुलना में (68.8) कम है। कर्मकर जनसंख्या अनुपात भी मात्र 16.3 प्रतिशत है जो पुरूषों (47.4) की तुलना में काफी कम है। पुनउत्पादक स्वास्थ्य के निर्देशांक (22.8) प्रदेश को एक दम नीचे में ला खड़ा करता है।

महिला कल्याण के लिए दसवीं योजना में कुल परिव्यय 30 करोड़ है। योजना के प्रथम वर्ष में यह 7. 1 करोड़ था जिसमे खर्च मात्र 4.22 करोड़ हो सका। दूसरे वर्ष में परिव्यय 13.03 करोड़ रखा गया जबकि खर्च मात्र 9.25 करोड़ हो सका। वर्ष 2004–05 के लिए 14.22 करोड़ रूपये परिव्यय प्राविधानित हैं। दसवीं योजना महिलाओं के विकास के संवेदनशीलता के साथ महिला कल्याण पर केन्द्रित है। अनुदान एवं सहायता योजना के द्वारा अधिकाधिक वंचित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिवद्ध है । निर्वाह भत्ता के रूप में 125 रू0 प्रति माह अत्यन्त निर्धन महिलाओं को देने की व्यवस्था की गयी है। गैर योजना खर्च में 457994 महिलाएं शामिल की गयी है। इसके अलावा 36591 महिलाएं अम्बेदकर ग्राम के अधीन 2002–03 में शामिल की गयी है। वर्ष 2003–04 में प्रस्तावित परिव्यय इस योजना के लिए 552.52 लाख का प्राविधान था। 10 हजार विधवा लड़कियों के विवाह का भी अनुदान सहायता देने की व्यवस्था थी जिसके लिए 19 लाख रू0 देने का प्राविधान वर्ष 2003–04 में था। सामान्य वर्ग के गरीब लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन 50 रू0 से 450 रू0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। जिसके लिए वर्ष 2003–04 में 19 लाख परिव्यय था। वृद्ध लोगों एवं बच्चों के लिए घर बनाने एवं निर्वाह का भी प्रस्ताव है। इन घरों में आवास, चिकित्सा सुविधा, एवं काम के अवसरों का भी प्राविधान है। 2003–04 में 18.48 लाख इन कामों के लिए प्रस्तावित था।

निर्णय लेने एवं वित्तीय सहायता के लिए स्वशक्ति के सहभागिता से स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं का बनाकर मदद दी जाती है। निम्न ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा इस योजना के अधीन दिया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश के 20 जनपदों में यह योजना चालायी जा रही है। इसे लागू कराने में उत्तर प्रदेश महिला विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश भूमि विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। लगभग 5200 समूह बनाए जा चुके हैं। स्वशक्ति परियोजना के साथ मिलकर इसे चलाया जा रहा है।

राज्य योजना के अधीन नवीं योजना में कुल खर्च लगभग 91 प्रतिशत था। 2002–03 में यह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया। विशेष अवयव योजना में नवीं योजना में केवल 56 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका। वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में यह 21.49 एवं 46 प्रतिशत था। जबकि विशेष अवयव योजना का राज्य योजना में हिस्सा नवीं योजना के 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 21 प्रतिशत हो गया जो 2003–04 में 21 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा। जबकि अनुपातिक खर्च का प्रतिशत नवीं योजना के 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में 10 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित जाति के संदर्भ में विशेष अवयव योजना का राज्य योजना में हिस्सा खर्च नवीं योजना के 62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में मात्र 6 प्रतिशत रह गया एवं 44 प्रतिशत वर्ष 2003–04 में हो गया। यद्यपि राज्य योजना परिव्यय में हिस्सेदारी 4 से 7 प्रतिशत रही है। विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत संतोषजनक प्रदर्शन रहा है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में क्रमशः 132 प्रतिशत एवं 94 प्रतिशत खर्च किया जा सका है। महिलाओं के बेहतरी के लिए कुछ सुधार के उपाय आवश्यक है। वरीयता के आधार पर महिलाओं के लिए योजना निर्माण महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कल्याण की तुलना में सशक्तीकरण अधिक अनुनादी होता है। विशेषकर सहभागिता की दृष्टि से अतः इस नीति पर बल दिया जाना चाहिए।

सामान्य विकास की बात हो या महिला केन्द्रित विकास की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की नीतिगत पहल के लिए दसवीं योजना में बल देना एक सही कदम है। ये दोनों वंचित एवं सुदूर देहात के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है बिना फल की अपेक्षा के। दूसरे शब्दों में प्रयास एवं प्रशिक्षण को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि दोनों विधाओं में स्वतः टिकाऊ गति पैदा किया जा सके।

स्वास्थ्य विशेष उपायों के लिए प्रथम तीन वर्षों में समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है। सिद्यान्ततः यह विस्तारी लगता है किन्तु व्यवहारतः यह काफी जटिल है। जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करते रहने से क्रियान्वयन बेहतर एवं लाभदायी हो सकेगा। जहॉ तक समाज आर्थिक उपायों का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह आदि से निश्चय ही भागीदारी बढ़ी है किन्तु क्रमबद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे निष्ठावान एवं समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जाने की जरूरत है जिससे समग्र दृष्टिकोण के साथ धनराशि के उपयोग से लेकर भाण्डारण, बाजार सुविधा आदि की सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बाधा इस मार्ग में समुचित धनराशि एवं निष्ठावान कर्मचारी का अभाव है। समय की मांग है कि निजी क्षेत्र को सामाजिक दायित्व के साथ जोड़ा जाय जिससे धनराशि उपलब्ध हो सके तथा गैर सरकारी संगठनों से समर्पित कर्मचारियों की पहचान की जा सकती है।

अनुसूचित जाति / जनजाति :

प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर से अनुसूचित जाति जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा अधिक रहा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत रहा है। साक्षरता का दर अत्यन्त ही कम रहा है। अनुसूचित जाति के महिलाओं एवं पुरूषों की कुल आबादी की तुलना में काफी कम है। महिलाओं की साक्षरता पुरूष का मात्र 1/4 है एवं सम्पूर्ण में 1/3 है। गरीबी रेखा के अर्न्तगत आने वाली जनसंख्या में प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत भारत से काफी अधिक है। प्रदेश की आबादी में 21 प्रतिशत होने के बावजूद जमीन के जोत में मात्र 16 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल में मात्र 10 प्रतिशत है। लगभग 82 प्रतिशत अनुसूचित जाति प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। सामान्य कोटि के लिए यह संख्या 70 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति कर्मकर द्वितीयक एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं जबकि सामान्य कोटिका 30 प्रतिशत। अनुसूचित जनजाति प्रदेश की आबादी का मात्र 0.1 प्रतिशत है और इनकी वृद्धिदर भी कम है। कुल जनसंख्या के साक्षरता दर से इनकी साक्षरता दर भी कम है। लगभग 85 प्रतिशत जनजाति प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है और शेष 15 प्रतिशत द्वितीयक एवं अन्य क्षेत्रों में। लगभग 70 प्रतिशत मुख्य कर्मकर खेतिहर है

केवल 13 प्रतिशत खेतिहर मजदूर एवं शेष गैर कृषि मजदूर है। यद्यपि 66 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के 1993–94 में जबकि कुल भारत में माह 57 प्रतिशत था।

जब अनुसूचित जनजाति के विकास पर केन्द्रित करते हैं तो विकास प्रक्रिया और भी नाजुक हो जाती है। इस समुदाय के लिए उनके आवश्यकता के अनुरूप विशेष रूप से प्रारूपित योजनाओं की आवश्यकता है। जल्दबाजी उनके लिए कुछ भी करना मात्र, सशक्तीकरण नहीं है बल्कि सर्वप्रथम सशक्तीकरण के लिए निष्ठा की जरूरत है। समुचित गम्भीरता के अभाव में कोई भी पहल उनके बीच समाज आर्थिक एवं सांस्कृतिक भ्रम फैला हो सकता है।

सामाजिक न्याय अभी भी दूर है। बढ़ती भागीदारी के साथ प्रशिक्षण व्यावहारिक समाधान दे सकता है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व किसी भी क्षेत्र में कर्मक्रम के वादे में जागरूकता का अभियान न केवल अनुसूचित जाति/जनजाति /एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बल्कि सामान्य वर्गों के लिए भी जरूरी है। जिससे कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए वातावरण तैयार हो सके।

योजना वित्त प्रबन्ध, संसाधनों का विदोहन एवं निजी निवेश

नब्बे के दशक के आरम्भ से प्रदेश में योजना व्यय के विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत अनुपात में तीव्र गिरावट आयी, जोकि वृद्वि दर के भी तीव्र ह्रास में प्रतिबिम्बित होता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के काल में योजना व्यय अनुपात में सीमान्त वृद्वि आयी है। परन्तु यह अनुपात सत्तर के दशक के आरम्भ के स्तरों से निम्न रहा। योजना व्यय में गिरावट नब्बे के दशक के आरम्भ से राजकोषीय स्थिति में तीव्र ह्रास से जोड़ा जा सकता है। राज्य में आर्थिक सुस्ती तथा राजकोषीय संकट में निकट अर्न्तसम्बन्ध हैं। निम्न योजना व्यय निम्न वृद्वि को जन्म देता है, जोकि सरकारी राजस्व की वृद्वि में गिरावट लाती है। यह राज्य की योजना व्यय में वृद्वि की क्षमता को बाधित करती है , अतः दुश्चक्र को पूर्ण करती है। यह आवश्यक है कि योजना व्यय तथा राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्पष्ट वृद्वि लायी जाये ताकि वृद्वि दर का वर्धन हो और जिससे लक्षित वृद्वि दर को प्राप्त किया जा सके।

राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में योजना निवेश स्तरों में गिरावट के अलावा एक सत्य यह भी है कि लोक व्यय की गुणात्मकता में तीव्र गिरावट आयी है। नब्बे के दशक में कुल सरकारी व्यय की संरचना में पूंजीगत व्यय का मात्र 7–8 प्रतिशत योगदान रहा। योजना व्यय का लगभग आधा भाग राजस्व व्यय के मद में आता है। अतः राज्य की उत्पाद क्षमता के विस्तार में योजना व्यय का योगदान लगभग नगण्य है। आर्थिक वृद्वि को त्वरित करने के लिए सरकारी बजट के पूंजीगत व्यय में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है , जोकि राज्य के आधारभूत ढांचे को विकसित करने तथा निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा।

योजना परिव्यय तथा योजना व्यय में एक बड़ा तथा बढ़ता हुआ अन्तराल भी चिन्ता का विषय है। यह सरकारी विभागों के योजना आवंटनों के पूर्ण उपयोग करने की निम्न क्षमता को प्रतिबिम्बित करता है। कुल योजना व्यय दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षो में योजना आकार का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पायेगा। अतः योजना के शेष बचे दो वर्षो में वार्षिक योजना व्यय में साक्षात् वृद्वि लाने के लिए दृढ़ प्रयासों की आवश्यकता होगी।योजना कोष के अनुपयोगी होने के कारणों की पहचान करने तथा योजना परिव्यय के पूर्ण उपयोग को सुनिश्यित करने की ओर गम्भीर ध्यान देने की आवश्यकता है।

योजना वित्त प्रबन्ध के स्वरूप को देखने पर, हमें पता चलता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ऋणात्मक चालू राजस्व बचत पूर्ण योजना के प्रस्तावित चालू राजस्व बचत से अधिक बढ़ गया । दूसरी ओर, बाजार ऋण पूर्ण अवधि की प्रस्तावित मात्रा से अधिक रहा, जबकि निर्वाह कोष तथा अल्प उधारों का 40 प्रतिशत उपयोग हो चुका है। अतः राज्य निजी योगदान प्रस्तावित योगदान से कम रहा तथा उसकी उधार के विभिन्न स्त्रोतों पर निर्भरता लक्ष्य से अधिक रही। सरकार योजना व्यय में अपने योगदान के लिए

उधार पर ही निर्भर है , जोकि मुख्यतः राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं के विरूद्व प्राप्त किया जाता है। केन्द्रीय योजना सहायता, जिसमें 70 प्रतिशत संघटक ऋण हैं, , भी राज्य की ऋणग्रस्तता में वृद्वि को करता है , जोकि पहले से ही अत्यधिक उच्च है।

राज्य सरकार के केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये योजना ऋण तथा अन्य उधारों को साथ देखने पर हम यह पाते हैं कि राज्य सरकार का कुल योजना व्यय का लगभग तीन–चौथाई भाग उधार द्वारा तथा शेष एक–चौथाई केन्द्रीय अनुदान द्वारा वित्त प्रबन्धित होता है। अतः योजना व्यय राज्य के लोक ऋण में वृद्वि लाने में योगदान प्रदान करता है , जोकि पहले से ही अत्यधिक उच्च है। यह स्थिति इस तथ्य के कारण और भी अधिक शोचनीय है कि लगभग आधा योजना व्यय का भाग राजस्व व्यय के रूप में है , जोकि ऋण भुगतान हेतु कोई भी संसाधन उत्पन्न नहीं करेगा।

राज्य व्यय को पूरा करने के लिए ऋण पर निर्भर रहने के फलस्वरूप राज्य की ऋणग्रस्तता *में निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूप से तीव्र वृद्वि हुई* है। ऐसा अनुदान है कि इस वर्ष राज्य सरकार का कुल ऋण

रू0 1, ,30,000 करोड़ के आंकड़े को स्पर्श करेगा। राज्य के ऋण का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है, जो भारतीय राज्यों में उच्चतम है। ऋण भुगतान का राजस्व आय से अनुपात 2004–05 में 46 प्रतिशत का पाया गया। केवल ब्याज भुगतान ही राजस्व व्यय का लगभग 30 प्रतिशत है , जिससे राज्य की प्राथमिक क्षेत्रों में व्यय करने की क्षमता संकुचित होती है।

स्पष्ट रूप से वर्तमान में ऋण स्तर अवहनीय हैं। यह राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह संसाधनों को बढ़ाने तथा उधार द्वारा योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय के वित्त प्रबन्ध की निर्भरता में कमी लाने के दृढ़ तथा समयबद्व प्रयास करे। कि राज्य सरकार ने राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम वर्ष 2004 में पारित कर दिया है। अब यह आवश्यक है कि सरकार दृढ़ता से राजकोषीय अधिनियम में निश्चित किये गये राजकोषीय लक्ष्यों का पालन करे।

बारहवें वित्त आयोग में राज्यों के लिए ऋण पुनर्निर्धारण तथा ऋण माफी द्वारा ऋण सहायता की योजना को प्रस्तावित किया है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार ऋण माफी योजना का लाभ अपने राजस्व घाटे में गिरावट लाकर उठा सकता है।

केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था में वर्ष 2005–06, से बारहवीं वित्त आयोग के केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण समाप्ति के सुझाव के आधार पर परिवर्तन आयेगा। राज्य सरकार को नवीन ऋण व्यवस्था की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए अपने आपको कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा। उसे अब ऋण हेतु बाजार जाना पड़ेगा। योजना वित्त प्रबन्ध की सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। ऋण उपलब्धता अब बैंकों द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं तक ही सीमित रखनी होगी। गैर ऋण स्त्रोतों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के विदोहन से सरकार बच नहीं सकती है, अगर उसे अपने योजनागत तथा योजनेत्तर व्ययों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

उत्तर प्रदेश में कर/राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अति निम्न बना रहा। 2002–03 में .75 प्रतिशत बिन्दु की वृद्वि होने के बाद, कर/राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 6.3 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गया। करेत्तर राजस्व का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात जोकि 1 प्रतिशत से कुछ कम था और गिर गया। हाल में शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उपभोक्ता शुल्क में कमी करने के निर्णय से वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अगर राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संसाधन विदोहन हेतु एक कठोर एवं समयबद्व रणनीति को अपनाना पड़ेगा तथा विकासेत्तर व्ययों की वृद्वि के नियंत्रण पर भी बल देना पड़ेगा। दसवीं योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि योजना अवधि के दौरान 60 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से आयेगा। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए समुचित आंकड़े उपलब्ध नहीं

हैं। परन्तु वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के ऋणों का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। बैंक ऋण में वृद्वि 2002–03 में 15 .5 प्रतिशत की आँकी गयी, परन्तु अगले वर्ष वह तीव्रगति से गिरकर 1 .4 प्रतिशत रह गयी। बैंक ऋण में वृद्वि, बैंक जमाओं में वृद्वि की अपेक्षा अधिकतर वर्षो में कम रही है। यह ऋण जमा अनुपात में ह्रास द्वारा प्रतिबिम्बित होता है , जोकि मात्र 30–31 प्रतिशत रह गया है और राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यह प्रवृति सापेक्षिक रूप से राज्य में आर्थिक क्रिया के निम्न स्तर को इंगित करती है तथा राज्य द्वारा अर्जित की गयी बचतों के उपयोग करने की अक्षमता को व्यक्त करती है। राज्य में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए नियोजित प्रयासों की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश का कुल वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण 8 प्रतिशत से गिरकर नब्बे के अन्तिम चरण में 4 प्रतिशत से भी कम हो गया तथा 2002–03 3 .17 प्रतिशत मात्र तथा 2003–04 में 1 .89 प्रतिशत मात्र में रहा। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश में अनाकर्षक निवेश वातावरण को इंगित करते हैं।

प्रस्तावित निवेश में 1996–97 तथा 2000–01 के मध्य ह्रास पंजीकृत हुआ, परन्तु तत्पश्चात् वृद्वि के चिन्ह दृष्टिगत हुए। 2001–02 तथा 2003–04 के मध्य प्रस्तावित निवेश में उछाल रू0 20,000 करोड़ की रही। परन्तु यह वास्तविक निवेश में नहीं प्रतिबिम्बित हुआ क्योंकि कार्यान्वियन की दर में गिरावट 47 प्रतिशत से गिरकर 36 प्रतिशत की रह गयी। अगर प्रस्तावित निवेश पूर्णरूप से सम्भव हो सके तो राज्य अर्थव्यवस्था पर सारवान प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वियन की दर को बाधित करने वाले कारकों को चिन्हित करने तथा उनके कुशलपूर्ण ढंग से हटाने का प्रयास करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश घरेलू तथा विदेशी निवेशकों की नगण्य संख्या आकर्षित करता है। अगस्त 2004 तक उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या 438 थी जिसमें 18,098 करोड़ का निवेश प्रस्तावित था, जोकि कुल परियोजनाओं की संख्या का 7 .8 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण भारत में कुल निवेशों का 9 .5 प्रतिशत आंका गया। परन्तु 2003–04 में औद्योगिक उद्यम समझौते का भाग मात्र 5 .62 प्रतिशत तथा निवेश का मात्र 1 .4 प्रतिशत ही रहा।

उत्तर प्रदेश का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रू0 102 .32 करोड़ की राशि ही आकर्षित कर पाया। प्रदेश में प्रस्तावित निवेशों की संख्या तथा निवेश की मात्रा सम्पूर्ण भारत के प्रस्तावित निवेशों की संख्या तथा निवेश की मात्रा की तुलना में मात्र 2 .0 प्रतिशत तथा 1 .5 प्रतिशत रही। हमारा विश्लेषण यह इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में वाह्य निवेशों को आकर्षित करने के प्रयासों में इच्छित सफलता नहीं मिली है। इसे बाधित करने वाले तत्वों का त्वरित रूप से गहन विश्लेषण करना आवश्यक है।

अगर उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक वृद्वि मे समवर्धन तथा गरीबी को घटाने के लक्ष्यों को पूरा करना है तो उसे कठोर तथा सृजनात्मक प्रयासों द्वारा आधारभूत ढांचे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेशों में वृद्वि लाना होगा तथा साथ ही निजी घरेलू तथा विदेशी निवेश को बड़ी मात्रा में आकर्षित करने के प्रयास करने होंगे।

शासन एवं सुधार :

शासन एवं सुधार विकास के बहस में राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक आयामों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के रूप में अनेक पहलों की शुरूआत शासन सुधार उपायों के तौर पर विकास के गति को तेज करने के लिए प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सामने खड़ी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वंचितों की समस्या, मानवशक्ति नियोजन एवं भ्रष्टाचार सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के द्वारा शासन में सुधार की वकालत की गयी है। कुछ अच्छे परिणाम भी मिले हैं किन्तु अभी बहूत कुछ करना शेष है।

प्राथमिकताओं का संक्षेपण: शासन सुधार के मुख्य क्षेत्र:

राजनीतिक क्षेत्र:

जब तक राजनीतिक व्यवस्था में स्वच्छता नहीं लाई जाती दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप एवं सुधार की आशा नहीं की जा सकती जो कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसे व्यावहारिकता में बदलना कठिन है। राजनीतिक सुधार के लिये राजनीतिक पार्टियों में विवेकपूर्ण स्थिति के लिये इच्छाशक्ति एवं एकमत होना जरूरी है। शासन सहित राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिये यह सर्वथा उपयुक्त समय है जब इन्हें अपने तुच्छ, अल्पकालीन स्वार्थों से उठकर इसके लिये सहमत होना चाहिए।

प्रशासनिक क्षेत्र:

1. प्रशासन की लागत में कमी।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं सरकार की क्षमता बढ़ाना।
3. सरकारी विभागों एवं पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराना।
4. सूचना के लिये नागरिकों के अधिकार के कानून को लागू करना।
5. भ्रष्टाचार निरोधक कानून/उपकरणों/संस्थाओं का सुदृढ़ करना।
6. एक प्रभावी त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करना।
7. ई–शासन, खुली निर्णय प्रक्रिया एवं पारदर्शिता पर विशेष बल।
8. बजटीय/ वित्तीय अनुशासन लागू करना एवं सभी स्तरों पर वित्तीय जवाबदेही स्थापित करना।
9. न्यायिक व्यवस्था के प्रशासन में सुधार एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ करना मुख्यतः वितरण व्यवस्था में समानता लाना।
10. सभी विकास प्रक्रियाओं में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थायित्व।

राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबन्धन:

1. अत्यधिक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा की मात्रा में कमी लाना।
2. राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का कठोरता से पालन।
3. उपादान व्यवस्था पुनरीक्षण/उपादानों को केवल आवश्यक वस्तुओं एवं समुचित रूप से चयनित एवं लक्षित व्यक्तियों तक सीमित करना।
4. कर आधार को विस्तृत एवं गहन बनाना। उपयोग शुल्क का विवेकीकरण, लागत आधारित मूल्य निर्धारण एवं आवश्यकता पड़ने पर क्षैतिज उपादान प्रदान करना।
5. ऐसे क्षेत्रों, जहां यातायात सिंचाई, जल, एवं स्थानीय सेवायें आदि नहीं उपलब्ध हैं उनके लिये संवैधानिक नियामक अभिकरण बनाना।
6. संवैधानिक उपायों द्वारा सरकारी गारण्टी पर रोक।
7. पेंशन एवं भविष्य निधि व्यवस्था में सुधार।

आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण/शहरी विकास:

1. उर्जा, सड़क, सिंचाई एवं यातायात से बड़ी मात्रा में निवेश के आय स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पोषण, महिला एवं बाल सुविधाओं पर जोर।
2. पूर्व निर्मित सम्पतियों का रख रखाव।

3. विद्युत दरों का विवेकीकरण एवं अराजनीतिकरण साथ ही जल मूल्य भी इतना ही महत्वपूर्ण है।
4. आधारभूत संरचना से सम्बन्धित सेवाओं के मूल्य के लिये अलग से नियामक प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए।
5. आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं में निजी एवं सार्वजनकि क्षेत्र की भागीदारी के लिये विधिक, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय वातावरण तैयार करना।
6. शहरी विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर विशेष बल।

रोजगार एवं मानव संसाधन विकासः

1. बड़ी मात्रा में बेरोजगारों की संख्या का समाधान एवं श्रम संख्या में वृद्धि को समाहित करना। जब तक रोजगार नहीं प्रदान किया जाता तब तक सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना चाहिए।
2. वर्तमान श्रम कानून में सुधार की आवश्यकता है। स्व–रोजगार पर ज्यादा जोर देना चाहिए।
3. सभी स्तर पर कौशल निर्माण में सुधार करना चाहिए।

इस प्रकार नीतियां, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बीच के अन्तराल को पहले न्यूनतम तथा फिर समाप्त करने की जरूरत है। समय की मांग है कि स्वच्छ एवं कुशल राजीनतिक प्रबन्धन, कुशल, ईमानदार एवं जवाबदेह नौकरशाह, पारदर्शी एवं संवेदनशील न्यायपालिका, भावुक एवं खुला प्रशासन, सुदृढ़ एवं क्षमतामूलक आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियां, नैतिकता पूर्ण बदलाव, कानून का शासन सहभागी विकास के लिए मजबूत लोकतांत्रिक एवं विकेन्द्रित संस्थाएं एवं सजग नागरिक समुदाय जैसी स्थिति बहाल करने की आवश्यकता है जिससे उत्तर प्रदेश भूमंडलीकरण, स्वतंत्र बाजार एवं गरीबी तथा विषमता के बीच प्रगति की ओर बढ़ सके।

अध्याय – एक

भूमिका

दसवीं पंचवर्षीय योजना नए वित्तीय वर्ष 2002 के अप्रैल से प्रारम्भ होकर मार्च 2007 तक चलेगा। यह योजना प्रदेश अर्थव्यवस्था को महत्वाकांक्षी 8 प्रतिशत वृद्धि दर से उन्नति करने, लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने एवं क्षेत्रीय विषमता घटाने के उद्देश्य से शुरू हुआ है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के विस्तार पर बल दिया गया है, जिससे बेरोजगारी एवं गरीबी के सवालों का हल ढूंढने के लिए उत्पादक एवं लाभकारी रोजगार मुहैय्या कराया जा सके। जननांकीय संरचना में गुणात्मक रूपान्तरण के लिए सामाजिक विकास के आयामों, जैसे– जनसंख्या नियंत्रण, शिशु मृत्यु एवम् निरक्षरता निवारण के उपाय, सुरक्षित पीने का पानी एवं स्वास्थ्य आदि, विशेषकर ऐतिहासिक रूप से वंचित एवं अभाव में जी रहे लोगों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता समझी गयी, जिससे राजकोषीय कठिनाइयों के बावजूद उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। दसवीं योजना का तीन वर्ष समाप्त हो चुका है। अतः यह उचित समय है कि अभी तक के प्रगति की समीक्षा की जाय।

उद्देश्य :

दसवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के निर्धारित लक्ष्यों के आलोक में विभिन्न खण्डों के प्रगति की समीक्षा करना तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सम्भावित सुधार के उपायों को इंगित करना है। अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं एवं चुनौतियों के आलोक में लक्ष्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। विभिन्न संदर्भों में मूल्यांकन हेतु चिन्हित प्राथमिकता एवं उद्देश्य, संसाधनों का आवंटन निवेश शैली एवं जरूरतें, संसाधन जुटाने की स्थिति, एवं योजना प्रस्ताव में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों आदि कारक संदर्भ बिन्दु हो सकते हैं। यद्यपि इस मूल्यांकन का लक्ष्य यह जानने की कोशिश करना है कि वांछित दिशा में अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ रहा है अथवा नहीं तथा इस दिशा में निवेश किया जा रहा है अथवा नहीं। यह अध्ययन, एक प्रकार से, भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अन्तर या कमी को दूर करने के उपाय ढूंढने के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं के आलोक में विश्लेषण करने का प्रयास है।

1. निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राज्य घरेलू उत्पाद एवं उनके विभिन्न खण्डों –प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में वृद्धिदर की उपलब्धि हो पायी है।
2. कृषि उत्पादकता विवधीकरण एवं मिश्रित कृषि में विशेषकर सीमान्त एवं लघु किसानों के संदर्भ में सुधार हो पाया है।

3. वैसे उद्योगों को, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार की सम्भावना है, प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया गया है।

4. तेजी से विकास ने पिछड़े क्षेत्रों में अन्तरक्षेत्रीय विषमता कम की है।

5. सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना की स्थिति बेहतर हुई है।

6. गरीबी– ग्रामीण एवं शहरी –में कमी आयी है।

7. सामान्यरूप से लोगों के जीवन की गुणवत्ता विशेषकर गरीबों में बेहतर हुआ है।

अनुश्रवणीय लक्ष्य :

दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (खण्ड–1, भाग–1,पृा0 61) में लक्ष्यों के अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित संदर्भों को चिन्हित किया हैः

1. गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जनसंख्या अनुपात को 31.5 प्रतिशत से घटाकर 25.41 प्रतिशत किया जा सकेगा।

2. दसवीं योजना अवधि में 81 लाख रोजगार अवसर सृजित किया जायगा जिससे नवीं योजना के अन्त में संचयी बेरोगारी एवं दसवीं योजना में उत्पन्न बेरोजगारी का अन्त हो सकेगा।

3. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय सुविधा से जोड़ा जा सकेगा।

4. साक्षरता में विद्यमान लैंगिक विषमता (27 प्रतिशत) को कम करने के लिये साक्षरता पर विशेष बल दिया जाएगा।

5. जन्म दर 32.1 प्रति हजार से घटाकर 22 प्रति हजार करना।

6. मृत्यु दर 10.2 प्रति हजार से घटाकर 9 प्रति हजार करना।

7. शिशु मृत्यु दर 84 प्रति हजार से घटाकर 12 प्रति हजार करना।

8. साक्षरता की दर को बढ़ाकर कम से कम 75 प्रतिशत करना।

9. सभी बस्तियों में पीने के पानी की टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित करना।

10. महिला सशक्तीकरण पर बल देना।

11. स्वयं सहायता समूह को संगठित एवं प्रोत्साहित करना।

12. सामाजिक सुरक्षा आच्छादन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण ।

13. पांच सौ से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत सभी मौसमवाली पक्की सड़कों से जोड़ना।

14. विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के अभिसरण के द्वारा संसाधनों का अनुकूल प्रयोग।

15. सभी गांवों का प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अर्न्तगत विद्युतीकरण।

16. विकेन्द्रीकरण द्वारा स्थानीय निकायों को आत्म –निर्भर बनाना।

प्रविधि :

यह मूल्यांकन मूलतः अधिकारिक आकड़ों पर आधारित है जिन्हें विभिन्न विभागों, सम्बन्धित प्रकाशित प्रतिवेदनों एवं व्यक्तिगत शोध अध्ययनों से संकलित किए गए हैं। आकड़ों के विश्लेषण में शुद्धता के लिए तथ्यों के स्वभाव के अनुसार समुचित सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के प्रारूपित अध्यायों के व्यापक ग्राह्यता की दृष्टि से कार्यशाला आयोजित कर प्रस्तुति कराया गया एवं विभिन्न अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के सुझावों के अनुसार यथासम्भव अध्यायों को संशोधित एवम् परिमार्जित कर अन्तिम रूप दिया गया है।

सीमाएं :

जैसा कि अनुश्रवणीय लक्ष्य में वर्णित है, विभिन्न आयामों के आंकड़ों में समय–पिछड़न है। अतः उन आंकड़ों का मूल्यांकन हेतु उपलब्ध होना सम्भव नहीं था, जबतक कि सम्बन्धित विभाग या अन्य शासन अभिकरण स्वतंत्र रूप से उनके अध्ययन या आंकड़ें एकत्र करने का कार्य नियमित रूप से न करें। उदाहरण के तौर पर जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्यु, साक्षरता आदि को लिया जा सकता है। कई अन्य विषयों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जैसे – गरीबी, रोजगार, निजी निवेश आदि। अतः अध्ययन में इन बिन्दुओं पर कमी स्वाभाविक है। निजी निवेश दसवीं योजना का सबसे प्रभावी घटक है। किन्तु समुचित आंकड़ों के अभाव में यह विश्लेषण सम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में नियमित आंकड़ों की उपलब्धता के लिए एक स्वतंत्र प्रयास की आवश्यकता है।

आंकड़ों के संग्रह के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बहुत सहज कार्य नहीं था। साथ ही विभिन्न विशेषज्ञों के पूर्वनिर्धारित व्यस्तता के कारण उनका बहुमूल्य समय मिल पाना उतना ही दुर्लभ था। अतः चाहकर भी निर्धारित समय सीमा में अध्ययन को सम्पन्न करना सम्भव नहीं हो पाया। कार्यशाला में नियोजन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण थे जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि यदि विभागीय पहल की जाय तो आंकड़ों की कमी को एक सीमा तक दूर किया जा सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सामूहिक प्रयास से यह अध्ययन सम्भव हो सका है लेकिन समन्वयन तथा संश्लेषण के कार्यो में कमियां व्यक्तिगत हैं।

अध्ययन की रूप रेखा :

यह अध्ययन तेरह अध्यायों में विभाजित है। कार्यकारी सारांश के साथ एक समष्टि परिदृश्य में अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए खास विश्लेषण रखा गया है। मूल्यांकन में वित्तीय उपलब्धता एवं निवेश शैली शामिल है। आधारभूत ढांचा का विकास एवं सामाजिक क्षेत्र, जैसै – शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, जलापूर्ति

आदि के अलावा योजना लक्ष्य के सापेक्ष मुख्य आर्थिक खण्ड, जैसे कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उर्जा, परिवहन आदि के उपलब्धियों का अध्ययन किया गया है। गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति तथा सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण आयामों जैसे – अनिसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण एवं पौष्टिकता आदि की विवेचना की गयी है। अंतिम अध्याय में शासन सुधार के आयामों तथा उपायों की चर्चा की गयी है।

कार्यकारी सारांश :

कार्यकारी सारांश इस अध्ययन में उभरे बिन्दुओं एवं नीतियों का पुनरावलोकन है। परिव्यय एवं खर्च के बीच भारी अन्तर अध्ययन के सभी अध्यायों में उजागर हुआ है। निम्न विकास दर, बढ़ती श्रेत्रीय विषमता एवं गरीबी, उपेक्षित एवं ठहरा हुआ कृषि, सामाजिक एवं निजी निवेश का अभाव, औद्योगिक विकास की धीमी गति, ग्रामीण विकास के योजनाओं की दृष्टि एवं क्रियान्वयन में अन्तर, बढ़ती शहरी आबादी तथा शहरी नियोजन की उदासीनता, उच्च प्राथमिकताओं के आधार पर सामाजिक खण्ड में परिव्यय के प्राविधान के बावजूद कम आवंटन, चिन्ताजनक वित्तीय स्थिति, ऋण पर बढ़ती निर्भरता, नीति कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन में अन्तर तथा जनहित विकेन्द्रित शासन आदि इस अध्याय के मुख्य तत्व हैं। सुधार के उपाय भी सुझाए गये हैं जिससे आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक न्याय, रोजगार में वृद्धि तथा गरीबी एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी सम्भव हो सके।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था : एक परिदृश्य

यह अध्याय संक्षिप्त रूप से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थूल विशेषताओं का वर्णन है। जिसमें समष्टि एवं खण्डवार वृद्धि प्रदर्शन, कृषि विकास के विविध आयामों, फसलवार उत्पादन एवं उत्पादकता, साख एवं बीमा, आधारभूत संरचना विशेषकर सिंचाई की स्थिति, औद्योगीकरण, सूक्ष्म एवं छोटे उद्योग, निवेश एवं वृद्धि सम्बन्ध, संसाधनों का आवंटन एवं उपयोग, गरीबी एवं बेरोजगारी की बढ़ती चुनौतियां, राजकोषीय घाटा एवं बढ़ता ऋण का बोझ, आदि शामिल हैं। इस अध्याय में जो तथ्य उभर का आया है उनके अनुसार कृषि की निम्न उत्पादकता मानसून की अनिश्चितता के बीच एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं लुढ़कता विकास दर के बीच बढ़ती बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या का प्रभावी हल ढूंढने की आवश्यकता है। राजकोषीय संकट एवं क्षमता का सवाल परिव्यय एवं आवंटन के बीच अन्तर तथा कोष का कम खर्च कर पाना चिन्ता का विषय है। महत्व की दृष्टि से इन सवालों का विभिन्न अध्यायों में गहरायी से विश्लेषण किया गया है।

क्षेत्रीय विषमता :

क्षेत्रीय विषमता कम करना दसवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में एक है। यह अध्याय क्षेत्रीय विषमताओं के विभिन्न आयामों – जननांकीय संरचना, सामाजिक विकास, आधारभूत ढांचा, कृषि एवं औद्योगिक विकास, आय विषमता एवं अन्तर्क्षेतीय विषमताओं की विवेचना करता है। क्षेत्रीय विकास योजनाएं जैसे राष्ट्रीय सम विकास योजना, पूर्वांचल विकास योजना निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि आदि का भी विश्लेषण करता है। इस अध्याय के विश्लेषण में क्षेत्रीय विषमताओं के कुछ महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की जा चुकी है। जैसे–पिछड़े इलाकों में औद्योगीकरण का अभाव, पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में सिंचाई का अभाव, पूर्वी क्षेत्रों में बाढ प्रभावित विशाल क्षेत्र, बुन्देलखण्ड में मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि एवं निम्न फसल गहनता आदि। निष्कर्षतः यह उभर कर सामने आया है कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद अन्तर्क्षेत्रीय विषमता में बढ़ोतरी हुई है।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधि :

कृषि प्रदेश के श्रमशक्ति के जीवन निर्वाह की दृष्टि से मुख्य आधार है जिससे इस क्षेत्र के विकास का महत्व बढ़ जाता है। इस अध्याय में उभर के आया है कि पर्याप्त सार्वजनिक निवेश का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव, पर्याप्त संसाधन का आवंटन एवं उपयोग का अभाव के कारण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का संतोषजनक प्रदर्शन सम्भव नहीं हो पाया है। फलतः इस खण्ड में उदासीनता एवं निष्क्रियता ने निम्न उत्पादकता, नगण्य विवधीकरण, आधुनिकीकरण तथा सेवा एवं सलाह का अभाव और कमजोर आधारभूत ढांचा की स्थिति बनी हुई है। पशुपालन में भी कोई उत्साहवर्धक प्रवृत्ति नजर नहीं आ रहा है। यद्यपि मछली पालन में सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलता है। यह अध्याय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि यही हालत रही तो आगामी दो वर्षों में कृषि खण्ड के लिए अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाना मुश्किल ही नहीं असम्भव हो जाएगा।

औद्योगिक विकास :

उद्योग प्रदेश अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खण्ड है जो अन्य खण्डों के विकास को मजबूती प्रदान करता है तथा उनके विकास प्रक्रिया को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों एवं खण्डों के साथ पूर्वगामी एवं अग्रगामी कड़ी का काम करता है। अतः दसवीं योजना के मध्य में इस खण्ड के विकास गति का मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से यह अध्याय प्रदेश का मजबूत औद्योगिक आधार के बीच औद्योगिक पिछड़ापन, पर केन्द्रित है। विभिन्न कारणों में औद्योगिक पिछड़ापन के कुछ प्रमुख कारणों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जैसे – राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग खण्ड से सामाजिक खण्ड में प्राथमिकता का बदलाव, संसाधनों के परिव्यय, आवंटन एवं उपयोग में अन्तर, निम्न सार्वजनिक निवेश, निम्न विकसित आधारभूत संरचना, निम्न उर्जा उपभोग,

आधुनिकीकरण का अभाव, पारम्परिक विधि एवं तकनीकी का उत्पादन में उपयोग तथा श्रमशक्ति का निम्न भागीदारी आदि। दसवीं योजना में भी यह प्रवृत्ति कायम रही। प्रस्तावित परिव्यय स्वीकृति परिव्यय में बदलते समय परिव्यय की राशि घटा दी गयी। वार्षिक आवंटन तो बहुत ही निराशाजनक रहा। यदि यही हाल शेष दो वर्षों में रहा तो उद्योग अपने अवास्तविक महत्वाकांक्षी 12 प्रतिशत विकास का लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता है। यह नियोजन विभाग, उद्योग विभाग तथा वित्त विभाग की बीच समुचित तालमेल का अभाव को भी दर्शाता है, जो चिन्तनीय विषय है तथा इसे दूर करने की आवश्यकता है।

गरीबी एवं बेरोजगारी:

यह अध्याय गरीबी एवं बेरोजगारी पर अधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आयी है, लेकिन सापेक्षिक स्थिति की दृष्टि से भारत में गरीबी में रह रहे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी है। अधिकांश गरीब आबादी गांवों में रहते हैं। क्षेत्रीय विशलेषण से उभरकर आया है कि केन्द्रीय उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीब आबादी रहती है। दूसरे स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। साथ ही अन्य पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की गरीब जनसंख्या में हिस्सेदारी क्रमशः 47.6 एवं 34.6 प्रतिशत है। धर्म के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में हिन्दू एवं मुसलमानों के बीच गरीबी में कोई अन्तर नहीं है किन्तु शहरी आबादी में मुसलमान हिन्दुओं के उपेक्षाकृत अधिक गरीब हैं। इस अध्याय के विशलेषण से यह उभरकर आया है कि प्रदेश में खुली एवं छिपी बेरोजगारी में बढ़ोतरी चिन्ता का विषय है। सीमान्त कामगारों की वृद्धि रोजगार के गुणवत्ता में कमी का परिचायक है। कृषि आज भी जीविका का प्रमुख आधार है किन्तु गैर–कृषि में श्रमशक्ति का विस्तार हुआ है। रोजगार निबंधक केन्द्र में रोजगार चाहने वालों की संख्या में कमी बेरोजगारी में कमी को दर्शाता हो यह आवश्यक नहीं है। यह रोजगार चाहने वालों का निबंधन की उदासीनता को दर्शाता है क्योंकि अक्सर वे संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने में विफल होते हैं। इस निराशा एवं रोजगार विहीन वृद्धि के व्यामोह में बेराजगारी की स्थिति का और भी बदतर होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस अध्याय में विकास की गति तेज करने, श्रम गहन कार्यों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के निवेश के लिए पहचान करना, सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास करने गरीबों की क्षमता का विस्तार करने, सामाजिक सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने, आय अर्जित करने के लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण, कृषि का विवधीकरण, कमंजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष पहल एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्थानीय निकायों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित कराने जैसे प्रमुख उपायों को सुझाया गया है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण :

यह अध्याय ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यह मुख्यतः स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास योजना, अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाएं जैसे – राष्ट्रीय समविकास योजना, आदि। इसके अलावा बुनियादी ढांचा निर्माण एवं रोजगार के विशेष योजना का भी मूल्यांकन किया गया है। कुछ योजनाओं में लक्ष्यों को पाना सम्भव भी हो सका है। यद्यपि यह अध्याय कार्यक्रम के लागू कराने, समन्वय तथा अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर भी संकेत देता है तथा भविष्य में इनमें सुधार की रणनीति को इंगित करता है।

शहरी विकास एवं गरीबी निवारण :

हाल के जनगणना 2001 से उभरे तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि शहरों की आबादी से तेजी से वृद्धि हुई है। जिसके परिणम स्वरूप आवास, शहरी विकास, रोजगार के एवं गरीबी निवारण के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ गयी है। रहने के लिए नए इकाइयों का निर्माण संसाधनों के अभाव में एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र, नगर विकास योजना, एंव छोटे तथा मध्यम आकार के शहरों का समन्वित विकास, शहरी विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं। लेकिन संसाधनों का गैरअनुपातिक एवं एक तरफा आवंटन मूल प्राथमिकताओं को दर किनार करती रही है। शहरी रोजगार एवं गरीबी निवारण के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसमें स्वरोजगार, मजदूरी, प्रशिक्षण एवं गरीबों के पुर्नवास के कई अवयव हैं। लेकिन इन योजनाओं पर परिव्यय नवीं योजना से भी कम है। साथ ही परिव्यय एवं वार्षिक आवंटन में अन्तर एक गम्भीर समस्या बनी रही है। इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव शहरी गरीबों पर दिखे, इसके लिए क्रमबद्ध एवं पारदर्शी प्रयासों की नितान्त आवश्यकता है।

आधारभूत संरचना विकास :

बुनियादी ढांचा को मूलतः भौतिक सामाजिक एवं वित्तीय प्रभागों में बांटा जा सकता है। इनमें सभी आर्थिक विकासके लिए जरूरी है। भौतिक आधारभूत संरचना में सिंचाई, उर्जा, परिवहन, दूर संचार जलापूर्ति आदि प्रमुख हैं। जिनका सीधा प्रभाव वाहय मितव्ययिता लाभ के द्वारा आर्थिक वृद्धि पर पड़ता है। अतः यह अध्याय भौतिक आधारभूत संरचना का अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका पर केन्द्रित है। साथ ही आंकड़ों के अभाव में यह अध्याय भौतिक आधारभूत संरचना के सिंचाई, उर्जा एवं परिवहन के विश्लेषण तक सीमित है।

यह पाया गया है कि विभिन्न स्रोतों से सिंचाई के विकास में बेतरतीब वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी सार्वजनिक निवेश की भी हालत कुछ ऐसी ही रही है। नौवीं तथा दसवीं योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर खर्च करीब–करीब स्थिर सा रहा है। विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र के बढ़ने की प्रवृत्ति रही हैं सम्भाव्य सिचाई एवं उपयोग में भी लागातार बढ़ोतरी हुई है। मध्यम एवं वृहत् सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी यह रही है कि लगातार नयी योजनाएं शुरू की जाती रही है। जिससे परियोजनाओं का तो पर्याप्त विस्तार हुआ किन्तु संसाधनों का बिखराव, परियोजना लागत में वृद्धि एवं परियोजना पूरा होने में देरी इसकी मूल कमियां रही है। लम्बित परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है जिसके लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है।

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह प्रदेश, भारत के 18 बड़ें राज्यों में 15वां स्थान पर है। प्रति व्यक्ति उर्जा उपभोग एवम् विद्युतीकरण की दृष्टि से इस प्रदेश का स्थान 11वां है। पारिवारिक विद्युतीकरण, जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, की दृष्टि से यह प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। प्रदेश का मात्र 20 प्रतिशत परिवार में विद्युतीकरण हो सका है। जो राष्ट्रीय आंकड़े (44 प्रतिशत) से आधे से भी कम है। मांग एवं पूर्ति में भी काफी अन्तराल रहा है। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का अभाव रहा है। संवाहन एवं वितरण के दौरान क्षति अधिक होता है तथा शुल्क सुधार के लिए स्पष्ट दृष्टि का अभाव रहा है। इन कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की आवश्यकता है।

एक कुशल परिवहन व्यवस्था जो टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता, उत्पादकता बढ़ाने, विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतियोगितात्क शक्ति की विस्तार करने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने तथा उन्हें व्यापार एवं निवेश के द्वारा अर्थव्यवस्था के मुख्यधारा में शामिल करने में निर्णायक योगदान करता हैं। यद्यपि मांग एवं पूर्ति के बीच बड़ी खायी है। सड़क निर्माण में क्षेत्रीय विषमता है, रख–रखाव का स्तर निम्न है, अच्छा विनियामक तंत्र नहीं है एवं परिवहन के क्षेत्र में उच्च पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या है। इन समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है।

<u>सामाजिक विकास :</u>

सामाजिक विकास दसवीं योजना की प्राथमिकता है। इस अध्याय में शिक्षा, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं ऐच्छिक क्षेत्र की विवेचना की गयी है। इस अध्याय में प्रारम्भिक शिक्षा एवं महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही गयी है। साथ ही बालिका साक्षरता के लिए विशेष पहल के प्रति उदासीनता को चिन्हित किया गया है। सर्वाधिक जन्म एवं मृत्यु दर के प्रति चिन्ता व्यक्त की गयी है। साथ ही स्पष्ट कल्याणकारी लक्ष्य जागरूकता एवं सुविधाओं के अभाव में दसवीं योजना के जन्म एवं मृत्यु दर के लक्ष्यों को सम्भव नहीं

माना गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष बल देने के बावजूद सुदृढ़ स्वास्थ्य नीति के अभाव में इसके फलदायी होने की आशा नहीं की जा सकती है। ऐच्छिक क्षेत्र को सामाजिक विकास के मुख्य भूमिका के लिए स्वीकार तो किया गया है साथ ही संसाधन का भी प्राविधान किया जा चुका हैं किन्तु अच्छे संगठनों की पहचान एवं उनके क्रिया कलापों का आंकड़ा सार बनाना आज भी शेष है। अतः अभिकरण के अभाव में संसाधनों की उपलब्धता अर्थहीन एवं फल विहीन हो जाएगा, इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण :

दसवीं पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने एवं सशक्तीकरण के लिए पहल करने का प्रमुखता से प्राविधानित किया गया है। इन बिन्दुओं पर विवेचना करते हुए इस अध्याय में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सशक्तीकरण एवं भेदभाव दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाना, क्षमता में विस्तार, उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन एवं उपयोग जैसे पहलों की आवश्यकता जतायी गयी है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के उपायों को कमजोर वर्गों के प्ररिप्रेक्ष्य में देखा गया है किन्तु सही क्रियान्वयन आज भी एक चुनौती है।

योजना वित्त संसाधन जुटान एवं निजी निवेश :

यह अध्याय उत्तर प्रदेश में योजना के वित्तीय प्राविधानों, संसाधन जुटाने एवं निजी निवेश की स्थिति की विवेचना करता है। योजना व्यय की प्रवृत्ति, राजकोषीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था की वृद्धि से इनके सम्बन्धों के मूल्यांकन का प्रयत्न इस अध्याय में किया गया है। गिरते योजना निवेश, योजना परिव्यय एवं व्यय की बीच बढ़ती खायी, बाजार ऋण की बढ़ोतरी, योजना व्यय का ऋण आधारित होना, ऋण जाल, बारहवीं वित्त आयोग के संस्तुति का प्रभाव, निम्न कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एवं निजी निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की जरूरत जैसे विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह सलाह देने की कोशिश की गयी है कि प्रदेश सरकार को मजबूत, कारगर एवं कल्पनाशील कदम उठाने होंगे जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधन जुटाया जा सके। साथ ही बड़े निजी घरेलू एवं विदेशी निवेश को आर्कषित करना होगा, यदि आर्थिक वृद्धि की गति को मजबूती से तेज करना है तथा गरीबी घटाने के लक्ष्य को पूरा करना है।

शासन एवं सुधार :

यह अध्याय उत्तर प्रदेश की सामने खड़ी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वंचितों की समस्या, मानवशक्ति नियोजन एवं भ्रष्टाचार सहित विभिन्न चुनौतियों का विशलेषण करता है। इन्हें सुलझाने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के द्वारा शासन में सुधार की वकालत की गयी है। कुछ अच्छे

परिणाम भी मिले हैं किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है। नीतियों, कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन के बीच के अन्तराल को न्यूनतम तथा समाप्त करने की जरूरत है। समय की मांग है कि स्वच्छ एवं कुशल राजीनतिक प्रबन्धन, कुशल, ईमानदार एवं जवाबदेह नौकरशाह, पारदर्शी एवं संवेदनशील न्यायपालिका, भावुक एवं खुला प्रशासन, सुदृढ़ एवं क्षमतामूलक आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियां, नैतिकता पूर्ण बदलाव, कानून का शासन सहभागी विकास के लिए मजबूत लोकतांत्रिक एवं विकेन्द्रित संस्थाएं एवं सजग नागरिक समुदाय जैसी स्थिति बहाल करने की आवश्यकता है जिससे उत्तर प्रदेश भूमंडलीकरण, स्वतंत्र बाजार एवं गरीबी तथा विषमता के बीच प्रगति की ओर बढ़ सके।

संदर्भ :

उत्तर प्रदेश शासन (2002): दसवीं पंच वर्षीय योजना 2002–07 खण्ड–एक, भाग–एक, पृ0 61.

अध्याय – दो

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था : एक परिदृश्य

नियोजन वी भूमिका विकास के हर स्तर पर अर्थव्यवस्था राजनीति एवं समाज के विकास के लिए अनिवार्य हो गया है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, विशेषकरजहाँ अधिकांश लोग अपनी जीविका के लिए खेती एवं प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, नियोजन ने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। देश के सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में नियोजन ने विकास की प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों को लोगों के आवश्यकतानुसार पुर्नव्यवस्थित करने में महत्वूपर्ण भूमिका निभायी है। नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अनुभवों का लाभ मिला है। राष्ट्रीय योजनाओं के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी नौ पंचवर्षीय योजनाओं का कियान्वयन एवं अनुंश्रवण किया है। जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं के अनुभवों का लाभ कमशः अग्रिम योजनाओं के निर्माण में परिलक्षित होता रहा है। उत्तर प्रदेश सुधार के दौर में अर्थव्यवस्था के विकास में सार्वजनिक एवं नीजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य से गुजर रहा है जिसमें जन केन्द्रित विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं की पहचान की गयी है। आम आदमी के कठिनाइयों को कम करने के लिए गरीबी निवारण एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने सम्बन्धी प्रयास जारी है। संसाधनों को जुटाने एवं सही दिशा में निवेश की रणनीति अपनायी गयी है जिससे विकास की प्रक्रिया एवं परिणामों का निर्धारण सम्भव हो सके। अगले अध्यायों में सविस्तार एवं गहरायी से विश्लेषण करने से पूर्व यह अध्याय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक सांकेतिक, समष्टिपरक किन्तु संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करने का मर्यादित प्रयास है । अतः यह अध्याय पूर्ण विश्लेषण की दृष्टि से पाठकों के कई अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश भारत की अधिकतम आबादी वाले राज्यों में से एक है। इसकी आबादी लगभग 16. 62 करोड़ है तथा प्रदेश के लगभग 66 प्रतिशत श्रमिकों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 33.7 प्रतिशत है एवं लगभग 90 प्रतिशत से अधिक किसान सीमान्त एवं लघु श्रेणी के हैं। जन्मदर 31.6 प्रति हजार एवं साक्षरता 57.4 प्रतिशत है जिससे आधारभूत

संरचना के आभाव में राज्य का स्थान देश में क्रमशः 14 एवं 13 है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत 2002–03 में बहुत ही निम्न विकास स्तर पर हुई, किन्तु विभिन्न बाधाओं के बीच अभूतपूर्व महत्वाकांक्षी 8 प्रतिशत के वृद्धि दर का लक्ष्य के साथ।

वृद्धि प्रदर्शनः

सामान्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक वृद्धि को समझने के लिए खण्डवार घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति वितरण के आकलन लिए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न आधार वर्षों पर आकड़े उपलब्ध हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए इन सभी ऑकड़ों को एक आधार वर्ष पर समायोजन से किया जा सकता है। इसलिए सर्वप्रथम शुद्व राज्य घरेलू उत्पाद के सभी ऑकड़ों को वर्ष 1993–94 के स्थिर मूल्य पर समायोजित किया गया है। अब अगर इन समायोजित ऑकड़ों पर एक दीर्घकालीन दृष्टि डालें तो स्पष्ट है कि राज्य का शुद्व घरेलू उत्पाद वर्ष 1960–61 से 2002–03 के बीच औसत 3.79 प्रतिशत के दर से बढी है जबकि प्रतिव्यक्ति शुद्व घरेलू उत्पाद मात्र 2.54 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है जैसा कि तालिका–1 से स्पष्ट है।

योजनावार औसत वार्षिक वृद्धि दर पर दृष्टि डालें तो हाल के योजनाओं में सातवीं योजना का औसत वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक 6.61 प्रतिशत रहा है।

तालिका–1: उत्तर प्रदेश राज्य के शुद्व घरेलू उत्पाद का औसर वार्षिक प्रतिशत चक्र वृद्धि दर (वर्ष 1960–61 से 2002–03)

म्द	1960-61 to 1970-71	1971-72 to 1980-81	1981-82 to 1990-91	1991-92 to 2002-03	1960-61 to 2002-03
राज्य शुध्द घरेलू उत्पाद	2.1	3.53	5.1	3.86	3.79
प्रतिव्यक्ति राज्य शुद्व घरेलू उत्पाद	1.8	3.17	2.73	1.64	2.54

स्रोतः इकोनोमिक और पोलिटिकल वीकली रिर्सच फाउन्डेशन द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों से आकलित।

तालिका–2: उत्तर प्रदेश राज्य के शुद्व घरेलू उत्पाद का पंचवर्षीय योजनावार औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (1993–94 के स्थिर मूल्य पर)

(प्रतिशत में)

योजनावधि	पंचम्	छठम्	सप्तम्	अष्टम्	नवम्
राज्य घरेलू शुद्व उत्पाद	5.99	4.29	6.61	5.22	4.34
प्रतिव्यक्ति राज्य घरेलू शुद्व उत्पाद	2.36	1.84	4.25	2.87	0.93

जैसा कि तालिका–2 से स्पष्ट है । आगे के याजनाओं में इस वृद्धि दर को बनाए रखना सम्भव नही हो सका। वृद्धि दर घटकर आठवीं पंचवर्षी योजना में 5.22 प्रतिशत हो गया जो नवीं योजना में 4.34 प्रतिशत पर चला गया। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति राज्य शुद्ध आय का वृद्धि दर सातवी योजना में 4.25 प्रतिशत था, आठवीं योजना में 2.87 तथा नवीं योजना में मात्र 0.93 प्रतिशत हो गया। राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर का इस प्रकार घटना चिन्ता का विषय है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के क्रयशक्ति के गिरने का भी द्योतक है। तालिका–3 के ऑकड़े से यह स्पष्ट है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में राज्य आय के औसत वृद्धि दर नवीं योजना के वृद्धि दर से अधिक है । लेकिन राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर की तुलना में काफी पीछे है साथ ही राज्य का अंशदान राष्ट्रीय आय में क्रमशः घटता जा रहा है । अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का सापेक्षिक स्थान नवीं योजना के तुलना में घटता जा रहा है।

कृषि की हिस्सेदारी राज्य शुद्व घरेलू उत्पाद 1993–94 के स्थिर मूल्य पर 1960–61 के 64.87 से घटकर 1970–71 में 57.21 प्रतिशत, 1980–81 में 50.89 प्रतिशत, 1990–91 में 40.97 प्रतिशत, तथा 2000–01 में 35.7 प्रतिशत हो गया। यद्यपि राज्य सांख्यिकीय डायरी 2004 के अनुसार 2000–01 में यह प्रतिशत 36.2 रहा जो घट कर 2001–02 मे 36.1 प्रतिशत, 2002–03 में 33.9 प्रतिशत एवं 2003–04 में 33.7 प्रतिशत रह गया है। तालिका–4 में स्थिर मूल्य पर खण्डवार राज्य आय दर्शाया गया है, जिसके अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.85 प्रतिशत रहा तथा कुल प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर 1.99 प्रतिशत रहा। यद्यपि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में भयंकर सुखार के कारण वृद्धि दर ऋणात्मक हो गया। दसवीं योजना के दूसरे वर्ष में अनुकूल मानसून के

तालिका–3: नवीं एवं दसवीं योजना के राज्य आय एवं राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर एवं राज्य का अशंदान

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)		प्रदेश का प्रतिशत अंशदान
	राज्य आय	राष्ट्रीय आय	
1997-98	(-) 1.1	4.6	9.5
1998-99	0.7	6.5	9.0
1999-00	6.9	6.3	9.0
2000-01	0.5	4.2	8.7
2001-02	2.8	6.3	8.6
2002-03	0.1	3.5	8.3
2003-04	5.9	8.4	8.1
1997-98 to 2001-02	2.0	5.6	8.9
2002-03 to 2003-04	3.0	6.0	8.2
1997-98 to 2003-04	2.3	5.7	8.7

स्रोतः कॉलम 2: राज्य सांख्यिकी डायरी 2004, पृष्ठ 52
कॉलम 3 एवं 4: वार्षिक योजना 2004–05, पृष्ठ 68 एवं 72

कारण कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ। लेकिन दोनों वर्ष का औसत वार्षिक दर ऋणात्मक ही रहा। तीसरा वर्ष भी भयानक सूखा पड़ा और राज्य के 61 जिलों को सूखा क्षेत्र घोषित करना पड़ा जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन खासकर खरीफ फसल पर पड़ा। इस प्रकार कृषि प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण प्राथमिक क्षेत्र इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। विनिमार्ण के क्षेत्र में दसवीं योजना में स्थिति बेहतर रही जिससे वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत हासिल हो पाया। अन्य क्षेत्रों में भी 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई जो नवीं योजना से अधिक रहा।

दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष यदि इन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाय तो स्पष्ट होगा कि दसवीं योजना के लिए कृषि का वृद्धि दर 5.17 प्रतिशत रखा गया है। विनिर्माण के लिए 12.36 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 8.06 प्रतिशत (द्रष्टव्यः दसवीं पंचवर्षीय योजना खण्ड–1, भाग–1

पृष्ठ,35)। लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से दसवीं योजना का प्रथम वर्ष में (–) 6.03 प्रतिशत एवं दूसरे वर्ष में 5.38 प्रतिशत मानसून के क्रमशः प्रतिकूल एवं अनुकूल होने के करण सम्भव हो सका। दूसरे वर्ष का धनात्मक वृद्धि दर ऋणात्मक आधार के कारण उत्साह बर्ध्दक तो दिखता है किन्तु यदि दो वर्षों का औसत लिया जाय तो वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक (– 0.37 प्रतिशत) ही रह जाता है जैसा कि तालिका–5 से स्पष्ट है। अतः कृषि निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे छूट गया है। वर्ष 2004–05 के व्यापक सूखा पड़ने के कारण कृषि के सुधार की सम्भावना नगण्य प्राय है। अतः मानसून की अनिश्चितता से कृषि की सुरक्षा के लिए व्यापक एवं विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका–4: खण्डवार स्थिर मूल्य(1993–94) पर प्रदेश आय का औसत वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	कृषि एवं सम्बध्द क्षेत्र	कुल प्राथमिक	विनिर्माण	कुल द्वितीयक	अन्य	कुल
97-98	(-) 6.68	(-) 5.97	(-) 9.05	(-) 3.34	3.85	(-) 1.1
98-99	0.46	3.38	(-) 17.33	(-) 7.78	2.47	0.7
99-2000	9.57	9.37	9.60	4.71	5.87	6.9
2000-01	(-) 1.64	(-) 1.22	(-) 2.73	0.54	2.26	0.4
01-02	2.55	4.41	(-) 0.65	1.22	4.07	2.84
02-03	(-) 6.03	(-) 6.95	6.22	5.40	2.45	0.3
03-04	5.28	5.05	6.78	6.98	6.15	5.4
97-02	0.85	1.99	(-) 4.03	(-) 0.93	3.70	2.0
2002-04	(-) 0.37	(-) 0.95	6.50	6.19	4.30	3.0
97-04	0.50	1.15	(-) 1.02	1.10	3.87	2.3

स्रोतः राज्य सांख्यिकीय डायरी, 2004, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

तालिका–5: खण्डवार विकास के लक्ष्य एवं उपलब्धि का दसवीं योजना में वर्ष भर विवरण

वर्ष	कृषि		विनिर्माण		अन्य खण्ड		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2002–03	5.17	(-) 6.03	12.36	6.22	8.06	2.45	8.0	0.3
2003–04	'5.17	5.28	12.36	6.78	8.06	6.15	8.0	5.4
वार्षिक औसत	5.17	(-) 0.37	12.36	6.5	8.06	4.30	8.0	3.0

विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः 6.22 एवं 6.78 प्रतिशत रहा जो औसत 6.5 प्रतिशत वार्षिक होता है। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य 12.36 प्रतिशत के सापेक्ष काफी कम है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी 4.3 प्रतिशत की दर से हुई औसत वार्षिक वृद्धि 8.06 के सापेक्ष काफी निराशाजनक रहा है। इस प्रकार कुल वार्षिक औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 3 प्रतिशत हो पाया है। साथ ही वर्ष 2003–04 में 5.4 प्रतिशत के दर से बढ़ना भी पिछले वर्ष के 0.3 प्रतिशत के निम्न आधार के कारण दिखता है। विभिन्न क्षेत्रों के निराशाजनक वृद्धि दर को यदि गहरायी में समझने की कोशिश की जाय तो 8 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करने का कोई ठोस आधार नही दिखता है जबतक पर्याप्त निवेश का प्राविधान न किया जाय।

खण्डवार दीर्घकालीन वृद्धि दर का विश्लेषण परिशिष्ट–1 से स्पष्ट है कि मछली पालन एवं खनन उद्योग का वृद्धि दर काफी उत्साह वर्द्धक रहा है। यह क्रमशः 7.54 एवं 7.55 प्रतिशत रहा है। विनिर्माण 6.41 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जिसमें निबंधित क्षेत्र 7.37 प्रतिशत लेकिन अंसगठित क्षेत्र 5.19 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बिजली, गैस एवं जलपूर्ति के क्षेत्र में 11.23 प्रतिशत का वार्षिक वृद्धि दर हासिल हो सका है। इसी तरह बैंकिग एवं बीमा क्षेत्र का वृद्धि दर 9.97 प्रतिशत रहा है। परिवहन भण्डारण, एवं संचार 5.06 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। शेष क्षेत्रों का वृद्धि यद्यपि निम्न रहा है किन्तु कृषि क्षेत्र से ये सभी क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन किये हैं। कृषि में वृद्धि दर 2.63 प्रतिशत रहा जबकि वनों का वृद्धि दर तो ऋणात्मक (–3.85) रहा है। यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। 1990 के दशकों में खान एवं खनिज, निमार्ण, परिवहन, भण्डारण, संवादवाहन के क्षेत्रों में वृद्धि दर 1980 की तुलना में अधिक रहे हैं। शेष सभी क्षेत्रों में कम रहा है। फलस्वरूप 1990 के दशक में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1980 की तुलना में घट गया है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में खाद्यान का कुल उत्पादन 44187 हजार टन था जिसमें 15877 हजार टन खरीफ तथा शेष 28310 टन रबी फसल का उत्पादन हुआ था। लेकिन दसवीं योजना के शुरूआत के वर्ष में कुल खाद्यान के उत्पादन में 13.5 प्रतिशत की कमी आयी जिसका मुख्य कारण मानसून का प्रतिकूल होना था। खरीफ फसल का सबसे अधिक नुकसान हुआ। परिणामतः 24.46 प्रतिशत खरीफ उत्पादन में कमी आयी। रबी की फसल यद्यपि कम प्रभावित हुई लेकिन फसल का

नुकसान 7.38 प्रतिशत रहा। वर्ष 2003–04 में मानसून के सामान्य होने के कारण खाद्यान के उत्पादन में 16.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। परिणामतः पिछले वर्ष की नुकसान के भरपाई के साथ–साथ 0.55 प्रतिशत खाद्यान्न में बढ़ोतरी हो पायी। खरीफ के फसलों के उत्पादन में लगभग 33.31 प्रतिशत तेजी से वृद्धि हुई एवं रबी की फसल 8.47 प्रतिशत बढ़ा। जैसा कि तालिका–7 में दर्शाया गया है। यद्यपि यह तेजी पिछले आधार वर्ष के नुकसान के कारण अधिक परिलक्षित हो रहा था। यदि वर्ष 2001–02 के सामान्य वर्ष से तुलना करें तो कुल वृद्धि मात्र 0.55 प्रतिशत है। खरीफ के सापेक्ष 0.71 प्रतिशत एवं रबी के सापेक्ष 0.47 प्रतिशत। पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2004–05 में भी कृषि उत्पादन के आसार अच्छे नही है क्योंकि लगभग 61 जनपदों को मानसून की असफलता के कारण सूखा घोषित किया गया था। वर्ष 2005–06 में मानसून की अनिश्चितता न रहने पर भी खेती की समष्टि स्थिति में सुधार के लक्षण नही दिख रहे हैं। अतः मानसून की अनिश्चितता से निपटने के लिए व्यापक जल एवं भूमि प्रबन्धन एवं प्रभावी सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु पर्याप्त निवेश की आवश्यकता को और भी उजागर करता है।

तालिका–6: क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता का औसत वार्षिक वृद्धि दर (1990–91 से 2000–01)

वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

फसल	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
खाद्य फसल	(-)0.14	1.78	1.91
गैर खाद्य फसल	3.03	2.65	(-)0.38
कुल फसल	(-)0.07	2.10	1.16

टिप्पणी: खाद्य फसलों में खाद्यान्न एवं दालें, तथा गैर खाद्य फसलों में गन्ना, तिलहन, आलू एवं अन्य फसलें शामिल हैं।

स्रोतः उत्तर प्रदेश के कृषि ऑकड़ों के विभिन्न अंकों से एकत्रित आंकड़ों की गणना पर आधारित है ।

तालिका–7: प्रदेश के खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में परिवर्तन

फसल	2002-03 over 01-02	2003-04 0ver 02-03	2003-04 0ver 01-02	2004-05 over 03-04
खरीफ	(-) 24.46	33.31	0.71	12.27
रबी	(-) 7.38	8.47	0.47	13.39
कुल	(-) 13.51	16.26	0.55	12.98

स्रोतः वार्षिक योजना 2004–05 अंक–1 भाग–2

कृषि साखः

कृषि साख के कई नए आयामो के विकास से किसानों के लिए सुविधा का विस्तार होता प्रतीत होता है। फसल ऋण के अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी लागू कि[illegible] गये हैं। यद्यपि 1980 एवं 1990 के दशक के तुलनात्मक कृषि साख के ऑकड़े उत्साह वर्ध्दक नहीं [illegible] सी0एम0आई0ई0 के आकलन से स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति कृषि साख का चक्रवृद्धि दर 1980 के दशक मे 16.01 प्रतिशत था जबकि 1990 के दशक में यह घट कर 8.36 प्रतिशत हो गया। अद्यतन ऑकड़े ब[illegible] है कि सितम्बर 2004 तक 1912.01 करोड़ रूपये खरीफ फसल के लिए कृषि ऋण उत्तर प्रदेश में वितरित किया गया हैं जो लक्ष्य के सापेक्ष में 95.6 प्रतिशत है। इनमें से 586.63 करोड़ रूपये सहक[illegible] बैंक द्वारा दिये गये हैं। यह राशि लक्ष्य के सापेक्ष 90.2 प्रतिशत है। व्यावसायिक बैंक 1350 क[illegible] लक्ष्य के सापेक्ष 1325.38 करोड़ वितरित किया है। इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष हमेशा कम ऋण दिया गया हैं। रबी की फसल के लिए 2003–04 फसल ऋण के रूप में 699.21 करोड़ रूपये सहकारी [illegible] द्वारा किसानों को मिले जो लक्ष्य (875 करोड़) के सापेक्ष 80 प्रतिशत रहा। व्यावसायिक बैंक ने लक्ष्य [illegible] अधिक (1842.68 करोड़) ऋण सुविधा उपलब्ध कराया फिर भी दो वर्षो में कुल लक्ष्य की तुलना में कृषि साख मुहैया कराने में कमी रही। किसानों को बेहतर साख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहकारी [illegible] व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरूआत की गयी है। वर्ष 2002–03 में 35 लाख के सापेक्ष 27 लाख रूपये वितरित किए गए किन्तु वर्ष 2003–04 में यह घट कर 35 लाख [illegible] सापेक्ष 27 लाख रूपये, तथा 30.11.2004 तक 25 लाख लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 15.56 लाख रूपये ऋण [illegible] सुविधा दी जा सकी है । अतः किसान क्रेडिट कार्ड के कियान्वयन एवं आच्छादन का पृथक मूल्यांकन

की आवश्यकता है जिससे सीमान्त एवं लघु किसानों की कृषि साख की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अर्न्तगत 5.35 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 3.59 लाख किसानों को लाभान्वित कराया गया है, जिसमें 414.42 करोड़ बीमित राशि के सापेक्ष 7.61 करोड़ की किश्त 2003 के खरीफ फसल के लिए दिए गये। जो 2004 के खरीफ में बढ़कर 7.7 किसानों को 17.07 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 765.05 करोड़ बीमित राशि के किश्त कि रूप में 15.95 करोड़ रूपये दिये गए। वर्ष 2002–03 के रबी फसल के लिए 5.72 लाख किसान को लाभ पहुँचाया गया जिसके अन्तर्गत 8.29 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 475.45 करोड़ रूपये की बीमित राशि का 8.63 करोड़ किश्त के रूप में दिये गए। आच्छादन बढ़कर 2003–04 में 6.41 लाख किसान, 10.21 लाख हेक्टेयर जमीन एवं बीमित राशि 558.95 करोड़ तथा किश्त 9.51 करोड़ तक पहुँच गया। बहुलॉश में लाभार्थी किसान ऋणी एवं सीमान्त तथा लघु किसान के श्रेणी में थे। यद्यपि शुरूआत अच्छी है किन्तु इस धीमी गति से जरूरतमंद किसानों तक पहुँचने में काफी समय लग सकता है। अतः गति के तेज करने की आवश्यकता है साथ ही कियान्वयन की गुणवत्ता को परखने के लिए जमीनी स्तर पर पृथक मूल्यॉकन एवं अध्ययन की आवश्यकता है जिससे इस योजना के लाभों का समुचित मूल्यॉकन सम्भव हो सके।

<u>आधारभूत संरचना :</u>

कमशः यह महसूस किया जाने लगा है कि बुनियादी ढॉचा का निर्माण रोजगार, विकास एवं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आधारभूत ढॉचा को स्थूलतः तीन भागों में बॉट कर देखा जाता है– भौतिक, सामाजिक एवं वित्तीय। आर्थिक भौतिक आधारभूत ढ़ॉचा का पुर्नवर्गीकरण – सिंचाई, बिजली एवं परिवहन –के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। सामाजिक आधाभूत संरचना – शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सुविधाओं द्वारा मनुष्य का क्षमता विस्तार एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ जीवन के गुणवत्ता में सुधार करना है। वित्तीय आधारभूत ढॉचा जैसे– डाक, बैकिंग, एवं लोगों की कर देय क्षमता आदि राज्य के वित्तीय शक्ति को निर्धारित करता है। ये सभी मिलाकर राज्य का आय बढ़ाने की शक्ति को परिलक्षित करता है।

तालिका–8: उत्तर प्रदेश में आधारभूत ढ़ॉचा की स्थिति

आधारभूत ढॉचा	भौतिक	सामाजिक	वित्तीय
1971–72			
निर्देशांक	3.24	-1.40	4.27
कोटि	12	17	14
1981–82			
निर्देशांक	3.34	0.12	4.16
कोटि	10	17	13
1991–92			
निर्देशांक	3.33	1.39	4.03
कोटि	11	17	13
1997.98			
निर्देशांक	3.43	1.56	3.64
कोटि	12	18	14

स्रोतः घोष एवं डे, 2004, इकोनोकिम एण्ड पालिटिकल वीकली, अंक–39 संख्या–42, अक्टूबर–16–22, पृष्ठ 4645–57

इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि आमदनी की विषमता बढ़ाने का मूल करण भी आधारभूत ढ़ॉचा में व्याप्त विषमता है (घोष एवं डे, 2004)। तालिका–8 से उत्तर प्रदेश का ढ़ॉचागत स्थिति स्पष्ट होता है। तालिका से प्रतीत होता है कि भौतिक, सामाजिक एवं वित्तीय आधारभूत ढ़ॉचा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 1970–71 से लगभग जड़ता की स्थिति में है। यद्यपि भौतिक संरचना, वित्तीय एवं सामाजिक संरचना से बेहतर प्रतीत होता है। नवीं एवं दसवीं योजना में आधाभूत ढ़ॉचा के निर्माण पर बल दिया गया है।

सिंचाई के क्षेत्र पर अगर नजर डालें तो लगता है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है । वर्ष 1966–67 में 62.55 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र 1980–81 में बढ़कर 94.53 लाख हेक्टेयर एवं 2001–02 में बढ़कर 128.28 लाख हेक्टेयर हो गया। यद्यपि वर्ष 1998–99 से 2000–01तक शुद्ध

सिंचित क्षेत्र लगभग स्थिर रहा तथा 2001–02 में यह बढ़कर 128.28 लाख हेक्टेयर हो गया। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 1966–67 से 36.12 प्रतिशत से बढ़कर 1980–81 में 54.89 प्रतिशत, 2000–01 में 73.70 प्रतिशत एवं 2001–02 में 76.3 प्रतिशत हो गया। यद्यपि निजी क्षेत्रों, जैसे– नीजी नलकूप, पम्पसेट– से लगभग 87.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 68 प्रतिशत है। जबकि वृहत् एवं मध्यम स्रोत से सिंचाई लगभग 27.19 लाख हेक्टेयर (21 प्रतिशत) में होता है। सिंचाई के इन सुविधाओं के विस्तार के बावजूद मानसून के अनियमितता के कारण खेती को सूखा का सामना करना पड़ता है। यह एक प्रकार से सिंचाई संसाधन की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः आवश्यकता है कि सिंचाई के संसाधनों को प्रभावी बनाया जाय जिससे सूखा पड़ने की स्थिति से निपटा जा सके।

उर्जा कृषि एवं गैर कृषि दोनों ही क्षेत्रों के लिए महत्वूर्ण आधारभूत ढ़ॉचा है। उर्जा का बढ़ रहे मांगों की पूर्ति करना एक बड़ी चुनौती है। बिजली संसाधन का मुख्यतः उत्पादन, वाहन एवं वितरण– तीन विधाएँ है। एक आकलन के अनुसार सामान्यतः 40 प्रतिशत उत्पादित बिजली का नुकसान इसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने में हो जाता है। इस तकनीकी क्षति को कम करके बिजली की समस्या को एक सीमा तक घटाया जा सकता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण आज भी बड़े इलाके में नहीं हो सका है। प्रतिशत के रूप में विद्युत आच्छादित क्षेत्र का चक्रवृद्धि वार्षिक दर 1980 के दशक में 7.61 प्रतिशत था जो 1990 के दशक में घटकर मात्र 0.90 प्रतिशत रह गया है। यह एक चिन्ता का विषय है। यद्यपि विद्युत आच्छादन का उत्पादन से जोड़े वगैर बहुत अर्थ नही होता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की आवश्यकता 7000 मेगावाट की है जबकि आपूर्ति 1700 से 2000 तक ही हो पाता है। अतः बढ़ते मांग के साथ चलने के लिए व्यापक निवेश की आवश्यकता है। नीजी क्षेत्रों की सहभागिता से इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य को अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी होगी। क्योंकि नीजी क्षेत्र में उत्पादित बिजली की मंहगाई के कारण यह आम आदमी के पहुँच से बाहर होगी।

सड़क निर्माण के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। वर्ष 1980 के दशक में चक्रवृद्धि वार्षिक दर 0.22 प्रतिशत था। जो 1990 के दशक में बढ़कर 4.03 प्रतिशत हो गया। अब तो अन्य कई योजनाओं के

फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे भी सड़क निमार्ण पर काफी बल दिया जा रहा है। यद्यपि सड़कों की मरम्मत एवं रख रखाव आज भी एक गम्भीर चुनौती है जिसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक करना होगा।

औद्योगीकरण:

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र लगभग 20 प्रतिशत योगदान करता है जिसमें विनिर्माण अकेले 12 प्रतिशत की भगीदारी करता है। इस क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत श्रम शक्ति काम में लगे होते हैं। नवीं योजना में इस क्षेत्र का वृद्धि दर ऋणात्मक था। दसवीं योजना में यह क्षेत्र औसत 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के अलावा मध्यम एवं भारी उद्योग में काफी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। नवीं योजना में कुल मिलाकर 1370 मध्यम एवं भारी उद्योग के लिए आई0ई0एम0/ले0ओ0आई0 निर्गत किए गए थे। अर्थात् लगभग 274 प्रतिवर्ष। दसवीं योजना में पिछले दो वर्षों में 497 अर्थात् 248.5 प्रतिवर्ष निर्गत किए गए। पिछले पंचवर्षीय योजना में औसत 4077.22 करोड़ निवेश किया गया एवं लगभग 46251 प्रतिवर्ष रोजगार सृजित किए गए। दंसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत 1755.94 करोड़ रूपये निवेश किया गया एवं 40837.5 प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराये गए। स्पष्टतः ये ऑकड़े नौवी योजना के सापेक्ष कम हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

रोजगार उपलब्ध कराने की आशा से छोटे उद्योगों को देखा जाता है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार 5.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। महिला की भागीदारी 8.5 प्रतिशत बढ़ी है तथा पुरूषों की भागीदारी 4.9 प्रतिशत एवं बच्चों की भागीदारी 71.4 प्रतिशत बढ़ी है (सिंह एवं अन्यः 2004)। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों एवं महिलाओं को काम पर लगाने की प्रवृति पुरूषों की अपेक्षा अधिक है। लगभग 6 से 9 व्यक्ति के साथ काम करने वाले उद्योंगों में रोजगार बृद्धि लगभग 4 प्रतिशत एवं 10 से 19 श्रमशक्ति वाले उद्योगों में 5.2 प्रतिशत बढ़ा है। यह अध्ययन दर्शाता है कि 60.7 प्रतिशत पारिवारिक महिला एवं 75 प्रतिशत पारिवारिक बच्चे बिना पारिश्रमिक के काम करते है। श्रम शक्ति में महिलाओं का अनुपात कम है। सभी उद्योगों में यह जरूरी नहीं कि कम से कम एक महिला श्रमिक काम करते ही हों।

निवेश एवं विकास दरः

यह एक आम सहमति का विषय है कि विकास निवेश का फलन है। इस फलन सम्बन्ध के परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के योजना दस्तावेज (वार्षिक योजना 2004–05 खण्ड–1, पृ014) दर्शाते है कि बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात नवीं योजना के अन्त में (2001–02) 4.08 था। इस वर्ष के लिए प्रदेश आय का वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत था (देखें पृष्ठ–72)। अतः बचत/निवेश 18.4 (4.5X4.08) प्रतिशत हुआ। दसवीं योजना के लिए विकास लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया।बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात के अनुसार 32.64 (8x4.08) प्रतिशत निवेश की आवश्यकता थी। इस प्रकार निवेश में लगभग 77.4 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता थी। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत आर्थिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत रहा है। अतः 8 प्रतिशत वृद्धि दर को हासिल करना एक कल्पनाशील आकलन मात्र है। क्योंकि 32.64 प्रतिशत निवेश जुटा पाना लगभग असम्भव सा है साथ ही यह राष्ट्रीय निवेश दर से भी काफी अधिक है।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय विकास दर भी 8 प्रतिशत रखा गया था किन्तु सकारात्मक नीतियों एवं कार्यक्रम के आधार पर खण्डवार तकनीकी परिवर्तन के द्वारा श्रम गहन तकनीकी पर भरोसा रखा गया था (भारत सरकार, 2002 बः144)। उच्च स्तर का विकास दर हासिल करने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। वर्ष 1992–93 से 1999–2000 के बीच और निवेश दर 24.4 प्रतिशत रहा एवं औसत वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत। इस प्रकार बढ़त पूँजी उत्पादन अनुपात 3.75 प्रतिशत हुआ। अतः 8 प्रतिशत विकास दर के लिए 30 प्रतिशत निवेश आवश्यक था। इन सबके लिए घरेलू बचत एवं विदेशी निवेश दोनों को बढ़ाने की जरूरत थी (भारत सरकार, 2002 अः 83)। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि दसवीं योजना में सिवाय एक वर्ष के यह लक्ष्य पाना सम्भव नहीं हो सका। अब तो एक सहमति भी बन गयी है कि दसवीं योजना में 8 प्रतिशत विकास दर पाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश नियोजन के दस्तावेज से स्पष्ट है कि कुल निवेश (364645 करोड़) का 29.4 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र से तथा 70.6 प्रतिशत नीजी क्षेत्र से होना था (दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश शासन, 2003–1 पृ014)। अतः 8 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति के लिए मुख्यतः नीजी क्षेत्र पर निर्भरता रखी गयी थी। दो वर्षों के विकास दर से तो यह प्रतीत होता है कि नीजी क्षेत्र से पर्याप्त निवेश जुटाना सम्भव नही हो सका। वैसे नीजी क्षेत्र के निवेश के ऑकड़े उपलब्ध नही है। बिना किसी पृथक अध्ययन

के किसी निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं लगता है। साथ ही तकनीकी टिप्पणी के अभाव में आकलन के विधियों पर टिप्पणी करना भी सम्भव नही दिखता है। अतः नियोजन विभाग को इस संदर्भ में एक विशेष अध्ययन कराने की आवश्यकता है।

संसाधनों का आवंटन एवं उपयोग :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से स्पष्ट है कि संसाधनों के आबंटन में तयशुदा व्यय का प्राविधानों में सामान्य आर्थिक सेवाएँ सर्वोपरि प्राथमिकता पर है। अन्य खण्डों पर प्राविधान नवीं योजना से भी कम है। संसाधनों का प्राविधान के अलावा संसाधनों का उपयोग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तालिका–9 से स्पष्ट है कि तीन वर्षों का उपयोग सहमति प्राविधानिक व्यय का मात्र 26.57 प्रतिशत होगा। जबकि अनुपातिक रूप से यह 60 प्रतिशत होना चाहिए। सामान्य आर्थिक सेवा जो शीर्ष प्राथमिकता पर है तथा जिसके लिए 31.26 प्रतिशत व्यय प्राविधानित है, मात्र 1.47 प्रतिशत के उपयोग की सम्भावना को दर्शाता है। अधिकांश मदों में उपयोग स्तर 40 प्रतिशत से कम ही है। सिवाय विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के। तालिका–10 से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में कुल उपयोग 90.55 प्रतिशत रहा जिसमे पूँजीगत व्यय 93.43 प्रतिशत था। दूसरे वर्ष में योजना व्यय का 79. 26 प्रतिशत रहने की आशा है तथा पूँजीगत व्यय भी मात्र 86.04 प्रतिशत हो सकेगा। लेकिन वार्षिक आबंटन और भी कम है। इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है।

खण्डवार विवरण से स्पष्ट है कि दसवीं योजना के वर्ष 2002–03 में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, परिवहन, एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास में व्यय प्राविधानित से अधिक रहा है जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक एवं सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएँ संसाधनों के उपयोग में पीछे छूट गये। वर्ष 2003–04 में भी विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास, बिजली एवं सामान्य सेवाएँ संतोषप्रद रहे जबकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, सामान्य आर्थिक सेवाएं, विज्ञान और तकनीक एवं सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नही हो सका। प्राविधान अगले वर्षो के लिए काफी अधिक है किन्तु मुख्य समस्या आवंटन एवं उपयोग का है। अतः वित्तीय प्रशासन को चुस्त एवं दुरूस्त करने की जरूरत है जिससे दुर्लभ संसाधनों का उपयोग उच्च विकास दर हासिल करने के लिए किया जा सके।

तालिका–9: प्रदेश में खण्डवार योजना परिव्यय एवं व्यय

(लाख रूपये में)

खण्ड	नवीं योजना	दसवीं योजना	वार्षिक योजना			कुल
		स्वीकृति परिव्यय	2002–03 वास्तविक	2003–04 अनुमानित	2004–05 प्रस्तावित	2005–06
कृषि एवं सम्बध्द खण्ड	274375.13 (9.76)	517342 (6.14)	82192.80 (12.47)	72343.88 (11.81)	74058.67 (7.67)	228595.35 (44.19)
ग्रामीण विकास	407315.44 (14.49)	726791 (8.63)	99274.15 (15.06)	74972.93 (12.24)	112946.77 (11.69)	287193.85 (39.52)
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	339685.33 (12.08)	807078 (9.58)	80071.15 (12.14)	77610.05 (12.67)	106796.54 (11.05)	264477.74 (32.77)
उद्योग एवं खनिज	42598.14 (1.52)	148576 (1.76)	4374.43 (0.66)	5125.15 (0.84)	6326.92 (0.65)	15826.50 (10.65)
परिवहन एवं संचार	389994.52 (13.87)	747414 (8.87)	105836 (16.05)	93210.09 (15.22)	84670.14 (8.76)	283716.14 (37.96)
विज्ञान तकनिकी एवं पर्यावरण	18015.06 (0.64)	241025 (2.86)	1910.19 (0.29)	487.60 (0.08)	4596.60 (0.48)	6994.39 (2.90)
उर्जा	490316.59 (17.44)	733872 (8.71)	92967.76 (14.10)	104229.9 (17.02)	133193.24 (13.79)	330390.92 (45.02)
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	15063.57 (0.54)	2633164 (31.26)	3593.75 (0.55)	1958.52 (0.32)	33073.38 (3.42)	38625.65 (1.47)
सामाजिक सेवाएँ	724376.54 (25.77)	1586272 (18.83)	154955.5 (23.50)	142941.6 (23.34)	315331.74 (32.64)	613228.84 (38.66)
सामान्य सेवाएं	18368.40 (0.65)	42745 (0.51)	7870.63 (1.19)	6113.41 (1.00)	3325.00 (0.34)	17309.04 (40.49)
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	90809.38 (3.23)	239021 (2.84)	26327.7 (3.99)	33498 (5.47)	91859.00 (9.51)	151684.7 (63.46)
कुल योग	2810918.1 (100)	8423300 (100)	659374.1 (100)	612491.1 (100)	966178.3	2238043.5 (26.57)

तालिका–10: शीर्षवार नवी एवं दसवीं योजना का व्यय

योजना	नवीं योजना		दसवीं योजना				
	वास्तविक व्यय		2002–03 प्रस्वावित		2003–04 अनुमानित		2004–05 प्रस्तावित
शीर्ष	कुल	उनमें से पूँजी	कुल	उनमें से पूँजी	कुल	उनमें से पूँजी	कुल
कृषि एवं सम्बध्द खण्ड	274375.13 (124.18)	78948.86 (202.27)	82192.80 (100.14)	47452.37 (110.28)	72343.88 (99.86)	43951.97 (120.13)	74058.67
ग्रामीण विकास	407315.44 (122.21)	219973.01 (189.81)	99274.15 (97.14)	68086.00 (101.74)	74972.93 (95.77)	45300.48 (104.77)	112946.77
बिशेष क्षेत्र कार्यक्रम	90809.38 (161.41)	90403.13 (57.22)	26327.70 (126.39)	26248.84 ()126.52	33498.90 (154.05)	33498.90 (102.50)	91859.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	359685.33 (112.08)	337484.28 (110.96)	80071.15 (83.10)	71546.40 (78.76)	77610.05 (70.36)	71662.30 (69.54)	106796.54
उर्जा	490316.59 (68.73)	489372.65 (68.94)	92967.76 (93.20)	92762.79 (94.40)	104229.92 (106.42)	103797.30 (107.46)	84670.14
उद्योग एवं खनिज	40598.14 (86.94)	22390.16 (61.38)	4374.43 (195.55)	1012.00 (45.24)	5125.15 (71.66)	153.15 (6.46)	6326.92
परिवहन एवं संचार	389994.52 (43.55)	389322.53 (61.38)	105836.18 (111.43)	105771.44 (111.53)	93210.09 (74.78)	93103.80 (74.80)	133193.24
विज्ञान तकनिकी एवं पर्यावरण	18015.06 (8.69)	15317.66 (44.11)	1910.19 (27.28)	1496.23 (24.52)	487.60 (7.29)	10.00 (0.16)	4596.60
सामान्य आर्थिक सेवाऍ	15063.57 (7.53)	11556.96 (23.25)	3593.75 (30.24)	2910.80 (55.62)	1958.52 (3.10)	1605.00 (40)	33073.38
सामाजिक सेवाऍ	724376.54 (61.22)	258879.17 (39.06)	154955.54 (79.08)	63017.27 (70.80)	142941.56 (74.34)	55544.75 (76.32)	315331.74
सामान्य सेवाऍ	1836840 (147.04)	16946.78 (135.66)	7870.63 (95.34)	6537.52 (94.84)	6113.41 (96.67)	4539.26 (94.08)	3325.00
कुल योग	2810918.10 (67.54)	1930595.19 (61.75)	659374.10. (90.95)	486841.66 (93.43)	612491.11 (79.26)	453166.91 (86.04)	966178.3

स्रोतः वार्षिक योजना 2004–05,

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए ऑकड़े स्वीकृत परिव्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

चुनौतियॉ :

बेरोजगारी:– प्रदेश में वर्ष 2004–05 से पूर्व लगभग 25 लाख लोग बेरोजगार थे। अर्द्ध बेरोजगारों की संख्या का आकलन लगभग 99 लाख है। वर्ष 2004–05 में इसके अलावा 14 लाख नए लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस प्रकार 39 लाख लोगों के बेरोजगार रहने की सम्भावना है। इसप्रकार 99 लाख एवं 39 लाख अर्थात् 1करोड़ 38 लाख लोगों को रोजगार देने की चुनौतियॉ है। रोजगार सृजन का आय के बढ़ने से सीधा सम्बन्ध होता है। नवी योजना में आकलित रोजगार लोच

(0.45) की स्थिति में 8 प्रतिशत विकास दर पर 14.64 लोगों को रोजगार दिया जा सकता था (वार्षिक योजना–2004–05,खण्ड–एक, पृष्ठ 84)। लेकिन 3 प्रतिशत के निम्न विकास दर पर मात्र 1.35 (3X0.45) प्रतिशत रोजगार सृजन हो सकेगा जो अपेक्षा से काफी कम है। अतः अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रकार बेरोजगारी की स्थिति बदतर होने की सम्भावना है। यद्यपि रोजगार गारंटी कानून से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है बशर्ते प्रभावी कियान्वयन हो सके।

गरीबी:

वार्षिक योजना 2004–05 में प्रकाशित अधिकारिक ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2001–02 के 29.5 प्रतिशत गरीबी से घट कर वर्ष 2003–04 में 27.8 प्रतिशत 2004–05 में 26.97 प्रतिशत एवं 2006–07 तक 25.4 प्रतिशत होने की सम्भावना है (वार्षिक योजना 2004–05,खण्ड–1 भाग–1, पृष्ठ 79)। यद्यपि सारी सम्भावनायें प्रतिकूल हैं। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर केन्द्रीय योजना आयोग ने मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च 336.88 रूपये के आधार पर 1999–2000 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 31.22 प्रतिशत आकलित किया है। यद्यपि 55 वें दौर के ही ऑकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष विधि से आकलित करने पर ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 61 प्रतिशत होता है। ध्यान देने योग्य है कि दोनों का आधार 2400 कैलोरी ही है। जबकि 2400 कैलोरी के लिए 336.88 रूपये के सापेक्ष 455 रूपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय होता है, जैसा कि तालिका–11 से स्पष्ट है। इस प्रकार दोनों आकलनों का अन्तर 30 प्रतिशत होता है। यदि 2200 कैलोरी का मानदण्ड लेते हैं तो आधिकारिक ऑकड़े 27.5 प्रतिशत तथा प्रत्यक्ष विधि 47 प्रतिशत आता है। तद्नुसार मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय कमशः 325 एवं 400 रूपये होता है। यदि विभिन्न राज्यों के बीच के अन्तर को देखें, जैसा कि तालिका–12 में दर्शाया गया है। गरीबी अनुपात में भारी अन्तर है। प्रत्यक्ष रूप से गरीबी अनुपात एक भयानक चित्र प्रस्तुत करता है। जब तक कैलोरी के मानदण्ड के आधार पर गरीबी अनुपात का निर्धारिण करते हैं तो इन परिणामों को नकारना कठिन है। यद्यपि गरीबी आकलन के विधियों में बदलाव की जरूरत है क्योंकि उपभोग का स्वरूप बदलता जा रहा है साथ ही यदि पीने का पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आवास आदि मौलिक आवश्यकताओं को शामिल करें तो वंचित समदुायों का गरीबी अनुपात और भी ऊँचा होगा।

तालिका–11:उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का खर्चवार कैलोरी एवं प्रतिशत व्यक्तियों का विवरण 1999–00)

उपभोग खर्च वर्ग (रूपय)	औसत खर्च (रूपये)	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग	प्रतिशत व्यक्तियों की संख्या	संचयी प्रतिशत
000-225	195	1466	4.4	4.4
225-255	243	1734	5.1	9.5
255-300	279	1893	11.3	20.8
300-340	320	1990	11.3	32.1
340- 380	361	2100	11.5	43.6
380-420	400	2226	10.6	54.2
420- 470	444	2375	9.8	64.0
470-525	496	2470	8.8	72.8
525-615	566	2631	10.1	82.9
615-775	687	2907	9.1	92.0
775-950	852	3190	4.3	96.3
950+	1386	3815	3.6	99.9
सभी वर्ग	467	2327	100	-

स्रोतः राय (2004) एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 55 वें दौर 1999–2000 प्रतिवेदन संख्या 454 एवं 471

तालिका–12: विभिन्न राज्यों में ग्रामीण गरीबी का आकलन

	गरीबों का प्रतिशत एवं उपभोग खर्च – कैलोरी प्रति व्यक्ति			योजना आयोग गरीबी का प्रतिशत एवं उपभोग खर्च
राज्य	2400 कैलोरी	2200 कैलोरी	2000 कैलोरी	2400 कैलोरी
आन्ध्रप्रदेश	84 (595)	70.5 (490)	52 (405)	11.05(262.94)
असम	91 (660)	81 (545)	57.5 (425)	40.04(365.43)
बिहार	77 (455)	64.5 (400)	39.5 (345)	44.30(333.07)
गुजरात	83 (735)	73.5 (635)	59.5 (540)	13.17(318.94)
हरयाणा	47.5 (615)	36 (540)	24 (470)	8.27(362.81)
कर्नाटका	82 (650)	69 (535)	45 (420)	17.38(309.59)
केरल	82.5 (1105)	68.5(810)	52 (660)	9.38(374.79)
मध्यप्रदेश	78.5 (490)	69.5 (435)	46.5 (345)	37.06(311.34)
महाराष्टा	92 (870)	76.5 (600)	46 (420)	23.72(318.63)
उड़िसा	80 (475)	60 (365)	39 (295)	48.01(323.92)
पंजाब	58.5 (715)	45 (610)	28.5 (515)	6.35(362.68)
राजरूथान	53.5 (515)	36 (445)	16 (360)	13.74(344.03)
तमिलनाडु	94.5 (970)	82 (685)	68.5 (540)	20.55(307.64)
उत्तर प्रदेश	61 (455)	47 (400)	27.5 (325)	31.22(336.88)
पश्चिम बंगाल	81 (575)	61 (455)	47 (400)	31.85(350.17)
सम्पूर्ण भारत	74.5 (565)	58 (455)	40 (380)	27.07(327.56)

स्रोतः राम (2004) एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 55 वें दौर, 1999–2000 प्रतिवेदन संख्या 454 एवं 471.

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आमदनी मुख्यतः खेती एवं सम्बन्धित गतिविधियों पर निर्भर करता है। अतः इस आर्थिक खण्ड का गरीबी निवारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दसवीं योजना के वर्षों में कृषि का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है क्योंकि खेती मानसून की अनिश्चितता का शिकार होता रहा है। वर्ष 2004–05 में भी लगभग 61 जनपदों को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका है जिससे खरीफ फसल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रबी के बेहतर प्रदर्शन एक सीमा तक कुप्रभाव को तटस्थ करने में सक्षम रहा है किन्तु कुल दुष्प्रभाव को तटस्थ करना फिर भी सम्भव नहीं दिखता है। यह परीक्षण का विषय है कि कृषि के खराब प्रदर्शन के बाद भी गरीबी में कमी कैसे सम्भव है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में। हाल के जनगणना 2001 से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का श्रम शक्ति बड़ी तादाद में गैर कृषि क्षेत्र में नहीं गया है। उद्योग क्षेत्र में श्रम शक्ति की संख्या बहुत ही कम है। अतः गरीबी का आकलन एवं निवारण के उपायों पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। यह नीति निर्धारकों एवं कियान्वयन अभिकरणों के सामाने एक चुनौती है।

<u>राजकोषीय घाटाः</u>

नवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में (2001–02) राजकोषीय घाटा 9898.13 करोड़ था जो 2002–03 में घटकर 9496.9 करोड़ हो गया किन्तु वर्ष 2003–04 में तेजी से बढ़ता हुआ 20413.89 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बकाया का भुगतान था। यद्यपि वर्ष 2004–05 में घट कर 10398.46 करोड़ होने की उम्मीद थी। विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक ऑकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का 1999–2000 में 6.7 प्रतिशत था जो बिहार (9.7 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (9.5 प्रतिशत), राजस्थान (9.1 प्रतिशत), एवं उड़ीसा (11.4 प्रतिशत) से बेहतर था किन्तु अन्य राज्यों से खराब स्थिति रही थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001–02 में घटकर 5.3 प्रतिशत, 2002–03 से 2003–04 में 4.9 प्रतिशत किन्तु 2004–05 (पुनिरीक्षित) में फिर बढ़कर 5.9 हो गया तथा वर्ष 2005–06 में 5.3 प्रतिश रहने का अनुमान है।

आठवीं योजना व्यय योजना परिव्यय से 26.3 प्रतिशत कम रहा जो बिहार (67.8 प्रतिशत) एवं उड़ीसा (46.2 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम था। नवीं योजना में तथा दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग यही हाल रहा। प्रति व्यक्ति योजना व्यय में कुछ उतार–चढ़ाव के साथ गिरावट दर्ज की

गयी। यह कुल योजना परिव्यय की तुलना में योजना व्यय में कमी के कारण हुआ। उत्तर प्रदेश में योजना परिव्यय एवं व्यय में भयानक अन्तर चिन्ता का विषय है। उर्जा एवं सिंचाई के क्षेत्र में योजना परिव्यय में किए गए प्राविधान को कियान्वयन के समय लागू नहीं किया जा सका।

बढ़ता ऋण बोझः

उत्तर प्रदेश की ऋण देन दारियॉ साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वर्ष 190–91 में यह राशि 17966 करोड़ था जो 1996–97 में बढ़कर 41768 करोड़ हो गया एवं नवीं योजना के अन्त तक बढ़कर 83011 करोड़ हो गया। दसवीं योजना में भी यह प्रवृत्ति जारी रही। 2002–03 में बकाया ऋण देनदारी बढ़कर 91182 करोड़, 2003–04 में 106407 करोड़, 2004–05 मं 116794करोड़ एवं 2005–06 में 129155 करोड़ होने का अनुमान है। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का नवीं योजना के अन्त में 44.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 2004–05 में 49.9 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार राज्य की देनदारियॉ तेजी से बढ़ती जा रही है।

सामाजिक आधारभूत संरचना :

सामाजिक बुनियादी ढॉचा का विकास एक बड़ी चुनौती है। प्रारम्भिक शिक्षा का विकास 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में तेजी से हुआ है। प्राथमिक पाठशाला प्रति लाख जनसंख्या का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 1980 के दशक में ऋणात्मक (–1.79 प्रतिशत) था जो 1990 के दशक में विकसित होकर 0.88 हो गया। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का इसी अवधि में कमशः 1.44 एवं 2.62 प्रतिशत हो गया। विद्यालयों में उपस्थिति बनाये रखने एवं विद्यालय छोड़ने की प्रवृति को रोकने के लिए कई नए प्रयोग शुरू किए गए है। दोपहर का भोजन योजना इसी दृष्टि से चलाया जा रहा है जिससे विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान एवं दोपहर का भोजन योजना को अपेक्षित परिणाम तक पहॅुचाने के लिए प्रभावी कार्यान्वियन की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार 1980 के दशक की तुलना में 1990 के दशक में कम हुआ है। 1980 के दशक में इसका वार्षिक चक्रवृद्धि दर 18.03 प्रतिशत था जो घटकर 1990 के दशक में मात्र 2. 28 प्रतिशत रह गया। अस्पताल एवं चिकित्सा बिस्तरों के वृद्धि दर 1980 के दशक के 0.9 प्रतिशत से

घटकर (–) 1.39 प्रतिशत हो गया। हाल के वर्षो में कतिपय प्रयास किए गए है किन्तु ठोस प्रयासों की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा जानकारी बढ़ाया जा सके।

सारांशः

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में यह कहा जा सकता है कि कृषि के उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य मानसून की अनिश्चितता के बीच आज भी एक चुनौती है। विशेष क्षेत्र योजना यद्यपि अनुपातिक गति से संसाधनों का उपयोग कर रहा है किन्तु यह एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। कृषि विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। निम्न विकास दर एवं संसाधनों का प्राविधान सापेक्ष निम्न उपयोग के कारण विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कियान्वयन की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आवश्यक है। क्योंकि इनक यिों के परिणामस्वरूप निम्न विकास दरनिर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विस्तार एवं उन्हें प्रभावी बनाने की जरूरत है। खासकर सिंचाई एवं बिजली की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्न विकास दर की स्थिति में बेरोजगारी का बढ़ना लाजिमी है। वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुशासन के लिए राकोषीय घाटा को कम करना एवं बढ़ते हुए सार्वजनिक ऋण को रोकने की बड़ी चुनौतियॉ हैं। गरीबी के ऑकड़ों पर पुर्नविचार करने की जरूरत है क्योंकि निम्न विकास दर एवं बिगड़ती हालत की अर्थव्यवस्था में गरीबी का कम होना परीक्षण का विषय है। यदि उपरोक्त मुख्य निष्कर्ष कोई संकेत दे सकते है तो यह आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा बदलने की जरूरत है तथा वित्तीय संसाधनों के उपयोग क्षमता का विस्तार करना अपेक्षित है जिससे कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके तथा बेरोजगारी, गरीबी एवं विषमता को कम करने की दिशा में बढ़ा जा सके।

संदर्भ

Ghosh, B. and P. De (2004): How do different categories of Infrastructure Affect Development:

Evidence from Indian States, *Economic and Political Weekly*, vol. 39, No.42, October 16-22, pp. 4645-4657.

Government of India (2002a): Report of Taskforce on Employment Opportunities, Planning Commission, Academic Foundation, New Delhi.

Government of India (2002b): Tenth Five Year Plan 2002-07, Planning Commission, New Delhi.

Government of U.P. (2002): Tenth Five Year Plan, Planning Department, Lucknow.

Ram, Ramanand (2004): Poverty Estimates in India: A Critical Appraisal, Dissertation submitted to JNU, New Delhi. P. 58

Singh, A.K. et. al.(2004): Indian Journal of Labour Economics, Conference Number, 2004.

परिशिष्टः 1 उत्तर प्रदेश का साधन लागत एवम् स्थिर मूल्य पर राज्य शुध्द घरेलू उत्पाद का प्रमाप विचलन सहित औसत वार्षिक वृध्दि दर

खण्ड	1960-61 to 1980-81	1960-61 to 1970-71	1971-72 to 1980-81	1981-82 to 1990-91	1991-92 to 2000-01	1960-61 to 2000-0
1.कृषि	1.73±. 0034	1.29±. 0086	2.45±. 0102	2.96±. 00303	2.15±. 00376	2.63±. 0011
2. जंगल एवम् लकड़ी	1.90±. 0051	5.75±. 0054	(-) 2.65 ±.00477	(-) 11018±. 0142	(-) 2.33±. 028	(-) 3.85 ±. 00442
3.मछली पालन	5.52±.0028	7.97±. 0061	4.44±. 001608	12.48±. 01345	6.87±. 0042	7.54±. 0019
4. ख्नन एवम् खनिज	1.12±. 012	6.35±. 036	6.34±. 025531	3.67±. 024	8.23±. 0174	7.55±. 00576
5. विनिर्माण	4.52±. 0027	4.5±. 0051	6.94±. 007579	10.15±. 0072	3.68±. 011	6.41±. 00183
5.1 निबन्धित	5.12±. 0038	5.84±. 0119	5.98±. 009134	14.05±. 0132	3.32±. 017	7.37±. 00258
5.2 गैर निबन्धत	4.04±. 0035	3.35±. 0029	7.73±. 008766	5.57±. 00325	4.04±. 0046	5.19±. 00135
6. निर्माण	4.69±. 0057	2.99±. 01987	4.26±. 006503	1.3±. 0050	7.76±. 00975	3.5±. 0020
7.. बिजली, गैस एवम् जलापूर्ति	12.34±. 0090	16.89±. 009	16.99±. 02768	18.64±. 00923	0.3±. 0078	11.23±. 00495
8. परिवहन, भंडारण एवम् संचार	4.43±. 00149	3.85±. 00179	5.32±. 004473	5.03±. 0030	6.35±. 0054	5.06±. 00076
8.1 रेल	4.07±. 0020	4.27±. 0035	4.83±. 006618	3.46±. 0093	4.18±. 0158	4.02±. 001511
8.2 टन्य परिवहन एवम् भंडारण	4.59±. 00212	3.06±. 0021	5.72±. 004983	6.03±. 00255	5.97±. 0037	5.49±. 00093
8.3 संचार	5.23±. 0021	6.24±. 0058	5.32±. 004231	3.69±. 00285	12.81±. 0156	5.65±. 022
9. व्यापार, होटल एवम् जलपान गृह	2.70±. 00226	2.07±. 0058	3.72±. 006583	3.97±. 0026	3.94±. 00385	3.59±. 0009
10. बैंक एवम् बीमा	7.48±. 0035	6.26±. 0058	9±. 011378	16.89±. 0111	11.97±. 0139	9.97±. 0024
11. राज्य परि सम्पत्ति एवम् व्यावसाकि सेवायें	2.43±. 0028	1.51±. 00001	4.99±. 008032	4.46±. 0016	1.86±. 00099	3.69±. 0012
12. लोक प्रशासन	2.45±. 0012	1.85±. 003	1.81±. 003089	9.4±. 00557	6.05±. 0065	4.81±. 0019
13. अन्य सेवायें	3.12±. 0010	3.9±. 00166	2.18±. 000747	8.78±. 00713	4.86±. 00395	4.25±. 0013
शुध्द घरेलू उत्पाद	2.60±. 0022	2.1±. 0057	3.53±. 006301	5.09±. 0033	3.86±. 0027	3.76±. 00099
प्रति व्यक्ति शुध्द घरेलू उत्पाद –रूपयों में	2.21± 0.0013	1.8± 0.0001	3.17± 0.00433	2.73± 0.0033	1.64± 0.00257	2.63± 0.0007

अध्याय तीन

क्षेत्रीय विषमताऐं और क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है जिसमें विविध प्रकार की कृषि–जलवायु दशायें, प्राकृतिक संसाधनों का आच्छादन, भिन्न जनांकिकीय विशषताएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्षेत्रों का विषम विकास पाया जाता है। पारम्परिक रूप में उ0 प्र0 को चार आर्थिक क्षेत्रों में बॉटा जाता है, यथा – पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय और बुन्देलखंड, जिनमें कमशः 27, 26, 10 तथा 7 जनपद शामिल हैं। अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं के अतिरिक्त राज्य में आन्तरिक क्षेत्रीय विषमताएं भी पायी जाती हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में संतुलित क्षेत्रीय विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है।

विभिन्न कार्यकमों एवं योजनाओं के द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के प्रयास किये गये हैं। परन्तु विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस विषय में कहा गया है : 'प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता विस्तृत रूप में विद्यमान है।' (दसवीं पंचवर्षीय योंजना, उ0प्र0 पृष्ठ 39) अन्य राज्यों की अपेक्षा, उ0प्र0 में विकास दर कम रही है, परन्तु उ0प्र0 में भी विभिन्न क्षेत्रों और जनपदों का आर्थिक निष्पादन अलग–अलग रहा है। कुछ क्षेत्र विकास प्रकिया में पिछड़तें जा रहे हैं। इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय विषमताओं का आकार :

विभिन्न विकास संकेतकों के आधार पर प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। इन संकेतकों का विस्तृत विविरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है, यहॉ पर इनका संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत है :

जनांकिकीय संकेतक:

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्ठि से, पूर्वी क्षेत्र सबसे आगे है, जहॉ जनसंख्या घनत्व 776 (व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0), इसके बाद पश्चिमी (765), केन्द्रीय (658) तथा बुन्देलखण्ड (280) क्षेत्र है। 1991–2001 दशक में पूर्वी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर 26.35% थी जो सबसे अधिक थी। पश्चिमी क्षेत्र में 26.05%, केन्द्रीय क्षेत्र में 24.73% तथा बुन्देलखण्ड में 22.32% जनसंख्या वृद्धि दर रही।

नगरीकरण, विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। 2001 की जनगणना के अनुसार, पश्चिमी उ0 प्र0 में सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है जहां कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 28.25% है। वही केन्द्रीय में यही अनुपात 25.11% बुन्देलखण्ड में 22.46% तथा पूर्वी भाग में मात्र 11.78% है।

सामाजिक संकेतक :

सामाजिक संकेतक भी क्षेत्रीय विषमताओं को दर्शाते है। बुन्देलखण्ड में सर्वाधिक साक्षरता दर 59. 3% है। इसके बाद केन्द्रीय (57.58%), पश्चिमी(57.36%), तथा पूर्वी (54.27%), भाग आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय भाग सबसे ऊपर है उसके बाद बुन्देलखण्ड, पश्चिमी तथा पूर्वी आते हैं।

अवस्थापना सुविधाएं:

किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु उत्तम इन्फ्रास्ट्रकचर की उपलब्धता में स्थिति इस प्रकार है। सिंचाई सघनता (शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल) बुन्देलखण्ड में सबसे कम (45.17%) तथा पश्चिमी क्षेत्र में 91.49% सबसे अधिक है। प्रति हजार वर्ग कि0मी0 सड़कों की लम्बाई की दृष्टि से बुन्देलखण्ड सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। जहां पर ये लम्बाई मात्र 291.69 कि0 मी0 है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 467.64 कि0 मी0 है। बैंकिग सुविधाओं की दृष्टि से केन्द्रीय क्षेत्र सबसे आगे है जहां प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या 5.4 सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में 4.4 है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग बुन्देलखण्ड में सबसे कम 143.3 कि0 मी0 घ0 है तथा पश्चिमी क्षेत्र में यही संकेतक 190.4 कि0 वा0 घं0 है।

औद्योगिक विकास :

औद्योगिक विकास की धीमी गति आर्थिक क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है, वहीं पूर्वी क्षेत्र औद्योगीकरण में सबसे पीछे है। पश्चिमी क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर 12.2 पंजीकृत करवाने हैं। वहीं पूर्वी क्षेत्र में यही संख्या 1.9 है तथा बुन्देलखण्ड में 2.3 तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 7.2 है।

कृषि विकास :

यद्यपि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कृषि मुख्य व्यवसाय है परन्तु कृषि विकास में क्षेत्रीय विषमताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कुल कर्मकरों में कृषि में सलग्न कर्मकरों की संख्या पश्चिमी क्षेत्र में 56.8% , बुन्देलखण्ड में 74.52% तथा पूर्वी क्षेत्र में 71.92% है। फसल उत्पादकता भी अलग–अलग क्षेत्रों में भिन्न है। प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि उत्पादन का सकल मूल्य पश्चिमी क्षेत्र में रू0 26037 है वहीं ये मूल्य बुन्देलखण्ड में रू0 11941 है। पूर्वी क्षेत्र में सीमान्त जोतों का कुल प्रतिशत 83% है जबकि यही प्रतिशत

पश्चिमी क्षेत्र में 68.8% है। उपरोक्त तथा अन्य संकेतक इस ओर इंगित करते हैं कि पूर्वी और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में कृषि विकास का स्तर नीचा है।

आय विषमताएं :

अन्तरक्षेत्रीय विषमताओं के समग्र माप के रूप में प्रति व्यक्ति निबल घरेलू उत्पाद को बहुधा प्रयोग किया जाता है। वष्र 2000–01 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पश्चिमी क्षेत्र में रू0 11804, केन्द्रीय क्षेत्र में रू0 9397 थी। बुन्देलखण्ड में रू0 9195 तथा पूर्वी में 6788 रू0 थी। पूर्वी क्षेत्र की प्रतिव्यक्ति आय, पश्चिमी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय की मात्र 57.5% है। अतः कहा जा सकता है कि आय के आधार पर भी प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताएं दृष्टिगोचर होती है। पूर्वी क्षेत्र का पिछड़ापन भी स्पष्ट उजागर होता है।

आन्तरिक क्षेत्रीय विषमताएं :

जनपद स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में विषमताएं विद्यमान हैं कुछ जनपदों में विकास का स्तर ऊँचा है तथा कुछ जनपद विकास की दौड़ में पिछड़े हैं। उदाहरण के लिये पश्चिमी उ0 प्र0 में राजधानी दिल्ली से जुड़े जनपदों में तेजी से विकास हुआ हैं वहीं दक्षिण–पश्चिमी सम्भाग के जनपद अपेक्षाकृत पिछड़े हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में लखनऊ–कानपुर जनपद अन्य जनपदों की तुलना में काफी आगे है। पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी और गोरखपुर जनपद अधिक विकासित हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झांसी और कुछ हद तक जालौन सापेक्षतया अधिक विकसित है। अन्तर–जनपदीय विषमताओं के आंकलन हेतु, परिशिष्ट – 2 में 70 जनपदों के लिये वष्र 2000–01 के लिये चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिये गये हैं।

इनसे आय–विषमताअें का संज्ञान किया जा सकता है। 1993–94 और 2000–01 के मध्य, विचलन गुणांक (C.V.) तथा गिनी गुणांक (GINI Coefficient) में वृद्धि हुई है। इससे यह इंगित होता है कि अन्तर जनपदीय आय विषमताओं में वृद्धि हुई है। परिशिष्ट–3 जनपदों को आय के आधार पर चतुर्थकों में विभाजित किया गया है। यहां पर भी कुछ अपवादों को छोड़कर पूर्वी और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद तृतीय और अन्तिम चतुर्थक में सम्मिलित है। सन्त कबीर नगर की रैन्क (70) है तथा प्रथम रैन्क गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की है। दोनों जनपदों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 15000 रू0 का अंतर है अतः जनपदों के विकास स्तर में व्यापक अन्तर है।

दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम :

पिछड़े क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही प्रदेश में पूर्वी बुन्देलखण्ड और पर्वतीय (अब उत्तरांचल) क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों को अधिक योजना फंड देने के प्रयास किये गये। जिला

योजना अंश के आवंटन हेतु प्रयुक्त फार्मूले में पिछड़ेपन के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को सर्वाधिक महत्ता (वैटेज) दी गयी। इसके अतिरिक्त विशेष स्कीम और निधियां भी पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सृजित की गई है। 'विशेष क्षेत्र' कार्यक्रमों (स्पेशल एरिया प्रोग्रम) के अन्तर्गत 1047.25 करोड़ रू0 का प्राविधान किया गया है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सन्तुलित विकास पर विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य विकास कार्यक्रम और जनपद योजनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। स्पेशल एरिया कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना :

वर्ष 2002–03 में भारत सरकार ने देश के पिछड़े जनपदों के विकास हेतु इस योजना को प्रारम्भ किया। योजना का मुख्य उद्देश्य, निम्न कृषि उत्पादकता, बेरोजगारी तथा भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं में कमी जैसी समस्याओं को दूर करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चुने हुए जनपद को 15 करोड़ रू0 प्रति वर्ष्र, तीन वर्षों की अवधि के लिये दिया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जनपदों रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और सोनभद्र यह योजना प्रस्तावित है। दूसरे चरण में पांच और जनपद यथा बाराबंकी, मिर्जापुर, बांदा, फतेहपुर तथा चित्रकूट इस योजना में सम्मिलित किये गये । 2004–05 में ग्यारह और जनपद, जालौन हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, आजमगढ़, प्रतापगढ़, महोबा, गोरखपुर, कुशीनगर, ललितपुर और चन्दौली इस योजना के अन्तर्गत लाये गये। कुल मिलाकर 21 जनपद इस योजना से आच्छादित हैं। यह पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है। प्रदेश में इस योजना को पूरी तरह क्रियाशील 2004–05 में ही बनाया जा सका। प्रदेश की वार्षिक योजना 2004–05 में योजना हेतु 315 करोड़ रूप्ये का प्रावधान किया गया। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अक्टूबर 2004–05 तक रा0 स0 वि0 यो0 पर 5.7 करोड़ रू0 ही खर्च किये गये हैं योजना के देर से प्रारम्भ होने के कारण भौतिक और वित्तीय प्रगति धीमी रही है।

पूर्वांचल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि :

पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधियों का सृजनं वर्ष्र 1991–91 में इन क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिये किया गया। निधियों के अन्तर्गत स्कीम और प्रयोजनाओं का चिन्हीकरण जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। मुख्यतया अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिये निधियों को फंड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्य राज्य और जनपद योजनाआओं में किसी कारण शामिल नहीं हो पाते उनको इन निधियों से कराया जाता है। सड़कों का निर्माण, छोटे पुल, पेयजल सुविधाएं सरकारी इमारतों का निर्माण, पावर सब स्टेशनों की स्थापना आदि कार्य इन निधियों के अन्तर्गत किये गये हैं।

दसवी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूर्वांचल विकास निधि में 750 करोड़ आवंटित किये गये हैं तथा बुन्देलखण्ड विकास निधि में 250 करोड़ रू0 रखे गये हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2002–03 पूर्वांचल विकास निधि में 147.74 करोड़ रू0 व्यय किये गये। 2003–04 में सम्भावित व्यय 149.30 करोड़ रू0 तथा 2004–05 के लिये परिव्यय राशि 150 करोड़ रू0 है। बुन्देलखण्ड विकास निधि के अर्न्तगत वष्र 2002–03 में 48.93 करोड़ रू0 व्यय किये गये, 2003–04 में सम्भावित व्यय 41.13 करोड़ रू0 है। वर्ष 2004–05 के लिये परिव्यय राशि 50 करोड़ रू0 है।

इन निधियों के अर्न्तगत वित्तीय प्रगति अच्छी दृष्टिगोचर होती है।

अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं के कारण :

1. पिछड़े क्षेत्रों और जनपदों में विकास के निम्न स्तर का एक प्रमुख कारण, इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण की कमी है। सामाजिक, आर्थिक अवस्थापना समुचित सुविधाओं का अभव तथा उद्यमशीलता की कमी के कारण विकास अवरूद्ध हो जाता है।
2. प्रदेश में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, परन्तु सिंचाई की समुचित सुविधाएं न होने के कारण पूर्वी और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में कृषि विकास का स्तर निम्न है तथा उच्च मूल्य वर्ध्दित फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है।
3. पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप एक मुख्य समस्या है प्रति वर्ष इससे फसल नष्ट हो जाती है और किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को युद्धस्तर पर हल किया जाना चाहिए।
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुधा सूखे से प्रभावित होता है यहां पर कृषि वर्षा पर आधारित है, इसीलिये फसल सघनता भी कम हे। बुन्देल खंड में कृषि के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है।
5. पूर्वी और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में कृषि में वाणिज्यक फसलों का अनुपात कम है फलस्वरूप प्रति हेक्टयर कृषि उपज का मूल्य भी कम है।
6. पश्चिमी क्षेत्र में अनेक जनपद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अर्न्तगत आते हैं या उससे सटे हुए हैं इन जनपदों में नगरीकरण और औद्योगीकरण की गति तीव्र है। इन क्षेत्रों की ओर निजी निवेश भी आकृष्ट होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों में बेहतर अवस्थापना सुविधाएं हैं तथा बड़े बाजार भी उपलब्ध हैं इन सब कारणों से इन जनपदों के आर्थिक विकास में सहायता मिली है।

निष्कर्ष :

1. उ0प्र0 में अभी भी अन्तर क्षेत्रीय विषमताएं और आन्तरिक क्षेत्रीय /अन्तरजनपदीय विषमताएं गहन रूप से विद्यमान है।
2. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि विषमताओं में वृद्धि हुई है।
3. पंचवर्षीय योजनाओं में सामान्य विकास कार्यक्रमों तथा विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों के द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के प्रयास किये गये हैं। जिससे क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
4. योजनाओं के द्वारा किये गये प्रयासों को पूरी तरह सफलता नहीं मिल पायी है। समस्या की गम्भीरता को देखते हुए इस दिशा में और अधिक प्रयास आवश्यक हैं।
5. कुछ कार्यक्रमों (उदाहरणार्थ रा0 स0 वि0 यो0) में क्रियान्वयन प्रक्रिया देरी से प्रारम्भ हो पायी।
6. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों का अन्य विकास कार्यक्रमों से बेहतर समन्वय होना चाहिए।

सुझाव :

1. योजना विभाग द्वारा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अर्न्तगत तथा तत्सम्बन्धी उपलब्धियों को चिन्हित करके उनका समुचित वार्षिक अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन होना चाहिए।
2. जनपद स्तर पर विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के मध्य अच्छा तालमेल होना चाहिए, जिससे एक समान योजनाओं से बचा जा सके और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
3. पिछड़े जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए जिससे इनके विकास को बल मिल सके।
4. विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों की क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने में प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
5. रा0स0 वि0यो0, जिसको 2002–03 में लागू किया जाना था, परन्तु 2004–05 में ही लागू किया जा सका, से यह बात उजागर होती है कि जनपद स्तर पर योजनाओं को बनाने और संचालन करने की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। संसाधनों की कमी वाले प्रदेश में केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं के आरम्भ में देरी तथा फंड में कटौती उचित नहीं है।
6. संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों जनपदों के लिये विशेष क्षेत्र कार्यक्रम बनाते समय क्षेत्र जनपद की कृषि जलवायु स्थिति, विशेष समस्याएं तथा विकास की सम्भावनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Region-wise Comparative Status of Development in U.P.

Annexure I

Sl.no	Development Indicator	Eastern	Western	Central	Bundelkhand	U.P.	India
1	2	3	4	5	6	7	8
	I-Population						
1	Density of Population (per sq.k.m.) (2001)	776	765	658	280	689	324
2	Decencial growth in population (%) (1991-2001)	26.35	26.05	24.73	22.32	25.80	21.54
3	Percentage of urban Population to total Population(2001)	11.78	28.25	25.11	22.46	20.78	27.78
4	Percentage of Schedule Caste Population to total Population(2001)	21.15	18.17	26.10	25.14	21.15	16.20
5	Percentage share of various regions in state's population (2001)	40.11	36.76	18.18	4.96	100.000	NA
6	Percentage of villages having population less than 200 to total villages (2001)	12.45	6.47	4.05	8.52	11.07	NA
	II- Health and Education						
7	No. of allopathic Hospitals/Dispensaries including PHC's per lakh of population (2001-02)	2.86	2.78	2.79	4.20	2.89	4.00(1.1.2000)
8	No. of beds in allopathic Hospitals/Dispensaries including PHC's per lakh of population (2001-02)	37.52	39.09	54.53	47.25	41.67	73.00(1.1.2000)
9	No. of PHC's per lakh of population (2001-02)	2.04	1.81	1.95	3.16	1.99	NA
10	No. of Maternity and child welfare centre/sub centre per lakh of population (2001-02)	12.27	11.00	11.73	16.11	11.89	NA
11	Litracy Percentage 2001 (total)	54.27	57.36	57.58	59.30	56.27	64.8
12	Litracy Percentage 2001 (female)	39.13	43.96	45.52	43.11	42.22	53.70
13	No. of schools per lakh of population						

	(2001-02)						
A	Junior Basic School	59	65	66	93	64	64
B	Senior Basic School	13	16	16	25	16	21
14	Teacher Pupil Ratio						
A	Junior Basic School	44	43	45	42	44	43
B	Senior Basic School	31	31	27	24	30	34
		III- Infrastructural Facilities					
15	Total Length of PWD roads Per lakh of population (km.) (2001-02)	59.03	60.33	60.06	103.01	61.88	85.60(1998-99)
16	Total Length of PWD roads Per thousand sq.km. of area (km.) (2001-02)	464.27	467.64	4000.79	291.69	432.24	256.00(1998-99)
17	Per capita Power Consumption (kwh) (2001-02)	169.8	190.4	169.9	143.3	176.3	361.0
18	Percentage of electrified villages to total villages(2001-02)	77.90	87.08	72.55	69.94	79.27	87.21
19	Percentage of Net area irrigated to net area sown (2001-02)	71.7	91.49	74.58	45.17	78.30	40.50(1999-2000)
20	Percentage of Water logged area to total Kharif area (2000-01)	10.22	0.06	0.71	0.00	3.92	NA
		IV- Agriculture and Allied					
21	Percentage of Holdings of less than 1.0 hectare area (1995-96)	83.0	68.8	76.55	70.30	75.40	61.60
22	Average size of holdings (in hect.) (1995-96)	.065	1.02	0.83	1.71	0.86	1.41
23	Total Fertilizer Distribution per hectare of gross cropped area(kgs) (2000-01)	116.86	140.60	109.40	36.27	117.05	90.10(2001-02)
24	Gross value of agricultural output per hectare of gross cropped area (2000-01) (at current prices) (Rs)	18113	26037	21797	11941	21218	20167(1999-2000)
25	Net sown area per capita rural (hect.) (2001-02)	0.09	0.12	0.22	0.22	0.12	0.14
26	Productivity of major crops (qtls/hect.) (2001-02)						
I	Total Foodgrains	20.55	25.75	21.19	13.71	21.64	17.39
II	Wheat	24.05	32.03	26.74	23.33	27.55	27.70
III	Rice	21.09	22.81	19.94	12.66	21.17	20.86

IV	Potato	210.58	273.48	209.66	246.63	246.62	197.68
V	Oilsedds	6.38	11.29	7.70	6.05	8.69	9.13
VI	Sugarcane	513.01	613.83	536.59	502.67	579.80	681.54
27	Per capita foodgrains production (kgs) (2001-02)	240.22	278.94	250.32	361.42	262.24	206.14
			V- Industry and Minerals				
28	No of persons employed in registerd working factories per lakh of population (2000-01)	104	389	219	71	228	627(1999-2000)
29	Per Capita Gross Value Industrial output (Rs.'000) (2000-2001)	1324	7042	3095	1238	3743	8970(1999-200)
30	No of registerd working factories per lakh of population (2000-01)	1.9					
			VI-Banking and Finance				
31	Credit Deposit Ratio (2002-03)	23.30	37.18	29.40	35.35	30.42	59.38
32	NO. of Schedule Commercial Bank per lakh of population, 31 march 2002	4.4	5.1	5.4	5.2	4.9	6.3 (2002-03)
			VII-Employment and Manpower				
33	Percentage of main workers in total population	22.0	24.3	25.5	27.1	23.7	30.6
34	Main Workers engages in agriculture to total main workers (2001)	71.92	56.8	66.50	74.5	65.98	58.4
35	Per Rural person gross value of Agricultural: produce at current prices (2000-01) Rs.	2708	4965	7339	3189	4081	NA
36	Per Capita income at Current prices (2000-01). Rs.	6788	11804	9387	9195	9223	17978 (2001-02)

Annexure II

District wise Per Capita Income (in Rs) at 1993-94 prices in UP

Sl .no.	District	1993-94	Ranking	1999-00	Ranking	2000-01	Ranking
1	Saharanpur	7158	7	8581	6	8627	6
2	Mujaffar Nagar	7232	6	7887	11	7761	11
3	Bijnaur	7026	9	8093	9	7987	10
4	Moradabad	5435	18	6380	24	8278	9
5	Rampur	5417	19	6077	25	5864	27
6	Jyotiba Phule Nagar	..		6983	17	7126	16
7	Meerut	8162	4	10632	2	10775	2
8	Bagpat			7473	13	7661	12
9	Gaziabad	11587	1	8822	4	9061	5
10	Gautambudh Nagar			17912	1	18111	1
11	Bulandsahar	6780	10	8210	8	8309	8
12	Aligarh	5366	20	7130	16	6963	18
13	Hathras			5779	31	5903	26
14	Mathura	6504	11	8311	7	8352	7
15	Agra	6066	14	7806	12	7133	15
16	Firojzabad	4212	37	5727	33	5975	25
17	Eta	4787	27	5748	32	5522	31
18	Mainpuri	4373	34	5405	37	5313	37
19	Bandayun	4135	38	4997	40	5303	38
20	Bareily	5832	15	6534	23	6631	20
21	Pilibheet	6242	13	6831	20	6991	17
22	Shahjahanpur	5620	16	6009	27	6261	22
23	Khiri	5236	22	6026	26	5729	29
24	Sitapur	4397	33	4654	45	5099	42
25	Hardoi	3703	43	4089	48	4048	51
26	Unnao	3965	42	4033	50	4220	49
27	Lucknow	7061	8	8692	5	9702	3
28	Raibareli	4010	40	4055	49	3972	53
29	Farrukhabad	4120	39	5885	30	5778	28
30	Kannauj			4736	43	4833	43
31	Etawah	4242	35	5901	29	5486	33
32	Auraiya			4744	42	4560	44
33	Kanpur Dehat	4899	25	6629	21	6139	23
34	Kanpur Nagar	7414	5	7362	14	7157	14
35	Jalaun	4991	23	6563	22	5499	32
36	Jhansi	9771	3	8013	10	7618	13
37	Lalitpur	5316	21	5624	34	5168	40
38	Hameerpur	5611	17	6840	19	5724	30
39	Mahoba			6929	18	6107	24

40	Banda	4641	30	5063	38	5340	36
41	Chitrakut			3818	53	3522	59
42	Fatehpur	4644	29	5054	39	5343	35
43	Pratapgarh	3075	50	3529	60	3476	61
44	Kaushambi			3756	55	4081	50
45	Allahabad	4585	32	6007	28	6294	21
46	Barabanki	4645	28	5427	36	5115	41
47	Faizabad	3468	45	3926	51	3993	52
48	Ambedkar Nagar			3301	66	3269	68
49	Sultanpur	4958	24	3893	52	4236	48
50	Bahraich	3207	49	3400	65	3333	67
51	Shrawasti			2886	70	3142	69
52	Balrampur			3014	69	3379	65
53	Gonda	4844	26	3422	63	3473	62
54	Siddharthanagar	2458	54	3635	59	3343	66
55	Basti	3022	52	3658	57	3585	57
56	Sant Kabir Nagar			3054	68	2854	70
57	Maharajganj	3967	41	4710	44	4394	46
58	Gaorakhpur	3520	44	4321	47	4268	47
59	Kushinagar			3636	58	3692	55
60	Deoria	3332	48	3517	61	3520	60
61	Azamgarh	3443	46	3798	54	3710	54
62	Mau	4225	36	4855	41	5397	34
63	Balia	3072	51	3421	64	3434	64
64	Jaunpur	2970	53	3488	62	3683	56
65	Gajipur	3381	47	3756	55	3552	58
66	Chandauli			4589	46	4552	45
67	Varanasi	6333	12	7184	15	6742	19
68	Sant Ravidas Nagar			3155	67	3455	63
69	Mirzapur	4618	31	5553	35	5228	39
70	Sonbhadra	10855	2	9255	3	9095	4
	Maximum	**11587**		**17912**		**18111**	
	Minimum	**2458**		**2886**		**2854**	
	Mean	5183.94444		5716.9		5703.514	
	SD	1901.17172		2350.616		2376.814	
	CV (%)	**36.6742302**		**41.11698**		**41.6728**	
	NO of Districts	54		70		70	
	GINI Co-efficient	**0.19030863**		**0.206504**		**0.206546**	

ANNEXURE III

Districts Arranged in Descending Order of Per Capita Income

Rank	District	Per Capita Income (Rs.) at 1993/94 prices 2000-2001
1	Gautambudh Nagar	18111
2	Meerut	10775
3	Lucknow	9702
4	Sonbhadra	9095
5	Gaziabad	9061
6	Saharanpur	8627
7	Mathura	8352
8	Bulandsahar	8309
9	Moradabad	8278
10	Bijnaur	7987
11	Mujaffar Nagar	7763
12	Bagpat	7661
13	Jhansi	7618
14	Kanpur Nagar	7157
15	Agra	7133
16	Jyotiba Phule Nagar	7126
17	Pilibheet	6991
18	Aligarh	6963
19	Varanasi	6742
20	Bareily	6631
21	Allahabad	6293
22	Shahjähanpur	6261
23	Kanpur Dehat	6139
24	Mahoba	6107
25	Firojzabad	5975
26	Hathras	5903
27	Rampur	5864
28	Farrukhabad	5778
29	Khiri	5729
30	Hameerpur	5721
31	Eta	5572
32	Jalaun	5498
33	Etawah	5486
34	Mau	5397
35	Fatehpur	5343
36	Banda	5340
37	Mainpuri	5313
38	Bandayun	5303
39	Mirzapur	5228
40	Lalitpur	5168
41	Barabanki	5115
42	Sitapur	5099
43	Kannauj	4833
44	Auraiya	4560
45	Chandauli	4552
46	Maharajganj	4394

47	Gaorakhpur	4268
48	Sultanpur	4236
49	Unnao	4220
50	Kaushambi	4081
51	Hardoi	4048
52	Faizabad	3993
53	Raibareli	3972
54	Azamgarh	3710
55	Kushinagar	3692
56	Jaunpur	3683
57	Basti	3585
58	Gajipur	3552
59	Chitrakut	3522
60	Deoria	3520
61	Pratapgarh	3476
62	Gonda	3473
63	Sant Ravidas Nagar	3455
64	Balia	3434
65	Balrampur	3379
66	Siddharthanagar	3343
67	Bahraich	3333
68	Ambedkar Nagar	3269
69	Shrawasti	3142
70	Sant Kabir Nagar	2854

अध्याय चार

निर्धनता एवम् बेरोजगारी

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में भी राज्य से यह अपेक्षा की गयी है कि आय की असमानताओं में कमी की जाये, जीवन निर्वाह हेतु समुचित साधन सुलभ कराये जाये, भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो, धन, सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेन्द्रण न हो तथा इस प्रकार के प्रयास किये जाये कि लोगों का पोषण और जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अतः भारत में बेरोज़गारी और गरीबी उन्मूलन को नियोजन में प्रमुखता से स्थान दिया गया है, परन्तु नियोजित विकास के 50 वर्ष बाद भी बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याए पूर्ण रूप से हल नहीं हो पायी है। अतः आज भी नियोजकों को इस ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। उ0 प्र0 जैसे पिछड़े प्रदेश में बेरोज़गारी और गरीबी की समस्याएं और भी गम्भीर रूप में पायी जाती हैं।

गरीबी का आकलन करने हेतु, योजना आयोग भारत सरकार द्वारा समय–समय पर देश और प्रदेशों के लिये एक मानक विधि के आधार पर आंकड़े ज़ारी किये जाते हैं। मानक विधि में गरीबी रेखा की परिभाषा कैलोरी आधारित है। गरीबी रेखा के ऊपर आने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी का मानदंड है तथा नगरीय क्षेत्रों में पतिदिन, पतिव्यक्ति 2100 कैलोरी को मानदंड है। गरीबी के आंकड़े राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा कराये गये उपभोक्ता सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। प्रदेश और देश के लिए गरीबी के आंकड़े से 99–2000 समयावधि में संलग्नक–1 में दिये गये हैं। इन आंकड़ों के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं–

1. कुल जनसंख्या में गरीबी का प्रतिशत 1973–74 में 57: से घटकर 1999–2000 में 31: हो गया। अर्थात् इस अवधि में गरीबी में 26: अंकों की कमी आयी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रतिवर्ष 1: की दर से गरीबी के प्रतिशत में कमी आयी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसी समयावधि (73–74–1999–2000) में गरीबी का प्रतिशत 25: अंक कम हुआ। तथा नगरीय क्षेत्रों में 29: अंक की कमी आयी।
2. 1993–2000 की अवधि में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक (लगभग 74 लाख) की कमी आयी।
3. प्रदेश में गरीबी में कमी आने की गति देश में गरीबी में कमी आने की गति से कम दिखायी देती है।

4. प्रदेश में 1973–74 में देश की कुल निर्धन जनसंख्या का 16.6: निवास करता था। यही प्रतिशत 1999–2000 में बढ़कर 20.36: हो गया। इससे विदित होता है कि कालान्तर में प्रदेश में गरीबी की स्थिति सापेक्षिक रूप में अधिक गम्भीर हो गयी है।

5. 1973–74 से 1999–2000 की अवधि में गरीबी के प्रतिशत में कमी आने के बाद भी उ0प्र0 में कुल निर्धन जनसंख्या 500 लाख से ऊपर ही बनी रही। इससे गरीबी के वृहद आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है।

6. निर्धन जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है। कुल गरीबी में 78: जनसंख्या ग्रामीण है।

प्रदेश में गरीबी के अनेक कारण हैं जो एक दूसरे से सह–सम्बन्धित भी है। इन कारणों में प्रमुख है– निम्न साक्षरता, जनसंख्या में वृद्धि की ऊँची दर, कृषि पर अतिशय निर्भरता, मानवीय संसाधनों की निम्न गुणवत्ता, सम्पत्ति और आय के वितरण मे असमानतायें, काम निवेश और आर्थिक वृद्धि की न्यन दर।

गरीबी का सामाजिक संदर्भः

गरीबी पर किये गये अनुसंधान और कुछेक अध्ययन, उ0 प्र0 में गरीबी के सामाजिक पहलू पर प्रकाश डालते हैं। विश्व बैंक को रपट "चैंलेंज ऑफ पावरटी इन उ0 प्र0" में दिये गये कुछेक आंकड़ें नीचे प्रस्तुत हैं।

कुल गरीबी में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिशत

वर्ष	कारीगर	कृषि श्रमिक	गैर कृषि श्रमिक	कृषि व्यवसाय	अन्य	कुल
1993–94	14.1	26.5	6.8	49.5	3.9	100
1999–2000	17.2	29.9	6.9	40.0	5.9	100

कुल गरीबी में विभिन्न जातियों का प्रतिशत

वर्ष	अनु0 ज0जा0	अनु.0 जा0	अन्य पिछड़ी	अन्य	कुल
1993–94	0.8	33.7	–	65.6	100
1999–2000	1.4	34.6	47.6	16.5	100

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत

क्षेत्र	नगरीय	ग्रामीण	कुल
पश्चिमी	30	21.7	23.9
केन्द्रिय	33.4	42.2	39.7
पूर्वी	31.1	36.4	35.9
बुन्देलखण्ड	40	20.9	24.4
गिन्नी गुणांक	0.34	0.25	0.23

प्रदेश के विभिन्न धार्मिक समुदायों में गरीबी का प्रतिशत

	हिन्दू	मुस्लिम	कुल
गामीण	31.27	30.84	31.01
शहरी	26.43	42.17	30.76

स्त्रोत : ई0 पी0 डबलू मार्च 24 अप्रैल 1, 2005

उपरोक्त आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में गरीबी के सामाजिक आयामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि उ0 प्र0 में कृषि श्रमिक, कारीगर, अनुसूचित जातियां, शहर में रहने वाले मुस्लिम, केन्द्रिय और पूर्वी क्षेत्र गरीबी से अधिक पीड़ित हैं। इन विशेष वर्गो और क्षेत्रों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यः

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया हे कि आधार व्ग्र 2001–02 में अनुमानित गरीबी के प्रतिशत 29.5: को घटाकर 2006–07 तक 25.4: के स्तर पर लाया जाये। इस प्रकार गरीबों की संख्या 2006–06 में 471.57 लाख रह जायेगी। यद्यपि दृष्टव्य है कि 2006–07 में भी कुल गरीबी की संख्या में 76: ग्रामीण जनसंख्या होगी।

गरीबी उन्मूलन की रणनीति :

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपनायी गयी गरीबी उन्मूलन की रणनीति को 'संवृद्धि योग' (हतवूजी चसने) रणनीति की संज्ञा दी जा सकती हे। इस रणनीति में एक ओर यह आशा की जाती है कि विकास की सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न लाभ धीरे–धीरे गरीबों तक भी पहुंचेंगे, दूसरी ओर विकास के साथ–साथ बेराजगारी और गरीबी दूर करने के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम भी बनाये जायें जिनका लाभ विशेष रूप से गरीब वर्गों को मिल सके। समय–समय पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों की भरमार है। सरकारें पहले अलग–अलग कार्यक्रम लागू करतीं हैं तथा कुछ समय बाद उन कार्यक्रमों को समन्वित करके नये कार्यक्रम (नये नाम से) लागू किये जाते हैं।

इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रमों में क्रियान्वयन सम्बन्धी कठिनाइयां अकुशलता, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं बनी रहती हैं। फलस्वरूप कार्यक्रमों के लिये आवंटित धनराशि में सं लीकेज (समांहमे) हो जाते हैं और गरीबों को पूरा लाभ इन कार्यक्रमों से प्राप्त नहीं हो पाता।

गरीबी निवारण की समस्या की गम्भीरता और आकार को देखते हुए एक बहु आयामी दृष्टिकाणे से समस्या से निपटने हेतु रणनीति और विशिष्ट कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव सम्यक हो सकते हैं :

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान वृद्धि दर काफी कम है, इसमें बढ़ोतरी आवश्यक है। गरीबी निवारण की यह एक मुख्य शर्त है।
2. गरीब व्यक्तियों की कुशलता और क्षमता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुशलता और क्षमता में वृद्धि होने से गरीब भी बाजार अर्थव्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। और उससे उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में अधिक सार्वजनिक निवेश किया जाय।
3. गरीब व्यक्तियों के लिये बनाये गये सामाजिक सुरक्षा उपायों और सुरक्षा प्रबन्धों में लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करके कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए।
4. गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक कार्यक्रमों में उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके द्वारा आय अर्जित करने वाली परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके और गरीबों की दीर्घकाल में सतत् रूप से आय में वृद्धि हो सके।
5. संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु गरीबी उन्मूलन और अन्य विकास कार्यक्रमों के मध्य अच्छा तालमेल होना चाहिए।
6. गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की सशक्त भूमिका होनी चाहिए।

रोजगार एवं बेरोजगारी

बढती हुई श्रमशक्ति को उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रदेश अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक मुख्य चुनौती है। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का संज्ञान राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर लिया गया है और समस्या के सामाधान हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। प्रदेश की दसवीं पंच वर्षीय योजना में रोजगार सृजन को तीसरी प्राथमिकता (कृषि और अवस्थापना सुविधाओं के बाद) दी गई है। इसको इस प्रकार व्यक्त किया गया है "ऐसे उपायों, जिनसे कृषि से अन्य क्षेत्रों की ओर श्रमशक्ति के अंतरण को प्रोत्साहन मिले तथा आयवर्द्धक और उत्पादक रोजगार सुजन हो, को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।" इसके अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुवीक्षणीय लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है योजना के दोरान 81 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजन करना। इसके फलस्वरूप नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में

विद्यमान संचयी बेरोजगार का अंत होने और दसवीं पंववर्षीय योजना अवधि में अतिरिक्त श्रमशक्ति के अनुरूप, रोजगार अवसर उत्पन्न किये जा सकेंगे।

बेराजगारी की समस्या को हल करने और रोजगार सृजन के लिये योजनाओं में सामान्यतया द्विमुखी रणनीति अपनायी गयी है। इस रणनीति का एक पहलू, अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज करना है। विकास गति में तेजी आने से अर्थव्यवस्था में अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं दूसरी ओर विकास के साथ–साथ कुछ विशेष रोजगार परक योजनाएं भी लागू की गयी हैं। इन योजनाओं में प्रमुख है –स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास, काम के बदले अनाज, पी0 एम0 जी0 वाइ0, पी0 एम0 जी0 एस0 वाइ0 इत्यादि।

उ0 प्र0 में रोजगार में वृद्धि की क्या स्थिति अभी तक रही है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार की क्या सम्भावनाएं हैं इस समझने के लिये रोजगार की प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। इस विश्लेषण हेतु जनगणना से प्राप्त आंकड़े तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकडों का अध्ययन किया जा सकता है। इनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

रोजगार में वृद्धि की प्रवृतियां :

1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में (उत्तरांचल को छोड़कर) मुख्य कर्मकरों की संख्या 388.81 लाख थी। वश्र 2001 में मुख्य कर्मकरों की संख्या बढ़कर 394.53 लाख हो गई । इस प्रकार प्रतिवर्ष वृद्धि की दर अत्यन्त न्यून 0.15 प्रतिशत रही। इसकी तुलना में 1981–91 की अवधि में मुख्य कर्मकरों (उत्तरांचल सहित) की संख्या में वार्षिक वृद्धि कर 2.47 प्रतिशत थी। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शत दशक में सीमान्त कर्मकरों में वृद्धि दर 16.85 प्रतिशत रही। (उत्तरांचल को छोड़कर)वहीं 1981–91 दशक में (उत्तरांचल सहित) सीमान्त कृषकों में वृद्धि दर 7.58 प्रतिशत थी इसी प्रकार सीमान्त कृषकों का प्रतिशत 1991 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 27 प्रतिशत हो गया। यह इस बात को दर्शाता है कि श्रम का 'कैजुवलाइजेशन (बेंनसपेंजपवद)हो रहा है तथा पिछले दशक में रोजगार की गुणवत्ता में गिरावट आई है।'

कर्मकरों का व्यवसायिक ढांचा

2001 की जनगणना के अनुसार कर्मकरों का गतिविधि अनुसार वंटन दर्शाता है। कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल कर्मकरों में से 65.60 प्रतिशत कृषि

कर्मकर हैं तथा शेष 34.40 प्रतिशत गैर कृषि कर्मकर है। कृषि कर्मकरों में, कृषकों की संख्या में बृध्दि दर 1981–.2001 की अवधि में, गत दशक की अपेक्षा कम रही है। दूसरी ओर गृह उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में संलग्न कर्मकरों की वृद्धिदर (1991–2001) बढ़ी है। अतः कहा जा सकता है कि रोजगार की दृष्टि से गैर कृषि व्यवसायों की ओर एक अंतरण ेंपिज) दिखायी देता है (संलग्नक–1)।

इसी प्रकार के तथ्य हमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं। 55वें सर्वेक्षण चक्र (1999–2000) से यह तथ्य सामने आया कि 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या में कमी आयी है। निम्नलिखित क्षेत्रों – निर्माण, थोक व्यापार एवं खुदराश रेस्तरां और होटल, ट्रांसपोर्ट भंडारण एवं संचार में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में ऊँची वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गयी। यद्यपि सेवाओं में वृद्धि ऋणात्मक रही। सामान्य स्थिति (नेनंस`जंजने) के आधार पर 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में कुल रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर मात्र 1.02 प्रतिशत 1987–88 रही जबकि यही दर 1977–78 से 1987–88 के मध्य 2.53 प्रतिशत थी। (संलग्नक–2) इससे पता चलता है कि विगत दशकों में रोजगार सृजन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों के परिणामों से यह पता चलता है कि गत पच्चीस वर्षों से स्वरोजगार में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी देती है। इसी प्रकार कैजुअल श्रमिकों के अनुपात में भी निशचित बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हांलाकि 1993–94 –1999–2000 के मध्य नियमित रोजगार में लगे श्रमिकों के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है।

<u>बेराजगारी की प्रवृत्तियां :</u>

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण चक्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को जा सकता है। चालू दैनिक स्थिति (current daily status) के आधार पर बेरोजगारी की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया हैं वास्तव में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 57वे और 58वें चक्रों 2001–02 और 2002–2003 के प्रारम्भिक परिणाम प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की ओर इंगित करते हैं। (देखें संलग्नक 5,6)।

तालिका: बेरोजगारी की स्थिति

चक्र	बेरोजगारी की दर – प्रतिशत
27वां (1972–73)	3.75
32वां (1977–78)	4.33
38वां (1983)	4.71
43वां (1987–88)	3.73
50वां (1993–94)	3.46
55वां (1999–2000)	4.48

स्रोत: राष्टीय नमूना सर्वेक्षण

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि गत दशक में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है। 55वें चक्र के अनुसार सामान्य स्थिति;नेनंस `जंनेद्ध के आधार पर बेराजगारी की दर 2.09 प्रतिशत पायी गयीं।

उ0 प्र0 जैसे गरीब प्रदशे में खुली बेरोजगारी के अतिरिक्त अल्प–बेरोजगारी भी पायी जाती है। रा0 प्र0 स0 के 55वें चक्र के अनुसार प्रदेश अल्प रोजगारी व्यक्तियों की संख्या 112 लाख है। जिसमें 96 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 16 लाख नगरीय क्षेत्रों में हैं।

सेवायोजन कार्यालय से भी बेरोजगारी की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। वर्ष 2003 के अन्त में चालू पंजी पर अभ्यर्थियों की संख्या 19.29 लाख थी। दृष्टव्य है कि 1990 में रोजगार पाने के इच्छुक चालू पंजी पर अभ्यर्थी 31.9 लाख थे। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा काम दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या कम होते जाने से, बेरोजगार व्यक्ति, रोजगार दफतरों में अपना नाम पंजीकृत कराने में कोई विशेष लाभ नहीं देखते।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन :

रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था की विकास दर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। एक समयावधि में कितना रोजगार सृजन होगा इसका आंकलन मोटे तौर पर रोजगार लोच के द्वारा किया जा सकता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार लोच का मान 0.38 रखा गया है। आय में वार्षिक वृद्धि की दर 8 प्रतिशत है। अतः रोजगार में प्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर 3.04 प्रतिशत है। इस आधार योजना अवधि में कुल रोजगार सृजन 81 लाख प्रत्याशित है अर्थात लगभग 16 लाख प्रतिवष्र रोजगार अवसर सृजित करने होंगे। यह एक कठिन लक्ष्य है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों 2002–03 में तथा 2003–04 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आंकलित वृद्धि दर क्रमशः .07 प्रतिशत तथा 5.9 प्रतिशत रही है। यह अनुमान अनन्तिम तथा त्वरित हैं आशा के अनुरूप वृद्धि दर न होने के कारण रोजगार सृजन भी लक्ष्य से कम होने की आशा है। इससे भविष्य में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है।

सुझावः

दसवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के उपलब्धि के लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन हेतु एक उपयुक्त रणनीति के अन्तर्गत निम्नलिखित सुझाव सार्थक हैंः

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस बात के प्रयास किये जाने चाहिए कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान वृद्धिदर को बढ़ाया जा सके। वृद्धि दर में त्वरण, रोजगार में उपयुक्त संख्या में वृद्धि के लिये अत्यावश्यक है।
2. सार्वजनिक और निजी निवेश उन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित किया जाना चाहिए जिन क्षेत्रों में श्रमशक्ति की खपत अधिक है। ये क्षेत्र हैं – निर्माण, पशुधन और डेयरी, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग, व्यापार आदि। इन क्षेत्रों के विकास की ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक अवस्थापना की सुविधाओं की काफी न्यूनता हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सिंचाई, गृहनिर्माण, सड़क निर्माण ऐसी कुछ गतिविधियां हैं जिनके विस्तार से सामान्य विकास को बल मिलता है और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के लिये रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित होते है।। अतः अवस्थापना के क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक निवेश होना चाहिए।
4. कृषि के विविधीकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषीय उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए।
5. ग्रामीण और शहरी नवयुवकों को स्व–रोजगार हेतु प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
6. जिला और पंचायत स्तर पर कार्य{मों से नियोजन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हेतु क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। इसके द्वारा विशेष रोजगार कार्य{मों के क्रियान्वयन में प्रभावशीलता और गुणवत्ता लायी जा सकेगी।
7. समाज के कमजोर वर्गों हेतु चलाये जा रहे कल्याणकारी और विशेष रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए और उनका सतत प्रभावी अनुवीक्षण किया जाना चाहिए।
8. माइक्रो क्रेडिट का विस्तार और सघनता बढ़ायी जानी चाहिए। इनका रोजगार सृजन पर अच्छा प्रभाव रहा है।

अध्याय पाँच

कृषि एवं सहायक क्षेत्र

देश की अर्थव्यवस्था में नियोजन काल के दौरान आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन दोनो रूप में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है, परन्तु यदि हम उत्तर-प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि यहां पर विकास तो हुआ है, परन्तु विकास की दिशा और गति अपेक्षा के अनुरूप नही है। यद्यपि इसके लिए अर्थव्यवस्था के सभी घटक जिम्मेदार हैं, इस अध्याय में कृषि क्षेत्र एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र पर केन्द्रित करते हैं। वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना और खनन तथा पत्थर निकासी आदि शामिल हैं:. क्योकि इन सभी के उत्पादन में प्रकृति की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। यह अलग बात है कि अब मानव प्रयासों की भूमिका का महत्व इन गतिविधियों में बढ़ता जा रहा है। यहां मुख्य रूप से वर्तमान अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए कृषि का वर्णन किया जा रहा है।

उत्तर-प्रदेश की अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से विकास दर काफी कम है। आर्थिक विकास की वार्षिक दर 1980-90 के दौरान 4.8 प्रतिशत थी, जो बाद के वर्षो में घटकर 4.0 ही रह गयी है। इसके लिए प्रमुख रूप से माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी गति में व्यापक कमी आयी है1 इसके बावजूद हम कृषि क्षेत्र की अनदेखी नही कर सकते। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 1980-90 के दौरान 2.5 प्रतिशत वार्षिक थी जो 1990-2000 के दौरान घटकर 2.4 प्रतिशत रह गयी है। परन्तु यदि हम 1993-02 की अवधि का आंकलन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर बढकर 3.2 प्रतिशत हो गयी है।

यहां तालिका-01 को देखने से ज्ञात होता है कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि दर 1980-90 के दौरान 2.7 प्रतिशत वार्षिक के मुकाबले घटकर 1993-2002 के बीच 2.5 प्रतिशत ही रह गयी है। इसके विपरीत मत्स्य पालन की वृद्धि दर में गिरावट के बाद भी 1993-2002 के दौरान वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत थी। वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने में व्यापक ऋणात्मक परिवर्तन के पश्चात उपरोक्त अवधि में वृद्धि दर सर्वोच्च 25.3 प्रतिशत थी। इन तथ्यों से इस बात का आभास मिलता है कि उत्तर-प्रदेश के वर्तमान आर्थिक परिवेश में कृषि क्षेत्र की भूमिका गौड़ होती जा रही है, जबकि अन्य छोटे उप क्षेत्रों जैसे:. मत्स्य पालन आदि का महत्व बढ रहा है, क्योंकि इनका प्रदर्शन काफी बेहतर हो रहा है। हम कृषि क्षेत्र की तथ्यपरक एवं विस्तृत समीक्षा अब दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करेंगे ताकि मध्यकालीन समीक्षा का लाभ बाकी के दो वर्षों में उठाया जा सके। साथ ही इस प्रवृत्ति की विशेषता का समावेश ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा प्रभावी ढंग से किया जा सके।

कृषि विकास दर एवं समता सूचकांक

जैसा कि यह बात स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आवश्यकता से अधिक निर्भर करती है, जहां एक ओर देश में एवं अन्य प्रदेशों में कृषि क्षेत्र विकसित होने के साथ साथ अपेक्षाकृत अधिक तीव्रगति से बढने को अग्रसर है। उत्तर-प्रदेश

में यह स्थिति फिलहाल निकट भविष्य में साकार हेाती नही दिख रही है। समग्र रूप से उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के स्वरूप को तालिका-02 से समझा जा सकता है। इसको देखने से इस बात का स्पष्ट आभास हो जाता है कि उत्तर-प्रदेश मे विकास दर में गिरावट के लिए कृषि क्षेत्र किस हद तक जिम्मेदार रहा है। कृषि उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71=100) का पहली अवधि (1984-85 से 1989) के दौरान वार्षिक चक्रवर्धी दर 2.52 प्रतिशत थी। जो कि दूसरी अवधि (1993-94 से 2001-02) के दौरान (आधार वर्ष 1993-94=100) घटकर 1.92 प्रतिशत ही रह गयी है। इस तरह अपेक्षित उत्थान के बजाए कृषि क्षेत्र मे गिरावट का रूख स्पष्ट होता है। इस गिरावट के लिए प्रमुख रूप से नकदी फसलें जिम्मेदार रही हैं। जहां पहली अवधि मे खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि दर 2.85 प्रतिशत थी वह घटकर दूसरी अवधि में 2.33 प्रतिशत ही रह गयी। इसके विपरीत नकदी फसलों मे व्यापक गिरावट के कारण पहली अवधि के 2.88 प्रतिशत के मुकाबले दूसरी अवधि मे 1.52 प्रतिशत ही रह गयी। इस प्रकार जहां पहली अवधि में खाद्यान्न और नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि दर लगभग समान थी। दूसरी अवधि मे दोनों मे गिरावट आयी और नकदी फसलों मे व्यापक गिरावट दर्ज की गयी। इसके अलावा कुछ अन्य चिन्तनीय रूख कृषि उत्पादन में परिलक्षित हो रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं व चावल मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं, जिसमें चावल के उत्पादन मे सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। परन्तु यहां चिन्ता की बात सह है कि दालों के उत्पादन मे लगातार कमी आ रही है। इसीलिए जहां इसके उत्पादन मे पहली अवधि मे 1.02 प्रतिशत की दर से कमी रही वहीं दूसरी अवधि में 0.71 प्रतिशत की दर से कमी आ रही है। इस तरह दालों का वास्तविक उत्पादन लगातार सिमटता जा रहा है। इसी तरह नकदी फसलों में तिलहन एक प्रमुख फसल है। इसमें भी लगातार कमी आ रही है। जहां इसके उत्पादन मे पहली अवधि मे 0.45 प्रतिशत वार्षिक की दर से कमी आ रही थी, वहीं यह ऋणात्मक रूख व्यापक होकर दूसरी अवधि में 2.92 प्रतिशत वार्षिक की दर से कमी को प्रगाढ कर रहा है। इसलिए कृषि उत्पादन सूचकांक मे संरचनात्मक परिवर्तन आ रहा है जिसमें खाद्यान्नों की भूमिका बढ रही है। खाद्यान्नों में भी दालों की भूमिका सीमित हो रही है1 वहीं दूसरी ओर नकदी फसलों में तिलहन की भूमिका मे व्यापक कमी आ रही है1 पशुचारा की भूमिका में वृद्धि हो रही है, नगदी फसलों में फल और सब्जी तथा गन्ने का योगदान बढ रहा है। फल एवं सब्जी की वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर पहली अवधि मे जहां 0.39 प्रतिशत ही थी, दूसरी अवधि मे बढकर 3.10 प्रतिशत हो गयी। परन्तु इन्ही अवधियों में गन्ने की उत्पादन वृद्धि 4.21 प्रतिशत से घटकर 2.12 प्रतिशत ही रह गयी है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर मन्द हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनको बाद में देखा जा सकता है।

फिलहाल तालिका.03 से एक तथ्य और उजागर हो रहा है कि उत्तर.प्रदेश मे निम्न मूल्य आवर्द्धन वाली फसलों का ही प्रमुखता से उत्पादन हो रहा है। उत्तर-प्रदेश का कृषीय क्रय विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71=100) एक प्रकार से व्यापार शर्तों को दर्शाता है। यद्यपि अब इसको नये आधार वर्ष पर प्रस्तुत करने की अविलम्ब आवश्यकता है। यह समता सूचकांक सदैव ही कृषि क्षेत्र के प्रतिकूल रहा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में यह कृषि क्षेत्र के अनुकूल रहता है। उत्तर प्रदेश मे प्रतिकूल परिस्थिति इसलिए रहती है क्योंकि कृषको को उनकी उपज का जो मूल्य प्राप्त होता है, उससे ज्यादा उन्हे गैर कृषि क्षेत्र को मूल्य चुकाने मे अदा करना पडता है। कृषकों को कम मूल्य प्राप्त होने का प्रमुख कारण हे कि वे सस्ती फसलों का उत्पादन ज्यादा करते हैं। मंहगी और नकदी फसलों पर कृषि का जोर कम है। वर्ष 1991-92 से 2002-03 तक कृषको को प्राप्त होने वाले मूल्यों मे

वार्षिक वृद्धि दर 6.02 प्रतिशत थी, जिसकी वजह से समता सूचकांक मे 0.39 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की गयी है। यह सारी परिस्थितियां दसवीं पंचवर्षीय योजना में कमोवेश नजर आती हैं जिनकी समीक्षा हम विभिन्न रूपों में आगे करेंगे।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता की समीक्षा

उत्तर-प्रदेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान कृषि लक्ष्यों की समीक्षा करना आसान हो जाता है। जब हमें यह जानकारी प्राप्त हो चुकी हो कि उत्तर प्रदेश मे आर्थिक वातावरण उत्साहवर्धक नही है और जिसकी गति तेज होने के बजाए शिथिल होती जा रही है। यह बात कृषि क्षेत्र पर भी लागू होती है। इसको तालिका-04 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 523.7 लाख टन रखा गया था, परन्तु वास्तविक उत्पादन 441.9 लाख टन ही हो पाया। इस प्रकार नवीं योजना खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से 15.6 प्रतिशत पीछे छूट गयी। यह तथ्य रबी तथा खरीफ दोनो फसलों के लिए लागू था। खरीफ का उत्पादन जहां अपने लक्ष्य से 13.7 प्रतिशत पीछे छूट गया वहीं रबी मे यह 16.7 प्रतिशत पीछे रह गया। यही नही यह कुछ अन्तरों के साथ सभी खाद्यान्न फसलों पर एक साथ लागू होता है। फिर भी चावल व गेहूं मे गिरावट औसत से कम है क्योकि चावल में लक्ष्य से 10.3 प्रतिशत तथा गेहूं में 14.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। मोटे अनाजों तथा दालों में तो व्यापक कमी दर्ज की गई है। दालों मे लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 34.6 प्रतिशत कम रहा है, यह अपने आप में सर्वाधिक है। नगदी फसलों के अर्न्तगत दो प्रमुख फसलों तिलहन व कपास की हालत तो नवीं योजना में और भी खराब रही है, क्योकि जहां तिलहन उत्पादन अपने लक्ष्य का 11.7 प्रतिशत ही रहा। यहां यह बात हो सकती है कि 2001-02 में सूखे के कारण स्थिति खराब हुई है, तब तो दसवीं पंचवर्षीय योजना मे कृषि उत्पादन को और तीव्रता प्राप्त होनी चाहिए।

परन्तु दसवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी स्थिति भी अब तक की सूचनाओं के आधार पर सन्तोषजनक प्रतीत नही होती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रथम दो वार्षिक योजनाओं (2002-03 और 2003-04) की उपलब्ध सूचनाओं से तो यही प्रतीत होता है कि हम किसी भी फसल के उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर पाने में असमर्थ रहे हैं। चाहे वह खाद्यान्न हो या फिर नकदी फसलें जिनके बारे में सूचना उपलब्ध है। वर्ष 2002-03 के दौरान वर्षा की कमी के कारण अल्प उत्पादन की बात को समझा जा सकता है। परन्तु 2003-04 में भी सभी फसलों यथा खाद्यान्न हो या नकदी फसलें में लक्ष्य से पीछे बने रहना यह प्रदर्शित करता है कि हम कहीं न कहीं अपने प्रयास उत्पादन लक्ष्य की तुलना मे नही कर पा रहे हैं।

दरअसल उत्तर प्रदेश की कृषि नीति (1999) के अनुसार प्रदेश को राष्ट्र का अन्नपूर्णा बनाने का लक्ष्य है साथ ही दालों और नकदी फसलों में बढोत्तरी और कृषि विविधीकरण द्वारा राज्य की आय को सार्थक सम्बल प्रदान करने की कोशिशें भी कृषि क्षेत्र द्वारा नही हो पा रही हैं। इस कमी के पीछे कई प्रकार के कारण हैं, इनमें प्रमुख हैं:- भूमि की उपलब्धता और वितरण, तकनीकी विकास, सुविधाओं की उपलब्धता, संस्थागत सहायता और विकास, बाजार की परिस्थितियों और कृषि पर निर्भरता, तकनीकी जानकारी सूचना तन्त्र व सहायता (extension services) इत्यादि।

उत्तर-प्रदेश में भूमि पर अत्यधिक दबाव है, इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम तो प्रदेश की आबादी तेजी से बढ रही है, दूसरा यह कि गैर कृषि क्षेत्रों में आबादी वृद्धि के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध नही हो पा रहे हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कुल कृषि जोतों का तीन चौथाई से भी अधिक सीमान्त जोत है, जबकि 15 प्रतिशत अति लघु जोत हैं। इन दोनों के पास सम्मिलित रूप से लगभग 60 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है। इस तरह के जोत कृषि के विविधीकरण का भी पूरा लाभ उपलब्ध नही ले पाता है। धनाभाव एवं अन्य कठिनाइयों के कारण ऊसर भूमि सुधार एवं अनुपयुक्त भूमि उपयोग के कारण भूमि क्षरण आदि की समस्या भी बढ रही है। इस तरह की भूमि को कृषि उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाना भी एक टेढ़ी खीर है। इस बारे में उपयुक्त आंकड़ों की उपलब्धता ही सबसे बडी चुनौती बनी हुई है। दूसरे यहां यह बपत भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने में जो लागत अराती हैए क्या वह आर्थिक रूप से सराहनीय है? वार्षिक योजना 2002-03 में कुल समस्याग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल 74.48 लाख हेक्टेअर दर्शाया गया है। परन्तु यह नही बताया गया है कि यह किस वर्ष की सूचना है। वहीं वाषिक योजना में कुल समस्याग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल बिना संदर्भित वर्ष को दर्शाए हुए 67.55 लाख हेक्टेअर बताया गया है, और वर्ष 2004-05 में 0.52 लाख हेक्टेअर के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सही रणनीति बना पाना ही एक समस्या है। जबकि सही और तुलनीय जानकारी ही उपलब्ध नही है। दूसरी ओर उपलब्ध कृषि भूमि के सघन इस्तेमाल के लिए आवश्यक है कि कई स्तर पर प्रयास सुनिश्चित किये जायें। जिसमे कि अन्तिम लक्ष्य कृषि मे लाभदायक परिस्थितियों को सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तर-प्रदेश में यह एक अजीब सी परिस्थिति बनती जा रही है कि हम सदैव लक्ष्य से पीछे छूटते जा रहे हैं। तालिका-05 को देखने पर पता चलता है कि नवीं योजना के स्तर को उत्पादकता के द्रष्टिकोण से पार नही कर पाये हैं, जबकि खाद्यान्न उत्पादकता के लक्ष्य 26.50 कुन्तल प्रति हेक्टेअर की तुलना मे उपलब्धि मात्र 21.63 कुन्तल प्रति हेक्टेअर थी। यह घटकर 2002-03 मे 19.97 और 2003-04 में 21.95 कुन्तल प्रति हेक्टेअर हो सकी है। यह दसवीं योजना के लक्ष्य 27.92 की तुलना में बहुत कम है। यह बात कमोबश हर फसल पर व्यक्तिगत तौर पर लागू होती है। यह अजीब सी बात है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं, उनमे से एक उन्नत बीजों के उत्पादन व वितरण का है, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होता है। इस दृष्टिकोण से तो प्राय: उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रहती है, हालांकि 2002-03 में ऐसा नही था। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि न तो उत्पादकता अपेक्षा के अनुरूप है और न ही उत्पादन। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजों की सूचना को पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता है।

यदि हम तालिका-06 को देखते हैं, तथा उत्तर-प्रदेश मे भूमि उपलब्धता और भूमि उपयोग की वास्तविकता पर गौर करते हैं, तो पता चलता है कि प्रदेश में अब कृषि उपयोग के लिए अतिरिक्त भूमि की विशेष उपलब्धता सम्भव नही है। इस तथ्य को नियोजन प्रकिया मे भी स्वीकार किया गया है। तभी शुद्ध क्षेत्रफल विस्तार की अल्प संभावना व्यक्त की गयी है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए नगण्य़ है। परन्तु तकनीकी विकास व कृषि उत्पादन के लिए आगत सुविधा पर ध्यान देने से सघन खेती द्वारा सकल क्षेत्रफल में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि उत्तर-प्रदेश में जिस प्रकार की फसल संरचना है उसमें खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है या इसी तरह की अन्य फसलों जो लगभग 3-4 माह में तैयार हो जाती हैं। वैसे भी कुछ खाद्यान्न प्रचुरता वाले राज्यों यथा पंजाब (192) हरियाणा (173) व पश्चिम बंगाल (171) में फसल सघनता काफी ज्यादा है।

इस परिवेश में उत्तर-प्रदेश में फसल सघनता की दर बहुत धीमी है। दसवीं योजना में इसका लक्ष्य 165 रखा गया है। परन्तु योजना के पहले तीन वर्षों में यह 151 पर ही स्थिर है जों कि नवीं योजना की उपलब्धि 152 से भी कम है। यह कृषि सुविधाओं यथा:. सिंचाई, ऋण, खाद, बीज आदि पर एक प्रश्नचिन्ह है। यह तालिका-06 से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यूं तो कुल रासायनिक खादों का दसवीं योजना के अन्त तक 4130 हजार टन उपभोग की बात कही गयी है। लेकिन 2004-05 में लक्ष्य 3878 हजार टन पाना असम्भव है, क्योंकि दसवीं योजना के पहले दो वर्षों मे उपलब्धि मात्र 3200 हजार टन के आस पास थी जो कि नवीं योजना की उपलब्धि से भी कम है। जहां तक बीज उत्पादन व वितरण का सवाल है, इसकी स्थिति बहुत सपष्ट नही है यद्यपि इसमें प्रायः लक्ष्य को भेदने की बात दिखाई पडती है।

फल, पशुपालन, मत्स्यपालन, एवं दुग्ध विकास

दरअसल उत्तर-प्रदेश में कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि अब परम्परागत खाद्यान्न फसलों से हटकर गैर परम्परागत आधुनिक व अधिक मूल्य आवृद्धि वाली वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान दिया जाये। इससे न केवल कृषि उत्पादन मे मात्रात्मक वृद्धि होगी, अपितु गुणात्मक सुधार आएगा। व्यापार शर्ते कृषि के अनुकूल होंगी क्योंकि अधिक मूल्य आवृद्धि वाली नकदी फसलों आदि का उत्पादन बढ़ेगा। फसल सघनता में वृद्धि होगी जिससे रोजगार में वृद्धि होगी तथा गरीबी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। यूं भी आर्थिक सिद्धान्तों के तहत अर्थव्यवस्था मे आय बढ़ने से परम्पराागत खाद्यान्न की मांग में अपेक्षाकृत वृद्धि थमने लगती है, तथा गैर परम्रागत भोजन आदि की मांग अपेक्षाकृत तीव्रता के साथ बढ़ने लगती है। यद्यपि यह तीव्रता औद्योगिक वस्तुओं तथा सेवाओं की तुलना में काफी कम होती है। इसी कम में हम फल और सब्जियों, फूल, पशुपालन ओर दुग्ध विकास के आंकडे देख सकते हैं। इस दिशा में सितम्बर 1998 में प्रारम्भ किये गये **उत्तर प्रदेश कृषि सहायता और विविधीकरण परियोजना** के कार्य के प्रतिफल सामने आने लगे हैं। अब इस परियरेजना का छः वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यहां यह बताना अनिवार्य है कि कृषि विविधीकरण परियोजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन विशेष रूप से इसमें किये गये निवेश, व्यय व उत्पाद की स्थिति का स्वतन्त्र रूप से होना अभी बाकी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस परियोजना और अन्य रणनीतियों का लाभ सभी फसलों व सभी को बराबर से नही मिल सका है। फलों के मामलें में कहा जा सकता है कि लक्ष्य को देखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों में क्षेत्रफल का विस्तार थोड़ा ही कम रहा है। परन्तु उत्पादन तो लक्ष्य से काफी कम था। वर्ष 2002-03 में उत्पादन लक्ष्य से 20 प्रतिशत कम था, जबकि 2003-04 मे यह कमी 15 प्रतिशत थी। इसके विपरीत आलू में अपेक्षित क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2003-04 में उत्पादन में व्यापक कमी आलू से जुडी समस्याओं के कारण है, जैसे कि वर्षा, रख.रखाव और विपणन की समस्याएं। इन सबके विपरीत सब्जियों के क्षेत्रफल का विस्तार एवं उत्पादन दोनों ही लक्ष्य से काफी आगे चल रहे हैं। सम्भवतः किसान धीरे-धीरे इस बात के लिए सजग हो रहे हैं कि जोत का छोटा आकार एवं खाद्यान्न से जुडी अन्य समस्याओं से बचने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक है! यहां पर, यह भी समझना आवश्यक है कि फलों की खेती एक बहुवर्षीय योजना होने के कारण इसें सफल बनाने के लिए ज्यादा प्रेरणा और सहयोग की आवश्यकता है। यद्यपि प्रदेश में अपनी जनसंख्या व अन्य राज्यों से तुलनात्मक

वस्तुस्थिति तथा निर्यात की संभावनाओं के देखते हुए फसलों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी तेजी से सामने आएं।

पशुपालन के क्षेत्र मे भी कुछ सुधार देखने में आ रहा है। यद्यपि कुल पशुओं की संख्या में पशुगणना 1993 व 1998 के मध्य 1.12 प्रतिशत वार्षिक की दर से गिरावट का रूख देखने को मिना है। परन्तु शंकर प्रजाति के जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पक्षी प्रजाति में तो तीव्र वृद्धि हो रही है जो यह दर्शाता है कि लोगों का रूझान अब इस ओर बढ़ा है। दुग्ध उत्पादन यद्यपि लक्ष्य के बराबर तो नही, परन्तु लक्ष्य के नजदीक आ रहा है। फिर भी इसमें ज्यादा सजगता की आवश्यकता है। क्योंकि दसवीं योजना के लक्ष्य 193 लाख मी. टन को देखते हुए योजना के तृतीय वर्ष का लक्ष्य 168 लाख मी. टन है। इस प्रकार आगामी दो वर्षों में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। अण्ड़ों का उत्पादन तो लक्ष्य से कम नही है। संभावना यह भी है कि यह लक्ष्य से आगे निकल जाए। यही स्थिति ऊन के उत्पादन की भी है। यह सभी कार्यक्रम ऐसे हैं, जिनमें ग्रामीण रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं, तथा जिसमें तीव्र प्रगति की संभावना भी है।

मत्स्यपालन प्रदेश का ऐसा व्यवसाय हैं जिसमें पिछले दशक से काफी तीव्र प्रगति हो रही है, और राज्य में भी इसकी विकास दर काफी तीव्र हो रही है। निबल आय राज्य में मछली उद्योग का 1993-94 के मूल्यों पर प्रतिवर्ष 7.3 की वृद्धि दर थी, साथ ही इसमें सतत विकास हो रहा है। प्रदेश में बड़ी नदियों का जाल तो है ही, साथ में यदि तालाब आदि का विकास किया जाये तो इसमें वृद्धि की प्रबल संभावनाएं हैं। यहां पर मत्स्यपालन से सम्बन्धित कई लक्ष्यों की प्राप्ति के बावजूद मछली उत्पादकता लक्ष्य से लगभग 10 प्रतिशत पीछे है। वर्ष 2003-04 में यह दर 3000 कि.ग्रा./ हेक्टेअर प्रतिवर्ष था, परन्तु उपलब्धि मात्र 2700 कि.ग्रा / हेक्टेअर ही थी। ऐसे में दसवीं योजना के अन्त तक 3.60 लाख टन मछली उत्पादन के लक्ष्य को पानें की चुनौती है क्योंकि 2003-04 तक तो यह 2.80 लाख टन तक ही पंहुच पाया है। ऐसे में कुछ नये प्रयास अपेक्षित हैं। इसके साथ ही इसके विपणन व अन्य सुविधाओं को व्यवस्था के केन्द्र बिन्दु में रखना अपेक्षित है।

कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की समीक्षा

किसी भी प्रकार के विकास में वित्तीय पहल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी भी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के लिए किस पर धन का आवंटन किया जाता है, और किस प्रकार धन की उपलब्धता और उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाता है, इसी पर काफी कुल लक्ष्यों को हासिल कर पाने का दारोंमदार होता है। इसी कम में हम दसवीं पंचवर्षीय योजना की रणनीतियों और चुनौतियों की समीक्षा करने से पहले नवीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविकता प्रस्तुत करना चाहते हैं। ताकि यह पता चल सके कि लक्ष्यों को निर्धारित करने में और उसके लिए नियोजन व वित्त की प्रतिबद्धताओं में तालमेल न होने से नियोजन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो सकते है।

तालिका संख्या-07 में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान कृषि से सम्बन्धित उन तमाम परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है जिनको 31 मार्च 2002 तक पूरा किया जा चुका है। मोटे तौर पर यह पता चलता है कि इस योजना में

वास्तविक व्यय कुल कृषि से सम्बन्धित कृषि विभाग के परिव्यय राशि का 40 प्रतिशत से भी कम था। यह बात वार्षिक योजनाओं में और भी स्पष्ट है। इस योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 में तो यह अन्तर बढकर 80 प्रतिशत हो गया, जो कि नियोजन प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। इसकी कुछ मदों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि बीज विकास के लिए निर्धारित परिव्यय का मात्र 10 प्रतिशत व्यय किया गया, गोबर, खाद और रासायनिक खाद पर परिव्यय का 20 प्रतिशत ही खर्च किया गया, कृषि इंजीनियरिंग पर 5 प्रतिशत से भी कम व्यय हुआ, निर्देशन व प्रशासन पर परिव्यय राशि का एक भी रू0 व्यय नही किया गया। हां जिस मद के लिए धन आवंटित नही था, उसके शेयर खरीदने पर भारी धनराशि व्यय की गयी। यह सभी बातें कृषि विकास की संभावनाओं को गौड़ बनाती है, साथ ही वित्तीय कुशलता तथा नियोजन की सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह भी लगाती हैं।

हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नियोजन राशि के परिव्यय व व्यय द्वारा कृषि विकास के प्रति निष्ठा देखें तो सारिणी संख्या-08 में 31.03.2002 को चालू महत्वपूर्ण परियोजनाओं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा कर सकते हैं। नवीं योजना के दौरान व बाद में भी चालू परियोजनाओं पर नवीं योजना में निर्धारित राशि से अधिक का व्यय दर्ज किया गया है, जो मुख्यतया अन्य मदों पर बिना किसी पूर्व निर्धारण पर ाारी व्यय के कारण हुआ। जहां तक दाल विकास, तिलहन विकास, नकदी फसलों व खद्यान्न का मामला है, इन पर निर्धारित व्यय से काफी कम खर्च किया गया। सम्भवत यह कृषि विविधीकरण आदि की वजह से हुआ। दसवीं योजना में भी स्थिति काफी चिन्ताजनक है। लगभग सभी चालू परियोजनाओं पर पहले दो वार्षिक योजनाओं 2002-03 और 2003-04 में परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में काफी कमी रही। इससे भी अधिक चिन्ता की बात तो दसवीं योजना के दौरान नई परियोजनाओं के संचालन को लेकर है। इन पर 20703 लाख रू0 का परिव्यय निधारित है। परन्तु 2002-03 में रू0 0.03 लाख, 2003-04 में 959.0 लाख एवं 2004-05 में पुन: 959 लाख रू0 निर्धारित किये गये। इसमें से पहले दो वर्षों में एक भी रू0 व्यय नहीं हुए जबकि आगे की स्थिति अभी देखना बाकी है। इन सभी तथ्यों सें दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा और नियोजन की कमजोरी को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। लगभग इसी प्रकार की स्थिति सारिणी-09 में भी देखने को मिलती है, जिसमें बजट के द्वारा कृषि को आवंटित न्यूनतम राशि को दिखाया गया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्धित कियाकलापों की स्थिति उत्साहवर्द्धक नही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसके लिए कृषि का विविधीकरण, नकदी फसलों पर जोर तथा खाद्यान्न प्रचुरता की बात कही गयी है। परन्तु उपरोक्त समीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल नही हो सकते हैं। खाद्यान्न के संतुलित विकास, तिलहन विकास व अन्य नकदी फसलों में अनेक बाधाएं हैं। जिसमें भू आकार का छोटा होना, नई तकनीकों की उपलब्धता की कमी, मथा इनके इस्तेमाल को बढाने के लिए प्रबल रणनीति की कमी, अन्य सुविधाओं का उपयुक्त तरीके से उपलब्ध न होना प्रमुख है। यद्यपि कृषि विविधीकरण के अच्छे परिणाम आने लगे हैं, परन्तु इनको नियमित तरीके से आगे बढाने की आवश्यकता है। ऐसे में नियोजन प्रकिया को चुस्त दुरूस्त करने की जरूरत है, साथ ही इनकी व्यापक प्रासंगिकता का मूल्यांकन करके इनको निरन्तरता के साथ व्यापकता का आकार देने के लिए स्पष्ट रणनीति पर ध्यान देना होगा।

प्रमुख बिन्दु और सुझाव

यहां पर हम अध्ययन के आधार पर कुछ प्रमुख बिन्दुओं एवं सुझावों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनका लाभ नीति निर्धारण के रूप में लिया जा सके :

- दसवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि एवं सम्बन्धित कार्यक्रम लक्ष्य से काफी पीछे हैं, दरअसल यह नवीं योजना के आगे निकल ही नही पा रहे हैं, जबकि नवीं योजना स्वयं में एक सफल योजना साबित नही हो सकी।
- भूमि का वास्तविक विस्तार विभिन्न परिस्थितियों के कारण बढ़ा सकने में समस्याएं हैं, इसमें अयोग्य कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने में लगने वाली व्यापक लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- फसल सघनता में जड़ता की स्थिति व्याप्त है जो हमारे प्रयासों पर एक प्रश्नचिन्ह है।
- खाद्यान्न फसलों पर हमारी विशेषता तो है, लेकिन इसमें भी वृद्धि नही हो पा रही है।
- कृषि का विविधीकरण केवल सांकेतिक ही लगता है, वास्तविकता के लिए व्यापक व निरन्तर प्रयास अपेक्षित हैं।
- किसी भी रणनीति को बनाते समय सीमान्त व लघु कृषकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत है।
- अधिक मूल्य आवर्द्धन वाली फसलों यथा तिलहन, दालें, कपास, और कुछ हद तक गन्ना भी कठोर परिस्थितियों से गुजर रहा है। जबकि इनके बदले नई फसलें दृष्टिगत नही हो रही हैं।
- उत्पादकता में भी जड़ता की स्थिति स्पष्ट है।
- रासायनिक खादों का इस्तेमाल पिछली योजना के मुकाबले कम हुआ है। इसके अतिरिक्त N.P.K में आदर्श अनुपात भी एक समस्या है।
- उत्तर–प्रदेश में कृषि समता सूचकांक लगातार प्रतिकूल बना हुआ है।
- कृषि में निवेश की कमी व्यापक है, सम्भवतः यह एक संरचनात्मक पहलू है।
- नियोजन के द्वारा कृषि को आवंटित राशि इस्तेमाल नही हो पा रही है, इसके अतिरिक्त बहुत सी परियोजनाएं बिना प्रारम्भ हुए ही समाप्त हो जाती है। कृषि की कुछ मदों के लिए आवंटित राशि अन्य मदों पर भी व्यय करने से समस्याएं बढ़ रही हैं।
- कृषि से सम्बन्धित कुछ क्रियाकलापों यथा कृषि विविधीकरण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, पुष्प उत्पादन आदि में कुछ बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, परन्तु इनको निरन्तरता व व्यापकता के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
- किसानों को उपयुक्त सुझाव व सही समयबद्ध जानकारी से कृषि विकास को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है, इसको निचले स्तर पर व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है।
- कृषि विकास व ग्रामीण विकास में तालमेल अपरिहार्य है, इस क्रम में कृषि औद्योगीकरण आदि महत्वपूर्ण है।
- अवस्थापना सुविधाएं भी व्यवधान उत्पन्न कर रही है।

- यदि उत्तर प्रदेश राष्ट्र का अन्नपूर्णा बनने को स्वयं तत्पर है तो वर्तमान परिस्थितियों में यह कदम राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में है। परन्तु इससे प्रदेश को कोई विशेष फायदा नही है। ऐसे में केन्द्र सरकार प्रदेश के कृषि विकास में अत्यधिक निवेश के लिए अपना सहयोग प्रदान करे।
- फसल बीमा योजना की व्यावहारिक कठिनाइयां दूर न होने के कारण इसका लाभ किसानों को नही मिल पा रहा है।

तालिका 01

उत्तर-प्रदेश में राज्य आय में वृद्धि दर

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

खण्ड	1980-81 से 1989-90 (1980-81 की कीमतों पर)	1990-91 से 1999-2000 (1980-81 की कीमतों पर)	1993-94 से 2001-02 (1993-94 की कीमतों पर)
कृषि एवं पशुपालन	2.74	2.27	2.52
वन एवं लट्ठा निर्माण	-23.79	-1.00	25.32
मत्स्यपालन	13.21	6.64	7.45
खनन आदि	2.93	5.74	9.58
प्राथमिक क्षेत्र	2.46	2.36	3.20
विनिर्माण	10.40	7.04	2.02
द्वितीयक क्षेत्र	8.25	5.76	4.21
तृतीयक क्षेत्र	6.33	4.94	4.76
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)	4.79	4.04	4.03
प्रतिव्यक्ति राज्य आय	2.38	1.85	1.66

तालिका 02
उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के परिमाण सूचकांक

(1993-94=100)

फसल	% भार 1970-71	% भार 1993-94	1994-95	1984-85	1997-98	1984-85 1997-98	1988-99	1999-2000	2001-01	2001-02	1993-94 1999-2000	1993-94 2001-02
गेहूं	23.45	27.64		203.8	296.9	2.94	112.69	127.20	125.29	124.55	4.09	2.78
चवल	16.04	20.50		1998.5	340.6	4.24	111.52	131.04	121.15	129.28	4.61	3.26
टनाज	50.51	52.12		176.7	264.7	3.16	110.41	127.14	122.66	124.58	4.08	2.79
छालें	9.95	8.84		91.9	80.4	-1.02	91.77	101.13	86.78	94.45	0.19	-0.71
खाद्यान्न	60.46	60.96		162.7	234.3	2.85	107.80	123.26	117.46	120.21	3.55	2.53
पशुचारा	7.67	9.23		258.3	252.3	-0.18	102.35	103.94	103.78	103.78	0.65	0.46
फल और सब्जियां	2.43	4.17		292.6	307.7	0.39	128.09	131.52	115.35	127.67	4.67	3.10
टालू	1.72	3.54		366.7	393.3	0.55	133.73	136.05	119.01	135.61	5.26	3.88
गन्ना	16.12	19.76		129.7	21.8	4.21	111.74	110.47	107.41	118.24	1.67	2.12
तिलहन	12.65	5.14		51.1	48.2	-0.45	76.69	94.49	82.17	78.90	-0.94	-2.92
अन्य	0.67	0.74		149.0	293.9	5.36	110.33	123.04	120.75	119.15	3.52	2.21
नकदी फसल	31.87	29.81		111.3	161.0	2.88	108.01	110.97	104.83	112.80	1.75	1.52
सामान्य सूचकांक	100.00	100.00		153.7	212.3	2.52	1.7.36	117.88	112.43	116.49	2.78	1.92

तालिका 03
उत्तर-प्रदेश में कृषीय क्रय-विक्रय समता सूचकांक

(कृषि वर्ष 1970-71=100)

वर्ष	किसानों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का सूचकांक (Px)		किसानों को प्राप्त मूल्य का सूचकांक (RY)	कृषीय क्रय विक्रय समता सूचकांक Po=(Py/Px).100
1991-92	605.6	551.8	91.1	
1992-93	62935	538.2	85.5	
1993-94	696.8	675.4	96.9	
1994-95	761.8	746.1	98.2	
1995-96	845.8	784.1	92.7	
1996-97	943.5	856.1	90.7	
1997-98	998.6	873.5	87.5	
1998-99	1166.5	992.6	85.1	
1999-2000	1110.8	937.6	84.4	
2000-01	1165.3	901.9	. 77.4	
2001-02	1190.6	950.0	79.8	
2002-03	1202.6	1050.3	87.3	
AGR(%)	6.43	6.02	-0.39	

* अनन्तिम

तालिका 04

कृषि उत्पादन में प्रगति समीक्षा

हजार टन

फसल	ईकाई	नौवीं योजना		दसवीं योजना का लक्ष्य	वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
क-खाद्यान्न		52370	44187	57100	46800	38216	47800	44431	50200
खरीफ		18387	15877	19900	16350	11994	17100	15989	17950
रबी		33983	28310	37200	30450	26222	30700	28442	32250
अनाज		48736	41810	53850	44270	36058	45060	42046	47200
चावल		14340	12856	16000	12900	9595	13600	13020	14350
गेहूं		29920	25498	33650	27500	23612	27600	25567	28600
बाजरा		1200	968	1300	1260	1073	1270	1120	1280
मक्का		1946	1567	2120	1720	956	1760	1518	2050
दालें		3634	2377	3250	2530	2155	2740	2385	3000
ख-नकदी फसलें									
तिलहन		2452	1110	1950	1330	885	1460	925	1600
कपास		39.00	4.57	10.00	6.00	4.39	6.00	4.18	8.00
जूट		5.00							

तालिका 05

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता, बीज उत्पादन और वितरण की समीक्षा

फसल	ईकाई	नवीं योजना		दसवीं योजना का लक्ष्य	वार्षिक योजना		वार्षिक योजना		वार्षिक योजना
		1997.2002		2002–2007	2002–03		2003–04		2004–05
		लक्ष्य	उत्पादन		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
A- खाद्यान्न		26.50	21.63	27.92	23.05	19.97	23.37	21.95	24.18
चावल	कु0/प्रति हे0	26.27	21.17	25.40	22.01	18.41	22.67	21.87	23.52
गेहूं	”	32.66	27.55	34.69	29.57	25.96	29.67	27.94	30.75
बाजरा	”	17.14	11.38	16.52	15.00	12.90	14.11	12.76	14.54
मक्का	”	20.04	16.29	22.78	17.04	11.07	17.60	13.87	17.50
Improved Seeds (उन्नत बीज)									
A- उत्पादन									
कुल उत्पादन	हजार कु0	1904.54	1838.58	2708.60	2049.89	2033.85	2049.89	2106.31	2216.38
अनाज	”	1690.68	1751.91	2456.32	1893.72	1886.61	1893.72	1946.56	2018.73
दालें	”	137.03	70.88	219.98	133.20	123.29	133.20	135.06	171.80
तिलहन	”	76.05	15.08	31.70	22.52	23.03	23.99	22.52	25.32
कपास	”	0.78	0.71	0.60	0.45	0.92	0.76	0.45	0.53
जूट	”								
B- वितरण									
कुल वितरण	”	1168.94	1819.16	2625.04	1908.23	201.20	2049.89	2129.56	2233.54
अनाज	”	1090.63	1732.93	2380.53	1773.45	1872.79	1893.72	1958.71	2072.92
दालें	”	51.11	70.62	213.19	114.39	122.08	133.20	145.43	173.80
तिलहन	”	26.69	14.90	30.72	19.89	21.41	22.52	24.66	31.02
जूट	”	0.51	0.71	0.60	0.50	0.92	0.45	0.76	0.80

तालिका 06

उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के कुछ संकेतक

संकेतक	ईकाई	नवीं योजना	दसवीं योजना का लक्ष्य		वार्षिक योजना 2002-03		वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि						
कृषि क्षेत्रफल									
(i) शुद्ध	हजार हेक्ट.	16688	168.50	17000	16850	16850	16850	16850	16900
(ii) सकल	,,	24870	25600	28000	25500	25500	25500	25500	25700
(iii) फसल सघनता	प्रतिशत	149	152	165	151	151	152	151	152
(iv)सकल सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत	68.09	N.A						
रासायनिक खादों का उपभोग									
NPK	हजार टन	3896	3352	4130	3695	3244	3646	3231	3878
नाइट्रोजन (N)	,,	3027	2504	2949	2638	2373	2661	2361	2728
फास्फेटिक (P)	,,	743	750	1008	902	729	811	720	952
पोटाश (k)	,,	126	98	173	155	142	174	150	198

तालिका 07

कृषि विकास में नवीं योजना में परियोजनावार परिव्यय एवं व्यय (लाख रू0 में)

	नवीं योजना का स्वीकृत परिव्यय (1997-2002) 1996.97 की कीमतों पर		वास्तविक व्यय				1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02	
			प्रचलित मूल्य पर		1996-97 की कीमतों											
	कुल	पूंजीगत हिस्सा	कुल	पूंजीगत हिस्सा	कुल	पूंजीगत हिस्सा	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
तक पूरी की एं		0.0	36343	0.0	3115.0	0.0	1071.6	658.1	2397.8	1792.6	1098.6	612.4	822.2	514.9	5321.60	56.2
और प्रशासन	220.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	35.1	0.0	120.0	0.0	125.0	0.0
फसलें	3377.2	0.0	1990.3	0.0	1711.6	0.0	688.2	620.0	819.0	440.1	735.8	473.4	584.9	456.3	30.0	0.0
	112.5	0.0	13.0	0.0	12.2	0.0	22.5	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	32.5	0.0	6.5	0.0	6.1	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
द और क खाद	854.9	0.0	224.0	0.0	179.9	0.0	159.6	0.0	496.0	54.6	52.7	54.6	65.0	58.6	77.0	56.2
ण	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मा	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
और प्रशिक्षण	363.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.8	0.0	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
नियरिंग	360.0	0.0	180.0	0.0	169.9	0.0	72.0	18.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	1382.4	0.0	95.9	0.0	0.0	0.0	960.0	1298.0	275.0	84.4	52.3	0.0	32.5	0.0
.kZ pkyw e	4598.4	375.0	7215.0	5.0	5742.0	0.0	881.2	733.0	1502.2	976.1	1401.4	839.7	1472.5	1334.2	5403.5	3331.9

तालिका 08

कृषि विकास में नवीं व दसवीं योजनाओं की पहल

(लाख रू0)

कार्यक्रम	नवीं योजना का 1996-97 की कीमतों पर स्वीकृत परिव्यय		नवीं योजना में कुल व्यय				दसवीं योजना का 2001-02 की कीमतो पर स्वीकृत परिव्यय		वार्षिक योजना 2002-03 प्रचलित कीमत	वार्षिक योजना 2003-04 प्रचलित कीमत	वार्षिक योजना 2004-05 (प्रचलित कीमत पर)		
			प्रचलित कीमतों पर		1996-97 की कीमतों पर								
	कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	कुल	पूंजीगत	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	कुल परिव्यय
31-03-2002 को महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं	4398.4	375.0	7215.0	5.0	6742.0	0.0	21620.9	0.0	3800.0	4940.9	3000.0	1866.8	3012.7
खाद्यान्न फसलें	175.0	0.0	104.3	0.0	84.1	0.0	200.4	0.0	38.3	17.1	38.3	10.8	18.3
कृषि भूमि	1597.0	375.0	1544.0	0.0	1287.0	0.0	3455.3	0.0	190.7	194.6	349.6	1849	349.6
नकदी फसलें	106.5	0.0	74.1	0.0	61.3	0.0	171.4	0.0	22.5	19.5	22.5	19.1	38.5
विस्तार और प्रशिक्षण	0.0	0.0	1258.6	0.0	994.9	0.0	3375.0	0.0	507.0	427.1	650.4	261.0	681.5
कृषि अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी	542.7	0.0	684.2	0.0	566.9	0.0	1164.8	0.0	187.6	131.0	168.3	136.4	178.3
दालों का विकास	895.0	0.0	541.6	0.0	453.0	0.0	1187.5	0.0	196.1	154.7	230.6	93.4	155.6
तिलहन विकास	1082.4	0.0	510.6	0.0	434..1	0.0	919.1	0.0	138.5	109.4	138.5	82.6	57.8
अन्य व्यय	0.0	0.0	2497.7	5.0	1861.7	0.0	11147.3	0.0	2519.3	3887.5	1401.8	1078.6	1533.2
दसवीं योजना की नयी परियोजनाएं	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20703.1	0.0	0.03	0.0	959.0	0.0	95.90

तालिका 09

उत्तर प्रदेश में कृषि और सम्बन्धित कियाकलापों के व्यय पर बजट का रूख

(राशि करोड रू0 में)

मद		राजस्व व्यय															
		2002.03															
										वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	बजट अनुमान	बजट अ
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	141.1 (3.9)	1319.2 (4.0)	1470.03 (3.6)	1342.4 (3.5)	4112.0 (3.3)	1388.9 (3.0)	1377.4 (2.9)	500.3 12.2	595.7 (15.7)	-10.8 (-0.1)	173.3 (5.1)	47.9 (1.0)	349.6 (5.5)	365.6 (4.6)			
ग्राम विकास	1740.7 (4.7)	1673.8 (5.1)	1689.9 (4.1)	1654.6 (4.4)	1891.3 (4.4)	2008.4 (4.4)	1795.7 (3.7)	391.6 (9.5)		1403.9 (12.0)	381.6 (11.2)	522.0 (10.7)	534.3 (8.5)				
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.0 (0.0)	13.5 (0.0)	13.5 (0.0)	2.70 (0.1)	40.5 (0.1)	40.5 (0.1)	63 (0.1)	200.0 (4.9)	366.4 (9.7)	261.5 (2.2)	308.0 (9.1)	384.5 (7.9)	384.5 (6.1)	572.0 (7.2)			
सिंचाई और बाढ नियन्त्रण	969.8 (2.6)	1536.8 (4.7)	1047.0 (2.6)	1480.4 (3.9)	1087.7 (2.5)	1674.8 (3.7)	1636.2 (3.4)	929.8 (22.7)	728.2 (19.2)	1103.3 (904)	741.0 (21.8)	1211.9 (24.8)	1311.2 (20.7)	1845.4 (23.4)			
कुल योग	36646.7	32938.5	40758.81	37943.7	42785.7	45622.2	48071.1	4101.5	3794.4	11738.4	3400.1	4891.3	6320.2	7897.9			

नो0 : कोष्ठक में कुल राजस्व व्यय/पूजीगत व्यय में प्रतिशत हिस्सा है।

स्त्रोत : बजट २००४.०५ एवं २००५.०६

अध्याय छह

ग्रामीण विकास

1. **भूमिका**

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत ढॉचे एवम् परिसम्पत्तियों की कमी, बेरोजगारी और गरीबी से चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यों के माध्यम से एक दीर्घावधि योजना रखती है। जिस तरह केन्द्र संचालित ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है उसी प्रकार से प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा उक्त उद्देश्यों हेतु कार्यान्वयन कर रहा है। ये विशिष्ट योजनाऍं विस्तृत रूप से वर्गीकृत की जा सकती है जैसे– स्वरोजगार योजना, भत्ता रोजगार योजनाऍं, ग्रामीण मूलभूत ढॉचा का निर्माण, छोटे पक्के घरों का प्राविधान, शुद्ध पेयजल सुविधाऍं, सभी मौसमों के लिये पक्की सड़क, आदि। ये सम्पूर्ण योजनाऍं एक निश्चित समय में विकास ला सकती हैं,। यह सन्तुलित विकास भी ला सकती हैं जो राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का सूत्रपात करती है। राष्ट्रीय योजना आयोग राज्य को उन विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए संसाधनों के स्थानान्तरण के द्वारा वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। इस मद में अनुदानों में सामान्य केन्द्रीय सहायता, खुले बाजार में ऋण सुविधा, वित्तीय संस्थानों से समझौता ऋण, और वाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। इसके साथ ही, विशेष ऋण योजना उन वर्षों में दिया जाता है जब राज्य गम्भीर वित्तीय संकटों एवम् आपात् दशाओं में दबाव डालता है।

2. **क्रियात्मक दिशा–निर्देश :**

प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक पृथक दिशा–निर्देश है। दिशा–निर्देश योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पोषित योजनाओं के लिए निर्गत किया जा चुका है। राज्य पोषित योजनाओं के लिये यद्यपि संबंधित सचिवालय इस प्रकार का दिशा–निर्देश जारी कर चुका है, ये दिशा–निर्देश योजनाओं के उद्देश्यों पर, मुख्य कार्यों के चयन और चुनने के आधार पर, उद्देश्य के लिए एजेन्सी की जॉच, क्षेत्रों या लाभार्थियों का चिन्हीकरण, संसाधनों के प्रचलन की विधि या समुदाय में, अनुदान को निर्गत करना, लक्ष्य सुनिश्चित करना, अनुदान का उपयोग मानक और अन्य सम्पूर्ण संबंधित बिन्दुओं पर केन्द्रित किया गया है जो आवश्यक है और किसी निर्णय पर दृढ़ रहनें की आवश्यकता है। विस्तृत सूचना के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देशों के सापेक्ष तत्वों

को संबंधित दस्तावेजों में देखा जा सकता है। दिशा–निर्देशों के विशाल आकार और कई भागों के कारण इस प्रकार का साहित्य यहाँ रखना सम्भव नहीं है।

3. **उद्देश्य :**

सम्पूर्ण योजनाओं का उद्देश्य यह है कि विस्तृत रूप से ग्रामीण बेरोजगारी और निर्धनता को स्व रोजगार और मजदूरी रोजगार द्वारा कम करना है और मूल ढॉचा का भी निर्माण करना है। निम्न व्याख्या में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक–एक कर वर्णित किया गया है –

4. **योजनावार मूल्यांकन (निर्धारण) :–**

4.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY) :

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को दस पंचवर्षीय योजनाओं के दो वार्षिक योजनाओं (2002–03 व 2003–04) में सूक्ष्म व्यवसाय द्वारा स्वरोजगार को उत्पन्न करने को, महत्व दिया गया है। दसवीं योजना प्रत्येक खण्ड में ग्रामीण गरीब के 30 प्रतिशत को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबी रेखा के ऊपर लाने हेतु बहुत शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने वाले समूह द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुनर्निर्धारित उद्देश्य के अनुसार यह कार्यक्रम अन्ततः ग्रामीण गरीबी के सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण द्वारा सामूहिक लाभ प्रदान करने वाली शक्ति का उन्नति करेगा। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक प्रगति तालिका संख्या–1 में प्रदर्शित किया गया है। यह तालिका प्रथम दो वर्षों के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा सुनिश्चितता बनाये रखने को दर्शाती है। यह 2002–03 एवं 2003–04 दोनों वर्षों में 120000 था।

सूची – 1 : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियॉ	प्रतिशत	स्वयं सहायता समूह लक्ष्य का प्रतिशत जिसे ऋण प्रदान किया गया
2001–02	80000	80991	101.0	28.0
2002–03	120000	87549	73.0	23.0
2003–04	120000	85282	71.0	11.0

दुर्भाग्यवश 2003–04 में उपलब्धियॉ 2002–2003 की तुलना में कम रही। स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्धारित लक्ष्य; 73 प्रतिशत से 2003–04 में 71 प्रतिशत हो गया है। यह स्वस्थ प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। यह उपलब्धि दोनों वर्षों के लक्ष्यों में बहुत निम्न है। जहाँ तक स्वयं सहायता समूह के ऋण वितरण का सम्बन्ध है, ऑकड़े बहुत हीं दयनीय दशा प्रदर्शित करते हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्य का मात्र 23प्रतिशत 2002–03 में और 2003–04 में 11 प्रतिशत ऋण वितरण के लिए पूर्ण किया गया है। यह पद्धति

दोनों वर्षों के ऋण वितरण की मन्द विकास गति को दर्शाती है और पिछले वर्षों में और अधिक धीमी गति है। इस प्रकार की स्थिति ने वास्तविकता का स्थान ले लिया कि राशि उपलब्ध थी, जबकि खर्च नहीं हो सकी। व्यय का प्रतिशत जैसा तालिका –2 में दर्शाया गया है कि 2002–03 में 65 प्रतिशत और 2003–04 में 76 प्रतिशत। साथ ही इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक ऋण वितरण का प्रतिशत 27 प्रतिशत था जबकि 2003–04 में यह लगभग दुगुना से अधिक 55 प्रतिशत हो गया।

तालिका – 2 : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

रू0 लाख में

वर्ष	उपलब्ध कुल राशि	व्यय	व्यय प्रतिशत
2001–02	26379	15536	59.0
2002–03	22550	14721	65.0
2003–04	25606	19564	76.0

व्यय का बड़ा भाग स्थापना के लिए खर्च किया जा चुका है। इसे पुनर्संशोधित करने की आवश्यकता है। विकास के लिए चिन्हीकरण के दिशा–निर्देश बहुत कम हैं। सरकारी तंत्र कार्यों के तीव्र निस्तारण द्वारा इस तथ्य को कुछ कम कर सकते हैं। तालिका–3 में प्रदर्शित किया गया है कि वास्तविक खर्च में 2003–04 की तुलना में 2003–04 में लक्ष्य के प्रतिशतों में कमी आई है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के निर्माण के क्षेत्र में लक्ष्य, ऋण वितरण और कुल व्यय से उपलब्धियॉ बहुत ही न्यून हो चुकी हैं। यदि उपलब्ध चिन्हित राशि को स्वयं सहायता समूह को प्रदान कर दी जाए लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार एस0एच0जी0 के निर्माण पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। स्वरोजगार और आय सृजन के लिए विशेषकर उद्योग में, सरकारी और व्यापारिक क्षेत्रों में, पशुपालन, बागवानी, मछलीपालन और लघु सिंचाई में 70 प्रमुख गतिविधियॉ पहचान की जा चुकी हैं । परिणामस्वरूप 2003–04 में 3.50 लाख गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के सापेक्ष 1.41 लाख गरीबी रेखा के नीचे परिवार लाभान्वित किये जा चुके हैं, । यह प्रदर्शित करता है लगभग 01 लाख से भी अधिक गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया है और 8 मण्डी परिक्षेत्रों को, 4 उप परिक्षेत्रों और कुछ हाट पथों (20) का निर्माण किया गया है। सशक्तीकरण अब बढ़ चुका है। उदाहरणार्थ, सुल्तानपुर में प्रत्येक एस0एच0जी0 महिला सदस्य एस0एच0जी0 2000/– प्रतिमाह प्रत्येक योजना पर अर्जित करने में सक्षम है। निर्धन ऋण वितरण गरीबी रेखा के नीचे परिवार परिवारों में उद्यमिता की कमी के कारण, बैंकों के मध्य संयोजन की कमी, सरकारी संस्थाएँ और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के कारण हो

सकता है। प्रतिभूति (जमानत) की आवश्यकता, सम्पत्ति को बन्धक के रूप में , ऋण वितरण करने में रूकावटें पैदा कर रही है। ऋण की पुनर्वापसी का सन्देह भी ऋण संस्तुति करने में रूकावटें उत्पन्न करता है।

सूची – 3 : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार के अन्तर्गत शीर्षवार व्यय प्रतिशतता

वर्ष	वास्तविक ऋण वितरण लक्ष्य के प्रतिशततानुसार	लक्ष्य के प्रतिशत के अनुसार विकास पर वास्तविक खर्च
2001–02	33.0	73.0
2002–03	27.0	55.0
2003–04	55.0	78.0

4.2 इन्दिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) :

इन्दिरा आवास योजना अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के गृह निर्माण हेतु अनुदान सुविधा प्रदान करना, बंधुआ मुक्त मजदूर और गैर अनु0जाति/जनजाति ग्रामीण लोगों के लिए भी, जो गरीबी रेखा के नीचे है, वर्ष 1985–86 के दौरान प्रारम्भ किया था। साथ ही आई0ए0वाई0 कुल चिन्हित में, 40 प्रतिशत से अधिक एक वित्तीय वर्ष में गैर अनु.जाति/अ.ज.जा पर खर्च नहीं किया जाना चाहिये। भौतिक और वित्तीय प्रगति तालिका 4 में प्रदर्शित की जा चुकी है जिसमें यह भी दर्शाया गया है कि व्यय संतोषजनक रूप से किया गया है क्योंकि व्यय का 99 प्रतिशत 2002–03 में उक्त कार्य हेतु और 2003–04 में 95 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

तालिका – 4 : इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय और भौतिक प्रगति

वर्ष	व्यय प्रतिशत	आवासीय लक्ष्य की उपलब्धि प्रतिशत में	प्रति गृह प्रति इकाई मूल्य (रू0)	
			सामान्य क्षेत्र	बुंदेलखण्ड क्षेत्र
2001–02	93.0	100.0	20000	22000
2002–03	93.0	100.0	20000	22000
2003–04	95.0	95.0	20000	22000
2004–05	–	–	25000	27000

उपलब्धियॉं सन्तोषजनक हैं क्योंकि लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2002–03 में और 2003–04 में लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि सरकार 2002–03 से 2003–04 तक प्रति गृह इकाई मूल्य को संशोधित नहीं किया गया है। अचानक यह बुंदेलखण्ड क्षेत्र में लगभग 25 प्रतिशत और सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2004.–05 में हुई थी। इसका अर्थ है कि शायद निर्माण की गुणवत्ता में 2002–03 और 2003–04 में अवश्य खराबी हुई है। क्योंकि निर्माण मूल्य में

कम से कम 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। इस स्थिति में प्रत्येक वार्षिक योजना में गृह प्रति इकाई की कम से कम 10 प्रतिशत मूल्य की अभिवृद्धि की जानी चाहिए।

4.3 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) :

यह कार्यक्रम नवम्बर, 2001 के बाद जवाहर रोजगार समृद्धि योजना और रोजगार गारन्टी योजना के विलयीकरण के बाद लागू किया गया था। खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मजदूरी रोजगार/हाथों को कार्य गॉव के चारों ओर उत्पन्न करने का उद्देश्य है। अधिक गरीब लोगों को वरीयता दी जाती है। यह कार्यक्रम ग्रामीणवासियों को सभी प्रकार से लाभ पहुँचाने के लिए लागू किया गया है। पहली बार कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदारों के योगदान के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। द्वितीय यह है कि ग्राम पंचायतों को वार्षिक कार्य किसी भी योजना को तैयार करने के लिए शामिल किया गया है जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित है। इस सभा के सदस्यों को स्थानीय सीमाओं के बारे में पूर्णतया जानकारी है। तृतीय यह है कि इस योजना के द्वारा कुछ ढॉचागत सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है जो कि भविष्य के विकास के लिए प्रभावी होगी।

तालिका – 5 : सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

रू0 लाख मे

वर्ष	उपलब्ध कुल राशि	व्यय	व्यय प्रतिशत
2001–02	101917	63989	63.0
2002–03	130621	92845	71.0
2003–04	123506	110527	89.0

स्रोत : ग्रामीण विकास आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 सरकार

दसवीं योजना कार्यकाल के लिए राज्य ने 8803 लाख लोगों के रोजगार सृजन हेतु रू0 2092 करोड़ व्यय के लिए निश्चित किया गया है। उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष में रू0 254 करोड़ 1335 लाख लोगों के कुल रोजगार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जोड़कर राज्य और केन्द्र के अंशों को जोड़कर 2002–03 में रू0 130621 और 2003–04 में रू0 123506 लाख उपलब्ध कराए गए थे। परन्तु दुर्भाग्यवश व्यय बहुत कम था, मात्र 71 प्रतिशत। उपलब्धि के पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना एक स्वप्न हो गया है। 6 किग्रा0 गेहूँ और 5 किग्रा0 चावल के वितरण के रूप में अन्य 9 लाख टन खाद्यान्न का प्रत्येक वर्ष लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रथम दो वार्षिक योजना के दौरान वितरण में गुणवत्ता निर्वाह नहीं की गयी है। ठीक ढंग से तौला भी नहीं गया है। 2003–04 के दौरान रोजगार सृजन का लक्ष्य 1535 लाख लोगों का था जबकि वास्तव में 1314 लाख लोगों के लिए वास्तव में रोजगार सृजित किया गया था। 1700 लाख लोगों के रोजगार सृजन हेतु

2004–2005 के दौरान रू0 410.64 करोड़ रू0 का व्यय प्रस्तावित है। इसी क्रम में व्यय बढ़ाने हेतु अग्रिम योजना की आवश्यकता है जिससे समयानुसार अनुदान का उपयोग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। यह मजदूरी रोजगार योजना को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

4.4 सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)

वर्तमान में डी.पी.ए.पी. उ0 प्र0 के 15 जिलों के 60 चयनित प्रखण्डों में क्रियात्मक रूप में है। जबकि यह सूचित किया गया है कि लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 2003–04 में 65000 हेक्टेअर क्षेत्रफल के लक्ष्य के सापेक्ष 42,162 हेक्टेअर को विभिन्न विकास मापकों के अनुसार व्यवहार किया गया था। सन् 2003–04 में व्यय रू0 369.90 लाख था। जबकि 2004–05 के वार्षिक योजना में उपखण्डों को आपस में जोड़ने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक समायोजन विशेषकर भूमि और जल संरक्षण, वृक्षों के कटाव को रोकने और जल संसाधन विकास, योजना में भी समावेशित करना होगा।

4.5 एकीकृत ऊसर भूमि विकास कार्यक्रम (IWDP) :

यह एक केन्द्रीय पोषित योजना है। संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार संसाधन केन्द्र और राज्य को 91.77 : 8:33 के अनुपात पर साझेदारी आधार पर प्राप्त हुआ। यह राज्य के 35 जनपदों में क्रियाशील है। 2003–04 के दौरान सरकार निर्माण क्षमता और प्रशिक्षण के लिए, परिसम्पत्तियों के टिकाऊपन के लिए और एस0एच0जी0 के सृजन के लिए अनेक उपायों की शुरुआत कर चुकी है। 2004–05 के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपखण्डों को जोड़ने पर बल दिया गया है। इस योजना में जल संचयन के द्वारा संबंधित विभागों के मूल्य आधारित तालाबों के निर्माण, नाला बॉधना, बॉध रोक, झीलों को छानना, ग्रामीण जल संचय संयोजन का शुद्धीकरण, मछलीपालन विकास, वृक्षारोपण और चारागाह विकास पर केन्द्रित किया गया है।

4.6 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (AVRY) :

यह कार्यक्रम परियोजना आधारित योजना टिकाऊ रोजगार सृजन के लिए है। कार्यक्षेत्र में पूर्ण रूप से लागू किया गया है और प्रगति में है। अनेक परियोजनाएँ इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार सृजन में अच्छे परिणाम उत्पन्न करने हेतु कार्यान्वित की गयी हैं। 2003–04 के दौरान, रोजगार 56,305 व्यक्तियों के सृजन किया गया था और अन्य 120000 व्यक्तियों को 2004–05 में रोजगार सृजन हेतु लक्ष्य रखा जा चुका है। इसके साथ ही दसवीं योजना के दौरान रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत पचास लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है। 2003–04 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1025248 व्यक्तियों को रोजगार अवसर सृजित किया जा चुका है। इस प्रकार रोजगार को सृजित करने का अवसर 2004–2005 में 1250000 व्यक्तियों हेतु प्रस्तावित है। यह प्रतीत होता है कि निवेश की आवश्यकता है।

4.7 प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना (PMGY) :

इस विशेष योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र जैसे कि जल आपूर्ति, गृह, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक स्वास्थ्य देख–रेख और पोषण को रखा गया है। नवीं योजना में कुल व्यय इस योजना के अन्तर्गत 15253 करोड़ था। दसवीं योजना में फिर भी रू0 1200.97 करोड़ व्यय के सापेक्ष वर्ष 2003–2004 में पूर्व अनुमानित व्यय रू0 1112.13 करोड़ और सन् 2003–04 में 1147.65 करोड़ रू0 अनुमोदित किया गया है लेकिन वास्तविक व्यय इस वर्ष में मात्र 845.32 करोड़ था। 2004–05 के दौरान 1285.978 करोड़ व्यय प्रस्तावित किया गया है। जल आपूर्ति के इस योजना में दस हजार घरों के सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता की समस्या का प्राविधान किया गया है लेकिन उपलब्धि की बहुत मन्द गति है। केवल535 2002–03 के दौरान पूर्ण किया गया है और 2003–04 में केवल 261 निवासियों के लिए प्रस्तावित है। इस पद्धति से योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भौतिक लक्ष्य संतोषजनक संपादन प्रगति के नये हैण्डपम्प लगाने और पुनः छिद्रण हैण्डपम्प योजना बनाया गया है। दसवीं योजना के मध्य लगभग लक्ष्य का 50 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है लेकिन योजन के अन्तर्गत बॉध रोकना और पाइप द्वारा जल आपूर्ति वार्षिक योजना लक्ष्यों में, दसवीं योजना लक्ष्यों के साथ समानता नहीं है। निम्न दो वार्षिक योजनाओं में बॉध रोकने और पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना में विशेष सावधानी की आवश्यकता है।

वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों के अन्तर्गत ग्रामीण आवासीय योजना, योजना लक्ष्यों के अनुरूपता में किया गया है। लेकिन वार्षिक योजना लक्ष्य पूरी तरह से कम है। वार्षिक लक्ष्यों में निम्न दो वार्षिक योजना बढ़ाया जाना चाहिए। दसवीं योजना लक्ष्य के परिदृश्य में वार्षिक योजना हैण्डपम्प लगाने के लिए और स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए कम है। यह लक्ष्य बढ़ाया जाना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है यह भी एक गम्भीर विषय है। लेकिन प्रत्येक योजना के लक्ष्य के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण को पूरा किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 के दौरान रू0 26.10 करोड़ और रू0 51.74 करोड़ क्रमशः था। लाभार्थियों का स्तर नवीं योजना के अन्त तक 52.85 लाख था। दसवीं योजना के लिए अनुमोदित व्यय रू0 779.47 करोड़ है। व्यय का स्तर वर्ष 2002–03 के लिए रू0 144.42 करोड़ है जिससे लाभार्थियों की संख्या 4.36 लाख होगी। 2003–04 के वार्षिक योजना के दौरान रू. 85.50 करोड़ के व्यय के सापेक्ष रू0 98. 56 करोड़ की राशि प्रयोग की गयी थी।2004-–05 के दौरान इस योजना के लिए 8.72 लाख बच्चों को लाभ पहुँचाने के लिए रू0 86.28 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार 2003–04 के लक्ष्य के अनुसार भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया है लेकिन व्यय 2002–04 दोनों वर्षों के लिए उक्त कार्यों पर खर्च के लिए लक्षित किया गया था।

रू0 1327.00 करोड़ और रू0 252.87 करोड़ का व्यय दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) और वार्षिक योजना 2003–04 के लिए क्रमशः मार्ग विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। 3371 गॉवों में विद्युतीकरण के सापेक्ष, 2002–03 और 2003–04 में क्रमशः मात्र 1839 और 428 गॉवों का विद्युतीकरण किया गया है। 2004–05 के लिए पुनः 6000 गॉवों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। यद्यपि ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है लेकिन विद्युत की आपूर्ति पूर्णतया सुनिश्चित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत विशेष सावधानी की आवश्यकता है।

4.8 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

प्रत्येक गॉव को सम्पर्कित करने की यह केन्द्रीय पोषित योजना है। यह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 74673 निवास स्थान सम्पर्कित हैं। इसके लिए 149346 किमी0 लम्बे सम्पर्क मार्गों की आवश्यकता है। 2003–04 के दौरान 2249 श्रमिकों द्वारा 4540 किमी0 लम्बे सड़क का निर्माण किया गया है। 1011.15 करोड़ राशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है। 2004–05 के दौरान केन्द्रीय अंशों में रू0 1000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। फिर भी अनुदान की कुल आवश्यकता 10600 करोड़ है। 2003–04 के अन्त तक भारत सरकार द्वारा रू0 909.75 करोड़ मात्र अवमुक्त किया गया है। इस प्रकार अनुदान का 90 प्रतिशत अवमुक्त किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत मार्गों को सम्पर्कित करने की धीमी प्रगति क्यों है। यदि अनुदान अवमुक्त करने में देरी होगी तब परियोजना का मूल्य बढ़ जायेगा जो कि पुनः पूर्ति नहीं हो पायेगी।

4.9 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम का अभिप्राय है कि भारत नेपाल सीमा के सात जनपदों के 19 ब्लाकों या खण्डों के लिए क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए विकास कार्यक्रम। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई 538 किमी0 है। लेकिन आवंटित निधि बहुत कम है। 2002–03 में 8.32 करोड़ आवंटित था, 2003–04 में 17.45 करोड़ और पुनः 2004–05 में 8.32 करोड़ आवंटित हुआ। व्यय वार्षिक आवंटन की अपेक्षा कम हुआ था। 2003–04 में 25 प्रतिशत कम उपयोग हुआ था और 2003–04 में 50 प्रतिशत कम। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सावधानी की आवश्यकता है।

4.10 केन्द्रीय पोषित योजनाएँ :

दसवीं योजना के अन्तर्गत यह योजना पर व्यय 39799.51 करोड़ है। यह भी अनुभव किया गया है कि वार्षिक आवंटन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2004–05 के लिए रू0 17352 करोड़ तक प्रस्तावित किया गया है। खर्च कम ही किया गया है। प्रथम दो वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय रू0 8145.86 करोड़ था। यह पुनः गम्भीर तथ्यों से सम्बन्धित है।

4.11 **राष्ट्रीय सम विकास योजना :**

इसके अन्तर्गत अनेक ग्रामीण विकास कार्य किये गए हैं। यह वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डेयरी, पशुपालन, बागवानी, सिंचाई, सार्वजनिक कार्यों और दूसरे अन्य कार्यों से सम्बन्धित है। यह कार्यक्रम अनेक जनपदों में लागू करने के लिए तीन भागों में प्रारम्भ किया गया है। अक्टूबर, 2004 तक कुल राशि रू0 2492.79 लाख अवमुक्त किया गया था जबकि इस अवधि में मात्र रू0 547.12 लाख मात्र खर्च किया जा सका। परिणामस्वरूप अनेक उपक्षेत्रों में निश्चित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया जा सका है।

5. **ढॉचागत संरचना और रोजगार पर विशिष्ट योजनाओं का मूल्यांकन :**

उत्तम पर्यावरणीय स्थिति को उत्पन्न करने के लिए ढॉचागत संरचना के सृजन में अनिवार्य रूप से निम्न योजनाओं द्वारा यह भी लागू करने के लिए विचार किया गया है :–

1. खड़न्जा/नाली का निर्माण
2. बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण/कल्याण केन्द्र
3. हाटपट्टी का निर्माण
4. ग्रामीण स्वच्छता

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वित्तीय लक्ष्य रू0 18625 लाख था जिसके सापेक्ष 2002–03 में रू0 9544.66 लाख वास्तविक रूप से और रू0 10569.55 लाख 2003–04 में खर्च किया गया है। इसलिये ये दो वर्षों में पहले ही लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन 2004–05 में पुनः अतिरिक्त वित्तीय व्यय रू0 7966.57 लाख अनुमानित किया गया है। यह सम्पूर्ण दसवीं योजना के लक्ष्य से ऊपर और बहुत अधिक हो सकता है। यह भी अनुभव किया गया है कि दसवीं योजना में भौतिक लक्ष्य खड़न्जा/नाली का निर्माण अम्बेडकर गॉवों में 961 किमी0 था। लेकिन कुल निर्माण 7621 किमी0 2002–03 में और 1993 किमी0 2003–04 में कुल 9614 किमी0 था। इस प्रकार पुनः लक्ष्य मात्र प्रथम दो वर्ष में ही प्राप्त कर लिया गया है।

दसवीं योजना में उपरोक्त योजनाओं द्वारा 6422414 लोगों को रोजगार सृजित करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है जिसमें 2002–03 में 2573245 और 2003–04 में 3392757 रोजगार सृजन किया गया था। अतः इस प्रकार वित्तीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लक्ष्य को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इसका अर्थ है कि निम्न लक्ष्य दसवीं योजना के प्रलेख में सुनिश्चित किया गया है। इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह भी अनुभव किया गया है कि दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान बहुउद्देशीय पंचायत भवन. के निर्माण का कार्य भी महसूस किया गया है। यह लक्ष्य के अनुमान को प्रदर्शित करता है। इससे व्याख्या की जा सकती है कि उक्त निम्न कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार के सृजन के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है और ढॉचागत संरचना को भी सृजित करता है।

2004–05 में 25 लाख व्यक्ति पहले से बेरोजगार हैं। राज्य द्वारा कुल अर्ध्द बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 99 लाख ऑकी गयी है। इसके अतिरिक्त 2004–05 में लगभग 14 लाख लोगों के बेरोजगाार होने का अनुमान है। इस प्रकार बेरोजगार 39 लाख हो जाएगा और अर्ध्द बेरोजगार 99 लाख होंगे जिसको रोजगार दसवीं योजना के शेष दो वर्षो के दौरान प्रदान करना है। रोजगार के सृजन का सम्बन्ध आय वृद्धि से है। रोजगार लचीलापन (0.45) के आधार पर यह अनुमानित किया गया है कि लक्ष्य वृद्धि का 8 प्रतिशत वार्षिक योजना अवधि के दौरान लगभग 14.64 लाख रोजगार सृजित किया जायेगा। बैकलॉग की समस्या का यह रास्ता और नयी भर्तियों में श्रम बल द्वारा निस्तारित की जा सकती है। रोजगार पाने की समस्या का निस्तारण नहीं होगा। इसके लिए दसवीं योजना के शेष वर्षो के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

6. **लुप्त कड़ियॉ :**

सम्पूर्ण आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना व्यय (निर्धारित मूल्यों पर)उ0प्र0 में व्यय का 26.3 प्रतिशत कम पड़ गया, जबकि 67.8 प्रतिशत बिहार में और 46.9 प्रतिशत उड़ीसा में कम पड़ गया। यह दशा नवीं योजना और दसवीं योजना के प्रथम वर्षो में भी जारी रही। प्रति व्यक्ति योजना व्यय के कुछ वर्षो में अस्थिरता के साथ गिरावट प्रदर्शित करता है। यह इसलिये था क्योंकि कुल योजना व्यय में परिव्यय की तुलना में भारी गिरावट आयी। अनुमोदित व्यय और खर्च का भारी अन्तर है। धन आवंटन के समय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिक अनुदान आवंटित कराना था लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका। सिंचाई पर व्यय भी बहुत कम था। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1990 के दशक में 1.2 प्रतिशत था जबकि दसवीं योजना अवधि में निम्न वृद्धि पुनः पाई गई है।

IRDP को अनेक प्रबुद्धों, शोधार्थियों और शैक्षणिक विद्वानों द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर मूल्यांकित किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह योजना बिना इच्छित कड़ियों के कार्यक्रम के समूह को प्रदर्शित करता है। सृजित टिकाऊ या स्थायी आय के सम्पूर्ण उद्देश्यों को मस्तिष्क में बिना रखे हुए पृथक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह अन्य विभागों के संयोजन की कमी को भी दर्शाया गया है। कुछ घटनााओं में कार्यों को पक्षपातपूर्ण निस्तारित किया गया था। कार्य की गुणवत्ता 60 प्रतिशत से अधिक केसेज में थी। ग्राम पंचायत में अनुदानों की अपर्याप्तता भी दर्शाई गई है जिससे ग्रामीण की विषम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बल मिला है। समुचित पुस्तकों की रखरखाव और पारदर्शिता की भी कमी थी। उदाहरणार्थ बॉदा के मूल्यांकन अध्ययन में प्रकट किया गया है और रायबरेली जिलों के कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वियन.के स्तर पर अनेक उपेक्षाओं का निरन्तर शिकार रहा। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि वार्षिक योजना लक्ष्य के गम्भीरता से नहीं तैयार की गयी है तथा उसे स्थानीय संसाधनों के साथ नहीं जोड़ा गया है। लाभार्थियों के चयन पद्धति में कमियॉ हैं और सावधानी से इसको समर्थन नहीं दिया

गया है। कष्टसाध्य और दीर्घसूत्री पद्धतियों में ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाताओं ने हतोत्साहन महसूस किया। वित्तीय संस्थानों के मध्य आवश्यक सहयोग नहीं पाया गया। यद्यपि लाभार्थियों की आय बढ़ी, लेकिन विकास की कोई सार्थकता नहीं है। मात्र 30 प्रतिशत के लगभग गरीबी रेखा को पार कर सके (गिरि अध्ययन संस्थान, लखनऊ)। समय–समय पर केन्द्र और राज्य सरकारों ने विकास कार्यों का मूल्यांकन किया गया और संबंधित दिशा–निर्देशों को नवीनता प्रदान की गयी और संशोधित किया गया। लेकिन कार्यान्वयन के क्रम में दोषों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे अधिकारिक स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की देरी को कम किया जा सके। विभिन्न विभागों के मध्य संयोजन भी त्वरित निस्तारण और सफलता के लिए सकारात्मक होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों के स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समाधान करते हुए पारदर्शी बना सकते हैं। स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताओं को निश्चित करने पर महत्व दिया जा सकता है। स्थानीय योजनाएँ मूल्य प्रभावी भी हो सकती हैं। लक्ष्य निर्धारण और अनुदान आवंटन के दौरान क्षेत्रीय सन्तुलन का बराबर अभाव रहता है। यह आन्तरिक विभागीय संयोजन द्वारा सही किये जाने की आवश्यकता है। स्थापना मूल्य भी कम किया जा सकता है और समय–समय पर तर्कसंगत बनाया जा सकता है। पुनर्निरीक्षण के दौरान मूलभूत ढॉचा और उदार साख को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन किया जा सकता है। मात्र रचना ही सहायता नहीं कर सकती है। इससे लाभार्थियों के सफलता दर में वृद्धि करनी होगी। आवास के निर्माण के बाद लाभार्थियों को शीघ्र वितरित कर देना चाहिए। यह रख–रखाव मूल्य को कम कर सकती है।

7. इच्छित भविष्य रणनीति :

सरकार को दसवीं योजना के शेष कार्यकाल के दौरान केन्द्रीय अनुदान को अवमुक्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, तथा आवंटित अनुदान के पूर्ण उपयोग, उचित लाभार्थियों की पहचान, लक्ष्य और उपलब्धि के मध्य अन्तर को कम करना, बिना निम्न या उच्च अनुमान के बिना उचित लक्ष्य को रखना, प्रारम्भिक स्तर पर ध्यान केन्द्रित करना, आधिकारिक क्षमता, प्राथमिक आधार तय करना, केन्द्र राज्य समन्वय, राज्य विभागों के मध्य समन्वय, लाभप्रद रोजगार की योजनाएँ, मार्गों और संचारों की सम्बद्धता, ग्रामीण निवेश, भण्डारण और ढॉचागत संरचना से सम्बद्ध करते हुए साख और बाजार को कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर भारतीय नेपाल सीमा पर व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना आदि पर बल देना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी महसूस किया गया है कि अनेक पिछड़े जिलों में अनुदान समय पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिये अनुदान विभाजन की समतुल्यता की आवश्यकता है। जितना भी सम्भव हो सके अतिरिक्त प्रयास समुदाय के प्रतिनिधित्व और स्थानीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिए बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. उ0प्र0 सरकार; वार्षिक योजना (विभिन्न वर्षों के)
2. उ0प्र0 सरकार; दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002
3. उ0प्र0 सरकार; आठवीं योजना : मध्यावधि प्रगति, 1990
4. उ0प्र0 सरकार; उ0प्र0 में गरीब और सामाजिक मूल्यांकन, 2002

अध्याय सात

औद्योगिक विकास

इस अध्याय में दसवीं योजना में औद्योगिक विकास का मध्यावधि मूल्यांकन करने का मार्यादित प्रयास किया गया है। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिक विकास के कारणों को चिन्हित करना है।

आर्थिक पिछड़ापन :

उत्तर प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पिछड़े राज्यों में गिना जाता है जबकि उत्तर प्रदेश भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 19 प्रतिशत, सब्जियों का 20 प्रतिशत, फसलों का 21 प्रतिशत, आलू का 38 प्रतिशत उत्पादन करता है। यह राज्य दूध एवं गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल पथ जाल है तथा सड़क के मामले में देश में दूसरा स्थान पर है। विद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या प्रति लाख आबादी की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

यद्यपि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस प्रदेश में देश की 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। किन्तु राष्ट्रीय आय में इसकी भागीदारी 9 प्रतिशत मात्र है। प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय स्तर का मात्र 54.55 प्रतिशत है। हालके वर्षों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में वृद्धि दर मात्र 3.2 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत था। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में मात्र 2.3 प्रतिशत रहा। जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहा। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में उद्योग का वृद्धि दर ऋणात्मक था। बाद के दो वर्षों में बढ़कर क्रमश : 5.6 प्रतिशत एवं 7.7 प्रतिशत रहा।

यथेष्ट औद्योगिक आधार :

उद्योगबन्धु से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मध्यम एवं भारी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत उद्यमी स्मार पत्र (आई0 ई0 ए0) तथा संकल्प पत्र (एल0 आई0 ओ0) की संख्या वर्ष 1997–98 के 375 से 2001–02 के 233 के बीच तथा प्रस्तावित निवेश राशि क्रमशः 6316..8 करोड़ तथा 2381.98 करोड़ रहा तथा रोजगार सृजन की सम्भावनाएं 67741 व्यक्ति 1997–98 एवं 22379 2000–01 के बीच थी। इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक एवं अनुकूल क्षेत्र रहा किन्तु घटते ज्ञापन एवं संकल्प संख्या एवं प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार सम्भावना चिन्ता का विषय रहा है। साथ ही 45 से 50 प्रतिशत ज्ञापन एवं संकल्प पत्र में ही वस्तुतः निवेश सम्भव हो पाता है फिर भी प्रदेश की स्थिति कई राज्यों में बेहतर है।

इसी प्रकार नवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों की स्थापित इकाई 1998–99 में 27566 तथा 1999–2000 में 29689 थी। इन इकाइयों में निवेश का आकलन 1997–98 के 385.6 करोड़ तथा 2001–02 के 270 करोड़ के बीच रहा।

रोजगार सृजन वर्ष 1998–99 में 69169 व्यक्ति एवं 2001–02 में 97155 के बीच रहा। उत्पादन का मूल्य वर्ष 1998–99 में 1409 करोड़ एवं वर्ष 2001–02 में 635.04 के बीच रहा। स्पष्ट है कि उत्पादन के गिरने की प्रवृत्ति रही। फिर भी 143160 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना 1662.25 करोड़ का निवेश एवं 385891 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रभावोत्पादक लगता है।

लघु उद्योग के तीसरी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 1707977 लघु उद्योग है जिसमें से केवल 162938 (9.54%) निबन्धित है। लगभग 63.74 प्रतिशत इकाईयां ग्रामीण इलाकों में है। कुल स्थिर निवेश इस क्षेत्र में लगभग 17,288.8 करोढ़ रूपये तथा कुल उत्पादन 27,423.19 करोड़ मूल्य तथा इस क्षेत्र में 40,02,375 कामगार रोजगार पाये । इस प्रकार लघु उद्योग का तीसरी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का यथेष्ट आधार है यद्यपि आयामों पर मतभेद हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हथकरधा उद्योग ने काफी प्रगति की है। इसके पास लगभग 5230 समितियां एवं इकाई स्थापित हो सका। जिसमें 3.79 लाख हथकरधा एवं 2.6 लाख बुनकरों को रोजगार मिल सका । हथकरधा क्षेत्र का कुल निर्यात इस प्रदेश में लगभग 500 करोड़ था। दस्तकारी के क्षेत्र में प्रदेश में लगभग 10.29 लाख इकाईयों में लगभग 99.5 लाख दस्तकार शामिल हैं जिसमें 5000 करोड़ मूल्य का वार्षिक उत्पादन हुआ। इस क्षेत्र से 3700 करोड़ मूल्य का वार्षिक निर्यात होता है। प्रदेश में कुल खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयां लगभग 128405 हैं जिसमें 659.69 करोड़ मूल्य का उत्पादन तथा 436254 व्यक्ति को रोजगार दिया गया। इस क्षेत्र के इकाईयों का बिक्री लगभग 786.35 करोड़ हुआ। सम्बद्ध विभाग से उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में प्रभावी औद्योगिक आधार हैं। अन्य तरह से भी सम्पूर्ण पारम्परिक उद्योगों का लगभग 65 प्रतिशत दस्तकारी उद्योग इस प्रदेश में है।

प्रदेश से कुल निर्यात का मूल्य 2001–02 में 20,113.51 करोड़ था जिसमें से साफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रानिक 20.6 प्रतिशत था तथा धातुकाला 10.4 प्रतिशत, आभियांत्रिकी एवं भवन हार्डवेयर 9.5 प्रतिशत, हाथ से बुनी कालीन एवं दरी 7.4 प्रतिशत, एवं सूती एवं रेडीमेड गारमेन्ट 5.5 प्रतिशत था। इसके अलावा 37 प्रतिशत निर्यात मूल्य अन्य अवर्गीकृत मदों का था।

औद्योगिक आधारभूत ढांचा के लिहाज से इस प्रदेश में 134 विकसित औद्योगिक क्षेत्र एवं 81 औद्योगिक इस्टेट है, जो लगभग 39050 एकड़ में आच्छादित है । इसके अलावा 168 छोटे औद्योगिक इस्टेट हैं। विभागीय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां का औद्योगिक आधार यथेष्ट है। फिर भी आंकड़ों की सच्चाई को समझना कठिन है। कुछ आंकड़े तो निश्चित रूप से सही हैं किन्तु सभी के विषय में ऐसा कहना कठिन है। दूसरे स्त्रोतों से उन आंकड़ों को पाना कठिन है जिसका समय धारिता एक है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा एकत्रित आंकड़ों में भी अन्तर है। अत : उपलब्ध आंकड़ों को मात्र संकेतक माना जा सकता है।

यथेष्ट औद्योगिक आधार के बावजूद पिछड़ापन :

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रदेश में ठोस औद्योगिक आधार उपलब्ध है, फिर भी यह प्रदेश भारत के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में एक है। इसका एक प्रमुख कारण निम्न वृद्धि दर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना मे द्वितीयक क्षेत्र का वृद्धि दर मात्र 3.3 प्रतिशत रहा जबकि 8.8 प्रतिशत सातवीं योजना में 9.5 प्रतिशत छठी योजना में एवे 7.3 प्रतिशत पांचवी योजना में । नवीं योजना में तो न्यूनतम (0.9 प्रतिशत) रहा तथा इस सम्पूर्ण खण्ड में विनिर्माण तो ऋणात्मक वृद्धि दर (–3.4 प्रतिशत) से पीछे चल रहा था। इस प्रकार वृद्धि दर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।

इसके अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें से प्रमुख – राजनीति का अस्थिरता रही है। लोकप्रिय समर्थन के लिए विकास का संकेन्द्रण उद्योग से हटाकर सामाजिक क्षेत्रों में किया गया। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि सामाजिक क्षेत्रों को सही में इस प्राथमिकता का लाभ मिला है अथवा नहीं, किन्तु औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास में नुकसान का सामना करना पड़ा है। औद्योगिक वातावरण उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। यद्यपि औद्योगिक विकास के लिए महत्वाकांक्षी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है।

औद्योगिक वृद्धि दर के अलावा भी कई अन्य संकेतक हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रख रहा है। प्रति लाख आबादी पर निबंधित उद्योग में प्रतिदिन औसत मजदूरों के संख्या उत्तर प्रदेश में 1997–98 में मात्र 365 था जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 793 महाराष्ट्र में 1176 एवं तामिलनाडु में 1680 था। कुल श्रमशक्ति में विनिर्माण खण्ड की भागीदारी का प्रतिशत एक दूसरा संकेतक है जो उत्तर प्रदेश के 8 प्रतिशत है लेकिन पश्चिम बंगाल, गुजरात, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में यह 11 से 16 प्रतिशत के बीच है। राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 10 प्रतिशत है।

प्रतिव्यक्ति उर्जा की खपत भी औद्योगिक विकास का संकेत माना जाता हैं उत्तर प्रदेश में प्रति घंटा प्रति व्यक्ति 191 किलोवाट की खपत 2000–01 में थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 366 किलोवाट था। लघु उद्योग का तृतीय गणना से यह स्पष्ट होता है कि मात्र 35.8 प्रतिशत इकाईयों को बिजली की आवश्यकता है जबकि 42.9 प्रतिशत इकाइयों को इसकी जरूरत नहीं है। शेष 21 प्रतिशत इकाइयों मे कोयला, तरल पेट्रोलियम गैस, तेल, जलावन एवं गैर पारम्परिक उर्जा की जरूरत होती है। इस प्रकार 64 प्रतिशत से अधिक इकाइयां पारम्परिक हैं। जो शारीरिक क्षमता एवं ठोस तरल एवं गैसीय ईंधन से चालित हैं। अतः इनका उत्पादन एवं उत्पादकता का स्तर काफी निम्न होता है। प्रदेश योजना परिव्यय भी काफी कम है जिससे पिछड़ापन दूर करने में कोई खास मदद मिलना सम्भव नहीं है। वर्ष 2002–03 में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय प्रदेश के लिए मात्र 431 रूपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि 981 रूपये हैं।

एक तरफ औद्योगिक पिछड़ापन एवं दूसरे तरफ आर्थिक मजबूती एवं मजबूत औद्योगिक आधार का विवेचना करने के पीछे मकसद यह है कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी प्रयासों को चिन्हित किया जा सके जिससे प्रदेश के औद्योगिक प्रगति की सम्भावना को मूर्त रूप देना सम्भव हो सके। यह प्रयास दसवीं योजना में औद्योगिक प्रगति के लिए उपलब्ध धन

की पर्याप्तता को समझने में सहायक हो सकती हैं साथ ही क्रियान्वयन की दृष्टि से भी यह जानना सम्भव हो सकता है कि औद्योगिक आशावाद का भविष्य कैसा होगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्यों में संतुलित विकास तथा बेरोजगारी को कम करना प्रमुख है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर बल दिया गया जिससे कि पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके । यद्यपि दसवीं योजना में उद्योग एवं खनिज के लिए प्राविधानित परिव्यय इन उद्देश्यों के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 में राज्य सरकार दसवीं योजना के उद्देश्यों को प्रमुखता से रेखांकित करता है। यह आकलन किया गया है कि 4556.14 करोड़ निवेश बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योगों में होगा जिससे 455,651 व्याक्तियों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। ज्ञापन/संकल्प पत्र को मूर्तरूप में परिवर्तित करने का दर बहुत ही कम (45.50 प्रतिशत) है।

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रीय औद्योगिक नीति :

यह उम्मीद की जाती है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रीय निवेश नीति 2004 के घोषणा से दसवीं योजना में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि होगी। यह नीति निजी क्षेत्र के भागीदारी द्वारा, ग्राम एवं लघु उद्योगो के विकास निर्यात प्रोत्साहन, अप्रवासी भारतीय को निवेश के लिए उत्प्रेरित करना एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने आदि से औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से घोषित किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाकर, प्रशासनिक ढांचा को संवदेनशील एवं जिम्मेदार बनाना विशेषकर आर्थिक सहायता के लिहाज से कर प्रणालीं के पुनर्संरचना की आवश्यकता, बड़े पैमाने पर नियंत्रण में ढील देना, उद्योग विशेष को प्रोत्साहन देना, सेवा के क्षेत्र में जानबूझ कर प्रोत्साहन देना आदि से औद्योगिक विकास में तेजी लाने की दृष्टि महत्वपूर्ण है।

तद्नुसार राज्य सरकार की रणनीति होगी कि निजी आर्थिक गतिविधियों को सम्हालना, प्रोत्साहन देना एवं औद्योगिक नीतियों का प्रारूप तैयार करना, कार्यान्वयन तथा अनुपालन करना आदि के द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना । बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में यह नीति औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कोष तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण स्थापित करना, बुनियादी ढांचा की सुविधा देना जैसे यातायात एवं परिवहन, विद्युत उर्जा, संचार, जलापूर्ति, औद्योगिक परिसम्पत्ति, भूखण्ड, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र, जैविक तकनीक अनुसंधान केन्द्र एवं गैस पाइप लाइन आदि की सुविधा बहाल करना है। साथ ही डिजाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना का भी विचार है जिसके लिए आवश्यक पहल किये जा चुके हैं। विद्युत उर्जा के विकास के लिए ब्याज रहित ऋण, आवश्यक भूखण्ड (लागत कीमत पर), 99 वर्ष के लिए लीज देना, नाम मात्र की कीमत (रू0 100 प्रति एकड़ पर) आदि का प्राविधान है। नीति में अबाधित उर्जा आपूर्ति का प्रस्ताव है जिसके अर्न्तगत औद्योगिक इकाई एवं फीडर को उर्जा आपूर्ति बाधा से मुक्त रखा जाना है। ऐसे औद्योगिक फीडर जिसमें 75% बिजली औद्योगिक इकाइयों को आपूर्ति करेगा उसे औद्योगिक फीडर की श्रेणी में परिभाषित किया गया है।

सरकार दूर संचार की व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध करायगी एवं राज्य के राजधानी में निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में बड़ा व्यापार केन्द्र की स्थापना करेगी। इसी प्रकार प्रदर्शनी बिक्री केन्द्र एवम् शहरी हाट, के विकास का प्रस्ताव है। वित्तीय अनुदान एवं छूट की व्यवस्था होगी जिसके अर्न्तगत निजी क्षेत्र को स्टाम्प ड्यूटी, निबंधन शुल्क, भूमि विनियम एवं अन्तरण शुल्क आदि में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। इसके आगे, व्यापार कर के दरों को सुसंगतित करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मौलिक इकाइयों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, ब्याज एवं वित्तीय सहायताओं का विवेकीकरण आदि उद्योगों की उन्नति के लिए उपाय अपनाए गए हैं। नियम एवं विनियमों के बारे में नीति में एकल खिड़की प्रणाली, प्रभावी सरलीकृत मजदूर कानूनों, औद्योगिक कानूनों तथा प्रदूषण कानूनों का प्रस्ताव है। अन्य कई नियमों को हटाने का भी प्रावधान है, जैसे भवन के नक्शा की स्वीकृति, जमीन अधिग्रहण, न्यनतम ट्रक भाड़ा दर, सार्वजनिक इकाइयों से निजी क्षेत्रो में निवेश का उत्तर प्रदेश वित्त निगम एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक केन्द्र द्वारा अन्तरण, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश आदि है। इसी प्रकार औद्योगिक निर्यात नीति, निर्यात केन्द्रित शहरों की विकास योजनाएं, निर्यात आयुक्त के कार्यालय का सुदृढ़ बनाना तथा भाड़े में सहायिकी आदि के लिए तरीके एवं साधन ढूढंने की व्यवस्था सुझाए गये हैं।

इस नीति में छोटे उद्योगों, हथकरधा उद्योग, खादी ग्रामोद्योग सूचना तकनीक जैविक तकनीक, सेवा क्षेत्र आदि के लिए विशेष पैकेज का प्राविधान है। सेवा के क्षेत्र के लिए विशेष प्राविधान अस्पताल का विकास, सूचना तकनीक प्रशिक्षण केन्द्र, सिनेमाघर, बहुमंजिली इमारतें, उच्च तकनीकी शहर का विकास आदि पर विशेष जोर देता है। नीति में विशेष प्राविधान है। मानव संसाधन का विकास एवं उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण प्रवासी भारतीयों का विशेष रूग्ण इकाइयों का पुर्नवास आदि का विशेष प्राविधान है।

इस प्रकार औद्योगिक नीति महत्वाकांक्षी है एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिए लगभग सभी जरूरी पहलुओं पर नए सिरे सोचने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह नीति प्रदेश सरकार की दृष्टि को स्पष्टतः उजागर करती है किन्तु जो सबसे अधिक महत्व का सवाल है कि क्या ये नीतियां लागू हो पायेंगी? एक सार्थक सीमा तक, कम से कम विभागीय स्तर पर इसके लिए बड़े प्रयत्नों, निष्ठाओं एवं लगनशीलता की आवश्यकता होगी।

<u>अल्प योजना परिव्यय :</u>

दसवीं योजना में उद्योग एवं खनिज के लिए कुल परिव्यय का मात्र 1.8 प्रतिशत (1485.76 करोड़ रूपये) का प्राविधान है। जबकि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण आदि मिलाकर लगभग 27.10 प्रतिशत (22901.9 करोड़ रूपये) हैं। इससे स्पष्ट है कि उद्योग को प्रदेश सरकार कितना महत्व देती है। पर्यावरण जैसे महत्वाकांक्षी, खण्ड के लिए मात्र 2.8 प्रतिशत (अर्थात 2355.25 करोड़ रूपये में) का प्राविधान है। अतः दसवीं योजना में उद्योग एवं खनिज को प्रथम प्राथमिकता नहीं दी गयी है। यद्यपि नवीं योजना के तुलना में 218.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

उद्योग के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय से भी घटाकर स्वीकृत परिव्यय मात्र 1262.46 करोड़ रूपये कर दिया गया जिसमें ग्राम एवं लघु उद्योग को 26.9 प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स को 8.7 प्रतिशत, खनन 1.0 प्रतिशत एवं शेष 63.4 प्रतिशत वृहत् एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए चिन्हित किया गया है। ग्रामीण एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में खादी को 6.3 प्रतिशत (80 करोड़) रेशम उद्योग के लिए 1.69 प्रतिशत, एवं हथकरधा के लिए 10.3 प्रतिशत (130.0 करोड़)।

अल्प वार्षिक आबंटन :

दसवीं योजना के प्रथम वर्ष में वार्षिक आबंटन मात्र 56.98 करोड़ रूपये (4.5 प्रतिशत) था जिसके सापेक्ष अपेक्षित खर्च केवल 54.18 करोड़ रूपये था। खादी को छोड़कर जिसमें 8.06 करोड़ के सापेक्ष अनुमानित खर्च 5.55 करोड़ था तथा खनन में 1.0 करोड़ के सापेक्ष अनुमानित खर्च 0.71 करोड़ था। शेष सभी उप खण्डों में शत प्रतिशत खर्च का अनुमान था। दूसरे वर्ष (2003–04) में प्रस्तावित आबंटन 61.06 करोड़ था। सिवाय मध्यम एवं वृहत् उद्योगों को छोड़कर सभी उपखण्डों में पिछले वर्ष की आंशिक अन्तर के साथ वैसा ही आवंटन रहा। जहां इस वर्ष आबंटन 23.0 करोड़ था तथा इलेक्ट्रानिक में आबंटन को 7.0 करोड़ से घटा कर 3.83 करोड़ रूपये कर दिया गया।

अतः दो वर्षों में उद्योग एवं खनिज खण्ड में योजना परिव्यय 118.04 करोड़ रूपये था जो कुल योजना परिव्यय का मात्र 9.3 प्रतिशत है। अतः इन दो वर्षो। की वित्तीय स्थिति को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक तीव्र विकास कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं रहा है। ऐसे मे 90.7 प्रतिशत धन को अगले तीन वर्षों में खर्च करने की उम्मीद नहीं लग रहा है।

अल्प आबंटन एवं योजना की उपेक्षाएं :

अब प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े प्रदेश में जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, इस उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौड़ में ऐसी स्थिति क्यों है ? अर्थ व्यवस्था के विशेष महत्व का यह खण्ड औद्योगिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका में प्रदेश के विकास की गति को तेज कर सकता है। लोगों के व्यावसायिक संरचना बदलने की क्षमता रखता है, तथा लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। क्या यह सम्भव है कि वर्तमान शिथिलता की स्थिति में प्रदेश की क्षेत्रीय विषमता एवं बेरोजगारी में कमी ला सके, तथा एक विश्व स्तर की बुनियादी ढांचा तैयार कर सके जिससे घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके। क्या इस गति से दसवीं योजना के औद्योगिक विकास का 12 प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्या पाया जा सकता है? स्पष्ट रूप से इसका उत्तर नकारात्मक होगा। इतनी निम्न स्तर का संसाधनों का आबंटन बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो सकेगा और न ही प्रदेश का तीव्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य की ओर ही अग्रसर हो सकेगा।

उपखण्ड – आबंटन एवं प्रदर्शन

उद्योग एवं खनिज खण्ड में निम्नलिखित उपखण्ड दसवीं योजना में शामिल किया गया है:

1. लघु उद्योग
2. खादी एवं ग्रामोद्योग

3. हथकरधा उद्योग
4. सिल्क उद्योग
5. मध्यम एवं वृहद् उद्योग
6. सूचना एवं तकनीक एवं इलेक्ट्रानिक
7. खनन

लघु उद्योग :

दसवीं योजना का कुल परिव्यय 108.15 करोड़ है जिसमें से इस उपखण्ड के 8.45 करोड़ वर्ष 2002–03, 8.0 करोड़ 2003–04 एवं प्रस्तावित 5.85 करोड़ वर्ष 2004–05 के लिए है। इस प्रकार मात्र 22.30 करोड़ रूपये प्रथम तीन वर्षों में खर्च किया जाना है। यह राशि कुल परिव्यय का मात्र 20.62 प्रतिशत है। शेष 79.38 प्रतिशत (85.85 करोड़) अगले दो वर्षों में खर्च करना है और परिव्यय पिछले तीन वर्षों में 7.43 करोड़ है और इस दर पर से मात्र 14.86 करोड़ का ही और उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार 71.0 करोड़ रूपयों का उपयोग नहीं हो सकेगा। क्या इन राशि के उपयोग का कोई विशेष योजना है? योजना मद में धनराशि के उपयोग का यही स्तर बरकरार रहा तो दसवीं योजना का इस उपखण्ड में प्रदर्शन नवी योजना से भी खराब होने की उम्मीद की जा सकती है।

दसवीं योजना में इस उपखण्ड का लक्ष्य 150,000 लघु उद्योग की इकाइयां स्थापित करना तथा 6 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है। इस का अर्थ यह हुआ कि 30,000 लघु उद्योगों की इकाइयां प्रति वर्ष स्थापित करना है एवं इससे 1,20,000 रोजगार प्रतिवर्ष सृजन करना है। उद्योग निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रथम दो वर्षों में लक्ष्य से अधिक इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है तथा क्रमशः 94 एवं 98 प्रतिशत रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 548.26 करोड़ रूपये निवेश के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। इन दो वर्षों की आधार पर भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी हैं। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस अभिक्रम में सरकारी अभिकरण का काम प्रोत्साहन देना मात्र था। सभी निवेश निजी क्षेत्र से आये है। इस दृष्टि से मूलतः यह कहा जा सकता है कि इकाइयों की स्थापना निवेश एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से यह उपखण्ड सफल रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उद्यमी विकास कार्यक्रम एवं एकल खिड़की प्रणाली दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में काफी संतोषजनक रहा है। योजना में लक्ष्यों का क्रमशः 86.6 प्रतिशत वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 प्राप्त हो सकी। उद्यमी पिकास योजना के लिए प्रथम वर्ष में लक्ष्य से अधिक (106.1 प्रतिशत) उपलब्धि रही जबकि दूसरे वर्ष में यह 93.9 प्रतिशत रहा। आश्चर्य की बात यह है कि वर्ष 2003–04 मे लक्ष्य में तीन गुणा से अधिक बढ़ोतरी हो गयी। वर्ष 2003–04 में लक्ष्य की संख्या 716 (संगठित 750) से बढ़कर 2003–04 में 2249 (संगठित क्षेत्र में 2156) कर दिया गया। इसी प्रकार 2002–03 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 29335 (31137 प्रशिक्षित) से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 104510 (98182 प्रतिशत) हो गया। यह प्रश्न उठता है कि बिना किसी अतिरिक्त धनराशि के आबंटन के यह सम्भव कैसे हो गया। साथ ही इन वृद्धि का क्या प्रभाव एवं परिणाम निकला।

यह स्पष्ट है कि लम्बी अवधि का उद्यमी विकास कार्यक्रम (मानक अवधि 6 सप्ताह का) में कमी आयी तथा छोटे अवधि का उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम अथवा उद्यमी जागरूकता परिसर में बढ़ोतरी हुई। इस तरह के कार्यक्रम लम्बी अवधि के लिए प्रभावी एवं परिणाम दायक नहीं होता है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक जनपद में एक छह सप्ताह का मानक उद्यमी विकास कार्यक्रम का आयोजन प्रति वर्ष किया जा सके तथा समुचित अनुश्रवण तथा संरक्षण सेवा द्वारा अधिकांश प्रशिक्षित उद्यमी अपना उपक्रम प्रारम्भ कर सके जिससे उद्यमी दूसरे युवकों के लिए प्रेरक बल बन सकें तथा युवा बेरोजगार नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय अपना उद्यम स्थापना को चुन सकें।

एकल खिड़की प्रणाली में 2002–03 में उपलब्धि लगभग 99.9 प्रतिशत रही एवं 2003–04 में यह 99.0 प्रतिशत क्योंकि 2003–04 प्राप्त पूर्ण आवेदन में से 20014 आवेदन 2002–03 में एवं 21758 प्राप्त आवेदन में से 21363 आवेदन पत्र 2003–04 में निस्तारित किया गया। यद्यपि एकल खिडकी प्रणाली के मूल्यांकन के लिए मात्र इतनी सी सूचना पर्याप्त नहीं है। किस उद्देश्य के लिए किस तरह की सहायता दी गयी, यह सूचना भी आवश्यक है। निस्तारण – सकारात्मक या नकारात्मक – मात्र से पता नहीं चलता कि औद्योगिक विकास में सहायता मिली या नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि लघु उद्योग उपखण्ड में संतोषजनक प्रगति हुई है। यद्यपि ये आंकड़े सम्बद्ध विभाग से उपलब्ध हुए है। जमीनी सच्चाई जानने के लिए स्वत्रंत अभिकरण द्वारा अध्ययन की आवश्यकता है। गुणवत्ता की जांच के लिए मानव शक्ति की गुणवत्ता, सूचनाओं की उपलब्धता, आंकड़े एवं संदर्भ सामग्री, ग्राहकों को दी गयी सुविधा की जानकारी, सेवा उपलब्ध कराने की तीव्रता, सुविधाओं के आयाम, सहायता की गुणवत्ता आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मात्र विभागीय भौतिक एवं वित्तीय आंकड़ों से जमीनी सच्चाई जानना कठिन प्रतीत होता है।

खादी एवं ग्रामोद्योगः

खादी एवं ग्रामोद्योग का दसवीं योजना में मुख्य उद्देश्य है : (i) बेरोजगार युवाओं के लिए टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजन करना (ii) खाली समय में सीमान्त एवं लघु किसान एवं खेतहर मजदूर को लाभदायक रोजगार प्रदान करना (iii) समूह विधि से ग्रामीण क्षेत्रों में गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देना (iv) ग्रामीण उद्योग के उत्पादों को बेचने के लिए उद्यमिता का विकास एवं (v) हाथ से निर्मित कागज उद्योगों का विकास आदि। इसके अलावा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं देकर लाभान्वित कराने के लिये खादी एवं ग्रामोद्योग पर विशेष बल दिया गया है । साथ ही समान व्यापार चिन्ह, गुणात्मक नियंत्रण, शैली विकास तथा पारम्परिक ग्रामोद्योग के लिए आधारभूत संरचना की सुविधा का विकास आदि के लिए प्रयास प्रस्तावित है।

ये सभी कार्य मात्र 80 करोड़ रूपये के योजना व्यय से सम्पादित करने का प्रस्ताव है। इस धनराशि में से वर्ष 2002–03 में 8.06 करोड़ वर्ष 2003–04 में 9 करोड़ एवं वर्ष 2004–05 में 8.0 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस प्रकार

मात्र 25 करोड़ प्रथम तीन वष्र के लिए आवंटित है जो सम्पूर्ण राशि का मात्र 31.3 प्रतिशत है। शेष 68.7 प्रतिशत व्यय अगले दो वर्षों में किया जायगा ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन प्रश्न उठता है, कैसे ? क्योंकि वर्ष 2002–03 में मात्र 5.55 करोड़ खर्च हो पाया।

लेकिन इन अल्प धनराशि से भी जो प्रगति के आंकड़े उपलब्ध हैं वे लक्ष्य के हिसाब से प्रशंसनीय है। दसवीं योजना में 25000 ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के द्वारा 2.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। इसका अर्थ यह है कि प्रति इकाई 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2002–03 में 3452 खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की जा सकी है। जिसमें 103.32 करोड़ का निवेश हो पाया। इस प्रकार औसतन निवेश प्रति इकाई 299305 रूपये हुए। ये नयी इकाइयां 30213 व्यक्तियों को अर्थात् 9 व्यक्ति प्रति इकाई रोजगार उपलब्ध करा सका है। दूसरी तरफ सितम्बर 2004 तक 2864 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें 20.46 करोड़ निवेशित है तथा 6882 व्यक्तियों को रोजगार मिले हैं। इस प्रकार प्रति इकाई 71404 रू0 निवेशित हुआ है तथा औसत 2.4 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। इस प्रकार के गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं ? कुल मिलाकर मात्र 6316 इकाइयों की स्थापना तथा 37095 व्यक्तियों को सितम्बर 2004 तक रोजगार उपलब्ध हो सका है। लक्ष्य के सापेक्ष 18684 इकाइयों की स्थापना एवं 212905 लोगों को रोजगार प्रदान करना शेष है। प्रगति के इस गति से लक्ष्य को पूरा करना असम्भव प्रतीत होता है।

अन्य योजनाएं जैसे, ब्याज सहायिकी, खादी के बिक्री पर छूट, औद्योगिक सम्भावना अध्ययन, परियोजना निर्माण एवं सर्वेक्षण, हस्त निर्मित कागज उत्पाद का विकास, रूपरेखा एवं गट्टर शैली का विकास एवं अन्य कार्य के लिए न तो कोई लक्ष्य निर्धारित है ओर न कोई आंकड़े उपलब्ध हैं जिससे उनके कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रकार विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण एवं धनराशि का आवंटन कार्य कलाप में सुधार एवं प्रगति के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। यह सर्वविदित है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पारम्परिक तौर तरीके के संचालित होता है तथा कोई विशेष नवीनता लाने के पहल का सर्वथा अभाव सा है। यद्यपि कई नवीन योजनाओं का प्रस्ताव रहता है किन्तु शायद ही क्रियान्वयन हो पाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय स्थिति भी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड न तो कुशल है और न ही प्रभावी जिससे उद्यमी ग्रामीण इलाकों से आकर्षित हो सके। साथ ही उत्पादन उपक्रम के स्थल का ग्रामीण अंचलों में होना भी प्रगति में बाधक है। कार्यकत्ताओं की उदासीनता ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि मात्र तकनीकी ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है जिससे उद्यमिता का विकास हो सके। सूचना तकनीक का बेहतर उपयोग एवं अधिकारियों के मनोवृत्ति में परिवर्तन भी जरूरी है। सम्भाव्य उद्यमियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण, एवं वर्तमान उद्यमियों का व्यावसायिक प्रबन्धन पर भी बल देने की आवश्यकता है। बैंकों से वित्तीय सहायता खादी ग्रामोद्योग की सफलता के लिए आवश्यक है अतः बैंकों के साथ पारस्परिक सम्बन्धों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

हथकरधा :

ग्रामीण लघु उद्योग खण्ड के अन्तर्गत दसवीं योजना का परिव्यय 130 करोड़ हथकरधा के लिए चिन्हित है। इनमें से 17.31 करोड़ 2002–03 में 14.50 करोड़ 2003–2004 में एवं 14.50 करोड़ वर्ष 2004–05 के लिए आवंटित किया गया है इस प्रकार केवल 46.31 करोड़ धनराशि प्रथम तीन वर्षों में आवंटित हो सका है जो कुल परिव्यय का मात्र 35.62 फीसदी है। अब यदि शेष धनराशि अगले दो वर्षों में खर्च होते हैं तो वार्षिक आवंटन में कई गुणा वृद्धि की जरूरत है इनके लिए जिन अभिक्रमों एवं प्रयत्नों की आवश्यकता है वह असम्भव सा प्रतीत होता है।

भौतिक लक्ष्य की दृष्टि से हथकरधा उपखण्ड में 5100 लाख मीटर कपड़े प्रति वर्ष उत्पादन करना है तथा 25000 रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करना हैं। इन लक्ष्यों के सापेक्ष कपड़ा उत्पादन लक्ष्यों का 97.6 प्रतिशत 2002–03 में 91 प्रतिशत 2003–04 में प्राप्त हो पाया। रोजगार सृजन की दृष्टि से लक्ष्य के सापेक्ष्य वर्ष 2002–03 में 32.7 प्रतिशत, वर्ष 2003–04 में 77.3 प्रतिशत। वर्ष 2004–05 यद्यपि इसके शत प्रतिशत उपलब्धि के लक्ष्यों को पाने का दावा किया गया है। दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में कुल परिव्यय रू0 21.925 कम हुए हैं जो कुल परिव्यय 64 करोड़ रूपये के सापेक्ष में मात्र 34.26 प्रतिशत है। जिसमें मात्र 18.81 करोड़ मात्र उपयोग किया जा सका है। अर्थात् मात्र 29.39 प्रतिशत खर्च हुआ है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों में यह बहुत ही कम है। इसके विपरीत बाजार प्रणाली के अर्न्तगत धनराशि के उपयोग का तथ्य और भी रूचिकर है। रूपये 4.5 करोड़ योजना परिव्यय के सापेक्ष प्रथम तीन वर्षों में आवंटन 8.4 करोड़ तथा खर्च 15.56 करोड़ हुआ है। अर्थात् 186.7 बढ़ोतरी। आबंटन एवं उपयोग में शायद ही कोई सम्बन्ध हो।

निदेशालय में संगणक (कम्प्यूटर) की स्थापना के संदर्भ में सहकारी समिति का पनुर्गठन, निदेशालय का सृदृढ़ीकरण, हथकरधा निगम एवं यूपीका को सहायता, इत्यादि के लिए परिव्यय का प्राविधान है किन्तु पिछले तीन वर्षों में न तो आबंटन ही हो सका है और नही उपयोग का प्रश्न ही उठा। कुछ एक मदों में जैसे – टेक्सटाइल सेन्टर की स्थापना, बुने हुए पोशाक के केन्द्र का विकास, कला एवं शिल्प का संरक्षण आदि के लिए इंगित आबंटन में से शायद ही कोई खर्च हुआ हो। अतः स्पष्ट है कि हथकरधा क्षेत्र में नियोजित विकास की प्रक्रिया अभी भी शुरू होना शेष है।

रेशम उत्पादन :

रेशम उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग है और उत्तर प्रदेश में इसकी काफी सम्भावनाएं हैं। रेशम उत्पादन विभाग में अनेक नवीन योजनाएं हैं किन्तु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका मध्यवर्ती मूल्यांकन सम्भव नहीं है। दसवीं योजना का कुल परिव्यय 21.31 करोड़ रखा गया है जिसमें से वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में 1.73 करोड़ प्रतिवर्ष आवंटित किया गया है। इस प्रकार 3.46 करोड़ कुल खर्च किया गया है, अर्थात्, मात्र 16.2 प्रतिशत खर्च किया जा सका है। शेष खर्च होने की स्थिति बहाल करने की आवश्यकता है।

बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योग :

औद्योगिक विकास के प्रमुख योजनाओं में दो एग्रो पार्क की स्थापना– लखनऊ, बाराबंकी एवं वाराणसी, सात ग्रोथ सेन्टर– झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, जैनपुर कानपुर देहात, गोरखपुर, पांच विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना– भदोही, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, प्राधिकार नोएडा एवं मुरादाबाद जनपदों में आदि है। ग्रोथ सेन्टर एवं एग्रो पार्क की प्रगति संतोषजनक है लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वैसे विशेष आर्थिक विकास स्थापना की पहल 2002 में की गयी थी और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां इसके लिए कानून 2002 पारित किया गया। मुरादाबाद के अलावा शेष सभी परियोजना के लिए अभी तक जमीन भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। एकमात्र योजना, नोएडा का निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक महत्वपूर्ण पहल है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीडा जौनपुर, सीडा गोरखपुर आदि। इसमें से नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा तो अच्छा काम कर रहा है किन्तु शेष प्राधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः आवश्यक है कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थित इन प्राधिकारों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है। यह निगम लक्ष्य एवं उपलब्ध के आधार पर अच्छा कर रहा है। वर्ष 2002–03 में 1000 एकड़ भूमि अर्जित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2038 एकड़ उपलब्धि रहा है। इसी प्रकार औद्योगिक भूमि के विकास के सम्बन्ध में भी शत प्रतिशत उपलब्धि रही है। आबंटन की दृष्टि से निगम 1923.23 एकड़ भूमि बांट चुका है। लगभग 191 इकाइयां कार्यरत हैं। 296 इकाइयों के निर्माण का काम चल रहा है। वर्ष 2003–04 में निगम 1185.70 एकड़ जमीन दखल करने में सफलता हासिल किया है। यह लक्ष्य (1100) से अधिक है जिसमें से 870 एकड़ जमीन विकसित की जा सकी है। इसी प्रकार निगम 700 एकड़ लक्ष्य के सापेक्ष, 1207 एकड़ जमीन आबंटित किया है वर्ष 2003–04 में।

यह ध्यान देने योग्य है कि दसवीं योजना का परिव्यय बड़े एवं मध्यम आकार के उद्योगों के लिए 800 करोड़ रूपये रखा गया है जिसमें से वर्ष 2002–03 में 16.9 करोड़ एवं वष्र 2003–04 के लिए 23 करोड़ आबंटित किया गया । प्रथम दो वर्षों के इस प्रकार 39.9 करोड़ मात्र आबंटित किया गया है। इस गति से आने वाले वर्षों में यह कैसे उपयोग होंगें यह एक चिन्ता का विषय है।

सूचना तकनीक एवं इलेक्ट्रोनिक्स :

दसवीं योजना में इस उद्योग के मद में 110 करोड़ परिव्यय का प्राविधान है। वर्ष 2002–03 में 7.0 करोड़ 2003–04 में 3.83 करोड़ एवं 2004–05 में 6 करोड़ रूपये मात्र आबंटित किये गये। इस प्रकार कुल आबंटन तीन वर्षों में मात्र 16.83 करोड़ हो सका। इस गति से उपयोग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में प्राविधानित परिव्यय अप्रयुक्त रह जाएगा। जबकि प्रदेश सरकार निवेश नीति 2004 में स्पष्टतः यह दावा करती है कि आम आदमी को सूचना तकनीक सुलभ कराया जायगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, नोएडा एवं आगरा में इलेक्ट्रानिक शहर का निर्माण, कानपुर

में साइबर सिटी एवं वेब सिटी, एवं ग्रेटर नोएडा में सूचना तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साफ्टवेयर तकनीक पार्क – नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं मुरादाबाद में स्थापित किए जाएंगे। नीति तो महत्वाकांक्षी है, किन्तु इन्हें अमल में लाने के लिए विशेष धनराशि की आवश्यकता होगी जिसके अभाव में इसके प्रभावी होने पर संदेह है। क्योंकि बीते तीन वर्षों की प्रगति के आधार पर अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है।

भूगर्भ एवं खाने :

इस मद में दसवीं योजना का परिव्यय 13 करोड़ रूपये की है जिसमें से वर्ष 2002–03 में मात्र 1 करोड़ एवं वर्ष 2003–04 में 1 करोड़ आबंटित किये गये हैं। इनमें से स्वीकृति राशि क्रमशः 65.01 लाख एवं 68.6 लाख था किन्तु खर्च क्रमशः 54.83 लाख एवं 68.47 लाख किया जा सका। इस प्रकार दो वर्षों में मात्र 123.3 लाख (10 प्रतिशत से कम) उपयोग हो सका है। अतः बहुत ही क्षीण आशा है कि योजना में प्राविधानित राशि खर्च हो सकेंगे।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि योजना परिव्यय उद्योग एवं खान के लिए निम्नतम है फिर भी अधिकांश विभाग उनका पूर्ण उपयोग नही कर पा रहा है। दो तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में धनराशि का उपयोग सम्भव नहीं हो सकेगा। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विभाग के दृष्टि का अभाव होना, तथा विभागों की असफलता है। इसके गहरायी में जाने की आवश्यकता है जिससे औद्योगिक पिछड़ापन के मूल कारणों को ठीक से समझा जा सके। अगर यही हालात रही तो प्रदेश का औद्योगिक विकास की सम्भावना क्षीण होती दिखेगी।

योजना परिव्यय का प्राविधान, आवंटन एवं कार्यान्वयन का तालमेल आवश्यक है। साथ ही विश्वस्त आंकड़ों का अभाव है। विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़े जमीनी सच्चाई के नजदीक है ही यह कहना कठिन है। आद्योगिक नीति की दृष्टि से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभागीय कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। साथ ही स्वतंत्र अभिकरण से नियमित आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण भी आवश्यक है।

अध्याय आठ

शहरी विकास एवं गरीबी निवारण

जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की शहरी आबादी 3.45 करोड़ है जो प्रदेश की जनसंख्या का 20.78 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या का औसत वृद्धि दर वर्ष 1991–2001 के बीच में 32.8 प्रतिशत रहा जो कुल आबादी के वृद्धि दर से अधिक था। शहरी जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2.88 था जो राष्ट्रीय शहरी आबादी के वृद्धि दर (2.75) से अधिक था। इस प्रकार प्रदेश की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक आंकलन के अनुसा 28 प्रतिशत शहरी आबादी प्रदेश की छह महानगरीय शहर में रह रही है। ये शहर हैं– कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद एवं मेरठ। इन शहरों की जनसंख्या वृद्धि दर 1999–2001 के बीच 48 प्रतिशत रही है इस प्रकार पिछले एक दशक में लगभग इन शहरों की आधी आबादी इनमें जुड़ गयी है।

जनगणना के एक दशक (1991–2001) के बीच लगभग 14.23 लाख परिवार शहरी आबादी में जुड़ गए हैं जिसमें 10.57 लाख परिवार शहरों की आबादी के स्वाभाविक वृद्धि के कारण जुड़े हैं जबकि शेष 3.6 लाख परिवार जनसंख्या के प्रब्रजन के कारण बढ़े हैं। अतः यह स्पष्ट है कि शहरी आबादी में इस प्रकार की बढ़ोत्तरी के कारण कई समस्याएं बढ़ रही होंगी जिसके लिए दसवीं योजना में विचार करना होगा। ये समस्याएं सामान्यतः रहने के लिए आवास, आधारभूत संरचना एवं वस्तुओं एवं सेवाओं के बढ़ते मांगों की हो सकती हैं। साथ ही शहरी गरीबी बेरोजगारी एवं स्वच्छ जीवन शैली की भी समस्या होगी। इन समस्याओं के निदान के लिए शहरी क्षेत्र में सुविधाओं का नियोजित विकास की जरूरत है।

स्थूलतः प्रदेश शासन के तीन विभाग हैं जो शहरी नियोजन एवं विकास का कार्य करते हैं :

(क) आवास विभाग
(ख) शहरी विकास विभाग
(ग) शहरी रोजगार एवं गरीबी निवारण विभाग

आवास विभाग

आवासीय आवश्यकता :

शहरी क्षेत्र में राज्य के अधीन आवासीय विकास की जिम्मेदारी आवास विभाग देखती है और सम्बन्धित क्रियान्वयन जैसे – जमीन अधिग्रहण, भू–खण्ड का विकास, घरों का निर्माण एवं आवंटन को कार्य राज्य आवास समिति एवं स्थानीय विकास प्रधिकरण करता है। एक आंकलन के अनुसार 2002 में लगभग 7 लाख आवासीय

इकाइयों की कमी थी एवं दसवीं योजना के अवधि (2002–07) में लगभग 9.03 लाख अतिरिक्त इकाइयों की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार इस योजना के अन्त तक लगभग 16.03 लाख प्रदेश में आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होगी।

आवासीय रणनीति :

इन आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10वीं योजना में एक रणनीति अपनाई गयी है। इस बात पर जोर दिया गया है कि जमीन का अधिग्रहण समझौता एवं सहमति के आधार पर किया जायगा एवं 12.5 प्रतिशत जमीन परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जायगा। सहमति के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम को संशोधन किया जायगा। विकास की गति को तेज करने के लिए, आधारभूत संरचना एवं भूमि विकास के लिए जमीन को इकट्ठा करने या चकबन्दी विधि अपनाया जायगा। इस कार्य के लिए निजी संगठित क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्रों को शामिल किया जायगा। इन संगठनो को यह स्पष्ट निर्देश होगा कि 35 प्रतिशत जमीन आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निम्न आमदनी समूह के लोगों के लिए होगा। शेष 65 प्रतिशत का आबंटन ये संस्थाएं अपने नियम के अनुसार कर सकते है। साथ ही राज्य खण्ड के अधीन कोई घर नहीं बनाए जाएंगें। केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं निम्न आय समूह के व्यक्तियों के लिए इस पर विचार किया जा सकता है।

इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दसवीं योजना में 16.03 लाख में से 5.6 लाख (35 प्रतिशत) आवासीय इकाइयां संगठित क्षेत्र (राज्य संस्थानिक, सहकारी समितियां एवं निजी संगठित क्षेत्र) में होंगे। इन इकाइयों के निर्माण के लिए घरों का निर्माण एवं भूखण्ड के विकास के लिए क्रमशः 70 एवं 30 हिस्सेदारी होगीं शेष 10.4 लाख आवासीय इकाइयां असंगठित क्षेत्र के द्वारा विकसित किया जायगा।

आवास लक्ष्य एवं योजना परिव्यय :

राज्य खण्ड के अधीन 36000 निम्न आय समूह भूखण्डों को विकसित करने का प्रस्ताव था जिसके लिए 300 करोड़ रूपये की आवश्यकता थी। 300 करोड़ रूपयों में से 150 करोड़ रूपये जीवन बीमा निगम एवं समूह बीमा निगम से जुटाने का था तथा शेष 150 करोड़ राज्य सरकार से प्राप्त होना था। इसी प्रकार दसवीं योजना में 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया तथा वर्ष 2002–03 के लिए 33 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। वर्ष 2003–04 में 3700 निम्न आय समूह भूखण्डों को विकसित करने का प्रस्ताव था जिसके लिए 30.5 करोड़ का प्रावधान किया गया। 30 करोड़ जीवन बीमा निगम तथा समूह बीमा निगम से तथा 50 लाख राज्य सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। दसवीं योजना में यद्यपि यह पाया गया कि स्वीकृति परिव्यय मात्र 110 करोड़ का था और प्रथम दो वर्षों में कोई धनराशि निर्गत नही कराया गया एवं अनुमानित

खर्च वर्ष 2004–05 के लिए भी शून्य है। धनराशि के निर्गत नहीं होने का कारण जीवन बीमा एवं समूह बीमा द्वारा धन उपलब्ध नही कराना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग ऋणों एवं उनके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया।

यद्यपि वार्षिक योजना 2003–04 दर्शाता था कि 230 करोड़ रूपयों का दसवीं योजना में आवास के लिए प्राविधानित था। जिसमें से 69.3 करोड़ की स्वीकृति वष्र 2003–04 के लिए मिली जिसके सापेक्ष 88.34 का अनुमानित व्यय था। फिर वर्ष 2003–04 के लिए 19 करोड़ का प्राविधान था। यद्यपि दसवीं योजना के लिए स्वीकृति धनराशि 230 करोड़ में से 105.43 करोड़ मार्च, 2004 तक इस मद में खर्च कर लिया गया। वर्ष 2004–05 में स्वीकृति परिव्यय 20.50 करोड़ था जिसमें से 3.09 करोड़ अगस्त 2004 तक उपयोग कर लिया है।

उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि योजना के दस्तावेजों में दिये गये आंकड़ें एवं विभागों द्वारा दिए गए आंकड़ों के ताल–मेल का अभाव है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के आवासीय प्रगति का मूल्यांकन करना कठिन है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन विसंगतियों के बीच दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पाना संदहेपूर्ण है। अगले दो वर्षों में इस दिशा में समुचित कदम उठाने की जरूरत है जिससे अतिरिक्त आवासीय इकाइयों का निर्माण तेजी से किया जा सके।

शहरी विकास :

इस विभाग में मुख्यतः तीन बड़ी परियोजनाएं शहरी विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत हैं :

(क) राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र
(ख) नगर विकास योजना
(ग) छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों का समन्वित विकास

राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसके तीन खण्ड हैं : (अ) राष्ट्रीय पूंजी भूभाग (ब) दिल्ली महानगरीय क्षेत्र (स) शेष राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र।

राष्ट्रीय पूंजी भू–भाग का उद्देश्य मर्यादित विस्तार करना है तथा राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र में विकास पर बल देना है। राष्ट्रहय पूंजी क्षेत्र के अधीन एक तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे– उद्योग, कार्यालय, थोक व्यापार आदि को दिल्ली से निकालकर राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र में लगाना है। दूसरी तरफ, क्षेत्रीय आधारभूत संरचना का विकास, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सुविधाओं एवं उपयोगिताओं का दिल्ली के पड़ोसी क्षेत्र में महानगर के तुलना में विकसित करना है। इस योजना के अधीन नोएडा का शहरी केन्द्र, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मोदी नगर, हापुर, पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा एवं मेरठ आदि को आच्छादित किया गया है। बरेली को भी उसी तर्ज पर पूंजी क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इस पहल

का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली महानगर का क्षेत्रीय विस्तार को नियंत्रित करना है। तथा पड़ोसी शहरी क्षेत्र को विकसित कर उन जनसंख्या को आकर्षित करना है जो दिल्ली जाना चाहते हैं।

इस राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र योजना के अर्न्तगत 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा। 1 करोड़ रूपये वर्ष 2003–04 में राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित है। आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0, यू0 पी0 पी0 सी0 एल0, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 एवं अन्य मिलकर 25 प्रतिशत के लिए अपेक्षित शेष राशि की व्यवस्था करेंगे यह अपेक्षा की गयी है। ये सभी योजनाएं केन्द्र प्रायोजित हैं तथा सम्बद्ध विभागों के पास वांछित सूचना न होन के कारण दसवीं योजना के मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका।

नगर विकास योजना :

इस योजना का उद्देश्य पार्क, ट्रांजिट होटल, असैनिक सेवा संस्थान, सामुदायिक केन्द्र आदि विकसित करना है। इस कार्य के लिए विकास प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों को धन उपलबध कराया जाता है। वर्ष 2002–03 में 4 करोड़ आबंटित था। इतनी ही राशि 2003–04 के लिए भी था। वर्ष 2004–05 के लिए 5.5 करोड़ प्रस्तावित था। वर्ष 2002–03 के लिए 50.34 करोड़ 500 अम्बेदकर अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संग्रह संस्थान एवं संग्रहालय के निर्माण एवं विकास के लिए प्राविधानित था। इसी प्रकार वर्ष 2004–05 में 10 करोड़ इन्दिरा प्रतिष्ठान के निर्माण के लिए आवंटित था। इस प्रकार नगर विकास योजना में 73.34 रूपये आवंटित किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शहर विकास योजना को कितने फौरी तौर पर लिया गया है। जबकि मात्र 4–5 करोड़ रूपये शहरों के विकास पर राज्य खर्च करता है। एक संस्थान लगभग 10 गुना वार्षिक परिव्यय का दावा करता है। क्या यह सम्भव है कि संस्था विशेष के लिए अलग से धनराशि उपलब्ध कराया जा सके। किसी एक संस्था द्वारा शहर के लिए सम्पूर्ण राशि के उपयोग को रोका जा सके।

छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों का समन्वित विकास :

यह योजना छठी पंच वर्षीय योजनाकाल में प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए समतुल्य राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार हुडको एवं वित्तीय संस्थाओं के अनुपातिक भागीदारी से शहरों के श्रेणी के हिसाब से अलग–अलग होता है। लगभग पांच लाख तक की आबादी वाला शहर इस योजना के अर्न्तगत चयनित किया जात है। जनगणना 2001 के अनुसार मार्च 2002 के अर्न्तगत 670 ऐसे शहरी केन्द्र मार्च 2002 तक थे।

उत्तर प्रदेश राज्य के 110 शहर इस योजना से आच्छादित हुए। दसवीं योजना का लक्ष्य 150 अतिरिक्त शहरों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग 71

शहरों को इस योजना का लाभ मिल पाया हैं तथा 2005 के लक्ष्य 90 शहरों के सापेक्ष 91 शहरों को यहा लाभ पहुंचाने की आशा की जा रही है।

इस परियोजना के लिए दसवीं योजना में 70 करोड़ रूपये का प्राविधान है। इसके सापेक्ष वर्ष 2002–03 में 10.58 करोड़ एवं 2003–04 में 6.75 करोड़ रूपये अवमुक्त किये गये। भारत सरकार से वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में क्रमशः 13.88 करोड़ एवं 10.92 करोड़ दिया गया। वर्ष 2004–05 में 15 करोड़ का आवंटन के सापेक्ष 3.09 लाख राज्य सरकार से सितम्बर 2004 तक एवं 3.82 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त हुए। इस प्रकार राज्य सरकार 20.42 करोड़ एवं भारत सरकार 28.62 इस परियोजना के लिए अवमुक्त किया। किन्तु स्थानीय निकायों द्वारा कितना अंशदान दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। स्थानीय निकायों का अंशदान शहरों के आकार के अनुसार 20 से 40 प्रतिशत तक होता है। धनराशि के अवमुक्त करने की दृष्टि से प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है किन्तु शहरी केन्द्र की संख्या (150) की दृष्टि से योजना परिव्यय का प्राविधान बहुत ही कम है। स्वभावतः परिणाम भी कम ही दिखेगा।

<u>शहरी रोजगार एवं गरीबी निवारण :</u>

शहरी विकास के लिए तीसरा आयाम शहरी रोजगार एवं गरीबी निवारण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीब की बेरोजगारी दूर करना एवं स्वच्छ एवं अनुकूल जीवन स्तर पाने में मदद करना है। यह कार्यक्रम राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अपने क्षेत्रीय स्तर के संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है। एक आकलन के अनुसार लगभग एक चौथई शहरी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। शहरी बेरोजगारी लगभग 4.8 प्रतिशत है जो कि ग्रामीण बेरोजगारी (3.1) से अधिक है। शहरी गरीबी एवं बेरोजगारी के समाधान के लिए दो मुख्य योजनाएं (i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एवं (ii) राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम । प्रथम योजना के लिए 60 करोड़ रूपये तथा दूसरे के लिए 2005 करोड़ रूपये का प्राविधान दसवीं योजना में है। इस प्रकार इन दो योजनाओं पर 260.5 करोड़ प्राविधानित है। यह प्राविधान नवीं योजना के प्राविधान (320 करोड़) के सापेक्ष में बहुत ही कम है। वास्तविक व्यय नवीं योजना में 254.7 करोड़ था। इस प्रकार दसवीं योजना के प्राविधान में नाममात्र की बढ़ोतरी की गयी है।

सम्पूर्ण योजना परिव्यय में से वर्ष 2002–03 के लिए 48.10 (8 करोड़ स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए एवं 40.10 करोड़ राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए) प्राविधानित किया गया। वर्ष 2003–04 के लिए इतनी ही राशि का प्राविधान था किन्तु स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना पर मात्र 5.24 करोड़ खर्च किया जा सका। जबकि दूसरी योजना पर 40.10 करोड़ खर्च किया गया । वर्ष 2004–05 के लिए प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 8 करोड़ 42.8करोड़ रखा गया। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में तीन

वर्षों का आकलन करें तो स्वीकृति राशि 24 करोड़ मात्र था जिसमें भी कुल व्यय मात्र 21 करोड़ हो सकेगा। इस प्रकार शेष 39 करोड़ अगले दो वर्षों में खर्च करने की आवश्यकता होगीं राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास योजना पर खर्च संतोषजनक कहा जा सकता है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :

इस योजना के अधीन कई उप योजनाएं शामिल हैं जैसे शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शहरी इलाकों में महिला एवं बाल विकास, बचत एवं साख समिति, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, आदि। स्वरोजगार के अर्न्तगत शहरी बेरोजगार गरीबों को बैंक से वित्तीय सहायता दिलाना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शहरी गरीबों में तकनीकी कुशलता का विकास एवं क्षमता विस्तार करना है जिससे कि वे स्वयं लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें। महिला एवं बाल विकास योजना के अर्न्तगत शहरी महिलाओं को समूहों में संगठित करने एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक समूह 1.25 लाख तक अपने परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सबसिडी (सहायिकी) प्राप्त कर सकता है। इस योजना के द्वारा बचत एवं साख समिति की स्थापना की जा सकती है जिसके अधीन 2500 रूपये तक का चक्रीय कोष प्रति 1000 रूपये की दर से मिल सकता है। इस कोष का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए समिति के समूहों द्वारा किया जा सकता है। दूसरी विशेष योजना शहरी मजदूरी रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी परिवार के श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का 60 प्रतिशत भौतिक निर्माण पर तथा 40 प्रतिशत मजदूरी के भुगतान पर खर्च करना है।

इन योजनाओं का क्रियान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा स्थानीय समुदायों की मदद से काम का सम्पादन करना है। जनपद एवं सामुदायिक स्तरों पर सांगठनिक कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव शक्ति, कोष, कार्यकारी प्राधिकार का बंटवारा, पर्याप्त प्रशिक्षण एवं पुनप्रशिक्षण सरकारी एवं सामुदायिक स्तरों के कार्यकर्त्ता को उनके कुशलता एवं ज्ञान बढ़ाने के लिए जिससे कि प्रभावी भूमिका के लिए धारणा में बदलाव सम्भव हो सके। सूचना तकनीक का प्रयोग करने की आवश्यकता है जिससे कि काम करने वालों की व्यवस्था पारदर्शी हो सके।

राष्टीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम मलिन बस्ती में रहने वालों के जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से मौलिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आवास, शिक्षा एवं जागरूकता आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 676 शहरी केन्द्रों में से केवल 88 केन्द्रों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। एक दूसरा कार्यक्रम मैला ढ़ोने के काम का अन्त करना एवं उनका पुनर्वास करना है। प्रत्यक्ष रूप से मैला ढोने के काम करने वालों एंव सूखा शौचालय

(प्रतिबन्ध) अधिनियम 1993, भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा उसे अपनाया गया है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि निश्चित अवधि के अन्दर मैला ढोने के काम से मुक्ति दिलायी जाय। इस योजना के अधीन निम्न लागत पर सफाई की व्यवस्था का निर्माण कराना तथा मैला ढ़ोने से मुक्ति पाने के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जरूरत है।

मन्तव्य :

यद्यपि समेकित प्रदर्शन, आकड़ों एवं धनराशि के खर्चे की दृष्टि से दिए गए तथ्य ये बताने में सफल नहीं है कि बीते तीन वर्षों में वस्तुतः क्या प्रगति हुई है। योजना वार वित्तीय एवं भौतिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन आसान प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि अनेक वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक वित्तीय मदद के लिए आगे आये हैं। जिससे कि आवास सुविधाओं का निजी क्षेत्रों द्वारा विस्तार हुआ है, किन्तु सार्वजनिक राज्य क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा है विशेषकर दसवीं योजना में। चूंकि इस योजना का प्रगति संतोषजनक नहीं है, एक सुसंगत अनुश्रवण कार्य विकसित करने की आवश्यकता है। नगर विकास योजना से प्रतीत होता है कि विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के बजाय व्यक्तिगत रूचि के परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है। थोड़े से धनराशि (4–5 करोड़) पूरे राज्य के लिए आवंटित होने के कारण शहरों के विकास आवश्यकता की पूर्ति बाधित हुई है। वहीं व्यक्तिगत खर्च के कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं हुई है। इन योजनाओं के आवंटन को शहर के विकास के जरूरी धनराशि से अलग होना चाहिए जिसे वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों में उत्पन्न हो रहे व्यवधान को रोका जा सके।

छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों का समेकित विकास की दृष्टि से धन का आवंटन अपर्याप्त है। शहरी रोजगार एवं गरीबी निवारण कायक्रम की जहां तक बात है प्रगति संतोषप्रद है किन्तु क्षेत्रीय स्तर के सांगठनिक स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावी क्रियान्वयन सम्भव हो सके। शहरी गरीबों के लिए चालाए जा रहे इन योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम के लिए क्रमबद्ध एवं पारदर्शी प्रयत्न की आवश्यकता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की खास विशेषता है कि यह महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संचालित है एवं यदि कमजोर वर्गों के महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सम्भव हो सका तो शहरी गरीबी निवारण में यह काफी मददगार हो सकता है।

अध्याय नौ

उत्तर प्रदेश में आधारभूत संरचना विकास

भूमिका

अधिसंरचना को विस्तृत रूप से भौतिक, सामाजिक तथा वित्तीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आर्थिक रूप से वांछित है। भौतिक अधिसंरचना में सिंचाई, उर्जा, परिवहन, दूरसंचार जलवितरण, इत्यादि।रखे जा सकते हैं, जबकि इस श्रेणी की आधारभूत संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव वाह्य अर्थव्यवस्था के लाभ के द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर होता है। यह आर्थिक विकास में, लेन–देन लागत घटाकर, एवम् निवेश, रोजगार, उत्पादन, आय तथा सहायक विकास आदि पर गुणक प्रभाव उत्पन्न करके, योगदान देता है। (घोष तथा प्रबीर डी, 2004) दूसरी तरफ, सामाजिक अधिसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन आदि सुविधा के द्वारा मानव संसाधनों को सम्वृध्द कर जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है। अन्त में वित्तीय अधिसंरचना जैसे बैंकिग क्षेत्र, डाक तथा जनसंख्या की कर–सामर्थ्य, राज्य की वित्तीय शक्ति को व्यक्त करती है। ये सभी अधिसंरचना की तीनों श्रेणियां न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्पादन तथा उपभोग बढ़ाती है। अधिसंरचना तथा आर्थिक वृद्धि के अन्तःसम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की दसवीं पंचवर्षीय योजना काल में आर्थिक विकास के लिये इन अधिसंरचनाओं का मूल्यांकन किया जाए। किन्तु हम यहां केवल आर्थिक विकास के लिये भौतिक अधिसंरचना की भूमिका तक केन्द्रित हैं। इसके अलावा उपलब्ध आंकड़ों की विवशता तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाओं पर विचार करते हुए हम भौतिक अधिसंरचना में सिंचाई, उर्जा तथा परिवहन पर प्रकाश डालेंगे।

तालिका–01 : उत्तर प्रदेश में अधिसंरचना में योजना व्यय

(रू0 लाख में)

योजना	सिंचाई	उर्जा	परिवहन	कुल योग
पहली	3290 (21)	2332 (15)	686 (4)	6308 (41)
दूसरी	2543 (11)	5675 (24)	1537 (7)	9755 (42)
तीसरी	6167 (11)	15702 (28)	2814 (5)	24683 (44)
तीसरी वार्षिक	13095 (29)	17536 (39)	1189 (3)	31820 (70)
चौथी	18447 (16)	44680 (38)	7796 (7)	70923 (61)
पांचवी	57519 (20)	110771 (38)	24666 (8)	192956 (66)
वार्षिक	22672 (27)	25047(30)	8568 (10)	56287 (67)
छठी	145771 (22)	180028 (27)	67790 (10)	393589 (60)
सातवीं	191263 (16)	301270 (25)	127818 (11)	620351 (52)
आठवीं	77237 (11)	261393 (38)	59159 (9)	397789 (58)
नवीं	241235(11)	573043 (26)	249702 (12)	1063980 (49)
दसवीं (2002–03)	383212 (13.16)	517644 (18)	420947 (14.45)	1321803 (45)
2003–04	80071 (12.14)	92763 (14.07)	105836 (16.05)	278670 (42.26)
2004–05	77610 (12.69)	103797 (16.67)	93210 (15.22)	274617 (44.84)

स्रोत : दसवीं पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार

नोट : कोष्ठक में लिखे गये आंकड़े कुल योजना व्यय का प्रतिशत हैं जो विभिन्न पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के हैं।

भौतिक अधिसंरचना की भूमिका को आर्थिक विकास के लिये ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इन तीन क्षेत्रों पर योजना के कुल व्यय का एक उचित अनुपात निवेश कर रही है। पहली योजना में 41 प्रतिशत से लेकर छठीं योजना में 60 प्रतिशत और फिर यह स्तर कुछ निम्न होकर नवीं योजना में 45 प्रतिशत रह गया (तालिका–1) जबकि पिछलें कुछ वर्षो से निवेश के तरीकों में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन आया है। एक ओर पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्र का अंश धीरे–धीरे घट रहा है तथा दूसरी ओर परिवहन क्षेत्र बढ़ रहा है। इन तीनों क्षेत्रों में वित्तीय भागीदारी को देखने पर, इनका अंश धीरे–धीरे घट रहा है। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में भी यह घट रहा है।

भाग 01

सिंचाई

अति प्राचीन समय से सिंचाई को कृषि के लिए एक परमावश्यक आदान के रूप में माना गया है। जो प्रत्यक्ष रूप से केवल पौधों के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकताओं में ही नही, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भूमिगत जल के पुनः आवेषन द्वारा भी योगदान करता है। फिर भी यह वर्षा की अनिश्चितता के विरूद्ध एक स्थायी कारक के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र को फसल उत्पादन कीं तीव्रता में सक्षम बनाने, निम्न मूल्य आवृद्धि वाली फसलों से अधिक मूल्य आवृद्धि वाली फसलों में कृषि के विविधीकरण और उत्पादकता में वृद्धि, के साथ-साथ उर्वरकों और उन्नत बीजों की मांग बढ़ाने में भी सक्षम बनाता है। इसलिए भारत जैसी बढ़ती जनसंख्या वाली अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई को एक उत्प्रेरक के रूप में माना गया है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगीकरण को देखते हुए, प्रति व्यक्ति जल प्रयोग की खपत को व्यर्थ ही नही किया गया बल्कि देश में बहुत समय से भूमिगत और स्तरीय जल की गुणवत्ता खराब हुई है (भारत सरकार 2002-07)। देश में कुछ वर्षों से शेष शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रवाहहीन है। भूमि उपलब्धता, जनसंख्या की भोजन, ईंधन, रेशेदार सामग्रीं, लकड़ी आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल और भूमि की उत्पादकता में सन्तोषजनक सुधार पर राज्य सरकार को आवश्यक ध्यान देना चाहिए। इस तरह एक तरफ विभिन्न स्त्रोतों द्वारा सिंचाई की संभाव्य क्षमता/दोहन , गरीबी, बेराजगारी और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जल संसाधनों के एकीकृत विकास के लिए प्रभावी रणनीतियों के निर्माण और सिंचाई क्षेत्र में शक्तिशाली संभाव्य क्षमता के लिए आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं कों कम करने के लिए प्रबन्ध करने चाहिए।

राज्य स्तर पर विद्यमान समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से अलग नही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में गरीबी और सम्पूर्ण वृद्धि पर सन्तोषजनक प्रभाव के लिए 5.17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की उपलब्धि का लक्ष्य है। फिर भी सिंचाई को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना गया है, जो कि कृषि में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। राज्य में शेष 168 लाख हेक्टेअर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग स्थिर है। सिंचाई के अन्य विस्तारण के अन्तर्गत सम्मिलित सहायक सिंचाई,

आधुनिकीकरण और नवीनीकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कृषि को मुख्य रूप से बहुल फसलो और उच्च उत्पादकता वाली फसलों द्वारा अनुनादी बनाया जा सकता है।

वर्ष 1966-67 में कुल सिंचित क्षेत्र 62.55 लाख हेक्टेअर से बढ़कर 1980-81 में 94.53 लाख हेक्टेअर हो गया, और 2001-02 में पुनः बढ़कर 128.28 लाख हो गया है। कुल सिंचित क्षेत्र के समानुपात से कुल फसल क्षेत्र 166-67 में 36.12 से बढ़कर 1980-81 में 54.89 हो गया, और 2001-02 में पुनः बढ़कर 73.70 प्रतिशत और 2001-02 में 76.30 प्रतिशत हो गया है। फिर भी इसके अन्तर्गत गैर – सरकारी स्त्रोतों, जैसेः निजी ट्यूबवेल, पम्पसेटों द्वारा लगभग 87.09 लाख हेक्टेअर कुल सिंचित क्षेत्र है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न स्त्रोतों द्वारा सिंचाई की अनुपातहीन वृद्धि हुई है, और इन स्त्रोतों द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक निवेश का वितरण भी अनुपातहीन रहा है। राज्य में सिंचाई के प्रतिमान और सिंचाई के कर निर्धारण के स्त्रोतगत वितरण के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है।

सम्भाव्य क्षमता का निर्माण और दोहन का विश्लेषणः

1.सिंचाई में सार्वजनिक निवेश

कुल नियोजित व्यय से यदि सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का वास्तविक व्यय अनुपात देखा जाये तो नवीं दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षो में यह लगभग स्थिर था। जबकि सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर व्यय, नवीं योजना के कुल व्यय का 12.64 प्रतिशत था तथा इसे दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 12 प्रतिशत तक ही सीमित रखा गया। राज्य में 1998-99 को छोड़कर 1997-98 से 2001-02 के दौरान लगातार सिंचाई में कुल सार्वजनिक निवेश बढ़ा है, और यही प्रवृत्ति दसवीं पंचवर्षीय योजना में पुनः दोहरायी गयी है। फिर भी नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई में सार्वजनिक निवेश 83.81 प्रतिशत तक एक बड़ा अंश रहा, और दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसे 84.45 प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति है। लघु सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में प्रबल कमी आयी है। वर्ष 1998-99 में 14.52 प्रतिशत से 1999-2000 में 1.37 और नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 8.23 प्रतिशत प्राप्त किया गया। कमाण्ड क्षेत्र विकास और बाढ़ नियन्त्रण में सार्वजनिक निवेश नवीं पंचवर्षीय योजना 8 प्रतिशत के लगभग रहा और इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8.51 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

कुल सिंचित क्षेत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया हैः लघु, मध्यम और वृहद। सिंचाई क्षेत्र के वर्गीकरण का दूसरा आधार स्त्रोतगत है, जैसेः भूमिगत जल और सतही सिंचाई। सतही सिंचाई को लघु और मध्यम सिंचाई क्षेत्र में बांटा गया है। फिर भी सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया निवेश निजी व्यक्तियों और, व्यक्तियों के समूहों से प्राप्त किया गया। राज्य में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल दोहन क्षेत्र का लगभग 69 प्रतिशत भूमिगत जल सिंचाई के अर्न्तगत रहा। जिसमें से विभिन्न स्त्रोतों (लघु, मध्यम और वृहद) से स्तरीय सिंचित क्षेत्र कुल दोहन क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत रहा (तालिका 02)। इसी तरह कुल सिंचित क्षेत्र का 71 प्रतिशत तक भूमिगत जल द्वारा सिंचाई को बढ़ाने का लक्ष्य है। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सार्वजनिक निवेश का बड़ा हिस्सा मध्यम और वृहद सिंचाई पर लगा , जिसने कुल सिंचित क्षेत्र का केवल 31 प्रतिशत सिंचित किया गया। राज्य में नहर रहित और अल्प विकसित क्षेत्रों में लघु सिंचाई के पक्ष में सार्वजनिक निवेश के विविधीकरण पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पिछले वर्षो में विभिन्न स्त्रोतों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र एक बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाता है। फिर भी

नवीं योजना और इसी भांति दसवीं योजना के प्रारम्भिक दोनों वर्षो के दौरान सम्भाव्य क्षमता और दोहन दोनों लगातार बढ़े (तालिका 03)। 1997-98 में कुल सम्भावय क्षमता निर्माण 28580.18 हजार हेक्टेअर से बढ़कर 30593.88 हजार हेक्टेअर हो गया। इसी तरह सम्भाव्य क्षमता का दोहन भी 1997-98 में 20509.20 से बढ़कर 2001-02 में 21925.82 हजार हेक्टेअर हो गया। फिर भी नवीं योजना और दसवीं योजना के प्रारम्भिक दोनों वर्षो में सम्भाव्य क्षमता का दोहन सम्भाव्य क्षमता निर्माण का लगभग 72 प्रतिशत रहा। दसवीं योजना के दौरान 75 प्रतिशत सम्भाव्य क्षमता निर्माण की प्राप्ति के लिए आगामी तीनों वर्षों में कम से कम 77 प्रतिशत सम्भाव्य क्षमता निर्माण किया जाये। सम्भाव्य क्षमता निर्माण की 8707 हजार हेक्टेअर की दूरी एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

तालिका 01

उत्तर-प्रदेश में नवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई के विभिन्न प्रकारों पर व्यय यूनिट

	प्रमुख और मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कमाण्ड क्षेत्र विकास	बाढ़ नियन्त्रण	योग
1997-98	47387	8115.52	3057.8	1140	59700.32
	(79.37)	(13.59)	(5.12)	(1.91)	(100.00)
1998-99	44840	8473.62	2514.63	2512.61	58340.86
	(76.86)	(14.52)	(4.31)	(4.31)	(100.00)
1999-2000	63416	994.49	4249.53	4087.39	72747.41
	(87.17)	(1.37)	(5.84)	(5.62)	(100..00)
2000-01	74198	5930.11	2876.96	3111.35	86116.42
	(86.16)	(6.89)	(3.34)	(3.61)	(100..00)
2001-02	71617	6102.26	2831.12	2229.94	82780.32
	(86.51)	(7.37)	(3.42)	(2.69)	(100.00)
कुल नवीं योजना (प्रचलित मू ल्य पर)	301458	29616	15530.04	13081.29	359685.33
	(83.81)	(8.23)	(4.32)	(3.64)	(100.00)
नवीं योजना (1996-97 के मूल्यों के आधार पर)	246936.81	24912.43	12914.79	10715.73	295479.76
	(83.57)	(8.23)	(4.32)	(3.34)	(100.00)
दसवीं योजना (2002-07) (स्वीकृत व्यय)	642458	53527	40000	24750	760735
	(84.45)	(7.04)	(5.26)	(3.25)	(100.00)
2002-03 (प्रत्याशित)	82481	7026	3000	3853	96360
	(85.60)	(7.29)	(3.11)	(4.00)	(100.00)
2003-04 (प्रस्तावित)	92231	6982	3000	4053	106266
	(86.79)	(6.57)	(2.82)	(3.81)	(100.00)

Source: Annual Plan Document 2004-05, Vol. II, Government of UP.

क्षमता निर्माण तथा दोहन के बीच नौ लाख हेक्टयर का पिछड़ापन होना, नीति निर्माताओं, शोधकत्ताओं तथा अन्य विचारकों के लिये चिन्ता का विषय है। क्षमता तथा दोहन के बीच पिछड़ेपन का प्रश्न केवल महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि पिछले कुछ वर्षों से

(एक वर्षीय प्रलेख) तथा राजस्व परिषद (साख्यिकी पत्रिका) से प्रकाशित है। विराधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करता है। नवीं तथा दसवीं योजना के प्रथम वर्षों में योजना प्रलेख स्पष्ट रूप से उपयोग किया हुआ नहर सिंचित क्षेत्र को बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। जबकि राजस्व परिषद गत वर्षों में नहर सिंचित क्षेत्र को घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 02

उ0 प्र0 में नवीं और दसवीं योजना के दौरान स्त्रोतगत सिंचाई

वर्ष	भूमिगत जल	स्तरीय सिंचाई	मध्यम और वृहद सिंचाई	योग
1997-98	14017.8 (68.35)	457.4 (2.23)	6034 (29.42)	20509.20 (100.000
1998-99	14373.68 (68.61)	466.4 (2.23)	6109 (29.16)	20949.08 (100.000
1999-2000	14520.6 (68.57)	471.4 (2.23)	6184 (29.200	211176.00 (100.00)
2000-01	14820.84 (68.90)	475.62 (2.21)	6215 (28.89)	21511.46 (100.00)
2001-02	15215.88 (69.40)	480.94 (2.19)	6229 (28.41)	21925.82 (100.00)
नवीं योजना	15215.88 (69.40)	480.94 (2.19)	6229 (28.01)	21925.82 (100.00)
दसवीं योजना (2002-07)	18808.38 (70.87)	501.14 (1.89)	7229 (27.24)	26538.52 (100.00)
(2002-03) प्रत्याशित	15626.38 (69.75)	487.44 (2.18)	6290.66 (28.08)	22404.48 (100.00)
2003-04 लक्ष्य	15913.38 (69.67)	494.28 (2.16)	6493.66 (28.17)	22842.32 (100.00)
2003-04 (प्रत्याशित)	16230.65 (69.67)	501.07 (2.16)	6564.66 (28.18)	23296.38 (100.00)

स्त्रोत: वार्षिक रिपोर्ट (2003-04), उत्तर. प्रदेश सरकार

तालिका 03

उ0प्र0 में सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता निर्माण और उसके दोहन की तुलना ('000 हेक्टेअर)

वर्ष	सम्भाव्य क्षमता निर्माण	सम्भाव्य क्षमता का दोहन	दोहन सम्भाव्य क्षमता के प्रतिशत के रूप में
1997-98	28580.18	20509.2	71.76
1998-99	29065.18	20949.08	72.08
1999-2000	29331.98	21176	72.19
2000-01	30087.08	21545.46	71.61
2001-02	30606.88	21959.82	71.75
नवीं योजना	30606.38	21959.82	71.75
दसवीं योजना (2002-07) लक्ष्य	35224.44	26538.52	75.34
(2002-03)	31063.73	22404.48	72.12
(2003-04) प्रत्याशित	31431.38	22842.32	72.67
(2003-04) प्रस्तावित	31915.96	23296.38	72.99

स्त्रोत: वार्षिक रिपोर्ट (2003-04), उत्तर प्रदेश सरकार।

यह स्मरण रखने योग्य है कि जलाशयों के अवसादी से अधिकाधिक क्षेत्रों में कमी आयी और इस कारण से अधिक वाष्पोत्सर्जन तथा कम जल की आपूर्ति से नहर में पिछले क्षेत्र में जल प्रयोग में कमी आयी है। जलग्रहण क्षमता, अवसादीकरण स्तर, जल आपूर्ति का आयतन और इसका अतिधकाधिक क्षेत्रों पर प्रभाव के लिये अलग विशिष्ट अध्ययन किया जा सकता है। किन्तु इस बात की शंका है कि खराब गुणों के नहर सिंचाई व्यवस्था से नहर के ऊपरी भाग में रिसाव हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों में अधिक जल का प्रयोग के कारण पिछले क्षेत्र में जल नहीं रहता है। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि अधिकारिक क्षेत्र के विकास (CAD) का हिस्सा बजट निर्धारण में कम हो रहा है। इसके सिवाय अधिकारिक क्षेत्र विकास के व्यय का एक बड़ा हिस्सा दिशा तथा प्रशासन पर खर्च होता है और यह व्यवस्थापन तथा जीर्णोद्धार के लिए कम रहा है। नब्बे के दशक में भारतीय स्तर पर यह देखा गया है कि दिशा तथा प्रशासन का हिस्सा लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इसी अवधि में व्यवस्थापन तथा मरम्मत की कीमत कुल संचालन तथा रख–रखाव में 27 प्रतिशत तक कम हो गयी है (गुलाटी, 2005)। जब तक इस अधिसंरचना की भौतिक मरम्मत न हो जाये तब तक बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना असम्भव है। इसलिए अधिकारिक क्षेत्र विकास (CAD) तथा अधिक विशेषकर नहर व्यवस्था के व्यवस्थापन तथा मरम्मत बजट के पुनः निर्धारण की आवश्यकता है।

II. अल्प निवेश विस्तार

संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि पहली योजना से ही अधिक से अधिक परियोजनाओं की शुरूआत कल प्रवृत्ति परियोजनाओं के निरर्थक प्रचुरोद्रभव की समस्या रही है। (राज्य सरकार 2002–07)। राज्य में पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में 8 परियोजना शुरू की गयी थी किन्तु यह पूर्ण नहीं हुआ। कुछ 70वें दशक के अन्त में तथा 80वें दशक के प्रारम्भ हुए लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। (भारत सरकार 2002–07) यद्यपि ऐसा महसूस किया गया कि इन परियोजनाओं के लाभ काफी अधिक थे। इसके अलावा इस समस्या का परिणाम यह रहा कि इसका व्यय कई गुना बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर पांचवी योजना में सरयू नहर का वास्तविक व्यय 78.68 करोड़ था तथा नवीं योजना के अन्त तक इसकी नवीनतम व्यय 1256 करोड़ तक बढ़ गया। इसलिए बढ़े हुए व्यय की समस्या तथा अन्य समस्याओं को कम करने के लिय यह आवश्यक है कि परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाये।

III. सिंचाई के कारण भूमि अवक्रमण :

राज्य में कृषि के विकस के लिये भूमि का अपघटित होना खारेपन तथा जल भराव के कारण एक विकट आशंका हो गयी है, किन्तु सिंचाई प्रेरित जलभराव तथा खारे पन के कारण फसल उत्पादकता में कमी अ ाती है तथा भूमि बंजन हो जाती है। राज्य योजना आयोग नह यह अनुमान लगाया है कि 74.48 लाख हेक्टेयर भूमि, जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 30.77 प्रतिशत अपघटित भूमि है। इसके अलावा भारत सरकार ने रिमोट सेंसिग प्रविधि का प्रयोग करके अनुमान लगाया कि 38.84 लाख हेक्टेयर भूमि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13.19 प्रतिशत है, अपघटित है। जबकि NRSA ने यह अनुमान लगाया कि 10.80 लाख हेक्टेयर भूमि जलभराव तथा खारेपन से प्रभावित है जो कि प्रतिवेदित क्षेत्र का 4 प्रतिशत है। इसी प्रकार राज्य योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया कि लगभग 14.03 लाख हेक्टेयर भूमि जो लगभग प्रतिवेदित क्षेत्र का 7 प्रतिशत है, जलभराव तथा खारेपन से

प्रभावित है। राज्य में वितरित है। हालांकि, खारेपन तथा जलभराव सीमा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा अलग–अलग दिये गये है किन्तु यह एक गम्भीर समस्या है इस पर सभी सहमत हैं। योजना बनाने से पूर्व भारत सरकार ने अपघटित भूमि सुधार के लिए कई गम्भीर प्रयास किये हैं। जबकि राज्य में अपघटित भूमि के सुधार का लम्बा इतिहास है। 1884 में इटावा के जिलाधीश ने 1200 हेक्टेयर खड्ड वाली भूमि का वनीकरण कियां (Dhar T.N., 2004) जबकि 1870 में रेह समिति ने राय दी कि पश्चिम की उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिक सिंचाई से होने वाले क्षेत्र के खारेपन को कम करने के लिये नहरों को गहरा होना चाहिए। जिप्सम प्रयोग 19वीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्भ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, राज्य के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में 1949 से खारेपन में सुधार के लिये राज्य ने कई महत्वपूर्ण योजनायें अपनायी हैं।

प्रमुख उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1993 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से खारी भूमि सुधार को प्रारम्भ किया। इसके अलावा इस योजना के दूसरे पक्ष को 1999 तक राज्य के प्रभावित जिलों में ऊसर भूमि सुधार के लिए बढ़ाया गया। यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 1.60 लाख हेक्टेयर भूमि का 2002–03 तक सुधार हुआ (उत्तर प्रदेश सरकार, 2003) जबकि यह अनुमान लगाया गया कि 12 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि (क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय–अम्लीय) में से केवल 1.6 लाख हेक्टेयर भूमि का सुधार हुआ है। राज्य में भविष्य के वर्षो में जब भूमि पर दबाव बढ़ रहा है ऊसर भूमि के सुधार का कार्य काफी सार्थ हैं बढ़ती हुई जनसंख्या वाले राज्य में हम भोज्य पदार्थो को सुरक्षा को भूल नहीं सकते, जब तक हम भूमि का निम्नीकरण रोक न दें।

तालिका–04 उत्तर प्रदेश में अपघटित भूमि

(लाख हेक्टेयर में)

अपघटित भूमि के प्रकार/वर्ष	NRSA (2000–01)	उ0 प्र0 शासन (2002)
भूमि अपरदन	-------	36.82
लवण प्रभावित क्षेत्र	5.81	7.63
जलभराव का क्षेत्र	4.98	7.30
दलदल क्षेत्र	0	-------
खड्डदार क्षेत्र	2.81	9.23
बिना झाड़ वाला क्षेत्र/झाड़वाला क्षेत्र	5.5	------
बालू वाला क्षेत्र	0.47	----
तटवर्ती क्षेत्र	0	13.5
ऊसर/पत्थर वाला क्षेत्र	1.18	------
Shitting Cult	0	-----
घास/चारागाह वाला क्षेत्र	0.45	------
विद्युत बागवाली फसल	0.05	------
विकृत वन का क्षेत्र	3.4	-----
बर्फस पकी भूमि	13.17	------
खड़ा दलवा क्षेत्र	0.99	------
खान वाला क्षेत्र	0.03	---
कुल अपघटित क्षेत्र	38.84	74.48
कुल भौगोलिक क्षेत्र	294.41	242.02
प्रतिवेदित क्षेत्र का प्रतिशत	13.19	30.77

स्रोत : NRSA, 2000-01 तथा उत्तर प्रदेश सरकार 2002–03

नोट : कुल भौगोलिक क्षेत्र के लिए उ0 प्र0 शासन के अनुमान से NRSA का अनुमान अलग है NRSA ने उत्तरांचल के विभाजन से पूर्व अपघटित भूमि का अनुमान लगाया। जबकि उ0 प्र0 शासन ने विभाजन के बाद आंकलन किया।

IV. जल का दुरूपयोगः

अधिकांश सिंचाई व्यवस्थाओं में जल प्रयोग सामर्थ्य बहुत कम है, लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक। जबकि यह 60–70 तक होनी चाहिए (भारत सरकार 2002–07)। पानी के प्रयोग के कम सामर्थ्य से कम उत्पादकता, जलभराव तथा खारापन होता है अधिकांश खराब सिंचाई व्यवस्थाओं से अधिक पानी का प्रयोग होता हैं। जल भराव का कोई प्रलोभन न होना भी पानी की बर्बादी को बढ़ाता है। वित्तीय जिम्मेदारी तथा प्रचलित स्वायत्तता के अभाव में, योजना के अधिकारियों का जल संरक्षण का कोई प्रलोभन नहीं होता है (राव, 2005)। इसी तरह से पानी के दाम का कम होना, जिसका जल प्रयोग से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, के कारण किसानों के पास जल की बचत का कोई प्रलोभन नहीं होता है। पानी का कम दाम भी जल की बर्बादी को बढ़ाता है। अधिकाधिक क्षेत्र में सतही सिंचाई व्यवस्था में न केवल अधकि जल का प्रयोग होता है बल्कि फसल उत्पादकता भी आधी ही रहती हे। निजी ट्युबवेल का अपेक्षा (धवन, 1988) जल स्त्रोत के अनियन्त्रित व्यवहार का होना सतही सिंचाई व्यवस्था का गुण है जो काफी हद तक सुधर सकता है यदि व्यवस्था के आधुनिकीरण के लिए योजना के स्तर पर प्रलोभन हो तथा पानी का बिखराव बड़े क्षेत्र में हो।

V. जल स्तर में गिरावट :

किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण दीघकालीन विकस के लिए भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरफ इसका संतुलित प्रयोग कृषि के विकास का बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ भूमिगत जल का अधिक या कम प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल को पम्प द्वारा खींचा जाता है वहां जल स्तर गिर जाता है। जिसके कारण कभी–कभी पानी भी प्रदूषित हो जाता है तथा भूमि भी धंस जाती है। जिन क्षेत्रों में पम्प द्वारा कम जल खींचा जाता है वहां भूमिगत जल अधिक हो जाता है तथा इससे बाढ़ तथा जलभराव हो जाता है और प्रदूषण फैलता है। (राव, 2004)। बनों के कटाव से भूमि अपरदन होता है तथा वर्षा जल भूमि में चला जाता है। इससे सिंचाई ही नही प्रभावित होती है बल्कि जल दुर्लभ हो रहा है। (राव, 2005) राज्य में, भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है। जिसका कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कृषि तथा औद्योगिक कार्यो में अधिक पम्प तथा ट्यूबवेल का प्रयोग होता है। जबकि यह आंकलन हुआ है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल स्तर, स्तर-II (80–90 फीट) तक गिरा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्तर–I (40–50 फीट) तक गिरा है। यदि बहुत अधिक प्रयत्न न किया गया तो यह स्तर–II को भी पार कर जायेगा। जलस्तर में गिरावट समाज में आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाता है। भूमिगत जल से सिंचाई, बिजली द्वारा या डीजल पम्प द्वारा होने से प्रति घंटा पम्प का मूल्य बढ़ जाता है। और फिर उससे कृषि पर और अधिक व्यय पड़ता है। जलस्तर का गिरना पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार से गम्भीर समस्या है। सर्वप्रथम, जलस्तर के गिरने को उथली नदियां बारिश के बाद सूख जाती हैं तथा कभी कभी बड़ी नदियां भी सूख जाती हैं। जिससे बाद में पीने के

द्वारा इसका अपरदन होता है तीसरा, जल की मात्रा घटने से, यह वृक्षों, घास तथा जानवरों को भी प्रभावित करता है। चौथा, अधिक भूमिगत जल निष्कर्षण से सापेक्षतः जल के गुण प्रभावित होते हैं। कभी–कभी जलस्तर गिरावट से कई समस्यायें उत्पन्न होती हैं जैसे अधिक खाद तथा कीड़े मार दवा के प्रभाव से जल दूषित हो जाता है।

राज्य चार प्रमुख आर्द्रताग्राही क्षेत्रों में बंटा है जो पूर्वी, मध्यवर्ती, पश्चिमी तथा बुन्देलखण्ड पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दो तरह की समस्यायें सामने आती हैं। पहली अधिक जलभराव की समस्या तथा मुख्य नहर अधिकाधिक क्षेत्र में कम भूमिगत जल का पम्प होना। गैर–अधिकारिक क्षेत्र तथा पिछले क्षेत्र में अधिक भूमिगत जल के प्रयोग से जल स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। मध्यवर्ती क्षेत्र के गैर अधिकारिक क्षेत्र में भूमिगत जल का पम्पीकरण बहुत अधिक है और यह हर साल बढ़ रहा है। जिससे जल स्तर घट रहा है। दूसरी तरफ सिंचाई का पानी तथा पीने के पानी कम पड़ जाता है। इसलिए अब वर्षा के जल को संरक्षित रखने की आवश्कता हैं मध्यवर्ती क्षेत्र के अधिकारिक क्षेत्र में काफी सम्पूर्ण जलभराव के क्षेत्र हैं कुछ भीगे तथा दल–दल वाले क्षेत्र हैं। निम्नीकृत भूमि की मात्रा 10 से 30 प्रतिशत तक है पर कुछ समस्या वाले गांवों में 11 से 12 प्रतिशत तक है। (राय, 2004) पश्चिमी क्षेत्र के अधिकाराक क्षेत्र काफी अधिक जलभराव की समस्या से प्रभावित है। लवणीय भूमि में सुधार से यह परती तथा लवणीय भूमि में बदल गयी है। इस क्षेत्र के गैर अधिकारिक क्षेत्र में उथले तथा गहरे ट्यूब वेल की तीव्रता अधिक है। भूमिगत जल का पम्पीकरण अधिक है। तथा संरक्षण कम है इसलिए सिंचाई तथा पीने के पानी की कमी हो रही है। जल स्तर हर साल 15 से 75 से0मी0 तक गिर रहा है और कुछ क्षेत्रों में 10–15 तक गिर गया है। और कुछ क्षेत्रों में, 10–15mbgl तक गिर गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चट्टानों, पठारों तथा गड्ढों के कारण भूमिगत जल का संरक्षण बहुत कम होता है। तथा पम्पीकरण के कारण जलस्तर में कमी आ रही है।

गत वर्षों में राज्य के कुछ हिस्सों के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है यह भूमिगत जल के अधिक प्रयोग तथा कम संरक्षण के कारण हो रहा है। भूमिगत जल स्तर के आंकड़ों के तीन समुच्चय में देखा जा सकता है। जैसे – भूमिगत जल को आयतनमापी आकड़ा, सिंचाई क्षेत्र सांख्यिकी, जलस्तर का आकड़ा। यह जलस्तर में गिरावट मापते हैं। (धवन, 1995) आयतनमापी प्रवृत्ति में, जल संग्रहण तथा जल प्रयोग की तुलना की गयी है। वृहद स्तर पर यदि सिंचाई के लिये जल का प्रयोग, जल संग्रहण से अधिक है तो भूमिगत जल कम होता जायेगा। यदि जलस्तर के बारे में सूचना लेनी हो तो जलस्तर की गहराई कुएं के चुने गये आंकलन से मापा जाता है। सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा स्टेट गाउंड वाटर डिपार्टमेंट नियमित रूप से जलस्तर को चुने गये कुआं की गहराई से मापता है। अति उपयोग की स्थिति तब पैदा होती है जब मानसून से पहले तथा बाद में कुएं का जलस्तर स्थायी रूप से बढ़ जाये। यदि क्षेत्र के अनुसार भूमिगत जल संग्रहण तथा इसके उपयोग की तुलना की जाये किसी निश्चित समय पर तो यह ज्ञात होता है कि राज्य में विभिन्न जिलों में भिन्न जलस्तर पाया जाता है।

पश्चिमी क्षेत्र में भूमिगत जल का प्रयोग सबसे अधिक फिर मध्यवर्ती तथा फिर पूर्वी क्षेत्रों में रहा है। कुछ पश्चिमी क्षेत्र के जिला जैसे बदायूं तथा बागपत कुल उपलब्ध भूमिगत जल का 90 प्रतिशत तथा 82 प्रतिशत प्रयोग करता है। इसी प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल भूमिगत जल का लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर 81 तथा 73 प्रतिशत, बाराबंकी केवल 24 प्रतिशत उपयोग करता है। कुछ जिले जैसे गोंडा तथा अम्बेदकर नगर [illegible] तथा [illegible] प्रतिशत उपयोग करता है। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में

कुशीनगर, कुल भूमिगत जल का केवल 25 प्रतिशत उपयोग करता है। जबकि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में जल का उपयोग सबसे अधिक 54 प्रतिशत तथा जालौन ने केवल 19 प्रतिशत उपयोग किया। पश्चिमी क्षेत्र में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक होता है क्योंकि यहां वर्षा कम होती हैं और नहर सिंचित क्षेत्र कम है। इसके सिवाय राज्य स्तर पर भूमिगत जल का संचय तथा उपयोग 1987–2000 तक बढ़ रहा है। जबकि राज्य में भूमिगत जल संचय का आयतनिक आकड़ा वास्तविक भूमिगत जल का घटाव तथा जानवरों के लिये इसका खतरा नहीं बता पाता है।

यह देखा गया है कि राज्य में 819 ब्लाक हैं जिसमें 559 ब्लाक में भूमिगत जल का स्तर घट रहा है। 19 ब्लाक ऐसे चिन्हित किये गये हैं यहां जलस्तर 15 मीटर तक घटा है। नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 22 ब्लाक संकटपूर्ण स्थिति में हैं तथा 53 ब्लाक अर्ध–संकटपूर्ण स्थिति में हैं। (जूरल 2003) जबकि यह अन्त नहीं है। जलस्तर के घटने बढ़ने से, उथल ट्यूबवेल, पीने के पानी के स्रोत के रूप में कम होने लगे हैं क्योंकि कृषि के लिये उपयोग किये जाते हैं। जलस्तर के नीचे गिरने से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पीने के पानी की कमी हो गयी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राज्य के 260 ब्लाक में 40 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में यह पहले से ही समस्यात्मक प्रदेश घोषित कर दिये गये हैं (टाइम्स ऑफ इंडियाए 2004)। इसके अलावा राज्य में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड (सी0 जी0 डबलू0 बी0) ने यह अनुमान लगाया है कि लगभग 19 ब्लाक अधिक शोषित हैं तथा 21 ब्लाक अंधकार में हैं।

तालिका–05 क्षेत्रवार भूमिगत जल संग्रहण स्तर का संग्रहण तथा प्रयोग 1987–2000 ('000 हैममें)

वर्ष	क्षेत्र	मध्य	पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिम	उ0प्र0
1987	सिंचाई के लिए वास्तविक चिन्हित भूमिगत जल ('000 हैम)	1428.96	2362.39	548.57	2674.61	7014.53
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल	293.26	697.27	94.68	1018.80	2104.01
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल का प्रतिशत	20.52	29.52	17.26	38.09	30.00
1990	सिंचाई के लिए वास्तविक चिन्हित भूमिगत जल ('000 हैम)	1423.96	2456.12	498.11	2516.72	6894.91
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल	482.90	882.60	100.70	1144.41	2610.61
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल का प्रतिशत	33.91	35.93	20.22	45.47	37.86
1995	सिंचाई के लिए वास्तविक चिन्हित भूमिगत जल ('000 हैम)	1422.79	2496.88	502.22	2258.14	6680.03
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल	561.08	905.09	95.07	1038.46	2599.70
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल का प्रतिशत	39.44	36.25	18.93	45.99	38.92
2000	सिंचाई के लिए वास्तविक चिन्हित भूमिगत जल ('000 हैम)	1892.89	2698.54	664.33	2774.97	8030.74
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल	1053.44	1324.24	174.04	1843.35	4395.08
	सिंचाई के लिए प्रयुक्त भूमिगत जल का प्रतिशत	55.65	49.07	26.20	66.43	54.73

राज्य में भूमिगत जल का स्तर एक निश्चित समय से स्त्रोत के अनुसार सिंचाई आंकड़ें से निर्धारित होता है। राज्य में सिंचाई की संरचना में 1970–71 से 2000–01 तक बहुत अन्तर आया है। नहर तथा तालाब का हिस्स कम हो रहा है। 1970–71 में जो 41 प्रतिशत या वह 2000–01 में 25 प्रतिशत हो गया। (तालिका–10) जबकि नहर सिंचित क्षेत्र कुछ बढ़ रहा हें तो 1970–71 में 24.23 लाख हेक्टेयर था वह 2000–01 में 27.49 लाख हेक्टेयर हो गया जबकि तालाब सिंचित क्षेत्र घट रहा है। 1970–71 में 3.6 लाख हेक्टेयर से 2000–01 में 0.67 लाख हेक्टेयर हो गया। दूसरी तरफ ट्यूबवेल द्वारा सिंचित क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। 1970–71 में 19.65 लाख हेक्टेयर से 2000–01 में 89.42 लाख बढ़ गया। दूसरी तरह से ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। कुल सिंचित क्षेत्र का यह 1970–71 में 28.70 प्रतिशत में 2000–01 में 72.11 प्रतिशत हो गया। जबकि ट्यूबवेल तथा कुंए का हिस्सा 2000–01 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 76 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सिंचाई क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि निजी निवेश में बढ़त, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत से अधिक है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र की मात्रा और इसी प्रकार शुद्ध फसल वाले क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। जबकि 2000–01 में भूमिगत जल द्वारा सिचित क्षेत्र का अंश 76 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ट्यूबवेल तथा कुंए द्वारा सिंचित क्षेत्र दोगुना हो गया है क्योंकि नहर तथा तालाब के क्षेत्र में कमी आ रही है तथा इसके कारण भूमिगत जल का प्रयोग बढ़ा है। जिससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है।

तालिका–06 उत्तर प्रदेश में स्त्रोत के अनुसार सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन

वर्ष	नहर	ट्यूबवेल	कुंआ	तालाब	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध
1970-71	24.23 (35.39)	19.65 (28.70)	18.26 (26.67)	3.60 (5.26)	2.73 (3.99)	68.47 (39.57)	173.05
1980-81	28.04 (34.41)	48.28 (59.25)	0.85 (1.04)	1.36 (1.67)	2.96 (3.63)	81.48 (47.94)	169.97
1990-91	31.93 (30.29)	65.63 (62.26)	3.70 (3.51)	1.04 (0.99)	3.12 (2.96)	105.42 (61.18)	172.32
1995-96	30.90 (26.30)	78.26 (66.62)	3.90 (3.32)	0.58 (0.49)	3.83 (3.26)	117.47 (71.18)	165.03
1996-97	30.75 (25.63)	79.92 (66.60)	4.64 (3.87)	0.99 (0.83)	3.70 (3.08)	120.00 (72.25)	166.10
1997-98	30.60 (25.47)	79.80 (66.43)	6.03 (5.02)	0.84 (0.70)	2.85 (2.37)	120.12 (71.98)	166.88
1998-99	31.08 (24.47)	87.97 (69.32)	4.58 (3.61)	0.95 (0.75)	2.33 (1.84)	126.91 (75.85)	167.32
1999-2000	29.88 (23.96)	87.00 (69.77)	4.82 (3.87)	0.82 (0.66)	2.17 (1.74)	124.70 (74.22)	168.01
2000-01	27.49 (22.17)	89.42 (72.11)	4.36 (3.52)	0.67 (0.54)	2.06 (1.66)	124.00 (73.80)	168.01

स्त्रोत : सांख्यिकी पत्रिका के कुछ आंकड़े, राज्य योजना संस्थानण उत्तर प्रदेश, सरकार
नोट : लघु कोष्ठक में दिये गये मान कुल का प्रतिशत है।

राज्य में तीसरा तथा सबसे प्रमुख तरीका जल स्तर के उपयोग को मापने का यह है कि जल स्तर आंकड़े को कुछ समय अन्तराल पर एकत्र किया जाये। जलभराव के लिए विभिन्न स्तर की पहचान की गयी है। संकटपूर्ण, अर्धसंकटपूर्ण तथा अन्य क्षेत्र जो smbgl तक हैं जो पहले विवेचित किया गया है। जब जलस्तर 5m से 10m तक भूमिस्तर से नीचे जाता है तो

वह क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा, जब जलस्तर 10m से 15m तक नीचे जाता है तो संकटपूर्ण स्थिति तथा जब 15m से नीचे जाता है तो अर्धसंकटपूर्ण स्थिति कहलाती है। (उत्तर प्रदेश सरकार, 2003)। इस परिभाषा के अनुसार, राज्य में इन तीनों प्रदेशों में, विभिन्न जल स्तर का क्षेत्र उत्तर मानसून 2000 में 3797 जलकेन्द्रों का अनुमान लगाया गया।

जबकि यह देखा गया है कि लगभग 12.74 लाख तथा 7.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, अर्ध संकटपूर्ण तथा संकटपूर्ण स्थिति में आता है जो राज्य का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र है। (तालिका–11) इसके सिवाय यह समस्या पश्चिमी क्षेत्र मे अधिक गम्भीर है और पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम है। प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभ 17 प्रतिशत, 8 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत क्रमशः पश्चिमी, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र का अर्धसंकटग्रस्त तथा संकटग्रस्त क्षेत्र है। जब तक अल्प प्रयास को गम्भीर रूप सं नहीं लिया जायेगा तो भूमि का जल स्तर और नीचे चला जायेगा जो कि राज्य में पर्यावरण को गम्भीर रूप से प्रभावित करेगा।

तालिका–7 उत्तर प्रदेश में उत्तर मानसून–2000 में विभिन्न जलस्तर के क्षेत्र

क्षेत्र	Reported Area (in lakhs hectares)	प्रतिवेदित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) जलस्तर (mbglमें)						
		0-2	2-3	3-5	5-8	8-10	10-15	>15
पूर्वी	80.77	9.81 (12.15)	12.16 (15.06)	16.31 (20.19)	20.38 (25.23)	8.77 (10.86)	7.95 (9.84)	5.39 (6.67)
मध्य	45.28	7.26 (16.03)	9.28 (20.49)	12.66 (27.96)	9.33 (20.60)	3.38 (7.46)	2.62 (5.78)	0.76 (1.68)
पश्चिमी	75.02	15.70 (20.93)	25.41 (33.87)	21.20 (28.26)	7.24 (9.65)	2.17 (2.89)	2.17 (2.89)	1.12 (1.49)
उत्तर प्रदेश	201.07	321.77 (16.30)	46.85 (23.80)	50.17 (24.95)	36.95 (18.38)	14.32 (7.12)	12.74 (6.34)	7.27 (3.62)

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार, 2004

नोट : लघु कोष्ठक में दिये गये मान कुल का प्रतिशत है।

VI- निजी सिंचाई का विकास :

सिंचाई का विकास व्यक्तिगत परिवार तथा सरकार (राज्य तथा देश) द्वारा किया जाता है। पहला निजी सिंचाई तथा दूसरा सार्वजनिक सिंचाई कहा जाता है। जबकि, निजी तथा सार्वजनिक सिंचाई मोटे तौर से भूमिगत जल, लघु सतही सिंचाई, प्रधान तथा मध्यम सिंचाई में हिस्सा लेते हैं। भूमिगत जल सिंचाई, मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक ट्यूबवेल, छोटे तथा गहरे ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। लघु सतही सिंचाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा तालाब सिंचाई के विकास से की जाती है। अन्त में, प्रधान तथा मध्यम सिंचाई (नहर सिंचाई) मुख्य रूप से सार्वजनिक स्त्रोतों के द्वारा, नदियों पर पुल बनाकर की जाती है। यह अत्यावश्यक रूप से महसूस किया गया कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सिंचाई की भूमिका राष्ट्र तथा राज्य के स्तर पर है। जबकि राज्य सरकार निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सिंचाई दोनों के विकास की प्रकृत्ति तथा प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर से दूर नहीं है।

तालिका–8 स्रोत के अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सिंचाई का अंश ('000 हेक्टेयर)

वर्ष	भूमिगत जल		सतही		प्रधान तथा मध्यम		कुल	
	निजी	राज्य	निजी	राज्य	निजी	राज्य	निजी	State
1997-98	12262 (89.12)	1496.8 (10.88)	175 (37.76)	288.4 (62.24)	0 (0.00)	6034 (100.00)	12437 (61.40)	7819.2 (38.60)
1998-99	11995 (88.89)	1505.68 (11.15)	175 (37.76)	288.4 (62.24)	0 (0.00)	6109 (100.00)	12170 (60.63)	7903.08 (39.37)
1999-2000	11548 (88.46)	1506.60 (11.54)	172 (37.36)	288.4 (62.54)	0 (0.00)	6184 (100.00)	11720 (59.50)	7979 (40.50)
2000-01	11307 (88.24)	1506.84 (11.76)	167 (36.65)	288.62 (63.35)	0 (0.00)	6215 (100.00)	11474 (58.89)	8010.46 (41.11)
2001-02	11142 (88.09)	1506.88 (11.91)	164 (36.21)	288.94 63.79)	0 (0.00)	6229 (100.00)	11306 (58.49)	8024.82 (41.51)
नवीं योजना	11142 (88.56)	1506.88 (11.44)	164 (37.16)	288.94 (62.84)	0 (0.00)	6229 (100.00)	11306 (59.80)	8024.82 (40.20)
दसवीं योजना (2001–07)	14672 (90.53)	1535.38 (9.47)	181 (38.27)	291.94 (61.73)	0 (0.00)	7229 (100.00)	14853 (62.12)	9056.32 (37.88)
अनुमानित (2002–03)	11513 (88.43)	1506.88 (11.57)	165.36 (36.29)	290.25 (63.71)	0 (0.00)	6349 (100.00)	11678.36 (58.91)	8146.13 (41.09)
लक्षित (2004–05)	11879 (88.74)	1506.88 (11.26)	166.74 (36.40)	291.29 (63.60)	0 (0.00)	6493 (100.00)	12045.74 (59.23)	8291.17 (40.77)

स्रोत : वार्षिक संख्या प्रपत्र, 2003–04 अंक –II, उत्तर प्रदेश सरकार
नोट : लघुकोष्ठक में दिये गये मान कुल का प्रतिशत है।

ऐसा अवलोकन किया गया है कि 1997–98 में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा भूमिगत जल सिंचाई क्षेत्र 12648.88 हजार हेक्टेयर था जिसमें निजी क्षेत्र ने 11142 हजार का योगदान किया जो लगभग कुल भूमिगत जल सिंचित क्षेत्र का 88 प्रतिशत था (तालिका–4) जबकि, राज्य में दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में निजी क्षेत्र का अंश भूमिगत जल सिंचाई में स्थिर रहा। इसी तरह से नवीं योजना में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सतही सिंचाई 452.94 हजार हेक्टेयर है जबकि उसमें से 164 हजार हेक्टेयर का योगदान निजी क्षेत्र का रहा जो लगभग कुल सतही सिंचित क्षेत्र का 36.21 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई, कुल सिंचाई में काफी बड़ा योगदान देती है जो केवल निजी क्षेत्र से आता है। इस तरह, जब निजी तथा सार्वजनिक सिंचाई समूह में आते हैं तो निजी सिंचाई का अंश 11306 हजार है। कुल सिंचित क्षेत्र का 58. 49 प्रतिशत है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका अंश 10वीं योजना तक 62.12 तक बढ़ जायेगा।

उत्तर हरित क्रान्ति युग में उन्नत बीजों का भारी उपयोग, खाद तथा कृषि में विभिन्नता के होने से निजी ट्यूबवेल तथा पम्प की मांग बढ़ी है। नवीं योजना के प्रारम्भ में जितने ट्यूबवेल का लक्ष्य था वास्तव में नवीं योजना के दौरान वास्तविक ट्यूबवेल का निर्माण अधिक हुआ। दूसरे शब्दों में निजी ट्यूबवेल/पम्प सेट की मांग 1997–98 से 30.56 लाख से 2001–02 में 32.84 लाख हो गयी है। कुल निजी ट्यूबवेल में से डीजल ट्यूबवेल का प्रतिशत कुल का 82.04 था जबकि बिजली वाले ट्यूबवेल का प्रतिशत नवीं योजना के अन्त में 17.96 था जोकि 2003–04 के अन्त 17.78 हो गया । जिससे एक ओर बिजली की भारी कमी, यांत्रिकी दोष तथा दूसरी तरफ डीजल वाली मशीनें अधिक सुविधाजनक थी । यह पहले अन्य अध्ययनों में पता

लगाया गया (CAG, 1982: धवन, 1982, शंकर 1982, पन्त 2004)। नवीं योजना के दौरान यह पाया गया कि डीजल पम्प की संख्या में अच्छी बढ़त हुई है।

तालिका–9 उत्तर प्रदेश में नवीं तथा दसवीं योजना के दौरान विभिन्न पम्पसेट का निर्माण

वर्ष	कुल निजी पम्पसेट/ट्यूबवेल	डीजल चलित		बिजली चलित	
		कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत
1997-98	3055542	2499008	81.79	556534	18.21
1998-99	3122224	2557819	81.92	564405	18.08
1999-2000	3150249	2582916	81.99	567333	18.01
2000-01	3214560	2644673	82.27	569887	17.73
2001-02	3284044	2700173	82.22	583871	17.78
नवीं योजना	15826619	12984589	82.04	2842030	17.96
दसवीं योजना	3866748	3255877	84.20	610871	15.80
2002–2003	3356166	2767229	82.45	588937	17.55
2003–04 अनुमानित लागल	3409645	2818500	82.66	591145	17.34
2004–2005 लक्षित	3425163	2828742	82.59	596421	17.41

स्रोत : वार्षिक योजना प्रपत्र 2004–05 अंक–II उत्तर प्रदेश, सरकार

VII सिंचाई दर :

यह देखा गया है कि राज्य में कुछ वर्षो से एक तरफ सतही सिंचाई का अंश घट रहा है और दूसरी तरफ भूमिगत जल सिंचाई बढ़ रही है। नहर सिंचाई में व्यवस्था की कमी होने से इसकी भौतिक दश बिगड़ रही है। जबकि भूमिगत जल पूरी तरह सतही सिंचाई का स्थान नहीं ले सकता लेकिन भूमिगत जल के संग्रहण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए सतही सिंचाई, सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत महत्वूपर्ण है एक अच्छी सिंचाई व्यवस्था के लिए यह एक दूसरे के पूरक है। एक तरफ प्रति हेक्टेयर निर्माण का लागत मूल्य बढ़ने से सतही सिंचाई का अंश घट रहा है तथा कुछ वर्षो से यह लगभग स्थिर है। यह अधिक लागत मूल्य की समस्या को बढ़ाता है जब हम सिंचाई के कुल व्यय में से CAD पर बजट संशोधन का समाकलन करते हैं। फिर भी, इस बात की पुनरावृत्ति होती है कि बजट निर्धारण का अंश घट रहा है तथा दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में प्रति हेक्टेयरसंचालन तथा रखरखाव खर्च बढ़ रहा है।

संचालन तथा रख – रखाव मूल्य की प्रवृत्ति तथा इसका विवरण :

संचालन तथा रख – रखाव_मूल्य प्रति हेक्टेयर हर साल बढ़ रहा है लेकिन रख रखाव के अभाव में सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो रही है। एक तरफ निर्देशन तथा संचालन का अंश, संचालन तथा रख – रखाव मूल्य का 50 प्रतिशत तक बढ रहा है तथा कुछ क्षेत्रों में रख रखाव तथा मरम्मत का अंश 30 प्रतिशत तक घट रहा है। (गुलाटी, 2005) इसका अर्थ यह है कि जलकर का प्रमुख हिस्सा रख रखाव के खर्चे को थोड़ा ही सहारा दे सकता है। संचालन तथा रख – रखाव मूल्य के अर्न्तगत निधि का विचलन. सिंचाई व्यवस्था के बने रहने के लिये उपयोगी नहीं है। इस आवश्यकता का सिंचाई व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है।

तालिका–8 स्रोत के अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सिंचाई का अंश ('000 हेक्टेयर)

वर्ष	भूमिगत जल		सतही		प्रधान तथा मध्यम		कुल	
	निजी	राज्य	निजी	राज्य	निजी	राज्य	निजी	State
1997-98	12262 (89.12)	1496.8 (10.88)	175 (37.76)	288.4 (62.24)	0 (0.00)	6034 (100.00)	12437 (61.40)	7819.2 (38.60)
1998-99	11995 (88.89)	1505.68 (11.15)	175 (37.76)	288.4 (62.24)	0 (0.00)	6109 (100.00)	12170 (60.63)	7903.08 (39.37)
1999-2000	11548 (88.46)	1506.60 (11.54)	172 (37.36)	288.4 (62.54)	0 (0.00)	6184 (100.00)	11720 (59.50)	7979 (40.50)
2000-01	11307 (88.24)	1506.84 (11.76)	167 (36.65)	288.62 (63.35)	0 (0.00)	6215 (100.00)	11474 (58.89)	8010.46 (41.11)
2001-02	11142 (88.09)	1506.88 (11.91)	164 (36.21)	288.94 63.79)	0 (0.00)	6229 (100.00)	11306 (58.49)	8024.82 (41.51)
नवीं योजना	11142 (88.56)	1506.88 (11.44)	164 (37.16)	288.94 (62.84)	0 (0.00)	6229 (100.00)	11306 (59.80)	8024.82 (40.20)
दसवीं योजना (2001–07)	14672 (90.53)	1535.38 (9.47)	181 (38.27)	291.94 (61.73)	0 (0.00)	7229 (100.00)	14853 (62.12)	9056.32 (37.88)
अनुमानित (2002–03)	11513 (88.43)	1506.88 (11.57)	165.36 (36.29)	290.25 (63.71)	0 (0.00)	6349 (100.00)	11678.36 (58.91)	8146.13 (41.09)
लक्षित (2004–05)	11879 (88.74)	1506.88 (11.26)	166.74 (36.40)	291.29 (63.60)	0 (0.00)	6493 (100.00)	12045.74 (59.23)	8291.17 (40.77)

स्रोत : वार्षिक संख्या प्रपत्र, 2003–04 अंक –II, उत्तर प्रदेश सरकार

नोट : लघुकोष्ठक में दिये गये मान कुल का प्रतिशत है।

ऐसा अवलोकन किया गया है कि 1997–98 में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा भूमिगत जल सिंचाई क्षेत्र 12648.88 हजार हेक्टेयर था जिसमें निजी क्षेत्र ने 11142 हजार का योगदान किया जो लगभग कुल भूमिगत जल सिंचित क्षेत्र का 88 प्रतिशत था (तालिका–4) जबकि, राज्य में दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में निजी क्षेत्र का अंश भूमिगत जल सिंचाई में स्थिर रहा। इसी तरह से नवीं योजना में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सतही सिंचाई 452.94 हजार हेक्टेयर है जबकि उसमें से 164 हजार हेक्टेयर का योगदान निजी क्षेत्र का रहा जो लगभग कुल सतही सिंचित क्षेत्र का 36.21 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई, कुल सिंचाई में काफी बड़ा योगदान देती है जो केवल निजी क्षेत्र से आता है। इस तरह, जब निजी तथा सार्वजनिक सिंचाई समूह में आते हैं तो निजी सिंचाई का अंश 11306 हजार है। कुल सिंचित क्षेत्र का 58.49 प्रतिशत है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसका अंश 10वीं योजना तक 62.12 तक बढ़ जायेगा।

उत्तर हरित क्रान्ति युग में उन्नत बीजों का भारी उपयोग, खाद तथा कृषि में विभिन्नता के होने से निजी ट्यूबवेल तथा पम्प की मांग बढ़ी है। नवीं योजना के प्रारम्भ में जितने ट्यूबवेल का लक्ष्य था वास्तव में नवीं योजना के दौरान वास्तविक ट्यूबवेल का निर्माण अधिक हुआ। दूसरे शब्दों में निजी ट्यूबवेल/पम्प सेट की मांग 1997–98 से 30.56 लाख से 2001–02 में 32.84 लाख हो गयी है। कुल निजी ट्यूबवेल में से डीजल ट्यूबवेल का प्रतिशत कुल का 82.04 था जबकि बिजली वाले ट्यूबवेल का प्रतिशत नवीं योजना के अन्त में 17.96 था जोकि 2003–04 के अन्त 17.78 हो गया । जिससे एक ओर बिजली की भारी कमी, यांत्रिकी दोष तथा दूसरी तरफ डीजल वाली मशीनें अधिक सुविधाजनक थी । यह पहले अन्य अध्ययनों में पता

लगाया गया (CAG, 1982: धवन, 1982, शंकर 1982, पन्त 2004)। नवीं योजना के दौरान यह पाया गया कि डीजल पम्प की संख्या में अच्छी बढ़त हुई है।

तालिका–9 उत्तर प्रदेश में नवीं तथा दसवीं योजना के दौरान विभिन्न पम्पसेट का निर्माण

वर्ष	कुल निजी पम्पसेट/ट्यूबवेल	डीजल चलित		बिजली चलित	
		कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत
1997-98	3055542	2499008	81.79	556534	18.21
1998-99	3122224	2557819	81.92	564405	18.08
1999-2000	3150249	2582916	81.99	567333	18.01
2000-01	3214560	2644673	82.27	569887	17.73
2001-02	3284044	2700173	82.22	583871	17.78
नवीं योजना	15826619	12984589	82.04	2842030	17.96
दसवीं योजना	3866748	3255877	84.20	610871	15.80
2002–2003	3356166	2767229	82.45	588937	17.55
2003–04 अनुमानित लागल	3409645	2818500	82.66	591145	17.34
2004–2005 लक्षित	3425163	2828742	82.59	596421	17.41

स्रोत : वार्षिक योजना प्रपत्र 2004–05 अंक–II उत्तर प्रदेश, सरकार

VII सिंचाई दर :

यह देखा गया है कि राज्य में कुछ वर्षो से एक तरफ सतही सिंचाई का अंश घट रहा है और दूसरी तरफ भूमिगत जल सिंचाई बढ़ रही है। नहर सिंचाई में व्यवस्था की कमी होने से इसकी भौतिक दश बिगड़ रही है। जबकि भूमिगत जल पूरी तरह सतही सिंचाई का स्थान नहीं ले सकता लेकिन भूमिगत जल के संग्रहण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए सतही सिंचाई, सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत महत्वूपर्ण है एक अच्छी सिंचाई व्यवस्था के लिए यह एक दूसरे के पूरक है। एक तरफ प्रति हेक्टेयर निर्माण का लागत मूल्य बढ़ने से सतही सिंचाई का अंश घट रहा है तथा कुछ वर्षो से यह लगभग स्थिर है। यह अधिक लागत मूल्य की समस्या को बढ़ाता है जब हम सिंचाई के कुल व्यय में से CAD पर बजट संशोधन का समाकलन करते हैं। फिर भी, इस बात की पुनरावृत्ति होती है कि बजट निर्धारण का अंश घट रहा है तथा दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में प्रति हेक्टेयरसंचालन तथा रखरखाव खर्च बढ़ रहा है।

संचालन तथा रख – रखाव मूल्य की प्रवृत्ति तथा इसका विवरण :

संचालन तथा रख – रखाव_मूल्य प्रति हेक्टेयर हर साल बढ़ रहा है लेकिन रख रखाव के अभाव में सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो रही है। एक तरफ निर्देशन तथा संचालन का अंश, संचालन तथा रख – रखाव मूल्य का 50 प्रतिशत तक बढ रहा है तथा कुछ क्षेत्रों में रख रखाव तथा मरम्मत का अंश 30 प्रतिशत तक घट रहा है। (गुलाटी, 2005) इसका अर्थ यह है कि जलकर का प्रमुख हिस्सा रख रखाव के खर्चे को थोड़ा ही सहारा दे सकता है। संचालन तथा रख – रखाव मूल्य के अर्न्तगत निधि का विचलन. सिंचाई व्यवस्था के बने रहने के लिये उपयोगी नहीं है। इस आवश्यकता का सिंचाई व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है।

जबकि एक बड़ी अधिसंरचना जैसे सिंचाई का भौतिक रख रखाव न्यायिक बजट निर्धारण पर निर्भर करता है। जबकि यह सुझाव दिया जाता है कि व्यवस्थापन तथा मरम्मत के कार्य के लिए बजट पुर्ननिर्धारण की तथा निर्देशन व संचालन के लिए खर्च घटाने की आवश्यकता है।

सिंचाई कर वसूली की रूप रेखा :

संचालन तथा रख – रखाव मूल्य के लिए सिंचाई दर द्वारा कर की वसूली बहुत भारी हो रहा है। केवल तीन राज्य ऐसे हैं जो सिंचाई दर से अपने कार्यकारी खर्चों का 20 प्रतिशत भार उठाते हैं। उड़ीसा 46 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है फिर 35 प्रतिशत महाराष्ट्र तथा पंजाब 25 प्रतिशत। अभी पंजाब ने सिंचाई दर किसानों के लिए मुक्त कर दिया था (गुलाटी तथा अन्य, 2005)। यह देखा गया है कि राष्ट्र–स्तर पर संचालन तथा रख – रखाव मूल्य का केवल 10 प्रतिशत सिंचाई दर द्वारा वसूला जाता है। यह उत्तर प्रदेश में 7.5 प्रतिशत है। इसलिए इस क्षेत्र का व्यवस्थापना, अधिकारियों के लिए अत्यन्त कठिन है।

सिंचाई दर का पुननिरीक्षण :

नहर सिंचाई दर अधिकांश राज्यों में बहुत कम है और सामान्यतः यह जोत के आकार, फसल तथा मौसम पर निर्भर करता है। (भारत सरकार, 2002–07)। सिंचाई दर का कई वर्षों से कई राज्यों में संशोधन नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु में सिंचाई दर 1962, हरियाणा 1974 से पश्चिम बंगाल 1977 से संशोधित नही हुए है। नहर सिंचाई के दर कई राज्यों में अभी भी वही हैं जो मध्य अस्सी के दशक के तय किये गये थे। जल मूल्य आज तक स्थिर है जो लगभग नगण्य है तथा वास्तविक अर्थ में यह घटे हैं। यह आश्चर्य नहीं कि संशोधित अनुपात घट रहा है।

सिंचाई दर में सुधार के कारण :

1. सिंचाई दर अधिकांशतः राजनीतिक निर्णय है।
2. सिंचाई दर नगण्य तय किये गये हैं और बहुत वर्षों से संशोधित नही हूए हैं।
3. सिंचाई दर संरचना सिंचित फसल क्षेत्र पर आधारित है न कि जल उपभोग का आयतन।
4. जल कर लगाने वाली संस्था तथा जलकर एकत्र करने वाली संस्था के बीच कठिन से सम्पर्क होना।
5. एकत्र करने वाले प्रशासन में अधिक लोगों के होने से एकत्रीकरण पर खर्च अधिक आना।

आयतनिक आधार पर जल शुल्क में सुधार ग्रहणीय तभी होगा, केवल जब स्थापित मूल्य कम हो, बेहतर सिंचाई सुविधा बेहतर तकनीकी व्यवस्था, उर्जा का विचलनए सिंचाई प्रशासन से सार्वजनिक तथा दक्ष सार्वजनिक सहभागी व्यवस्था (PIM) द्वारा लोगों का सिंचाई व्यवस्था में सहयोग होगा।

भविष्य योजना निर्देशन :

1. कुल परियोजित खर्च में से सिंचाई क्षेत्र का बजट निर्धारण का अंश राज्य में कम हो रहा है। यह पहली योजना में 21 प्रतिशत से आठवीं योजना में 11 प्रतिशत हो गया है जो कि छठीं योजना में 22 प्रतिशत एक अपवाद था। जबकि नवीं योजना में यह थोड़ा सा 13.16 प्रतिशत बढ़ा तथा दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 12 तथा 13 प्रतिशत रहा। यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के उत्पादन, रोजगार उत्पन्न करने, वेतन दर बढ़ाने तथा गरीबी घटाने में उत्प्रेरक के रूप में तथा राष्ट्र के लिए भोज्य सुरक्षा में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आने वाले वर्षों में कुल आयोजित खर्च में से सिंचाई का अंश बढ़ाने के लिए बजट सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा उपवर्गों में अन्तर क्षेत्रीय आधार पर बजट का संशोधन अन्याय पूर्ण हो रहा है।

2. सिंचाई क्षेत्र अल्प व्यय की वेदना से गजर रहा है। इसके दो तरह के तात्पर्य हैं। पहला, यह देखा गया हे कि कुल सिंचाई के बजट का 80 प्रतिशत वृहद तथा मध्यम सिंचाई निर्माण में, तथा अधिकारिक क्षेत्र विकास (CAD) पर घटकर 3 प्रतिशत हो गया है। इसलिए ऐसा संदर्भित है कि अब वर्तमान सिंचाई व्यवस्था पर खर्च करने के बजाय नयी परियोजना पर ध्यान दिया गया। दूसरा, यह देखा गया है कि मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के बजाए नयी योजनाएं प्रारम्भ की गयी थी। इसलिए पूरा लाभ पाने के लिए मौजूदा परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए ।

3. एक तरफ संचालन तथा रख – रखाव मूल्य का निर्देशन तथा प्रशासन का अंश 50 प्रतिशत तक बढ़ रहा है तथा कुछ वर्षों में व्यवस्थापन तथा मरम्मत का अंश 30 प्रतिशत तक घट रहा है। इसका अर्थ यह है कि जल शुल्क से आय, व्यवस्थापन कार्य के लिए व्यय को पूरा कर लेता है। जबकि यह सुझाव दिया जाता है कि व्यवस्थापन तथा मरम्मत के कार्य के लिए और निर्देशन तथा प्रशासन पर व्यय कम करने के लिए बजट के पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता है।

4. सिंचित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश अनुपयुक्तता है और एक तरफ व्यवस्था के प्रधान तरीके में अवमुक्त वयवस्थापन का गुण बहुत अधिक तकनीकीकृत तथा नौकरशाह है, दूसरी तरफ राजनीतिक अभिजन द्वारा सिंचाई कर वसूली कार्य का राजनीतिकरण हो गया है। यह समस्या इस बात से खड़ी होती है कि किसानों का सिंचाई सेवाओं का निर्णय करने तथा कार्यान्वियन करने में सहभागी न होना। इसलिए सरकार के स्वयं तथा चलाये गये लाभ भागी निर्माण, व्यवस्थापन, परिचालन में प्रतिमान परिवर्तन से जल क्षेत्र में काफी विकास हो सकता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को आवश्यकता है कि सहभागी सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन दें जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर केवल 15 प्रतिशत शुद्ध सिंचाई क्षेत्र आंशिक रूप से आच्छादित है। सहभागी सिंचाई प्रबन्धन की सफलता तथा अस्तित्व जल प्रयोग करने वाली संस्था तथा सिंचाई विभाग के परस्पर उत्तरदायित्व, नौकरशाही में प्रवृत्ति परिवर्तन, जल उपयोग संस्था की स्वतंत्रता, जल उपयोगी संस्था का बहुप्रकार्यात्मक प्रकृति तथा संस्थात्मक ढांचे तथा उचित वैधता के साथ, सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के लिये उचित माडल के चुनाव पर निर्भर करता है।

5. भूमिगत जल के स्त्रोत अब मानव हस्तक्षेप से प्रदूषित हो रहे हैं जैसे सीवर लाइन के रिसाव से, रसायनिक तत्वों के निष्कर्षण से, तटवर्ती क्षेत्रों में क्षारीयता प्रवेश से तथा वातावरण द्वारा आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा लौह से। यदि acquifer दूषित हो तो भूमिगत जल के गुण को पुनर्संचित करना मुश्किल है। मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए भूमिगत जल को दूषित होने से

बचाने की आवश्यकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने के लिए मूल्य प्रभावी तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता है। पुनर्संरक्षण के द्वारा भी हानिकारक तत्वों का काफी हद तक अब मिश्रण हो जाता है। राज्य में जहां पानी का अधिक अवशोषण है वहां एक मुख्य योजना की आवश्यकता है जो वर्षा के जल को फसल के लिए प्रयोग करे तथा भूमिगत जल को संरक्षित रख सके। जैसा सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने सुझाव दिया है, राज्य के नगरीय क्षेत्रों में वैसा माडल अत्यन्त आवश्यक है।

6. **सिंचाई का संयुक्त प्रयोग** – संयुक्त प्रयोग को ऐसे परिभाषित किया जाता है। सतही जल तथा भूमिगत जल से संबंन्धित स्रोत और इस तरह संबंन्धित स्रोत से प्रत्येक व्यवस्था में कमियां कम हो तथा लाभों को प्राप्त किया जा सके। नहर तथा सतही सिंचाई के संयुक्त प्रयोग के कई तरीकें है।

अ. यह परामर्श दी जाती है कि सतही तथा भूमिगत जल का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाये तथा ट्यूबबेल सिंचाई से उपयुक्त मात्रा में भूमिगत जल का प्रयोग किया जाये ताकि मानसून से पहले भूमिगत जल स्तर लगभग सतह से 10 मीटर नीचे हो उन जगहों पर जहां नहर से सिंचाई प्रायभिक रूप से होती है।

ब. सबसे अधिक फसल उत्पादन के लिए भूमिगत जल तथा सतही जल का सर्वाधिक उपयुक्त संयुक्त प्रयोग को निश्चित करना यह वर्षा, नहर जल का उपयोग तथा भूमिगत जलस्तर का आंकड़े के आकंलन के द्वारा होगा।

स. यह आवश्यक है कि नहर तथा भूमिगत जल के उपयोग को देखने के लिए दाबमापी को गांवों लगाया जाये जो जल स्तर के घटने बढ़ने को देख सके।

द. जिन क्षेत्रों में जलस्तर, भूमि सतह से 20 मीटर नीचे चला गया है यह इच्छित है कि नहर सिचांई तथा सतही व भूमिगत जल के संयुक्त प्रयोग को इस तरह प्रारम्भ किया जाये कि भूमिगत जलस्तर 10 मीटर जलस्तर से नीचे ना हो।

व. उन किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाये जिन नहर सिंचित क्षेत्र में वे भूमिगत जल का प्रयोग कर रहे है जहां नहर बन्द नहीं हुई है।

च. प्रत्येक खेतीहर को एक दाबमापी लगवाने के लिए प्रेरित किया जाये ताकि जल स्तर को देख सके। बलूई मिट्टी में सतह से 4 मीटर नीचे जल स्तर हो जब रबी की फसल बोई जाये तथा चिकनी मिट्टी में जल स्तर 6 मीटर भूमि स्तर से नीचे हो।

य. जल की कम शुद्वता का मुद्दा, कम जलदर, ऊंचा संचालन तथा रखरखाव मूल्य, व्यवस्था की जीर्णावस्था तथा सहभागी सिंचित व्यवस्थापन है। सब अन्तः सम्बिन्धित है। उथले ट्यूबवेल में वृद्धि तथा संयुक्त प्रयोग के पैकेज द्वारा इसको सुलझाने की आवश्यकता है।

भाग–दो

उर्जा : पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक उर्जा

उर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति–

किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण सूचक के रूप में उर्जा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि विकास तथा अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास के लिए इसे एक आवश्यक आधारभूत संरचना माना गया है। फिर भी, राज्य में योजना प्रक्रिया की शुरूआत से आर्थिक समृद्धि के मापन के लिए उपयुक्त सूचक के रूप में प्रति व्यक्ति खपत, विद्युन्मय ग्रामों का प्रतिशत, विद्युन्मय परिवारों का प्रतिशत (ग्रामीण तथा नगरीय दोनों)तथा विद्युत खपत प्रति औद्योगिक इकाई को रखा गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1998–99 में सम्पूर्ण भारत के औसत 359.57 किलोवाट के विपरीत राज्य की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 195.58 किलोवाट थी (उ0 प्र0 सरकार, 2002–03) प्रति व्यक्ति विद्युत खपत से सम्बन्धित चुने गये मुख्य 18 राज्यों में उत्तर प्रदेश पन्द्रहवें स्थान पर है जो राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण को भी एक मुख्य आर्थिक कारक माना जाता है। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश कुछ प्रमुख राज्यों में ग्यारहवें स्थान पर है। 1999–2000 उत्तर प्रदेश में 79 प्रतिशत गांव विद्युन्मय हैं जबकि भारत में 86.3 प्रतिशत । जबकि इस समय में (उ0 प्र0 सरकार, 2002–05) कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा सभी दक्षिणी राज्यों के गांवों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है। इसके सिवाय किसी आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक शक्ति उसने विद्युमय गांवों के विद्युन्मय परिवारों से ज्ञात होती हैं। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। नवीनतम आकड़ें यह प्रदर्शित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों में केवल 20 प्रतिशत विद्युन्मय हैं जबकि भारतीय स्तर पर 44 प्रतिशत है। (अग्रवाल एस. के. 2005) जहां गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 72 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत क्रमशः परिवार विद्युन्मय हैं। जब हम नगरीय परिवारों को देखते हैं तब भी उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारत के औसत से पीछे है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत नगरीय परिवार विद्युन्मय हैं भारतीय स्तर पर लगभग 88 प्रतिशत । (अग्रवाल एस. के. 2005) फिर भी जब हम औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान देते हैं तो समस्या की जटिलता का पता चलता है। 1984–85 में प्रति औद्योगिक इकाई, विद्युत की उपलब्धता लगभग 54,024 यूनिट थी और यह 1997–98 में 16,487,64 यूनिट तक घट गयी। (मोहन, ए. 2005) इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में उर्जा क्षेत्र में उर्जा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किये जैसे संचार तथा वितरण का विकास, ग्रामीण विद्युन्मय के लिए आवश्यक कदम, सुधार तथा आधुनिकीकरण इत्यादि। इसलिए आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए राज्य में मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि सही योजना उपलब्ध करायी जा सके।

दसवीं योजना के उद्देश्य –

उजौ क्षेत्र का उद्देश्य दक्षता तथा समता दोनों को प्राप्त करना है। इस योजना के दौरान यह उद्देश्य बनाया गया है कि संचार तथा वितरण प्रक्रिया के विकास से एक तरफ उर्जा उत्पादन की उच्च वृद्धि प्राप्त करना तथा दूसरी तरफ उर्जा का वितरण

1. उर्जा का उत्पादन (आपूर्ति) : योजना के दौरान उर्जा के लिए आपूर्ति तथा मांग के स्तर का बढ़ना। विद्युत आपूर्ति/ उत्पादन का स्तर 2001–02 में 24484.61MU से दसवीं योजना के अन्त तक 28842 MU तक बढ़ाना है। दूसरे शब्दों में दसवीं योजना में उर्जा क्षमता का बढ़ाने के लिए 4898.33 MW यौगिक क्षमता का लक्ष्य रखा गया (उत्तर प्रदेश सरकार 2004–05)।

2. सुधार तथा आधुनिकीकरण : सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाओं के द्वारा विद्यमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग।

3. निजीकरण ग्राहकी की प्रतियोगिता के द्वारा लाभ तथा सुविधायें देना, यह योजना सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सहयोग को बढ़ावा देता है जैसे : उत्पादन, संचार, वितरण, ट्रेडिंग तथा सुधार व आधुनिकीकरण (R तथा M)।

4. संचार तथा वितरण : संचार तथा वितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए शुद्धता, विश्वसनीयता तथा आपूर्ति की विशेषता को बढ़ाना तथा हानि को कम करना है।

5. कर सुधार : राजा विद्युत परिषद पर वित्तीय भार कम करने के लिए राज्य को कर सुधार की योजनाएं लागू करनी है ताकि इस क्षेत्र की वित्तीय शक्ति बढ़े।

6. उर्जा की खपत (मांग) : ग्रामीण विद्युतीकरण के फैलाव तथा ट्यूबवेल के विद्युतीकरण से खपत को बढ़ाना है तथा घरेलू, व्यवसायिक, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में संजाल व्यवस्था का विकास करना।

   (अ) ग्रामीण विद्युतीकरण : राज्य में 2001 की जनगणना में 97942 गांव थे, जो सभी गांव दसवीं योजना तक विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित थे। उत्तर प्रदेश में 3000 के लगभग एकान्तिक गांवों को विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। दसवीं योजना राष्ट्रीय विद्युत विकास एजेन्सी NEDA और उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद ने 1500 गांवों को विद्युतीकरण किया। दसवीं योजना के दौरान 100 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद ने इस योजना में लगभग 42,000 गैर विद्युतीकरण गांवों को विद्युन्मय किया।

   (ब) इस योजना का उद्देश्य इस योजना के अन्त तक उर्जा की खपत के लिए ट्यूबवेल /पम्प का विद्युतीकरण करना।

7. उर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्धन : विद्युत की शुद्ध उपयोग को प्रोत्साहन तथा उर्जा संरक्षण में मदद का कार्य मांग प्रबन्धन करता है।

8. गैर पारम्परिक उर्जा : गैर पारम्परिक उर्जा के उत्पादन तथा पुर्नउत्पादन को बढ़ाना।

   I. विद्युत निर्माण की प्रवृत्ति (पूर्ति पक्ष)

      उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र भारी कमी से गुजर रहा है आपूर्ति मांग से अधिक संकीर्ण है। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल विद्युत उत्पादन बहुत कम हो गया है।

   II. जबकि यह प्रतीत होता है कि नवीं योजना के अन्त तक प्राप्त विद्युत की आपूर्ति 2004–05 में अपेक्षाकृत कम हो गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष त 28892 मेगा यूनिट विद्युत का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे शब्दों में दसवीं योजना में उर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए 4898.33 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। (उत्तर

प्रदेश सरकार, 2004–05) जबकि केवल 2003–04 के अन्त तक केवल 22793.14 MU हो पाया तथा 2004–05 में यह लक्ष्य 23059 MU रखा गया है। इसलिए अतिरिक्त लक्ष्य के लिए कुल उत्पादन बढ़ने के बजाए घट रहा है। कुल मांग से उत्पादन का अनुपात धीरे–धीरे घट रहा है। यह नवीं योजना के दौरान 52 प्रतिशत था जो 2003–04 में 44.54 प्रतिशत हो गया। इसलिए राज्य में उत्पादन तथा आपूर्ति का अन्तराल कुछ वर्षों में धीरे–धीरे बढ़ रहा है। (तालिका–1) यह राज्य को विद्युत के आयात पर अधिक से अधिक आधारित बना रहा है। विद्युत आयात की निर्भरता नवीं योजना में लगभग 63.24 प्रतिशत मांग (औसत) से 2003–04 में 80 प्रतिशत तक बड़ी तथा 2004–05 में 67.11 प्रतिशत तक गयी है। राज्य की आयोग्यता के कारण आयात से भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। राज्य, विद्युत उत्पादन में कमी तथा मांग में बढ़त के कारण इस क्षेत्र में भारी कमी का सामना कर रहा है। इससे कमी को बढ़ावा मिलता है। नवीं योजना में यह 16.13 प्रतिशत था 2002–03 में 24 प्रतिशत हो गया तथा दसवीं योजना में 2004–05 में यह 30.3 प्रतिशत हो गया। यह देखा गया है कि राज्य को लक्ष्य प्राप्त करने में अगले दो वर्षों में अतिरिक्त 3161.5 MU उत्पादन करना होगा। दूसरे शब्दों में राज्य को 2005–06 में 26220 MU का उत्पादन तथा 2006–07 में अन्य 3161.5 MU का उत्पादन करना होगा जो 2005–06 में 26220 MU के अतिरिक्त होगा।

तालिका–1 नवीं तथा दसवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन की प्रवृत्ति (दस लाख ईकाई में)

वर्ष	विद्युत उत्पादन			आयात	आयात, उत्पादन का प्रतिशत	मोरा	कुल उत्पादन, मांग का अनुपात	घाटा	घाटा, मांग का प्रतिशत
	हाइडिल	थर्मल	कुल						
1991–1993	5428	18380	23808	14514	33.94	42761	55.68	-6336	-14.82
1993–1999	6196	18742	24938	15914	35.77	44488	56.06	-5503	-12.37
1999–2000	5297.42	18960	24257.42	39864	82.72	48192	50.33	-8328	-17.28
2000–2001	5305.78	19583	24888.78	40645	82.08	49521	50.26	-8876	-17.92
2001–02	4020.61	20464	24484.61	41838	81.69	51685	47.37	-9427	-18.24
नवीं योजना (औसत)	5250	19226	24475	30632	63.00	47329	52	-7694	-16
2002–2003	1550.18	20687	22376.70	37060	75.83	48870	45.79	-11809	-24.2
2003–2004 (अनुमानित)	2111.90	20681	22793.14	40932	80.02	51153	44.56	-10220	-20.0
2004–2005 प्रस्तावित	1759.00	21300	23059.00	42989	69.70	61681	37.38	-18692	-30.3
दसवीं योजना लक्षित	1730	27103	28842	41817	59.06	70803	40.74	-28986	49.0

नवीं योजना में कुल विद्युत उत्पादन की प्रवृत्ति उत्पादन की प्रवृत्ति दसवीं योजना के पहले दो वर्षों से बेहतर थी। जबकि हाईडिल उर्जा का उत्पादन पहले के वर्षों से लगभग 32 प्रतिशत कम हो गया है तथा 2002–03 में यह तेजी से लगभग 160 प्रतिशत गिर गया है इसके सिवाय नवीं योजना में उष्मीय उर्जा उत्पादन का वार्षिक वृद्धि 2.6 प्रतिशत तक रूपान्तरित हुई है तथा 2002–03 में 1.08 प्रतिशत तक कम हो गयी है तथा 2003–04 में –0.03 प्रतिशत विद्युत का कुल उत्पादन पहले के वर्षो से लगभग 10 प्रतिशत गिर गया है तथा अनुमानित वृद्धि दर 2003–04 में 1.83 प्रतिशत है। (तालिका–2)। दूसरी तरफ आयात की दर बढ़ी है 2002–03 को छोड़कर जबकि कमी सबसे ज्यादा थी। नवीं योजना तथा दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में विद्युत मांग की वार्षिक वृद्धि रूपान्तरित हुई है।

तालिका–2 नवीं तथा दसवीं योजना के दौरान पिछले कुछ वर्षों में विद्युत उत्पादन, आयातित का मांग में परिवर्तन

वर्ष	विद्युत उत्पादन			आयात	मोरा
	हाइडिल	थर्मल	कुल		
1999–2000	-16.96	1.15	-2.81	60.08	7.69
2000–2001	0.16	3.18	2.54	1.92	2.68
2001–2002	-31.96	4.31	-1.65	3.74	4.19
2002–2003	-159.36	1.08	-9.42	-13.93	-5.76
2003–2004	26.60	-0.03	1.83	9.46	4.46
2003–2004 (अनुमानित)	-20.06	2.91	1.15	4.78	17.07
2004–2005 लक्षित	-16.96	1.15	-2.81	60.08	7.69

2. नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण :

सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत सरकार ने विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों की उत्पादकता को पुनर्जीवित किया है। इस पुनर्वालोकन में उसने पाया कि शक्ति केन्द्रों में पूंजी की कमी, रख रखाव तथा संयन्त्रों की जीर्ण उपकरणों से समय से विस्थापन में देरी के कारण उनकी निष्पादकता खराब हुई है (उ0 प्र0 सरकार, 1992–97)। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उसने विद्यमान संयन्त्रों के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का सुझाव दिया। समझदारी के स्मार पत्रक पर उर्जा मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए जिसमें नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण को आवेश मिला जिसमें वित्त उर्जा वित्त निगम द्वारा दिया गया। त्वरित उर्जा विकास कार्यक्रम (ए0 पी0 डी0 पी0) भारत सरकार द्वारा उर्जा संस्थानों में नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण को त्वरित करने के लिए था।

जब हम नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण की वित्तीय स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में निष्पादन बहुत खराब है। कुल 2439 करोड़ रूपये का लक्ष्य पांच वर्षों के लिए रखा गया जिसका औसत 488 करोड़ रूपये था जबकि दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 159 करोड़ रूपये का ही निर्धारण हुआ (उत्तर प्रदेश, सरकार, 2004–05)।

निकाला जा सकता है कि व्यय का अनुपात 330.98 करोड रूपये निर्धारित लागत से अधिक था लेकिन यह औसत वार्षिक लागत से अधिक नहीं था। जबकि आवश्यक क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए बचे हुए 2108.02 करोड़ रूपये को दसवीं योजना के पहले दो वर्षों पर खर्च किया जा सकता है। वित्तीय निष्पादन पर आधारित, योजना के भौतिक निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण योजना को विभिन्न मुश्किलों का सामना करना होता है।

1. SEBs/utilities के खराब वित्तीय स्वास्थ्य के कारण समय से उपयुक्त निधि का न मिलना।
2. कर्ज की शर्तों का पूरा न होने से उर्जा वित्तीय निगम (पी0 एफ0 सी0) से कर्जो को मिलने में देर होना।
3. SEBs/utilities के द्वारा योजनाओं के प्रतिपादन में तथा व्यवस्था के अन्तिम रूप में कार्यात्मक देर का होना।

3. **निजीकरण :**

बढ़ते हुए औद्योगिक, बढ़ती हुई घरेलू तथा व्यावसायिक आवश्यकता के कारण कृषि क्षेत्र में गत वर्षों में खपत में वृद्धि के कारण विद्युत की मांग बढ़ी है। जबकि विद्युत की उत्पादकता की निश्चित या घटती हुई दर बढ़ते हुए घाटे का कारण है इसलिए दसवीं योजना में प्रति वर्ष घाटे का प्रतिशत बढ़ रहा है। 2002–03 में यह घाटा 15 प्रतिशत से 2004–05 में 18.43 प्रतिशत हो गया। इसलिए राज्य में विद्युत के घाटे की बढ़ोतरी को रोकने के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को आज्ञा दी गयी है। विषय केवल मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर का नहीं है बल्कि निजी क्षेत्र के अर्न्तगत वितरण सम्बन्धी अनियमितताओं, ग्रामीण विद्युतीकरण, उपभोग कर संग्रहण, जो अधिक उर्जा की चोरी, राजस्व वितरण से अधिक बकाया, आपूर्ति तथा वसूली के बीच बड़ा अन्तर, ऊँचा संचार तथा वितरण की हानि करता है। यह राज्य विद्युत बोर्ड (SEBs) के लिए बड़ी हानि को क्षतिपूर्ति करता है। इसलिए निजी क्षेत्र के सहयोग का विचार तथा राज्य में उत्पादन के क्षेत्र, संचरण, विद्युत के वितरण को विद्युत आपूर्ति की शुद्धता का विकास, समान वितरण क्रिया तथा राज्य के बढ़ते हुए कल्याण से उत्पन्न हुआ है। कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली विद्युत क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर निजीकरण अपनाया है। विभिन्न स्तरों पर सफलता तथा विफलता की कहानियां विभिन्न है।

जबकि उ0 प्र0 उर्जा पॉलिसी 2003 ने सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सहयोग को बढ़ावा दिया जैसे संचरण, वितरण, व्यापार तथा आर व एम प्रतिस्पर्धा से उपभोगता लाभ को सुविधाजनक बनाना। जबकि प्रारम्भ से वितरण व्यापार के निजीकरण पर अधिक बल दिया गया। निजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई है लेकिन परामर्शदाता निजीकरण प्रक्रिया में लगे हुए हैं। (उत्तर प्रदेश सरकार 2004–05)। जैसा निजी क्षेत्र का उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्ध है केवल चार कम्पनियां इकाई की स्थापना के लिए सहमत थी। जबकि रोजा थर्मल, विष्णु प्रयोग परियोजना दिसम्बर 2006 तक विद्युत उत्पादन करने के योग्य है जहां राज्य उसी वर्ष में 1594 MU का अंश पा सकेगा। (उ0 प्र0 सरकार 2004–05)। ऐसा माना जाता है कि निजी क्षेत्र का योगदान, निजी क्षेत्र की कमी को दूर करने के योग्य नहीं है। कुछ प्रासांगिक प्रश्न उत्पादन के क्षेत्र में, संचरण तथा वितरण में निजी सहयोग के सम्बन्ध में उठ रहें हैं। पहला, उत्पादन, संचरण तथा वितरण के क्षेत्र में सार्वजनिक समझौते से निजी स्वामित्व का प्रतिमान परिवर्तन, क्या यह वास्तव में सहायक होगा । जो अधिकांश लोगों गरीबी की रेखा के नीचे रह रहें हैं उनकी देय क्षमता में सुधार लाये बिना लक्ष्य को प्राप्त करना या दूसरे शब्दों में समाज की संरचना बदले बिना अधिकांश लोगों के भाग्य को बाजार पोषित बना

पर छोड़ देना क्या विद्युत क्षेत्र, योजना युग के प्रारम्भ से सभी अनियमितताओं से मुक्त हो सकता है। कुछ विचारकों का मत इस प्रकार है। कर का निर्धारण तथा विद्युत क्षेत्र में निजीकरण अधिकतर राजनीतिक निर्धारण होता है। जबकि यह क्षेत्र तकनीकी चालित है इसलिए सुधार की प्रक्रिया का वैचारिक तौर से निर्णय नहीं होना चाहिए। निजीकरण ही केवल हल नहीं है यह उन चुने गये क्षेत्रों में होना है जहां हम अच्छे परिणाम इस प्रक्रिया में बड़े क्षेत्र से विश्वास प्रेरित करने के लिए दिखा सकते हैं। (प्रभु 5ए 2005) । जबकि धौल एच (2005) ने अधिक आक्रमक रूप से यह प्रदर्शित किया कि उत्पादक तथा उपभोगता के बीच प्रत्यक्ष रूप से लेन देन होना चाहिए वहां हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि उन्होंने यह मत दिया कि ज्यादा निजी सहयोग के वक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि संचरण, वितरण तथा कर संरचना के निर्धारण बिना उत्पादन का मौका दिया जाता है।

4. संचरण तथा वितरण :

राष्ट्रीय स्तर पर, वर्तमान समय में संरचना तथा वितरण हानि लगभग 28 प्रतिशत अनुमान लगाया गया जबकि वास्तविक 35 से 45 प्रतिशत तक था। दिल्ली में हानि 37 प्रतिशत है। जबकि जम्मू कश्मीर में यह 56 प्रतिशत है। जबकि संचरण तथा वितरण हानि उपभोग का लगभग 40 प्रतिशत माना गया है। (फीरोदिया,ए0 2005) । संचरण तथा वितरण हानि, तकनीकी घाटे से, ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज वितरण संजाल तथा कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में बिना मीटर का संयोजन, लम्बी संचरण तथा वितरण लाइनें तथा उर्जा की चोरी द्वारा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अत्यधिक हानि के कारण की पहचान की जाये।

दसवीं योजना में संचरण क्रियाविधि :

लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना की संचरण क्रियाविधि बहुत खराब है। जबकि योजना में पहले दो वर्षों का प्रदर्शन यह बताता है कि लाइन का निर्माण 2002–03 में केवल 61 प्रतिशत 2003–04 में केवल 35 प्रतिशत प्राप्त किया गया। (तालिका–2) इसी प्रकार नये सब स्टेशन का निर्माण 2002–03 में 86 प्रतिशत तथा 2003–04 में 28 प्रतिशत प्राप्त किया।

तालिका–3 उत्तर प्रदेश में दसवीं योजना के दौरान प्रेषण यान्त्रिकी के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

मद	इकाई	2002–03			2002–04		
		उपलब्धि	प्रतिशत	उपलब्धि	प्रतिशत	उपलब्धि	प्रतिशत
A. Construction of Lines							
800 KV lines	Ckt.Km						
400 KV lines	Ckt.Km	20.99	0	0.00	40	0.00	0
220 KV lines	Ckt.Km	115	116	100.87	346	90.00	26.01
132 KV lines	Ckt.Km	177	75	42.37	596	252.00	42.28
Total		312.99	191	61.02	982	342	34.83
New Sub-Stations							
800 KV Sub-Stations	Nos	0	0		0	0.00	
400 KV Sub-Stations	Nos	0	0		1.00	0.00	0
220 Sub-stations	Nos	2	3	150.00	4.00	0.00	0
132 Sub-stations	Nos	5	3	60.00	20.00	7.00	35
Total		7	6	85.71	25	7	28

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2004–05, उत्तर प्रदेश सरकार जबकि संचरण तथा वितरण में कुछ बड़े सुधार हैं जो हानि को रोक सकते हैं।

1. भूमिगत तारों के द्वारा अवैध निकासी तथा मीटर में हेरफेर रूक सकती है।

2. 400 किलोवाट के संचरण के परिवर्तन से संचरण हानि कम हो सकती है।

3. एल्यूमिनियम तारों के स्थान पर तांबे के चालक के प्रयोग प्रतिरोधी हानियां कम हो सकती हैं।

4. कम हानि के अभ्यन्तर परिवर्तन का प्रयोग करके कोई भार हानि नियन्त्रित नहीं हो सकता तथा इसे प्रयोग के बाद बन्द कर दें।

5. शिखर घन्टों में द्रवविद्युत उर्जा को खोलकर शिखर भार उर्जा की कमी को समाप्त किया जा सकता है।

5. **कर का सुसंगतिकरण :**

यह आशा की जाती है कि विद्युत क्षेत्र सुधार को बिन्दुओं पर आधारित है पहला स्वतंत्र आयोग द्वारा तार्किक कर की संरचनाएं। दूसरा प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए राज्य विद्युत परिषद की पुर्नसंरचना जो संचरण से उत्पादन तथा वितरण को अलग करे। इस सन्दर्भ में, जनवरी 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार नियम 1999 प्रकाश में आया। जबकि इस नियम के अर्न्तगत बेहतर कर संरचना तथा विद्युत में निजी निवेश को आर्कषित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू0 पी0 एस0 ई0 बी0) को तीन निगमों में विभाजित किया जैसे – उत्तर प्रदेश थर्मल जनरेशन कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश हाइड्रो जनरेशन कारपोरेशन तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (संचरण तथा वितरण के लिए)। राज्य विद्युत नियंत्रण आयोग (एस0 ई0 आर0 सी0) की स्थापना दिसम्बर 1996 में राज्य विद्युत मंत्री सभा में सामने आया। केन्द्रीय विद्युत नियंत्रण आयोग (सी0 ई0 आर0 सी0) से यह आशा की गयी थी कि यह सभी उत्पादन तथा संचरण पर कर सभी राज्यों में तय करेगा। जबकि एस0 ई0 आर0 सी0 से यह आशा थी कि राज्य उपयोगिताओं के लाभ के लिए समान कार्य करें। विद्युत नियंत्रण आयोग कानून जो जुलाई 1998 में लागू हुआ था कि अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियन्त्रण आयोग (यू0 पी0 ई0 आर0 सी0) सितम्बर 1998 में स्थापित हुआ था तथा उत्तरवर्ती कर 2000–01 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 तक के लिए तैयार किये गये थे। (यू0 पी0 ई0 आर0 सी0) की अन्तिम रिपोर्ट में कर का निर्धारण विद्युत कानून 2003 की परिधि में मुछ मुख्य उद्देश्य बनाये गये थे। (यू0 पी0 ई0 आर0 सी0, 2004–05)

- विद्युत कर का तार्किकीकरण
- आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में योजनाओं में पारदर्शिता
- कुल आर्थिक सहायता के तत्व का धीरे–धीरे समाप्त होना
- उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन
- उपभोक्ताओं के लाभ तथा विद्युत की आपूर्ति की सुरक्षा

जो राजस्व बिक्री से प्राप्त होता है वह आपूर्ति के लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त होना चाहिए यह किसी उद्योग के स्वास्थ्य की शर्त है। (कानून, एवं अन्य, 2002)। विद्युत क्षेत्र में कार्यान्वित राजस्व की तुलना उसकी लागत से करने पर उ0

प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड की दयनीय वित्तीय स्थित पर प्रकाश डालता है जो कि सुधार की फरियाद तथा मांग का समर्थन करता है।

यदि हम कर मूल्य अनुपात को देखे तो चित्र और भी स्पष्ट हो जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर 1974–75 में कर मूल्य अनुपात 83.4 प्रतिशत था, 1980–81 में 77 प्रतिशत तक गिर गया। फिर 1990–91 में 75 प्रतिशत तक गिर गया तथा 1997–98 में थोड़ा 81 प्रतिशत तक सुधर गया। (कानून, 2002)। इसका अर्थ यह है कि सभी क्षेत्रों से राज्य विद्युत बोर्ड कर द्वारा विद्युत के मूल्य का 81 प्रतिशत एकत्र करने के योग्य है। उत्तर प्रदेश का दृश्य लेख राष्ट्रीय स्तर से भिन्न नही है। यू0 पी0 सी0 एल0 की कुल हानि बिना आर्थिक सहायता तथा सहायता के बढ़ रही है क्योंकि अधिक मूल्य की लागत तथा उर्जा की आपूर्ति में कम राजस्व की प्राप्ति होती है। (तालिका–4) जबकि यह कहा जा सकता है कि अधिक व्यवसायिक हानि कई कारणों से होती है। जैसे अधिक उर्जा की चोरी, राजस्व एकत्रीकरण में बड़े बकाये, आपूर्ति के मूल्य तथा वसूली में अन्तर, अधिक प्रेषण तथा वितरण हानि । बेहतर योजना तथा परिप्रेक्ष्य के लिए यह अधिक पारदर्शी हो सकता है। जब कि आपूर्ति के मूल्य तथा वसूली की क्षेत्रवार तुलना करें।

तालिका–4 उत्तर प्रदेश उर्जा निगम की व्यावसायिक हानि

(रूपये करोड़ में)

र्ष	राजस्व वसूली			आपर्ति में लागत मूल्य					हानि आर्थिक सहायता के साथ	हानि आर्थिक सहायता के बिना
	राजस्व	आर्थिक सहायता	कुल	विद्युत क्रय	आर व एच	एल या जी	ऋण सेवा	कुल		
2000-01	5241	280	5521	5855	186	1023	553	7617	2096	2376
2001-02	5098	902	6000	6417	206	1027	594	8244	2244	3146
2002-03	5452	826	6278	6162	200	980	216	7558	1280	2106

ऊँचे स्तर के तकनीकी तथा व्यावसायिक हानि तथा कृषक व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की घटती हुई बिक्री के कारण राज्य विद्युत बोर्ड का वित्तीय स्वास्थ्य गिर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1997–98 में श्रेणीवार औसत का आकलन बताता है कि कृषि क्षेत्र सबसे कम योगदान 27.7 पैसा/इकाई तथा घरेलू में 134 पैसा/इकाई, व्यावसायिक में 333 पैसा/इकाई तथा उद्योग में 285 पैसा/इकाई तथा औसत 180 पैसा/इकाई है। औसत कर मूल्य अनुपात बताता है कि कृषि सबसे कम 12 प्रतिशत, घरेलू 59 प्रतिशत, उद्योग 125 प्रतिशत तथा व्यावसायिक 146 प्रतिशत अदा करता है। (कानून एवं अन्य, 2002) जबकि उत्तर प्रदेश का परिदृश्य भारत के स्तर से अधिक बुरा है। घरेलू, ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र, विद्युत की आपूर्ति के मूल्य का केवल 27 प्रतिशत योगदान देता है जबकि व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र लागत मूल्य से अधिक योगदान करता है। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण घेरलू में सबसे अधिक हानियां निहित हैं तथा कृषि क्षेत्र, बड़े उद्योग, नगरीय

तालिका–5 उत्तर प्रदेश में 2003–04 के दौरान क्षेत्रवार हानि तथा लाभ

श्रेणी	आपूर्ति का मूल्य (रू0 इकाई)	औसत कर दर (रू0 इकाई)	उर्जा बिक्री MU	हानि (रूपये करोड़ में)	लाभ (रूपये करोड़ में)
घरेलू (ग्रामीण)	4.05	1.1	4394	1296.23	
अधिक भार के लिए एक बिन्दु	4.05	3.01	20	2.08	
अन्य मापित घरेलू उपभोगता	4.05	2.8	6998	874.75	
व्यावसायिक (ग्रामीण)	4.05	1.41	1011	266.90	
अन्य मापित व्यावसायिक उपभोगता	4.05	4.47	1227		51.53
सार्वजनिक बत्ती	4.05	2.69	350	47.60	
संस्थान	4.05	3.71	1433	48.72	
निजी नलकूपें	4.05	1.08	3640	1081.08	
लघु तथा मध्यम उर्जा	4.05	5.5	1389		201.41
सार्वजनिक जलकार्यशाला	4.05	4.26	643		13.50
राज्य नलकूपें	4.05	2.4	1477	243.71	
अस्थायी आपूर्ति	4.05	6.32	68		15.44
विभागीय कर्मचारी तथा पेंशन	4.05	1.14	114	33.17	
वृहत् तथा भारी उर्जा	4.05	4.51	3925		180.55
रेलवे	4.05	4.37	584		18.69
उन्नत सिंचाई	4.05	4.43	291		11.06
कुल	4.05	2.81	27564	3891	493

उपर्युक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र उत्तरजीविता के लिए कुछ गम्भीर विचार दिये गये हैं जबकि उर्जा मेंत्री की सभा में यह विचार हुआ कि कर की लागत मूल्य का 50 प्रतिशत ध्यानपूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे समाज के गरीब वर्ग को हानि न पहुँचे (भारत सरकार, 2002–07)। इसके अलावा कर आदेश जो सी0 ई0 आर0 सी0 तथा एस0 ई0 आर0 सी0 द्वारा निकले हैं वह पूर्ण रूप से कार्यान्वित हों या कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिये जायें (भारत सरकार 2002–07)। इसके साथ–साथ आर्थिक सहायता उतनी ही दी जा सकती है जितनी राज्य सरकार को देने की क्षमता हो। बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा अनुनादिक बनाने के लिए दो कदम सुधार के लिए आवश्यक है। पहला कृषि तथां ग्रामीण क्षेत्र. में संगठनात्मक तथा भौतिक रूप से अलग कर देना चाहिए। दूसरा, कर में कुल आर्थिक सहायता नागरीय घरेलू उपभोक्ताओं के लिए समाप्त कर देना चाहिए तथा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र मे कम आय के उपभोक्ताओं के लिए बचाव दर के साथ विस्थापन हो तथा अधिक मूल्य क्षेत्रों के लिए संजाल का आर्थिक सहायता विस्तार हो। (सिन्हा0 एस0 2005)।

6. ग्रामीण विद्युतीकरण :

राज्य में 97135 गांवों में से लगभग 54951 गांव 2001–02 के अर्न्तगत विद्युतीकृत किये गये थे और दसवीं योजना के

के औसत से अनुमानित 316380 लाख रू0 की आवश्यकता थी जबकि दसवीं योजना के दौरान केवल 132700 लाख रू0 17693 गांवों को विद्युतीकरण करने के कलए प्रदान किये गये थे। इस प्रकार प्रति वर्ष 3371 औसत गांव विद्युतीकृत किये जा सके। तथापि यहां स्थिति इससे कुछ भिन्न है। यह दर्शाता है कि दसवीं योजना के पहले दोनों वर्षों के दौरान 6742 गांवों में से केवल 2164 गांव विद्युतीकृत किये गये। इन 17693 गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए आने वाले तीनल वर्षो में कम से कम 5176 गांव विद्युतीकृत किय जायेंगे। जबकि 2002–03 और 2003–04 में क्रमश : 52.79 प्रतिशत और 11.39 प्रतिशत लक्ष्यित गांवों को विद्युतीकृत किया गया (तालिका 06)। दसवीं योजना में गांवों के विद्युतीकरण के लिए आने वाले तीन वर्षों में कम से कम 13340 गांवों को विद्युतीकृत किये जायें। जबकि राज्य में 2003–04 के अन्त तक कुल 97135 गांवों में से अभी भी शेष 40020 गांव गैर विद्युतीकृत हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के जोखिम को दूर करने और अन्य समस्याओं से बचने के लिए उ0 प्र0 सरकार ने 2008–09 तक 100 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लक्ष्यों के वर्षों को बढ़ा दिया है। जबकि यह कहानी का अन्त नहीं है। राज्य में विद्युत आपूर्ति में भारी कमी के कारण 2001–02 में यू0 सी0 एल0, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 12 घण्टे , जिला मुख्यालय में 17 घण्टे तथा बड़े नगरों में 21.5 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम हैं। (अहलूवालिया, 2005)

इसी तरह 2002–03 में निजी नलकूपों के उर्जाकरण में लक्ष्य का 129.11 प्रतिशत प्राप्त किया गया है और पुन : 2003–04 में 63 प्रतिशत के लगभग गिरावट आयी। 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए आने वाले तीन वर्षों में कम से कम 10620 निजी नलकूप का विद्युतीकरण होना चाहिए। जबकि 2003–04 के दौरान सभी तीन मदों की प्रगति पहले वर्षो की तुलना में खराब है। अनुसूचित गांवों का विद्युतीकरण 2003–04 में लक्ष्य का केवल 37 प्रतिशत रहा। आने वाले तीन वर्षों में सभी 5742 अनुसूचित गांवों के विद्युतीकरण के लिए कम से कम 1389 गांवों को प्रतिवर्ष विद्युतीकृत किया जाय।

तालिका –4 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की तुलना

	दसवीं योजना 2002–087		2002–03			2003–04		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों का प्रतिशत
गांवों का विद्युतीकरण	42184		3372	1780	52.79	3372	384	11.39
पी0 टी0 वी0 का उर्जाकरण	50000		1000 0	12911	129.11	10000	6309	63.09
अनुसूचित बस्तियों का विद्युतीकरण	5742		1148	1839	160.19	1148	428	37.28

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट (2003–04) उत्तर प्रदेश सरकार

उर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्धन :

कुछ उर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्धन को बेहतर सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के लिए सुझाया गया है।

घरेलू क्षेत्र :

- उद्दीप्त बल्ब का काम्पेक्ट फ्लोरेसेट लैम्प (सी0 एफ0 एल0) से परिवर्तन

- जहां फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट 53 वाट की खपत करती हैं वहीं टी–5 ट्यूब लाइट केबल 28 वाट की खपत करती है।
- स्नानगृह में विद्युत वाष्पिव के साथ सौर्य जल तापक। हम सौर्य पम्प का उपयोग ऊपर की टंकी में भी कर सकते हैं। यदि परिवार ऐसा करे तो समान स्तर के आगत पर उर्जा खपत 90 प्रतिशत कम हो जायेगी। (फिरोदिया ए0 2005)

<u>सार्वजनिक क्षेत्र :</u>

- मार्ग की रोशनी के लिये सोडियम वैपर लैम्प हो तथा सुबह स्वतः ही बन्द हो जाये।
- यदि समाज तथा स्थानीय लोग वर्षा का जल एकत्र करके इसके बहिस्त्राव का पुर्नचक्र करके बगीचे में प्रयोग करें म्यूनिसपैलिटी लम्बी दूरी तक पानी नहीं ले जा सकेगा या गन्दा पानी पम्प से बाहर निकाल सकेगा।
- यातायात बत्तियां तथा बाहरी प्रतीक एल0 ई0 डी0 (लाईट इम्पोटिंग डायोड) प्रयोग होने चाहिए जो उर्जा का 90 प्रतिशत बचत करेगा।

<u>कृषि क्षेत्र :</u>

- ड्रिप सिंचाई जल की खपत को बचायेगा तथा जल विभाजक विकास जल स्तर को बढ़ायेगा । तब किसानों को छोटे पमप प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा तब कम उर्जा की खपत होगी।

<u>औद्योगिक क्षेत्र :</u>

औद्योगिक क्षेत्र में 6 वृहत् उद्योग जैसे एल्यूमिनियम, खाद, रसायन, स्टील, भूतल रसायन तथा अधिशोधन संस्थान लगभग 65 प्रतिशत उर्जा की खपत करते हैं।

गैर पारम्परिक उर्जा :

छठी योजना के दौरान केन्द्र की भांति राज्य स्तर पर भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उर्जा की मांग, विभिन्न पारम्परिक स्त्रोतों द्वारा उर्जा के सृजन की तुलना में तीव्रता से बढ़ी। जबकि अर्थव्यवस्था में उर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए गैर पारम्परिक उर्जा के विकास और , उर्जा के वैकल्पिक और नवीनीकृत स्त्रोतों की प्रोन्नति आरम्भ की गयी । राज्य में छठी योजना के समय से गैर पारम्परिक उर्जा विकास एजेन्सी (NEDA) की स्थापना उर्जा के कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के लिए की गयी थी। NEDA गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत मन्त्रालय (भारत सरकार) द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। 2004-05 के दौरान विद्युत निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने और लोगों की भीगीदारी के लिए नवीनीकरण योग्य स्त्रोतों, मुख्य रूप से सहनिर्माण, जैव मास गासिफायर व्यवस्थाओं और नगरीय अपशिफ्ट द्वारा प्रारम्भ किया जा सकता है। गैर पारम्परिक उर्जा क्षेत्र में वित्तीय और भौतिक प्रगति दोनों राज्य सरकार, केन्द्र

दसवीं योजना के दौरान वित्तीय प्रगति

दसवीं योजना के दौरान गैर पारम्परिक उर्जा के लिए कुल अनुमानित व्यय 52950 लाख रू0 था। फिर भी पहले तीन वर्षो के लिए अनुमानित व्यय का वितरण वार्षिक अनुमानित व्यय की तुलना में कम था। इस अवधि के दौरान अनुमानित व्यय से वास्तविक व्यय बहुत ही निम्न था (तालिका 05)। 2002-03 के दौरान अनुमोदित व्यय का केवल 13 प्रतिशत ही खर्च किया गया और 2003-04 के दौरान यह बढ़कर लगभग 32 प्रतिशत हो गया। फिर भी राज्य में कुल अनुमानित व्यय से कम खर्च गैर पारम्परिक उर्जा के निर्माण की धीमी गति के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है।

तालिका 05

दसवीं योजना के दौरान गैर पारम्परिक उर्जा वित्तीय प्रगति

वर्ष	अनुमानित व्यय	परिव्यय	व्यय का प्रतिशत
2002-07	52950	----------	--------------
2002-03	1600	204.97	12.81
2003-04	1359	432.62	31.83
2004-05	1092.14	----------	----------

भौतिक प्रगति

सोलर कुकर, हीटर और पम्प

सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर दोनों ही सोलर ताप उर्जा इकाइयों के प्रकार हैं, जो दसवीं योजना के दौरान प्रस्तावित है। फिर भी सोलर कुकर बिना किसी राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता के प्रोन्नत है। सोलर कुकर प्रोन्नत करने के लिए बाजार अभिमुख पहुंच अपनायी गयी है। केन्द्र सरकार डिश टाइप कुकर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। सोलर वाटर हीटरों का प्रयोग घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोंगों हेतु छात्रावासों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि में किया जाता है। राज्य सरकार, सरकारी और सहकारी संस्थाओं में इन व्यवस्थाओं के प्रतिदिन की क्षमता के दोहन के लिए 4000 रू0 की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। ऐसे ही सोलर पम्पों का प्रयोग भूमिगत जल की पम्पिंग के लिए किया जाता है, ये पम्प सिंचाई सुविधाओं के लिए भी लाभदायक है। 1200 वाट पम्प सेटों के लिए राज्य और केन्द्र सरकार ने क्रमशः 2.64 और 0.9 लाख रू0 सब्सिडी के रूप में प्रदान किये है। 2004-05 के दौरान 157 पम्पों की स्थापना का प्रस्ताव है

जैव उर्जा

राज्य सरकार ने विभिन्न तरीकों जैसे कोजेनरेशन, गैसीफायर तथा म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट द्वारा जैव उर्जा का उत्पादन शुरू किया है। राज्य में चीनी मिलों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। जबकि राज्य में अभी तक 100 मेगा वाट जैव उर्जा सृजित की गयी है। इसी तरह बायोमास का प्रयोग भी उर्जा उत्पादन या तापीय कार्यों के लिए किया जाता है। उर्जा उत्पादन का दूसरा आधार नगरीय अवशिष्ट है। राज्य सरकार ने नगरीय अवशिष्ट से उर्जा उत्पादन के लिए लखनऊ,

भाग 03:
परिवहन

भूमिका

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए परिवहन एक आवश्यक आदान है। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन, उत्पादकता बढ़ाने और विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतियोगितात्मक कुशलता बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाणिज्यिक निवेश के प्रवेश के द्वारा उन्हे मुख्य अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन व्यवस्था में रेलवे, सड़क, नागरिक विमान चालन, महासागरीय नौकायन, समुद्री नौकायन और भूमिगत जल परिवहन आदि से बनी है। जबकि अर्थव्यवस्था में रेलवे और सड़को को महत्वपूर्ण परिवहन व्यवस्था के रूप में माना गया है। योजना प्रक्रिया के दौरान परिवहन क्षेत्र गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से विकसित हुआ है। इस प्रभावशाली उपलब्धि के साथ यह क्षेत्र बहुत घाटे तथा गतिरोध से गुजरा है। परिवहन के गुण, उत्पादकता तथा संसाधन आधार को सुधार की आवश्यकता है।

राज्य में कई पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन क्षेत्र का अंश बढा है जबकि कुल आयोजित व्यय में से अंश पहली योजना में 4 प्रतिशत से नवीं योजना में 15 प्रतिशत तक बढ़ा है। अधिसंरचना क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन का निवेश राज्य बजट का महत्वपूर्ण संयोजक है। जबकि राज्य में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए बजट निर्धारण राज्य से, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से होता है। इस सम्बन्ध में, 1998–99 से 2003–04 के दौरान डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चरल सर्पोट प्रोजेक्ट (डी० ए० एस० पी०), वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश मे सड़कों का निर्माण कराया है। डी० ए० एस० पी० के अर्न्तगत लगभग 2740 किलोमीटर सड़कों की निर्माण उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल परियोजना में 47185 लाख रू० व्यय हुआ।

जबकि राज्य में परिवहन क्षेत्र की शाक्ति को नापने के लिए सड़कें प्रति एक लाख जनसंख्या तथा प्रति 100 स्क्वायर कि०मी०, सही सूचक हैं। तथ्यों से यह साबित होता है कि राज्य में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 57.3 कि०मी० की सड़कें बनी हैं। जबकि भारत का औसत 82.5 कि.मी. है (उत्तर प्रदेश सरकार, 2002–03) इस सूचक के सम्बन्ध में देश में चुने हुए 18 राज्यों में यह राज्य बारहवें स्थान पर है। जहां पंजाब तथा राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर क्रमशः 204 कि०मी० तथा 126 कि०मी० है। इस संकलन में प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में 30.8 कि०मी० सड़कें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर 23.7 कि०मी० है। इस सन्दर्भ में कुछ मुख्य राज्यों में से उत्तर प्रदेश छठें स्थान पर है जैसे पंजाब में 92.2 कि०मी०, केरल में 53.5 कि०मी० है (उत्तर प्रदेश सरकार, 2002–03) पृष्ठभूमि पर विचार करने पर राज्य में परिवहन क्षेत्र के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

दसवीं योजना लक्ष्य :

1. आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया के कारण परिवहन की उच्च मांग प्राप्त करना।
2. राज्य के सभी क्षेत्रों में परिवहन वृद्धि निश्चित करना।
3. तकनीकी उन्नति से क्षमता वृद्धि।

5. तार्किक मूल्यों द्वारा स्त्रोतों का आन्तरिक उत्पादन तथा निजी क्षेत्रों का सहयोग बढ़ाना।

6. विकृति को नियन्त्रण में रखने के लिए बेहतर नियंत्रित ढांचा जैसे वाह्यता की उपस्थिति, अनुत्पादक निवेश

7. परिवहन आंकड़ें को एकत्र करना जिसमें परिवहन धारा तथा मूल्य हो, और व्यवस्थित रूप से एकत्र तथा अद्यतनिक किये जायें।

8. एक बेहतर तथा परिष्कृत सुरक्षा जाल की आवश्यकता है जो दुर्घटना को रोक सके।

9. अधिक यातायात सघनता तथा सड़क निर्माण के होने से वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए गम्भीर कदम उठाने की आवश्यकता है।

<u>नागरिक विमान चालन :</u>

उत्तर प्रदेश में 2001 में नागरिक विमान चालन विभाग के पुनरूसंगठन की प्रकिया में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में अधिक परिवर्तन हुए हैं, और केवल कानपुर शहर में केन्द्रीकृत किये गये हैं। आठवीं योजना में चालक प्रशिक्षण की गुणवत्ता के विकास पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी तरह नवीं योजना में वाराणसी और लखनऊ हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का आश्वासन दिया गया है। इस बदलते परिवेश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुरक्षा और बचाव पर बल, हवाई पर्यटन में निश्चित सुविधाओं में बढ़ोत्तरी को महत्व दिया गया है।

इस क्षेत्र में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 2002–07 के दौरान 3000 लाख रू0 व्यय हेतु प्रस्तावित थे। जबकि 2002–03 के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित व्यय में से केवल 21.26 प्रतिशत व्यय किया गया। 2003–04 में पिछली परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने के कारण वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय 289% से बढ़ गया तालिका (01)। इसी प्रकार 2004–05 के लिए 3750 लाख रू0 प्रस्तावित किये गये हैं। यह भी देखा गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय को पार कर गया।

<u>तालिका 01</u>

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमानित व्यय और वास्तविक व्यय की तुलना

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अनुमानित व्यय का प्रतिशत
दसवीं योजना	3000	....	....
2002.03	1235.53	262.72	21.26
2003.04	250	722.82	289.13
2004.05	3750	--------------	--------------

स्त्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2004.05, उत्तर प्रदेश सरकार

2. पुल और सड़कें

पुल तथा सड़कों का निर्माण लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर पत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष लाभ, संचालित मूल्य में बचत, समय बचत, सुविधा में बढ़ोतरी को संयोजित करता है जबकि अप्रत्यक्ष लाभ, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय सुधार के लिए हैं (बेली पेड्रो अन्य 2001)। यह कृषि पैदावार बढ़ाने, रोजगार अवसर बढ़ाने, परिवहन तथा यात्रा का [illegible]

कढ़ियाली, 2003) जबकि अप्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव से काफी अधिक है। कृषि के व्यवसायिकता तथा विचलन के लिए अप्रत्यक्ष प्रभाव एक आवश्यक पूर्व शर्त है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि ग्रामीण सड़कों का, गरीबी स्तर को घटाने तथा शिक्षा के स्तर व स्वास्थ्य दशा में सुधार के लिए स्पष्ट प्रभाव है (सिंह एवं अन्य, 2004, कबियाली, 2004)।

अर्थव्यवस्था के सामजिक आर्थिक विकास में सड़कों और परिवहन की देख रेख के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्देश्यों को निश्चित किया है। कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों जैसेः अधूरी योजनाओं को पूरा करके लाभों में बढोत्तरी, ग्रामीण सड़कों का विकास, मौजूदा सड़क तन्त्र और पुलों में बढ़ोत्तरी, महत्वपूर्ण शहरों में फ्लाईओवर और उप मार्गों का निर्माण, शहरी सड़कों का सुधार, लोक निर्माण सचिवालय का कम्प्यूटरीकरण, निजी क्षेत्र सहभागिता आदि है। इसके अतिरिक्त सड़कों को चौड़ा करना, सवारी की शक्ति व गुणवत्ता में सुधार, सड़क सुरक्षा मापन तथा रास्ते को सुविधाओं तथा सड़क सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करना। फिर भी प्राथमिकता के आधार पर परिवहन क्षेत्र के लिए सड़कों, पुलों ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लगभग 6008 करोड़ रू0 वितरित किये गये। इस क्षेत्र हेतु योजना के पहले दोनो वर्षो के दौरान अनुमोदित व्यय से वास्तविक व्यय का अनुपात सनतोषजनक रहा। तालिका–02, 2002–03 में अनुमोदित व्यय को 100 प्रतिशत व्यय किया गया जो 2003–04 में यह प्रतिशत 66 के लगभग रहा। योजना के पिछले दोनों वर्षों के दौरान बजट वितरण भी औसत वितरण के समान था।

तालिका 02
दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां ; करोड़ रू0द्ध

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अनुमानित व्यय का प्रतिशत
दसवीं योजना	6008.16	-------	-------
2002.03	921.23	921.23	100
2003.04	1225.22	806.68	65.84
2004.05	1264.97	----	-----

स्त्रोतः वार्षिक योजना, 2004–05

योजना के पहले दोनों वर्षों के दौरान सड़कों के पुननिर्माण/ बढ़ोत्तरी जैसे कि : राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, और मुख्य जिला सड़कों के पुननिर्माण की भौतिक उपलब्धियां सन्तोषजनक नहीं रहीं। 2002–03 में लक्ष्यों की भौतिक उपलब्धियों का अनुपात राष्ट्रीय उच्च पथ 0%, राज्य उच्च पथ 76%, और मुख्य जिला सड़कों का 5% रहा (तालिका 03)। जबकि 2003–04 के दौरान राज्य में इन सड़कों की उपलब्धियों को शामिल नही किया गया है। फिर भी दोनों वर्षो के दौरान सतही ग्रामीण सड़कों द्वारा गांवों का जुड़ाव सन्तोषजनक रहा। 2002–03 के दौरान उपलब्धियों ने लक्ष्यों को कई बार पार किया। 2003–04 के दौरान लक्ष्यों से उपलब्धियों का अनुपात लगभग 87% रहा । इसी तरह दोनों वर्षो के दौरान गांवों के जुड़ाव की संख्या नवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में अच्छी रही।

तालिका 03

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न सड़कों की भौतिक उपलब्धियां (कि. मी.)

मद	दसवीं योजना (लक्ष्य)	2002.03			2003.04			2004–05 (लक्ष्य)
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों के प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्योंके प्रतिशत	
राष्ट्रीय उच्च पथ	1000	100	0	0	100	----	-----	100
राज्य उच्च पथ	9000	100	-76	-76	100	----	---	100
मुख्य जिला सड़कें	-20000	200	1323	6661.5	200	----	---	200
ग्रामीण सड़कें								
सतही	9236	1672	5011	299.70	2458	2127	86.53	2228
गैर सतही	-4298	-710	-629	88.59	-330	-320	96.97	
ग्रामीण जुड़ाव								
1500 से अधिक	110	135	120	88.89	50	499	998.00	50
1499.1000	185	225	225	100.00	179	336	187071	150
से कम	3400	550	2575	468.18	1300	657	50.54	1202

स्त्रोत: वार्षिक योजना, 2004–05

ग्रामीण संयोजकता

राज्य के सभी प्रकार के 98248 गावों को कवर किया गया है। फिर भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सभी गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कों द्वारा 43437 गावों को जोड़ा गया है। यह स्पष्ट करता है कि सभी गांवों में से लगभग 56 प्रतिशत गांव अभी तक सड़कों द्वारा नहीं जुड़े है। इसी सम्बन्ध में 2002–03 और 2003–04 के दौरान क्रमशः 2920 और 1492 गावों को पक्की सड़कों की सूची में शामिल किया गया है। फिर भी 2004–05 में पक्की सड़कों द्वारा 2289 गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है। 2004–05 की समाप्ति तक सभी प्रयत्नों द्वारा 49 प्रतिशत गांव को पक्की सड़कों द्वारा अभी भी जोड़ना बाकी है। राज्य सरकार ने सभी गांवों के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी है, जैसेः अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, समग्र ग्राम विकास योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क सड़क परियोजना, और विश्व बैंक की परियोजनाएं। अम्बेडकर ग्राम विकास योजना को 2002–03 में सड़कों के निर्माण द्वारा अनुसूचित जातीय जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने के लिए प्रारम्भ की गयी थी। समग्र ग्राम विकास योजना को 2004 में शुरू किया गया था। इसी उद्देश्य से प्रत्येक एम. एल.ए द्वारा उनके अपने

तालिका 04

नवीं और दसवीं योजना के दौरान पक्की सड़कों द्वारा ग्रामीण जुड़ाव

वर्ष	कुल गांव	पक्की सड़कें		शेष गैर जुड़ी	कुल गावों का प्रतिशत
		स्तर	सहायक		
नवीं योजना	98248	43437	---	54811	55.79
2002–03	98248	46357	2920	51891	52.82
2003–04	98248	47849	1492	50399	51.30
2004–05	98248	50138	2289	48110	48.97

स्त्रोतः वार्षिक योजना, 2004.05

अपने चुनाव क्षेत्रों में 10 चयनित गांवों को जोड़ना था। इसी प्रकार पं0 दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क सड़क परियोजना नाबार्ड द्वारा पोषित थी, और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण था। फिर भी योजना अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण का निषेध नही था। योजनाअवधि के दौरान रेलवे पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। एक रेलवे पुल 2002–03 में पूरा हो चुका है। और 2003–04 के दौरान दो पुल प्रगति के स्तर पर है। 2004–05 के दौरान 8 अन्य पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं। फिर भी ग्रामीण सड़कों का 2010 तक पूर्ण होने का प्रस्ताव प्रशासन के लिए बड़ा कार्य है। लगभग 49 प्रतिशत गांव पांच सालों में संयोजित किये जायेंगे।

संसाधन जुटानाः

सड़क क्षेत्र परियोजना के लिए बजट सहयोग की सीमा में उपयोगकर्ता के उचित चन्दे द्वारा तथा वित्तीय तथा व्यवस्थित क्रियाओं में निजी क्षेत्र के क्रियाशील सहयोग द्वारा स्त्रोतों के उत्पादों पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। सुश्री राइट, नई दिल्ली द्वारा लगभग 214 परियोजनाएं के लिए जीवन क्षमता अध्ययन चल रहें हैं।

रोजगार अवसर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण सड़कों का निर्माण केवल विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, विकासशील बाजार सुविधाओं के द्वारा मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत ही नहीं करता बल्कि यह ग्रामीण सड़कों के निर्माण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। राज्य में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण में 2024 लाख श्रम दिवसों का सृजन प्रस्तावित किया गया। 2002–03 के दौरान लगभग 339 लाख श्रम दिवसों का सृजन प्रत्याशित किये गये तथा 334 लाख श्रम दिवस 2003–04 में सृजित होने की आशा है।

रेलवे उपरिपुल का निर्माण :

रेलवे के कार्य में 8 उपरिपुल का प्रस्ताव निर्माण में शामिल है। उपरिपुल/अधोपुल पूर्ण हो गये हैं तथा 8 उन्नति की ओर हैं। दसवीं योजना में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपयोगकर्त्ता कर द्वारा आवश्यकता तथा आर्थिक सहायता की उपलब्धता का अन्तर कम करना है इसलिए यह साधन जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि सड़क के व्यवस्थापन तथा इस प्रक्रिया से जुड़े निजी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गयी। इसके अतिरिक्त वर्तमान संजाल को अधिक विकसित करने पर अधिक बल दिया गया है न कि नयी सड़कों को बनाने पर। जबकि इस दिशा में राज्य सरकार की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0) :

यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 3 जून, 1972 में सड़क परिवहन एक्ट, 1950 के अर्न्तगत अस्तित्व में आया। यह उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के जुड़े हुए राज्यों में परिवहन सेवा उपलब्ध कराता है। यह निगम 31 अक्टुबर, 2003 में पुनर्गठित हुआ जब उत्तरांचल एक अलग राज्य बन गया। यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के लिए महत्वपूर्ण कार्य भौतिक तथा वित्तीय क्षमता, मोटर व्हिकिल एक्ट को सुसंगत करना, तकनीकी उन्नति, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा चेक पोस्ट का आधुनिक रूप में सुधार करना है।

भौतिक निष्पादन :

विभिन्न सूचक जैसे सड़क पर बसों का द्रुतगामी उपयोग प्रतिशत वाहन उत्पादकता (प्रति दिन प्रति बस प्रति कि0मी0 राजस्व कमाई) बस स्टाफ अनुपात स्टाफ उत्पादकता तथा ईधन शुद्धता राज्य सड़क परिवहन निगम के भौतिक निष्पादन के आंकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। जबकि उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में एक मन्द निष्पादन दर्शाया है। (भारत सरकार, 2004–05)। नवीनतम आंकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सड.क पर बसों का द्रुतगामी उपयोग प्रतिशत, बस स्टाफ अनुपात, ईधन शुद्धता राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। जबकि राज्य में वाहन उत्पादकता, स्टाफ उत्पादकता राष्ट्रीय स्तर से कम है।

वित्तीय निष्पादन :

यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 के द्वारा भौतिक प्रतिमानों में सुधार के बजाए खराब वित्तीय निष्पादन चिन्ता का विषय है। फिर भी यह बताया गया कि निजी क्षेत्र में कराधान की उच्च दर,, कम किराया संरचना, सामाजिक जिम्मेदारी में कमी, अधिक कर्मचारी, बढ़ता हुआ ब्याज भार तथा खराब प्रतियोगिता ने निगम पर अतिरिक्त भार डाला है तथा संक्रिया को अलाभकर बनाया है यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 पिछले चार वर्षों को छोड़कर जब इसे 45000 से 1.21 करोड. रूपये का लाभ हुआ (बनर्जी तथा चौबे, 2004) बहुत वर्षों से घाटे में है। परिस्थिति थोड़ी भयावह हो गयी है। हानि प्रति वर्ष बढ़ रही है। प्रति वर्ष घाटा बढ़ रहा है। 1972–73 में 1 करोड़ से 2001–02 में 121 करोड़ हो गया। हांलाकि बीच में घटता–बढ़ता रहा। निगम को इसे 1002–03 में 300 करोड़ रूपये का, 1999–2000 में 600 करोड़ रूपये तथा 2002–03 में 900 करोड़ रूपये का घाटा हुआ। वास्तव में, संचित हानि, कुल चालू पूंजी से काफी अधिक हो गया।

लागत वसूली अनुपात को कम करने के लिए यह सत्य है कि लागत को तीव्रता से घटाना होगा तथा राजस्व को बढ़ाना होगा। कुल राजस्व यातायात व गैर यातायात राजस्व से मिलकर प्राप्त होता है। राजस्व भाग यातायात राजस्व में बनता है सो 90 प्रतिशत से अधिक है तथा गैर यातायात का अनुपात कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। वास्तव मे, एकत्रित राजस्व 2000–01 तथा 2001–02 में गिर गया जबकि लागत पहले की तरह बढ़ा। यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 के विषय में, कई बड़े निगमों की तुलना में, दाम उच्चता की ओर है। दो कारक जैसे उच्च क्षतिपूर्ति दर तथा उच्च बस स्टाफ अनुपात उच्च लागत वसूली अनुपात के लिए उत्तरदायी है। यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 में बस स्टाफ अनुपात 8 पाया गया । इसलिए इसको कम करने की कुछ गुंजाइश है जैसे कुछ और निगमों में हुआ है। लागत वसूली अनुपात जो कि 1990 के प्रारम्भ में सुधार कर 0.95 पहुँच गया और लगातार गिर गया तथा 2002–03 में 0.85 तक छू गया जो पिछले दो सालों की तुलना में सुधरा हुआ था।

नीति मूल्यांकन :

यू0 पी0 आर0 टी0 सी0 को वित्तीय रूप से लाभदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राजस्व आमद को बढ़ाया जाये तथा लागत को घटाया जाये। कुछ बड़े अवसर हैं जो आमद को बढा सकते हैं तथा व्यय को घटा सकते हैं वे इस प्रकार हैं –

1. आराम तथा कुशलता को कम किये बिना सबारी दर को बढ़ाना ।
2. गैर यातायात राजस्व को कमाने के अवसर तलाशना।
3. बस स्टाफ अपुनात कम हो सकता है।
4. निगम पुरानी बेकार बसों को हटा दे क्योंकि वे अधिक ईधन का उपभोग करती हैं तथा जिनका मरम्मत व रखरखाव व्यय अधिक होता है।

तकनीकी उन्नति :

विभागों को कम्प्यूटरीकृत कर देने से कुछ सुधार हो सकता है जैसे – इक्हत्तर कार्यालयों में से नौ में कम्प्यूटरीकृत हैं तथा राज्य में एक चालक स्कूल खोलने की योजना है। फिर भी सड़क भाड़ा परिवहन में कोई उन्नति नहीं है जैसे ट्रकों का अधिक भार वहन करना, निगम तथा नीतियों का शिथिल कार्यान्वियन असहयोगी कर व्यवस्था तथा घनी सड़कें।

सड़क सुरक्षा :

सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया है। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है जैसे सड़क सुरक्षा विधियों को प्रारम्भ करके, चालकों तथा निर्देशकों का प्रशिक्षण देकर, सार्वजनिक तथा परिवहन उपयोग करने वालों के लिए जागरूकता अभियान चलाकर, लाइसेंस व्यवस्था का कम्प्यूटरीकृत करना, पैदल चालकों, साइकिल वालों तथा बस के लिए अलग–अलग रास्ते बनाना आदि।

प्रदूषण नियंत्रण :

कुल प्रदूषण उत्सर्जन में से परिवहन क्षेत्र का बढ़ता हुआ अंश चिन्ता का विषय है। कुछ श्वसन सम्बन्धी समस्यायें वायु प्रदूषण से जुड़ी हैं। वाहन प्रदूषण के मुख्य कारक भारी मोटर वाहनों में पुरानी इंजन तकनीकी, खराब रख रखाव, पुराने वाहनों

की बड़ी संख्या, अधिक भार तथा यातायात स्कावर इत्यादि। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ गम्भीर प्रयत्न के दिशा निर्देश लेने हैं।

संक्षिप्त निष्कर्ष तथा सुझाव :

अधिसंरचना न केवल उत्पादकता तथा उपभोग को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है बल्कि कई प्रयत्क्ष तथा अप्रयत्क्ष वाहत्यता को बनाता है। अधिसंरचना तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश राज्य में दसवीं योजना के दौरान आर्थिक विकास के लिए अधिसंरचना के कार्य का आंकलन करना। जबकि हम केवल भौतिक संरचना की भूमिका पर बल द रहें हैं जैसे– राज्य के विकास के लिए सिंचाई, शक्ति तथा वाहन।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र को अंश शुद्ध फसलीकृत क्षेत्र से बढ़ रहा है जो 1966–67 में 36.12 प्रतिशत या तथा 1980–81 में 54. 89 प्रतिशत तथा फिर बढ़कर 2000–01 में 73.70 प्रतिशत तथा 2001–02 में 76.30 प्रतिशत हो गया। फिर भी निजी स्त्रोत द्वारा शुद्ध सिंचित क्षे.त्र जैसे नलकूप। पम्पों द्वारा लगभग 87.09 लाख हेक्टेयर सिंचित होता है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 68 प्रतिशत है। नहर सिंचाई से वृहद तथा मध्यम स्त्रोत 27.19 लाख हेक्टेयर, जो लगभग शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 21 प्रतिशत है सिंचित होता है। यह देखा गया है कि स्त्रोतों द्वारा सिंचाई की गैर अनुपातिक वृद्धि होती है तथा स्त्रोतों का विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निजी निवेश का विनुपातिक वितरण होता है। नवीं योजना के दौरान तथा दसवीं योजना के पहले तीन वर्षो में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के वास्तविक व्यय का अंश कुल नियोजित व्यय में लगभग स्थिर रहा। विभिन्न स्त्रोतों के तहत सिंचित क्षेत्र कुछ वर्षों से बढ़ती हुई प्रवृति दिखाता है। जबकि नवीं योजना के दौरान तथा दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में शक्यता तथा क्षमता का उपभोग दोनों लगातार बढ़ गया है। यह उपयुक्त ढंग से संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वृहत तथा मध्यम सिंचित क्षेत्र की प्रथम योजना से एक ही सबसे बड़ी वयाधि रही है कि अधिक से अधिक नयी परियोजनाएं प्रारम्भ करने की प्रवृत्ति जिससे परियोजनाएं अधिक मात्रा में होने से स्त्रोतों की कम उपलब्धता तथा संगत समय व मूल्य के बढ़ने से अनियंत्रण हो जाता है। राज्य में भूमि अपघटिता भारीयता तथा जलभराव के कारण होने से कृषि के विकास में गम्भीर समस्या होती है। इसी तरह में राज्य योजना आयोग ने लगभग 14.93 लाख हेकटेयर क्षारीयता तथा जलभराव का आंकलन किया जो प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 6 प्रतिशत है। अधिकांश सिंचाई व्यवस्था में जल उपयोग शुद्धता क्रम है लगभग 30 से 40 प्रतिशत जो आदर्श रूप से 60 प्रतिशत होना चाहिए। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान समय में जल स्तर में एक निश्चित गिरावट आयी है। क्योंकि भूमिजल का अधिक उपभोग तथा वर्षा के जल का संरक्षण कम हो रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत अर्द्ध तथा संकटपूर्ण क्षेत्र की गिनती में आता है।

किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि के लिए उर्जा की भूमिका को एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। जबकि राज्य में योजना प्रक्रिया के प्रारम्भ से आर्थिक सम्पन्नता के आंकलन के लिए प्रति व्यक्ति उर्जा खपत, विद्युन्मय ग्रामों का प्रतिशत, विद्युन्मय परिवारों का प्रतिशत (ग्रामीण तथा नगरीय दोनों) तथा विद्युत खपत प्रति औद्योगिक इकाई जैसे कुछ वास्तविक सूचक हैं। यह इस तथ्य से विदित है कि राज्य में 1998–99 में प्रति व्यक्ति उर्जा खपत 195.58KWH थी जबकि भारत की औसत 350.57 KWH देश के चुने गये 18 बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति उर्जा खपत के सम्बन्ध में राज्य का स्थान पन्द्रहवा है। इसके

अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इस सम्बन्ध में कुछ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां स्थान है क्योकि उत्तर प्रदेश में 79 प्रतिशत गांव विद्युन्मय हैं जबकि 1999–2000 में भारत के स्तर पर 86.3 प्रतिशत। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्ति की वास्तविक तस्वीर विद्युन्मय ग्रामों में परिवारों के विद्युतीकरण से दिखती है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े राज्यों में से एक है। नवीनतम आंकड़ों बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल 20 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 44 प्रतिशत है। यह इसलिए होता है क्योंकि मांग तथा आपूर्ति में भारी अन्तर, उपयुक्त सुधार तथा आधुनिकीकरण प्रक्रिया में कमी, बड़ी वितरण तथा प्रेषण हानि तथा कर सुधार में कमी।

आर्थिक विकास को बनाये रखने के लिए परिष्कृत परिवहन व्यवस्था पूर्वापेक्षा है। यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, विश्व बाजार में अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी दक्षता को बढ़ाने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा उनका मुख्य आर्थिक धारा से जुड़ाव व्यापार निवेश प्रारम्भ के द्वारा विकास के गति को तेज करती है। जबकि राज्य में सडकें प्रति एक लाख जनसंख्या तथा प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र की शक्ति मापने का वास्तविक सूचक है। तथ्यों से यह विदित होता है कि राज्य में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 57.3 कि0मी0 सड़के हैं तथा भारत का औसत 82.5 कि0मी0 है। इस सूचक के सम्बन्ध में राज्य देश के 18 बड़े राज्यों में से बारहवें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त सड़कें प्रति 100 स्क्वायर कि0मी0 क्षेत्र पर 30.8 है जो भारत के स्तर पर 23.7 कि0मी0 है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कुछ बड़े राज्यों में से छठें स्थान पर, पंजाब में 92.2 कि0मी0 तथा केरल में 53.5 कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी द्वारा भौतिक प्रतिमानों में सुधार के बजाए खराब वित्तीय प्रदर्शन चिन्ता का विषय है। यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 ने निगम को चार सालों को छोड़कर पिछले कई वर्षों से हानि में रखा है। हानि के बढ़ने को परिस्थिति काफी भयावह हो गयी है। वार्षिक हानि 1972–73 में 1 करोड़ रूपये से बढ़कर 2001–02 में 121 करोड़ रूपये हो गयी है। हांलाकि बीच में घटी–बढ़ी । निगम ने 1992–93 में 300 करोड़ रूपयों का घाटा, 1999–2000 में 600 करोड़ रू0 का घाटा तथा 2002–03 में 800 करोड़ रू0 का घाटा संचित किया। इसका कारण मांग तथा आपूर्ति में बढ़ता अन्तर, सड़क निर्माण में क्षेत्रीय विभिन्नता, निम्न प्रबन्धन मानक, बेहतर नियामक ढांचे का न होना तथा परिवहन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। जबकि कराधान की उच्च दर, निम्न किराया दर, सामाजिक उत्तरदायित्व को कम करना, अधिक कर्मचारी, बढ़ता हुआ ब्याज भार तथा निजी क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतियोगिता ने निगम पर अतिरिक्त बोझ डालकर निगम को अलाभकर बना दिया है।

आने वाले वर्षों में कुल आयोजित व्यय में से सिंचाई का अंश बढ़ाने की बजट निर्धारण में आवश्यकता है पूर्ण लाभ पाने के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि मरम्मत के कार्यों के प्रबन्धन तथा निर्देशन व प्रशासन के व्यय को कम करने के लिए बजट पुर्ननिर्धारण की आवश्यकता है। मानव स्वास्थ्य को उन्नति के लिए भूमिगत जल को प्रदूषित होने से बचाने की आवश्यकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए लागत प्रभावी तकनीक की आवश्यकता है। यह दृढ़ रूप से सुझाव दिया जाता है कि सतही तथा भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग

तथा नलकूप सिंचाई के द्वारा भूमिगत जल का उपयुक्त मात्रा में प्रयोग जिससे कि पूर्व–मानसून जलस्तर लगभग 10 मीटर सतही भूमि के नीचे ही जहां नहर सिंचाई प्रचलित है।

मांग तथा आपूर्ति में अन्तर को कम करना तथा उत्पादकता को बढ़ाकर उर्जा की आपूर्ति बढ़ाना, प्रेषण तथा वितरण हानि को कम करना तथा बेहतर उर्जा संरक्षण तकनीक को विकसित करना तथा मांग प्रबन्धन की आवश्यकता है। जबकि कुछ सुझाव महत्वपूर्ण हैं अवैध टैपिंग, मोटर चोरीं भूमिगत केबल के प्रयोग से रूक सकती है। प्रेषण हानि 400KV के प्रेषण वोल्टेज के परिवर्तक द्वारा कम हो सकती है। प्रतिरोधक हानियां एल्यूमिनियम केबल के स्थान पर तांबे के चालक का प्रयोग द्वारा कम हो सकती है। फुहारी सिंचाई जल की खपत की बचत करेगा तथा जल–विभाजक विकास जल स्तर को बढ़ायेगा। किसानों को छोटे पम्पों के प्रयोग की आवश्यकता है। जिससे विद्युत खपत कम हो। उद्योग क्षेत्र में छः मुख्य उद्योग जैसे एल्यूमिनियम, खाद, रसायन, स्टील, पेट्रोरसायन तथा परिष्कारण शालाएं विद्युत खपत का लगभग 65 प्रतिशत खपत करती है। "निकास का प्रति यूनिट विद्युत मूल्य" अर्न्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उर्जा की खपत कम करने को बढ़ावा मिलेगा।

मांग तथा आपूर्ति की कमी को कम करके, राज्य के सभी क्षेत्रों में परिवहन वृद्धि को निश्चित करके, क्षमता वद्धि, तकनीकी मानकों पर बल, तार्किक मूल्यों द्वारा स्रोतों का आन्तरिक उत्पादन, उपयोगकर्त्ता कर तथा निजी क्षेत्र का बढ़ता हुआ सहयोग, विनियमितताओं की रोकने के लिए बेहतर नियामक ढांचा अनुत्पादक निवेश जैसे मूल्य, वाह्यता की उपस्थिति, से परिवहन क्षेत्र प्रभावी ढंग से प्रबन्धित हो सकता है। उपयुक्त परिवहन आंकड़ें जो परिवहन बहाव तथा मूल्यों से बने हैं, को विकसित करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से एकत्रित तथा नवीन होने चाहिए। फिर भी यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की भौतिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता दोनों को सुविधा तथा कुशलता कम किये बिना सबारी दर को बढ़ाकर, गैर यातायात राजस्व कमाने के अवसर तलाशकर,, बस स्टाफ अनुपात कम करके, निगम पुरानी बसों को नियमित आधार पर अलग कर क्योंकि वह अधिक ईधन की खपत करती है तथा उनका प्रबन्धन मूल्य उच्च होता है, सुधारा जा सकता है।

सन्दर्भ

अग्रवाल एस0 के0 (2005) "उत्तर प्रदेश ....चैलेनजेस" राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पपत्र "रिकमन्डेशन्स ऑफ दा टवैल्थ्स फाइनेन्स कमीशन एण्ड देयर इम्पलीकेशन्स फॉर द स्टेटस, 6–7 मई, 2005 के दौरान गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित।

बनर्जी वी0 के0 तथा पी0 के0 चौबे (2004) स्टडी ऑफ स्टेट पब्लिक अन्डरटेकिन्स (एस0 पी0 एस0 यू0) एण्ड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिंन्स (आर0 टी0 एस0 यू0) बारहवां वित्तयी आयोग, भारत सरकार में निवेदित।

बेली, पेड्रो एट ऑल (2001) इकोनोमिक एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेन्ट आपरेशन्स : ए पालिटिकल एण्ड पैक्ट्रिकल एप्लीकेशन्स, विश्व बैंक संस्था, विश्व बैंक वाशिंगटन, टी0 सी0।

सी0 ए0 जी0 (1982), रिपोर्ट ऑफ सी0 ए0 जी0 फोर द ईयर 1980–81 (सिविल) जी0 ओ0 यू0 पी0 सुपरिटेन्डेन्ट प्रिन्टिग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद।

धौल, एच0 (2005) व्हाट हबल्स इलेक्ट्रिसिटी रिफौम्स ? दा इकोनोमिक टाइम, मई 10 मंगलवार पे0 15, नई दिल्ली।

धवन (1982) डवलेपमेन्ट ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन इन इण्डिया, एग्रीकल्चरल पब्लिशिंग एकेडमी, नई दिल्ली।

धवन (1985) ''इरिगेशन्स इम्पैक्ट आन द फार्म इकोनॉमी'' इकोनॉमी एण्ड पॉलिटिकल वीकली, बाल 20, नं0 39।

धवन बी0 डी0रू (1995) ग्राउन्डवाटर डीप्लीशन, लैण्ड डीग्रीडेशन एण्ड इन्टिग्रेटेड, एग्रीकल्चर इन इण्डिया, कॉमन वेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

फिरोदिया, ए0 (2005) नो स्वीट : टैकेल पावर क्राइसेस बाई रिड्यूसिंग कन्सम्पशन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रैल 25ए सोमवार, लखनऊ।

भारत सरकार, (2002–07) दसवीं पंचवर्षीय योजना, बाल–II योजना आयोग, नई दिल्ली।

भारत सरकार, (2005) नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पोलिसी –2003, उर्जा मंत्रालय, फरवरी, नई दिल्ली

भारत सरकार, (1987–2002) नवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन, योजना आयोग, नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश सरकार (2003) नेशनल सिम्पोलियम आन वाटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट विद रिफरेन्स टू गंगा बेसिन, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, उत्तर प्रदेश सरकार।

उत्तर प्रदेश सरकार (1992–97) आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन, योजना आयोग, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार (2002–2003) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) तथा वार्षिक योजना (2002–03) बाल–1, भाग–II राज्य योजना आयोग।

उत्तर प्रदेश सरकार (2003–04) वार्षिक योजना (2003–04) बाल–1 भाग–II राज्य योजना आयोग।

उत्तर प्रदेश सरकार (2004–05) वार्षिक योजना (2004–05) बाल–1 भाग–II राज्य योजना आयोग।

गुलाटी ए : रूथमेन्जन डिक : के0 वी0 राजू (2005) इन्स्टीट्यूशनल रिफाम्स इन इण्डियन इंटिगेशन, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

ज्यूरेल, आर0 एस0 एट0 आल (2003) ''इम्पेक्ट ऑफ ग्राउन्डवाटर इरिगेशन एग्रीकल्चर एण्ड इन्वारन्मेन्ट इन द गैन्जेटिक प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' राष्ट्रीय संगोष्ठी वाटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट विद रिफरेन्स टू गंगा बेसिन, सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित, उत्तर प्रदेश सरकार।

कढ़ियाली एट आल (2003) स्ट्डी ऑफ सोशल एण्ड इकोनोमिक इम्पैक्ट ऑफ रूलर रोड्स अन्डर उत्तर प्रदेश डाइवर्मीफाइड सपोर्ट प्रोजेक्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट, उत्तर प्रदेश सरकार।

कानन, के0 पी0 एट आल (2002) ''प्लाइट आफ द पावर सेक्टर रिर्फोम्स इन इण्डिया : ''इनडफिशियन्सी रिफार्म एण्ड पोलीटिकल इकोनोमी, सेन्टर फार डेवलपमेन्ट स्टडीज, तिरूवन्थपुरम्।

मोहन, ए0 (2005) ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फार ग्रोथ एण्ड डेवलपमेन्ट, द टाइम्स ऑफ इण्डिया, मई 17 पे0 4, लखनऊ।

पन्त, एन0 (2004)''ट्रेड ऑफ ग्राउन्डवाटर इंटिगेशन इन इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ई0 पी0 डब्लू0 वाल0 39,न0 31 जुलाई, 31

प्रभु, एल0 (2005) ''वाट हब्बल्स इलेक्ट्रिसिटी रिर्फोम्स, द इकोनोमिक टाइम्स, मई 10 मंगलवार, पे0 15, नई दिल्ली।

राम0 धनेश्वर, (2003) '' स्ट्रेटजीस ऑफ इंटिगेशन एण्ड वाटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट फार ओपटिमाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द गंगा बेसिन राष्ट्रीय संगोष्ठी, वाटर रिर्सोसेज मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेन्ट विद रिफरेन्स टू गंगा बेसिन, सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित, उत्तर प्रदेश सरकार।

राय, धनेश्वर (2004) ''ग्राउन्ड वाटर रिर्सोसेज इन उत्तर प्रदेश'' बेसिन प्लानिंग इन उत्तर प्रदेश कार्यशाला में राज्य जल स्रोत संस्था द्वारा आयोजित 15 अक्टूबर, लखनऊ।

राव, सी0 एच0 हनुमया (2005) एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, पावर्टी एण्ड इन्वायरमेन्ट, एसेज आन पोस्ट रिर्फोम इण्डिया, आक्स फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

शंकर, क्रिया (1982) ''वार्किंग आफ स्टेट ट्यूबवेल इन फूलपुर ब्लाक आन इलाहाबाद डिस्ट्रीक्ट'' जी0 बी0 पन्त सामाजिक विकास संस्थान, इलाहाबाद।

सिंह ए0 के0 : यशवीर त्यागी तथा सनातन नायक (2004) इकोनोमिक एण्ड फाइनेन्शियल एनालिसिस पर परियोजना रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश डाइवर्सीफाइड सपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रस्तुत, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।

सिन्हा, एस0 (2005) इन्ट्रोड्यूसिंग कम्पटीशन इन पावर सेक्टर : ओपेन एसेज एण्ड क्रास सब्सिडीज, इकोनॉमी तथा पॉलीटिकल वीकल, वाल्यूम XL नं0 7 फरवरी 12–18।

उत्तर प्रदेश इलक्ट्रीसिटी '' एयूलेटरी कमीशन (2004–05) टैरिफ रिपोर्ट फॉर यू0 पी0 पी0 सी0 एल0, लखनऊ।

दसवी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षेत्र में लक्ष्य तथा उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण

मद	लक्ष्य	उपलब्धि 2004–05 तक	अन्तर	कारण	क्या करने की आवश्यकता है।
सिंचाइ में सार्वजनिक निवेश	760735	लगभग 82% सार्वजनिक निवेश वृहद् तथा मध्यम सिंचाई में गये जबकि लघु का अंश तथा सी0 ए0 डी0 कम हो रहें हैं	अताकैक निधि का वितरण	निर्माण का मूल्य 0 तथा M मूल्य बढ़ रहा है।	कोष का विचलन सी0 ए0डी0 तथा लघु सिंचाई की आवश्यकता है
भौतिक उपलब्धि	31915.96 लाख हेक्टेयर	23296.38 लाख हेक्टेयर	सामर्थ्य तथा उपभोग में अन्तर का वढ़ना	निर्माण का मूल्य O तथा M मूल्य, कम जल दर, भूमि निम्नता	उपयुक्त निर्देशक तथा कार्यवाहर सुधार
निवेश का कम फेलाव	अधिक से अ धिक परियोजनाएं	नये तथा चल रहे परियोजनाओं का पूर्ण न होना	....	निधि की कमी तथा व्यय का वढ़ना	चल रही परियोजनाओं को सबसे पहले पूर्ण करना
सिंचाई के कारण भूमि निम्नता (जल भराव तथा क्षारीयता)	12 लाख हेक्टेयर	1.6 लाख हेक्टेयर प्राप्त हुई	10.40 लाख हेक्टेयर	सिंचाई व्यवस्था के प्रबन्धन में कमी	बचाव तथा सुरक्षा के मापन
जल प्रयोग में हानि तथा अशुद्धता	60 प्रतिशत क्षमता	30–40 प्रतिशत	20–30 प्रतिशत	प्रबन्धन में कमी, टूट तथा निम्न जल दर	जल दर का तार्किकीकरण सहभागी सिंचाई प्रबन्धन
जल स्तर का गिरना	प्रतिवेदित क्षेत्र का 10% अर्द्ध संकटपूर्ण तथा संकटपूर्ण क्षेत्र	गम्भीर कदम नहीं उठाये गये	....	सतही तथा सब–सतही संरक्षण में कमी	सिंचाई का संयुक्त उपयोग
निजी सिंचाई	....	निजी क्षेत्र तथा भूमिगत जल सिंचाई बढ़ रही है	निजी तथा भूमिगत सिंचाई, नहर सिंचाई का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता	....	सार्वजनिक सिंचाई को निजी सिंचाई का सहयोग करना है
जल दर का तार्किकीकरण	जल दर को तार्किक करने की आवश्यकता	....	....	जल दर का संशोधन केवल हल नहीं है	पी0आई0एम0 सहभागिता ग्राम पंचायत द्वारा बेहतर कर सकती है

दसवी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में लक्ष्य तथा उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण

मद	लक्ष्य	उपलब्धि 2004–05 तक	अन्तर	कारण	क्या करने की आवश्यकता है।
विद्युत उत्पादन का (एम0 यू0)	अतिरिक्त 4898. 33 मी0वा0 से 24484 मीव वा0 2001–02 में	1425 मी0 वा0 कम हुआ	अन्तर 6323.33 मी0वा0 बढ़ा	अतिरिक्त उर्जा उत्पन्न करने में अक्षम तथा 2001–02 में प्राप्ति वाली उपलब्धि	प्रारम्भ में सार्वजनिक निवेश एक बेहतर स्तर के लिए बढ़ाकर तथा फिर निजी सहयोग को आर्कषित करना जब यह लाभकारी हो। अन्य राज्यों का आकलन करके
संशोधन तथा आधुनिकीकरण (रू0 करोड़ में)	2439	330	2108	1. उपयुक्त निधि समय से मिलना 2.विद्युत वित्तीय निगम से कर प्राप्ति में देर	इन समस्याओ का हल करना
निजीकरण	विद्युत उत्पादन के लिए चार कम्पनी को स्थापित करना	यह अनुमान लगाया गया कि 1594 एम0 यू0 दिसम्बर 2006 तक उत्पन्न होगी निजी क्षेत्र द्वारा प्रेषण व वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ	निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्ति बहुत कम है	निजी क्षेत्र के लिए नियम तथा कानून अधिक लाभकारी नहीं हैं	निजीकरण ही केवल समाधान नहीं है
प्रेषण तथा वितरण	.....	.....	उन्नति संतोषजनक नहीं है तथा हानियां खपत की 40 प्रतिशत हैं	चोरी, उठाई गिरि, तथा बिना मीटर के आपूर्ति आदि	भूमिगत केवल 400 कि0 वा0 वोल्टेज, कोट ट्रान्सफार्मर आदि
कर संशोधन	......	......	भारी हानि यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा अपने ऊपर लेना	कृषि घरेलू क्षेत्र के निरर्थ योगदान तथा उच्च आर्थिक सहायता देना	घरेलू तथा सिंचाई क्षेत्र में कर को बढ़ाया जाए जिसे उपभोक्ता दे सके
ग्रामीण विद्युतीकरण	17,693 ग्राम	2164 ग्राम	15,529 ग्राम	निधि तथा विद्युत की कमी	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त कोष का होना तथा अधिक उर्जा उत्पादन अधिक परिवारों को विद्युतीकृत करने के लिए
नलकूपों का उर्जाकरण	50,000	19,000	31,000	निधि की कमी	नलकूपों के लिए पर्याप्त निधि का होना
उर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्धन	......	......	निष्पादन बहुत खराब है	जागरूकता की कमी तथा मीडिया का उपयुक्त दिखावा	घरेलू सार्वजनिक स्थानों, कृषि उद्योग तथा यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा संरक्षण की आवश्यकता
गैर पारम्परिक उर्जा	......	......	इसके निष्पादन की प्रारम्भिक अवस्था	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा अल्प निवेश	निधि के मामले में अधिक ध्यान दें तथा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करें

दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में परिवहन क्षेत्र में लक्ष्य तथा उपलब्धि का विवरण

मद	लक्ष्य	उपलब्धि 2004–05 तक	अन्तर	कारण	क्या करने की आवश्यकता है।
नागरिक वायुयानचालय (रू0 करोड़ में)	5235	985	4249.46	निधि की कमी	कुछ निधि उन्नति तथा आधुनिकीकरण के लिये मिलनी चाहिए
सड़कें (राष्ट्रीय तथा राज्य मुख्य मार्ग)	1000 कि0मी0 9000 कि0मी0	100 कि0मी0 तथा 100 कि0मी0	900 कि0मी0 तथा 8900 कि0मी0	निधि की कमी	कार्य की गति वढ़ायें
ग्रामीण सड़कें	100 प्रतिशत गांव पक्की सड़क से तोड़ने हैं	2005 के अन्त तक भी 50 प्रतिशत गांव में पक्की सड़के नहीं हैं	50 प्रतिशत गांव	शुरूआत तथा निधि की कमी	गांव की सड़कें प्राथमिकता के आधार पर पूर्णक करनी है
यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 (भौतिक उपलब्धि)	......	मन्द	......	वाहन उत्पादन तथा स्टाफ उत्पादन कम है	नयी तकनीक का परिचय तथा बस स्टाफ अनुपात कम करना
वित्तीय उपलब्धि	......	......		कर की उच्च दर, अधिक कर्मचारी, वढ़ता ब्याज वोझ, निजी क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतियोगिता	वस स्टाफ अनुपात को कम करना तथा नियमित आधार पर पुरानी वसों को अलग कर देना

अध्याय दस

सामाजिक विकास

बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में भारत में भी विकास की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। यद्यपि सामाजिक विकास भारत में आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग रहा है, परन्तु नये परिवेश में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अब जबकि सरकार उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी से दूर रह रही है, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का विकास तेजी से करना सरकार की नई रणनीति में शामिल हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न सामाजिक पहलुओं का मूल्यांकन करेंगे।

शिक्षा

उत्तर–प्रदेश में जहां साक्षरता एक भीषण चुनौती है, वहीं शिक्षा के मामले में जटिलताएं बढती जा रही हैं। एक तरफ जहां प्रदेश मे अगले कुछ वर्षों मे सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना अपरिहार्य है, वहीं भारत कों 2010 तक विश्व में **ज्ञान की महाशक्ति** के रूप में अपने को स्थापित करने की चुनौती है। इस चुनौती में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि न केवल जनसंख्या के दृष्टिकोण से हर छठा भारतीय उत्तर प्रदेश का है। अपितु जनसंख्या संक्रमण में प्रदेश के पिछड़ने के कारण यहां युवाओं का अनुपात देश में बढ़ने वाले युवाओं के अनुपात से अधिक होगा।

उत्तर.प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति को समझने के लिए सबसे पहले तो इस मकड़जाल को समझना होगा कि शिक्षा के विभिन्न अवयव क्या हैं। दरअसल शिक्षा को विभिन्न चरणों के आधार पर बांटकर देख सकते हैं। इसमें हैं: प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा,एवं प्राविधिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 57.4 प्रतिशत थी जो कि भारत के औसत 65.4 प्रतिशत से काफी कम है। यह अलग बात है कि सर्वोच्च 90.9 प्रतिशत केरल में हैं। इसमें भी चिन्तनीय स्थिति महिला साक्षरता दर की है, जो 43.0 प्रतिशत है और भारत में यह 54.3 प्रतिशत है, जबकि सर्वोच्च 87.9 प्रतिशत केरल में है। फिर भी प्रदेश की दसवीं योजना में बालिकाओं की साक्षरता या शिक्षा को तेजी से बढ़ाने के लिए स्पष्ट और ठोस रणनीति का अभाव देखने को मिलता है।

बात जहां तक प्राथमिक शिक्षा की है, इस पर सरकार का ध्यान सर्वाधिक प्रतीत होता है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को 2007 तक सभी को शामिल करना है। इसके अन्तर्गत 6.11 वर्ष की आयु के सभी बच्चे साक्षर हो चुके होंगे। वार्षिक योजना 2004-05 के अनुसार स्कूलों की कमी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके अनुसार शिक्षक–छात्र के 1:45 वाले वांछित अनुपात को 2004-05 में 20000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति से पुरा कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात अब घटकर प्राथमिक स्तर पर 34 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 45 प्रतिशत हो गया है। यदि हम इन्ही सूचनाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो हम कह सकते हैं कि 2007 तक वांछित लक्ष्य अप्राप्य है, क्योंकि अभी शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश नही लग सका है। इसके अतिरिक्त हमने जनसंख्या बढ़नेके कारण बच्चों की बढ़ती आबादी को भी नजरंदाज किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए रू0 2795.65 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था है। परन्तु वास्तविक व्यय इससे काफी कम होने का अनुमान हें वर्ष

2002-03 में रू0 319.39 करोड़ के परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय 33 प्रतिशत कम अर्थात रू0 213.89 करोड़ हुआ। असी प्रकार 2003-04 में रू0 268.77 करोड़ की परिव्यय राशि की तुलना में वास्तविक व्यय 26 प्रतिशत घटकर रू0 198.68 करोड़ हुआ। वर्ष 2004-05 में 415.94 करोड़ रू0 की राशि आवंटित की गयी है। इससे भी गंभीर बात यह है कि प्रथम तीन वर्षों में प्रचलित कीमतों पर ही परिव्यय राशि दसवीं पंचवर्षीय योंजना के इस मद के परिव्यय राशि का मात्र 36 प्रतिशत ही था। वास्तविक व्यय तो इससे भी काफी कम है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर पाने में दिक्कतें अवश्य आंएगी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का ध्यान मुख्यतया शत–प्रतिशत साक्षरता पर अधिक है, इसकी गुणवत्ता पर कम। इसका एक कारण यह भी है कि शहरी या कस्बाई इलाकों में लोग सरकारी विद्यालयों के बजाए निजी विद्यालयों में भेजना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसके कई कारण हैं: जैसे कि आय, सामाजिक प्रतिष्ठा, गुणवत्ता इत्यादि। इसलिए सरकार के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वह ऐसे सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रमुख स्थानों पर न चलाए जहां अब इनकी आवश्यकता नही रह गयी है। इन पर व्यय होने वाले धन को वह आवश्यकता वाले क्षेत्रों में लगाए।

माध्यमिक शिक्षा वास्तव में अब विस्तार के साथ साथ गुणवत्ता की मोहताज है। क्योंकि यही वह चरण हैं जहां से बच्चे अपने भविष्य की संभावनाओं को टटोलना शुरू करते हैं। यह वह स्थिति है जहां पर सरकारी व निजी क्षेत्रों में व्यापक प्रतिस्पर्धा देखनें को मिलती है, तथा जहां पर सरकार की शिक्षा नीति व रणनीतियों का सरकारी व निजी स्कूलों पर एक साथ प्रभाव देखने को मिलता है। परन्तु वर्तमान स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार हो या फिर केन्द्र सरकार, दोनों ही उहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं, तथा अपनी प्राथमिकताओं को बताने व मनवाने में असहाय प्रतीत हो रहे हैं। राज्य की दसवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक तथा नई दिशा की ओर उन्मुख करने पर जोर दिया गया है। प्रथम तो अभी यह स्पष्ट नही है कि शिक्षकों के सेवाकाल में प्रशिक्षण को कहां तक वास्तविकता के धरातल पर उतारा गया है। विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों व आधुनिक साहित्य से कहां तक सुसज्जित किया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वास्तविक गुणवत्ता कितनी है। यहां यह बात कहना इसलिए अपरिहार्य हो जाता है कि गैर सरकारी व गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तथा इनमें छात्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, परन्तु इनके शिक्षकों की योग्यता पर प्रायः प्रश्न चिन्ह लगता है। राजधानी के नामी–गिरामी स्कूलों के एक अध्ययन से यह बात काफी कुछ स्पष्ट हो जाती है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों के पहले प्रतिष्ठित साकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या अचानक कम हो गयी है, क्योंकि वे अब गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों की ओर आकर्षित हो रहे है। ऐसे में उपरोक्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा प्रतीत होने लगी है। यदि इनको हम आवश्यकता वाले स्थानों पर उपयोग में ला सकें तो सीमित संसाधनों से अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा की दूसरी बड़ी समस्या बढ़ती कोचिंग प्रणाली है, जो यह उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि पाठ्यक्रम प्रणाली बोझिल तो है ही साथ ही योग्य व समर्पित शिक्षकों का भी टोटा है।

उत्तर–प्रदेश की उच्च शिक्षा एक कठिन दौर में है। जहां प्रदेश में उच्च शिक्षा निजीकरण की राह पर हैं, वहीं इसकी गुणवत्ता में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। दसवीं योजना में 18–23 आयु वर्ग के युवक युवतियों की पंजीकरण दर 6 प्रतिशत से उच्च बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। साथ ही उदारीकरण, गुंणवत्ता तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता के मूल्यांकन की भी बात स्पष्ट की गयी है। इसी के साथ दूरस्थ शिक्षा पर भी जोर दिया गया है.। परन्तु लगता है कि उच्च शिक्षा गुंणवत्ता के बजाए भीड़ का शिकार होती जा रही है। क्योंकि अधिकांश युवक युवतियां इसलिए प्रवेश लेते हैं कि उनको रोजगार नही मिल पा रहा है, तथा लड़कियों की सामाजिक दिक्कतों के कारण विवाह में दिक्कतें आ रही हैं। उच्च शिक्षा के गुणवत्ता विकास की आवश्यकता इसी

से समझी जा सकती है, दसवीं योजना ने 2010 तक भारत को **ज्ञान की महाशक्ति** बनाने की बात कही है। इसके लिए जहां विश्वविद्यालयों व कालेजों में प्रयोगशालाओं में व्यापक सुधार, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण व राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकों और पत्र- पत्रिकाओं की व्यापक उपलब्धता, शोध के लिए उपयुक्त सुविधाओं आदि की आवश्यकता होती है। परन्तु इस ओर व्यापक निराशा है। यह इसी बात से समझा जा सकता है कि दसवीं योजना में उच्च शिक्षा के लिए मात्र 168.18 करोड़ रू0 का परिव्यय निर्धारित है, और इसकी भी प्रतिपूर्ति हो पाना नामुमकिन है। वर्ष 2002–03 में 17.11 करोड़ रू0 के परिव्यय के विपरीत वास्तविक व्यय 12.12 करोड़ रू0 हो सका। वर्ष 2003–04 में पुनः 17.11 करोड़ रू0 के परिव्यय के विपरीत वास्तविक व्यय वृद्धि बढ़कर 21.66 करोड़ हुई। वर्ष 2004–05 में 43.89 करोड़ रू0 का परिव्यय निर्धारित है। इस प्रकार दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल परिव्यय राशि का आधे से भी कम परिव्यय रखा गया व वास्तविक व्यय इससे भी कम होने की संभावना है। गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार को व्यापक सुधार करना होगा जिसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप कम करते हुए उपयुक्त वातावरण तैयार करना होगा। यदि ध्यान दिया गया तो हम उच्च शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाकर विदेशी छात्रों को भी आकर्षित कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा के साथ साथ प्राविधिक शिक्षा का महत्व भी बदलती आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ता जा रहा है, जहां वैश्वीकरण के कारण एक ओर चुनौतियां बढ़ रही हैं, वहीं उपयुक्त रणनीतियों से इन चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए स्वरोजगार व औद्योगिक आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता युक्त डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को व्यापक स्तर पर भागीदारी करने के लिए दरवाजा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में दसवीं योजना के लिए 989 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान है। वर्ष 2002-03 में 15 करोड़ रू0 का परिव्यय तय था, परन्तु वास्तविक व्यय 11.64 करोड़ रू0 ही हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में 75.10 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रावधान था, परन्तु वास्तविक व्यय मात्र 8.75 करोड़ ही हुआ। वर्ष 2004-05 के लिए 78.19 करोड़ रू0 का परिव्यय तय किया गया है। तकनीकी शिक्षा के बदलते परिवेश में इसकी गुणवत्ता व शोध की कार्यशैली को बढ़ावा देने की है। लेकिन यहां चिन्ताजनक बात यह है कि निजीकरण का सही प्रभाव देखने को नही मिल रहा है। इसमें सर्वाधिक निराशा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के कार्यकलापों व प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, जिससे राज्य के सभी निजी क्षेत्र के मैनेजमेन्ट व इंजीनियरिंग कालेज जुड़े हैं। इनमें शोध का सर्वथा अभाव है। शिक्षकों की योग्यता मापदण्ड के अनुरूप नही है। इनमें गुणवत्त से ज्यादा धनोपार्जन पर जोर है, जो प्रदेश के समुचित विकास के लिए उपयुक्त नही है।

जनसंख्या

जनसंख्या यदि एक वरदान है तो अनपेक्षित जनसंख्या एक अभिशाप भी है। उत्तर-प्रदेश में पर छठा भारतीय निवास करता है। यदि हम सबको विश्व के अन्य देशों की जनसंख्या के आधार पर तुलना करें तो पता चलता है कि उत्तर-प्रदेश का छठवां स्थान है। इस प्रकार विश्व का हर सैंतीसवां नागरिक उत्तर-प्रदेश का है। विकास में उत्तर–प्रदेश की कच्छप गति पहले ही देखी जा चुकी है। यदि हम तालिका P-1 को देखें तो पता चलता है कि 2001 में 16.6 करोड़ की सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर न केवल काफी ऊंची है अपितु इसमें अभी भी बढ़त जारी है। इसके विपरीत भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का रूख प्रारम्भ हो चुका है। साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तर–प्रदेश की स्थिति बिहार व जम्मू एवं कश्मीर के बाद सबसे

खराब है। यहां आधी से ज्यादा महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। यदि हम विकास के कुछ और सूचकों को देखें तो निम्न नगरीकरण व अत्याधिक प्रतिकूल लिंग अनुपात उत्तर–प्रदेश की सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को खुद स्पष्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक अन्तर अभी व्याप्त है (तालिका P-2)।

दरअसल उत्तर–प्रदेश अभी भी जनसंख्या संक्रमण के शुरूआती दौर में है, यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर देश से काफी ज्यादा है। मृत्यु दर 2002 में 9.7 थी, जो कि सर्वोच्च 9. 8 (मध्य–प्रदेश और उड़ीसा) के पास ही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा जन्म दर उत्तर प्रदेश में 31.6 है जो कि सर्वाधिक है। यह स्थिति उत्तर–प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में है। उत्तर–प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 80 है जो कि उड़ीसा (87) और मध्य–प्रदेश (85) के बाद सर्वाधिक है। दसवीं योजना के अुसार योजना के अन्त तक अर्थात 2007 तक जन्म दर घटाकर 72 तक करने का लक्ष्य है। प्रथम तो यह कि यह तीनों ही लक्ष्य अप्राप्य हो सकते हैं, विशेष रूप से जन्म दर में तो इतनी कमी वर्तमान परिस्थितियों में ला पाना असम्भव सा लगता है। इतनी तीव्र गिरावट अब तक किसी भी राज्य में नही आ पायी है। ऐसा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि साक्षरता विशेष रूप से महिला साक्षरता काफी कम है। जन्म दर पर नियन्त्रण पर कोई ध्यान नही है, क्योंकि न तो प्रचार प्रसार है और न ही उपयुक्त सुविधाओं का विस्तार, सामाजिक आर्थिक स्तर और जागरूकता का अभाव है, जन्म दर को इतने कम समय में एक तिहाई कम करना मुश्किल है। इसकी बानगी प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 की उपेक्षा से पता चलता है। मृत्यु दर में कमी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, पोषण और सामाजिक स्तर के साथ साथ लिंग समानता पर भी निर्भर करता है। इसके बावजूद यदि 2007 तक शिशु मृत्यु दर मात्र 72 तक ही घटती है तो न तो जन्म दर को कम किया जा सकता है और न ही मृत्यु दर को। कुल मिलाकर जनसंख्या नियन्त्रण के मामले में एक विशेष पहल की आवश्यकता है। यह इसलिए कि अब लक्ष्य रहित परिवार कल्याण व जागृति व स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सुविधा के अभाव में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगा पाना दसवीं योजना मे मुश्किल प्रतीत होता है।

नियोजन

नियोजन एक ऐसी प्रकिया है जो सूचना रणनीति और कार्यक्रम कियान्वयन के बीच एक सशक्त धुरी का कार्य करती है। यहां पर हम भारतीय परिवेश में राज्य स्तर की नियोजन प्रणाली की अन्तर्निहित समस्याओं एवं विरोधाभासों का वर्णन तो नही कर सकते हैं, लेकिन एक सशक्त नियोजन प्रणाली के लिए उत्तर प्रदेश में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना अपेक्षित प्रतीत होता है :

- एक उपयुक्त सूचना प्रणाली जो कि नियोजन प्रकिया के विभिन्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश हेतु अपरिहार्य हैं। यह एक विडम्बना है कि कभी उत्तर प्रदेश का अर्थ और संख्या प्रभाग तथा Perspective Planning Division सबसे बेहतर संस्थाओं में माना जाता था जो न केवल समंकों का समयबद्ध व कमबद्ध तरीके से संकलन करते थे, वरन उनका शोध में इस्तेमाल करके एक उपयुक्त विश्लेष्णात्मक परिवेश तैयार करते थे। आज उत्तर प्रदेश में समंकों के संकलन व उनके नवीनीकरण पर विशेष ध्याान देने की आवश्यकता है।
- संसाधनों की समुचित जानकारी व उनका समय से दोहन न केवल संसाधनों की प्रतयक्ष सार्थकता को बढ़ापे में मद्दगार होता है, अपितु परोक्ष लाभों का तीव्र गति से बढ़ाकर सम्पूर्णता में विकास प्रक्रिया को सम्बल प्रदान करना है।

- एक स्पष्ट एवं वस्तुपरक लक्ष्य व सटीक रणनीति किसी भी योजना की अपरिहार्य विशेषता होती है। परन्तु संसाधनों की धूमिल तस्वीर, कार्यक्रमों के बारे में लोगों में जानकारी का अभाव व बार बार अनुकूल होने पर भी परिणाम अपेक्षित नही होते हैं।
- एक सफल रणनीति के लिए आवश्यक है कि किसी भी अवधि के लिए रणनीति व लक्ष्य का खुलासा समय से हो। प्रायः यह समस्या विभिन्न कड़ियों में ताल मेल के अभाव के कारण समाप्त करना मुश्किल होता है।
- यह भारत व उत्तर–प्रदेश की रणनीतियों व नियोजन में एक अन्तर्निहित दोष है कि हम अपना लक्ष्य पिछली किसी जनगणना को आधार बनाकर रणनीतियां बनाते हैं, जिससे नियोजन प्रणाली में एक तनाव प्रारम्भ से ही घुसपैठ कर लेता है। यह वास्तविकता से परे होता है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

आर्थिक विकास के क्रम में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि विकास ऐसा हो जिसका लाभ सबको मिल सके ओर इसका लाभ विकास को पोषणीय बनाने में मिल सके। इसीलिए मानव विकास के ऐसे पहलुओं को विश्व स्तर पर केन्द्र बिन्दु बनाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसका लाभ मानव समुदाय के प्रत्येक सदस्य को मिल सके। इस प्रयास के प्रतीक के रूप में हम यू. एन. डी. पी. द्वारा 1990 से प्रारम्भ किये गये सालाना मानव विकास रिपोर्ट के रूप में देख सकते हैं, जो हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास के बदलते पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का एक विशेष स्थान है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर–प्रदेश की दसवीं योजना में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में यूं तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को काफी ज्यादा महत्व देने की बात कही गयी है,, और यह भी कहा गया है कि वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के दायरे में अपनी रणनीति तय करेगी। इससे पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि प्रदेश की अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई सुदृढ़ स्वास्थ्य नीति नही है, जिसको बनाये जाने की अति आवश्यकता है। दूसरे दसवीं योजना में जिस प्रकार की आवश्यकताएं बतायी गयी हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं, वे काफी ढुलमुल से प्रतीत होते हैं।

फिर भी यदि हम सर्वप्रथम संसाधनों पर गौर करें तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर–प्रदेश में कुल 2044.8 करोड़ रू0 की मंजूरी दी गयी है। इसमे से 993.9 करोड़ रू0 वाह्य सहायता कार्यक्रम (EAP) के अन्तर्गत है, जबकि 329.5 करोड़ रू0 प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (PMGY) के और 21.4 करोड़ रू0 ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत है। इसमें से वाह्य सहायता कार्यक्रम से प्राप्त वांछित राशि पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस मद का समुचित दोहन रणनीतियों की कमजोरी के कारण नही हो पा रहा है। वर्ष 2002–03 में 313.3 करोड़ रू0 की राशि का परिव्यय निर्धारित किया है, जबकि वास्तविक व्यय मात्र रू0 270.4 करोड़ हुआ। इसी प्रकार 2003–04 में 339.4 करोड़ रू0 की राशि का परिव्यय निर्धारित किया गया था, परन्तु अनुमानित व्यय तो विगत वर्ष से भी कम अर्थात 197.5 करोड़ रू0 रहने का अनुमान है। वर्ष 2004–05 में यह पिछले वर्ष की परिव्यय राशि से भी कम अर्थात 330.1 करोड़ रू0 तय किया गया है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्षों का कुल परिव्यय राशि ही दसवीं योजना के कुल परिव्यय का मात्र 48 प्रतिशत है। जबकि व्यय तो इससे भी काफी कम है। ऐसे में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए तय किये गये लक्ष्यों को हासिल कर पाना दुष्कर होगा। हालांकि यह भी एक सत्य है कि नवीं योजना में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर प्रदेश का कुल योजना व्यय का मात्र 2 प्रतिशत व्यय हुआ था, तथा

पहली से नवीं योजना तक का औसत 3 प्रतिशत है। वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 4 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित किया गया है।

संसाधनों की कमी का बुरा प्रभाव दसवीं योजना में यूं तो सभी मदों पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो मदें सबसे ज्यादा दृष्टिगत हो रही हैं वे हैं: स्वास्थ्य केन्द्रों का अपेक्षित संख्या में विस्तार। इनमें ळी सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं: निर्माण कार्य विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र। दर असल इनसे अपेक्षा है कि हर विकास खण्ड स्तर पर एक सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना से विभिन्न प्रकार की विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीणों को उनके नजदीक ही गुणवत्ता के साथ प्राप्त होंगी। दसवीं योजना में इस प्रकार के 200 केन्द्रों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले दो वर्षों में मात्र 55 ही पूरा हो सकने की उम्मीद है।

ऐच्छिक क्षेत्र

यूं तो ऐच्छिक क्षेत्र का समाज में सदैव ही अस्तित्व रहा है और इनकी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक पहल रही है, परन्तु आधुनिक व तत्काल परिवेश में ऐच्छिक संगठनों की भूमिका काफी बढ़ गयीहै। भारत में भी अब मान्यता यह है कि ऐच्छिक संगठन विकास में योगदान के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज तथा अन्य निजी क्षेत्रों की तरह विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। ऐच्छिक संगठन एक गैर लाभकारी , गैर सरकारी व स्वायत्त संस्था है, जिसको मुख्य रूप से आम जनता से नगद व अन्य प्रकार से सहायता मिलती है। ऐच्छिक संगठन कई प्रकार के दायित्व तथा विकास, सहायता व अल्पकालीन सहायता में लिप्त होते हैं। निजी लोगों के एक समूह या गैर सरकारी संगठनों द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। इसका प्रबन्धन स्वतन्त्र एवं सदस्यों द्वारा चयनित लोगों द्वारा किया जाता है, जो वित्तीय रूप से स्वतन्त्र होता। दरअसल वर्तमान परिवेश में इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि सरकार के कियाकलापों व जनता की अपेक्षाओं के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। जिसकी भरपाई कोई स्वतन्त्र गैर सरकारी संगठन ही करने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। ऐच्छिक संगठनों द्वारा प्रतिपादित कियाकलापों में व्यापक बदलाव आया है। जो कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को समायोजित भी कर रहा है।

उत्तर–प्रदेश में भी ऐच्छिक संगठनों की बढ़ती भूमिका को स्वीकार किया गया है। इसका पता इसी बात से चलता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में अब इसका अलग से जिक किया जाने लगा है। उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जो कि ऐच्छिक संगठनों के लिए उपयुक्त माहौल बना सके। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में इनके लिए धन का प्रावधान भी विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा है। परन्तु सबसे बड़ी समस्या राज्य सरकार के सामने यह है कि गैर सरकारी संगठनों की कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नही है। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य योजना आयोग के तहत एक व्यवस्था गैर सरकारी संगठनों के बारे में डेटा बैंक स्थापित करने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि इससे सरकार व इन संगठनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा तथा, उपयुक्त संगठनों का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चयन प्रकिया सुगम तथा ज्यादा प्रभावी बन सकेगी। फिलहाल राज्य सरकार के पास किसी प्रामाणिक सूची का अभाव है, जो यह बता सके कि राज्य में कितने स्वयं सेवी संगठन हैं। उनकी विशेषज्ञता किस क्षेत्र में है, उनके द्वारा कार्य का क्या अनुभव है, उनके द्वारा सम्पादित कार्य की गुणवत्ता क्या है, उनकी जनता के बीच क्या छवि है, और उनका संचालन किन लोगों द्वारा किन निहित कार्यों द्वारा किया जा रहा है, तथा उन्होंने सरकारी धन के अलावा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन जुटाने के लिए और क्या प्रयास किये हैं।

स्वयं सेवी संगठनों के प्रदत्त नियोजन धनराशि का वर्णन तालिका V-1 में किया गया है। इसको देखने से निम्न तथ्यों का बोध होता है:

- सरकार अब ऐच्छिक संगठनों के विकास कार्यों में महत्व को समझते हुए इनके लिए चयनित कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में धन का आवंटन सुनिश्चित करने लगी है।
- नंवी पंचवर्षीय योजना में कुल 169.3 करोड़ (1996–97 की कीमतों पर) की राशि का आवंटन किया गया था, परन्तु वास्तविक व्यय, परिव्यय के मुकाबले 28 प्रतिशत कम था।
- नंवी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कोई राशि आवंटित नही की गयी थी, फिर भी इन पर कुल वास्तविक व्यय का 12 प्रतिशत व्य य किया गया। निश्चित तौर पर परिव्यय के मुकाबले कुल व्यय राशि पहले ही कम थी, ऐसे में जिन मदों पर व्यय निर्धारित था उन पर व्यापक कटौती करनी पड़ी। यह मुख्यतया जल आपूर्ति व सेनिटेशन पर था, जबकि महिला कल्याण पर व्यय अधिक किया गया।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना में पिछली योजना के मुकाबले परिव्यय राशि ऐच्छिक संगठनों के लिए बढ़ाकर 536 करोड़ रू0 निर्धारित की गयी है। यह प्रदेश के कुल योजना परिव्यय का 0.9 प्रतिशत है। जबकि नवीं योजना में ऐच्छिक संगठनों द्वारा कुल योजना व्यय का 0.5 प्रतिशत ही हिस्सा था।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक 80 प्रतिशत का आवंटन कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है, जबकि साामजिक कल्याण व पोषण के लिए कोई राशि निर्धारित नही की है।
- इस योजना में भी आवंटन या व्यय में कोई स्पष्ट तालमेल नही है। यह प्रथम तीन वार्षिक योजनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है।

कुल मिलाकर ऐच्छिक संगठनों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अभी भी प्रदेश सरकार के पास इस तरह के संसाधनों की स्पष्ट जानकारी नही है, और न ही कोई स्पष्ट दृष्टिकोण। इन पर योजना राशि के अधिक या कम व्यय से भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना काफी दुष्कर है। अभी स्पष्ट सूचना या स्पष्ट रणनीति के अभाव में इनके मूल्यांकन पर भी कुछ स्पष्टता नही है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं सेवी संगठनों के बारे मे स्पष्ट सूचना हो तथा यह भी देखा जाये कि क्या वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल सरकारी धन पर ही आश्रित हैं या फिर अन्य स्त्रोतों से भी संसाधनों को जुटा रहे हैं।

तालिका V-1

स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए योजना परिव्यय व वास्तविक व्यय

(लाख रू0)

	नंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)			दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए 2001-02 की कीमतों पर स्वीकृत परिव्यय	2002-03 (प्रचलित कीमतों पर)		2003-04 (प्रचलित कीमतों पर)		2005 प्रस्तावित परिव्यय (प्रचलित कीमतों पर)
	स्वी.परि. (1996-97 की.)	वास्त.व्यय (प्रचलित की.)	वास्त.व्यय (1996-97 की.)		स्वी.परि	वास्त.व्यय	स्वी.परि	वास्त. व्यय	
कृषि	--	1359.63	1040.19	42874.00	599.90	599.90	7683.00	7683.00	530.61
मृदा और जल संरक्षण	--	479.75	369.66	1963.00	546.00	276.00	545.00	228.00	591.00
जल आपूर्ति और सेनिटेशन	13142.93	10631.68	8656.30	6750.00	6250.00	3478.04	1310.00	2440.82	300.00
महिला कल्याण	522.53	1096.24	863.01	1591.91	544.01	444.45	--	170.74	713.02
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण	3190.00	437.25	362.32	424.82	138.86	48.24	394.87	1.01	2434.94
सामाजिक कल्याण	72.00	--	--	--	--	--	--	--	--
पोषण	--	1116.01	856.38	--	--	560.23	--	452.25	--
कुल योग	16927.46	15120.56	12147.85	53604.10	8078.97	5406.64	9932.57	10976.31	4569.07

तालिका P-1

अन्तर्राज्यीय जनसंख्या सम्बन्धी कुछ विशेषताएं

राज्य	दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर (%)		लिंग अनुपात 2001	साक्षरता दर 2001*	शहरी जनसंख्या का अनुपात(%) 2001
	1981-91	1991-2001			
आन्ध्र प्रदेश	24.2	13.9	978	61.1 (51.2)	27.1
असम	24.2	18.9	932	64.3 (56.0)	12.7
बिहार	23.5	28.4	921	47.5 (33.6)	10.5
गुजरात	21.2	22.5	921	70.0 (58.6)	37.4
हरियाणा	27.4	28.1	861	68.6 (56.3)	29.0
हिमाचल प्रदेश	20.8	17.5	970	77.1 (68.1)	9.8
जम्मू एवं कश्मीर	30.3	29.0	900	54.5 (41.8)	24.9
कर्नाटक	21.1	17.3	964	67.0 (57.5)	34.0
केरल	14.3	9.4	1058	90.9 (87.9)	26.0
मध्य प्रदेश	27.2	24.3	920	64.1 (50.3)	26.7
महाराष्ट्र	25.7	22.6	922	77.3 (67.5)	42.4
उड़ीसा	20.1	15.9	972	63.6 (51.0)	15.0
पंजाब	20.8	19.8	874	70.0 (63.6)	34.0
राजस्थान	28.4	28.3	922	61.0 (44.3)	23.4
तमिलनाडु	15.4	11.2	986	73.5 (64.6)	43.9
उत्तर प्रदेश	25.6	25.8	898	57.4 (43.0)	20.8
पश्चिम बंगाल	24.7	17.8	934	69.2 (60.2)	28.0
सम्पूर्ण भारत	23.9	21.3	933	65.4(54.3)	27.8

* कोष्ठक में महिला साक्षरता दर प्रदर्शित की गयी है।

तालिका P-2

जनांकिकी सम्बन्धी कुछ आंकड़े

भारत/उत्तर प्रदेश उच्चतम/निम्नतम जिले	जनसंख्या वृद्धि दर 1991-2001(%)	परिवार का औसत आकार 2001	लिंग अनुपात 2001	0-6 आयु वर्ग से लिंग अनुपात 2001	साक्षरता दर (%) 2001	महिला साक्षरता दर (%) 2001
भारत	21.30	5.3	933.0	927.0	64.8	53.7
उत्तर प्रदेश	25.85	6.5	898.0	915.6	56.3	42.2
सर्वाधिक स्थान प्राप्त जिला	47.19 (गाजियाबाद)	8.4 (संतरविदास नगर)	1020.0 (आजमगढ़)	969.7 (बहराईच)	74.4 (कानपुर नगर)	67.5 कानपुर नगर
न्यूनतम स्थान प्राप्त जिला	12.97 बागपत	5.7 (लखनऊ)	839.9 (मथुरा)	850.4 (बागपत)	33.8 (श्रावस्ती)	18.6 (श्रावस्ती)

एक समन्वित स्वरूप

उपरोक्त चर्चा से एक बात यह स्पष्ट होती है कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण तो है ही, परन्तु यदि हम इसका समुचित दोहन कर सकें तो यह दीर्घकालीन रणनीति के तहत निर्णायक भी साबित हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास पर यूं भी अब ध्यान केन्द्रित हो रहा है। यह जहां वर्तमान में प्रदेश के लिए एक चुनौती है, वहीं सटीक रणनीति से इसको सुअवसर में परिणित किया जा सकता है। इन सबको मूर्त रूप देने में विभिन्न सशक्त माध्यमों की आवश्यकता होती है, वह चाहे सरकारी हो या गैर–सरकारी हों या फिर जनसहयोग से यर्थाथ रूप दिया जाये । हम उपरोक्त चर्चा के विभिन्न बिन्दुओं को सार के रूप में निम्नवत प्रदर्शित कर रहे हैं :–

- उत्तर–प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का दौर अनवरत जारी है, तथा जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है।
- जनसंख्या वृद्धि पर हमारी निम्न आर्थिक विकास को और संकुचित कर रही हैं।
- शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति नजर आ रही है, परन्तु लक्ष्य को देखते हुए रफ्तार काफी मन्द है।
- महिला साक्षरता और शिक्षा पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्रदेश में विभिन्न स्तरों की शिक्षा को अब व्यापकता प्रदान करने की आवश्यकता है, वह चाहे विश्वविद्यालय स्तरीय हो, तकनीकी हो या फिर मेडिकल और अन्य प्रकार की।
- उत्तर–प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का विस्तार अपेक्षित गति से नही हो पा रहा है, संसाधनों की कमी जहां एक समस्या है, वहीं संसाधनों का इस्तेमाल भी।
- उत्तर–प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए स्पष्ट रणनीति की कमी भी सामने आती है।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार अपरिहार्य है। प्रदेश में गरीबी और भुखमरी की व्यापकता तथा बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकारी क्षेत्र की भुमिका काफी बढ़ जाती है।
- प्रदेश में नियोजन प्रणाली में समयानुसार गत्यात्मक परिवर्तन के साथ–साथ जनसयोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना ज्यादा लाभप्रद हो सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण सम्भावनाएं

- साक्षरता जहां मानव विकास को प्रोत्साहित करेगी वहीं गरीबी की व्यापकता पर प्रहार भी होगा।
- गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा एक ओर अन्य स्थानों और देशों से छात्रों को आकर्षित कर सकती है, वहीं यह आधुनिक ज्ञान से सुसज्जित मानव संसाधन का दोहन बदलती आर्थिक परिस्थितयों में कर सकती है।
- गुणवत्ता युक्त समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं मानव संसाधन का विकास करने के साथ साथ जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश लगा सकती है।
- बढती जनसंख जहां वर्तमान और भविष्य में प्रदेश के लिए एक चुनौती है, वहीं इस चुनौती को एक कुशल मानव संसाधन रणनीति द्वारा एक महत्वपूर्ण सुअवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए सम्भव है कि भविष्य में जब देश के अनेकों प्रदेशों एवं विश्व के अनेकों भागों में आबादी अपेक्षाकृत बढ रही होगी , प्रदेश में नौजवानों की बहुतायत होगी।
- अनावश्यक रूप से ऐच्छिक संस्थानों पर निर्भरता बढ़ाने के बजाए, कुछ ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे जनसहभागिता बढ़ सके। यह जहां संसाधनों का अपव्यय रोक सकता है, वहीं लोगों में विश्वास और सजगता की अलख जगा सकता है।

अध्याय ग्यारह

सशक्तीकरण एवम् सामाजिक न्याय

महिला कल्याण को नियोजित विकास प्रकिया के अनुगामी अनुवर्ती के रूप में माना जा सकता है। महिलाएं अपनी उत्पादक और पुर्नउत्पादक दोनों भूमिकाओं में योगदान के कारण सामान्य जनसंख्या में महत्वपूर्ण भाग हैं। विकास प्रक्रिया में महिलाएं अपनी बहुआयामी संभाव्य क्षमता के कारण एक श्रेणी के रूप में जीवन शक्ति को आगे बढ़ाती हैं। समाज की पारिवारिक संरचना में जनसंख्या के स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव को बढ़ाती हैं। अतः महिला कल्याण को विकास का स्वप्रणोदक बनाने हेतु अति महत्वपूर्ण तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति

उत्तर-प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 47.33% महिलाओं की संख्या 7.86 करोड है। लिंग अनुपात पिछले दशक से 22 महिलाओं तक बढ़ा है। फिर भी यह राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से बहुत कम है, जो 2001 की जनगणना में 933 है। 1991 में स्त्रीलिंगानुपात 876 था, जो 2001 में बढ़कर 898 हो गया है। उत्तर-प्रदेश में पुरूष साक्षरता दर 68.8% और महिला साक्षरता दर 42.2% के आंकडे खराब स्थिति दर्शाते हैं। 1991 के आंकडों की तुलना में महिला साक्षरता (17.83%) में थोड़ा सुधार आया है, जो पुरूष साक्षरता में प्राप्त की गयी दर (13.98%) से भी अधिक है। भागीदारी के स्तर पर आंकड़े यही स्थिति दोहराते हैं। यहां सभी स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। 2001 में कार्मिक पुरूष जनसंख्या दर 47.4% के विपरीत कुल महिला जनसंख्या में से कार्मिक जनसंख्या दर 16.3% प्रतिशत है। पुनर्उत्पादक स्वास्थ्य की सूची में उत्तर-प्रदेश 22.8 अंकों के साथ सबसे नीचे

है।

	क्षेत्र	नवीं योजना के दौरान व्यय 1996-97 के मूल्यों पर	दसवीं योजना स्वीकृत परिव्यय	वर्षिक योजना 2002.03		वर्षिक योजना2003 -04 प्रस्तावित परिव्यय	वर्षिक योजना20 04-05 प्रस्तावित परिव्यय
				अनुमोदित व्यय	प्रत्याशित खर्च		
	1	2	3	4	5	6	7
VIII	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण						
1.	सामाजिक कल्याण	6027.20	17790.00	3453.00	3453.00	3453.00	
2.	विकलांगों का कल्याण	990.64	225.00	219.12	219.12	227.12	
3.	महिला कल्याण	8873.83	3000.00	710.00	344.79	600.00	
4.	पोषण	16440.86	77947.00	855.00	8550.00	8550.00	
	योगः सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	32332.53	98962.00	12932.12	12566.91	12830.12	
	कुल योगः महिला विशेष योजना	75386.30	149983.02	19207.58	18557.63	19131.45	

दसवीं योजना द्वारा महिला कल्याण

1. महिलाओं के प्रति भेद भाव के सभी रूपों का बहिष्कार।
2. सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करना और विश्वास निर्माण द्वारा स्वावलम्बन की उन्नति।
3. प्राथमिकता के स्तर पर समाज के प्रतिकूल क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान।
4. पंचायत राज संस्थाओं में सकिय सहभागिता द्वारा निर्णय लेने की प्रकिया में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी।
5. विशेष महिला योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी।
6. महिला स्वयं सहायता समूहों के संगठनों द्वारा महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को तेज करना।

अध्यक्ष जिला पंचायत	53.62%
सदस्य जिला पंचायत	37.06%
अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत	36.71%
सदस्य क्षेत्र पंचायत	35.82%
ग्राम प्रधान	35.32%
सदस्य क्षेत्र पंचायत	37.95%

महिला सशक्तीकरण जीवन चक्र की मांग करता है। योजना प्रक्रिया में उनके जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था को विशेष देख-रेख और ध्यान देने तथा प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। विकासीय आवश्यकताओं में प्रत्येक अवस्था में महिला जनसंख्याा को 5 उपवर्गों में बांटा गया है, वे हैं:

- 0-14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं जो कुल महिला जनसंख्या की 14 प्रतिशत हैं, जिन्हें विशेष देख-रेख और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवस्था में बालिकाएं लिंग अभिनति और भेद-विभेद के दौर से गुजरती हैं।
- 15-19 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं जो कुल महिला जनसंख्या की 9 प्रतिशत हैं। इस आयु वर्ग में लड़कियां परिवार और समाज में अपने भविष्य की उत्पादक और पुर्नउत्पादक भूमिकाओं की तैयारी की अवस्था में होती हैं।
- 15-44 वर्ष पुनर्उत्पादक आयु वर्ग की महिलाएं जो कुल महिला जनसंख्या के 42 प्रतिशत के लगभग हैं, को उनकी पुनर्उत्पादक भूमिकाओं के कारण विशेष देख-रेख और ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 15-59 वर्ष आयु वर्ग की कार्मिक महिलाएं, जो कुल महिला जनसंख्या के 52 प्रतिशत के लगभग हैं, को शिक्षा, रोजगार, आय सृजन, निर्णय लेने और विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने जैसी विभिन्न मांगें होती हैं।

- 60 और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओ की आवश्यकताएं सीमित होती है, जो मुख्यतः स्वास्थ्य, आर्थिक और भावात्मक सहारे से सम्बन्धित होती हैं।

सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण

1. दसवीं योजना अवधि 2002-07 के दौरान महिला कल्याण क्षेत्र के लिए कुल वितरित परिव्यय 30.00 करोड़ रू0 था। 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए यह 7.10 करोड़ रू0 था, जिसमे से कुल 4.22 करोड़ रू0 ही व्यय किये गये। 2003-04 में 13.03 करोड़ रू0 के परिव्यय में से वास्तविक व्यय 9.25 करोड़ रू0 था। 2004-05 की वार्षिक योजना मे 14.22 करोड़ रू0 परिव्यय हेतु प्रदान किये गये। दसवीं योजना में महिला कल्याण पर अधिक और विशेष महत्व दिया गया है।

(रू0 लाख में)

योजना	परिव्यय	व्यय
दसवीं योजना (2002-2007)	3000.00	
वार्षिक योजना (2002-2003)	710.00	422.98
वार्षिक योजना (2003-2004)	1303.00	925.82
वार्षिक योजना (2004-2005)	1422.18	

2. सरकार अनुदानित योजनाओं द्वारा अधिक उपेक्षित महिलाओं पर प्राथमिकता के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना चाहती है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को 125.00 रू0 प्रतिमाह धनराशि प्रदान की जाती है। इसी तरह 2002-03 के दौरान अम्बेडकर गांवों से 36591 महिलाओं को चुना गया है। 2003-04 की अवधि के लिए इस योजना का प्रस्तावित परिव्यय 552.52 लाख रू0 था। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए भी 10000 रू0 तक की धनराशि प्रदान की जाती है। 2003-04 के लिए प्रस्तावित व्यय 19.00 लाख रू0 था।
3. सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहकर उच्च ओर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। इस छात्रवृत्ति की राशि 50.00 रू0 से लेकर 425.00 रू0 प्रतिमाह है। 2003-04 के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित व्यय 14 लाख रू0 था।
4. अवलोकन गृहों और बालगृहों के निर्माण और रख-रखाव के लिए प्रावधान किये गये है। ये गृह चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार के अवसर और समायोजन जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। 2003-04 के दौरान 18.48 लाख रू0 व्यय के रूप में प्रस्तावित थे।
   - समाज के प्रतिकूल क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं हेतु अनुदान।
   - महिलाओं के प्रति सभी भेद-भावों की समाप्ति।
   - पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और आवेषन।

- सभी स्तरों पर जागरूकता और विश्वास पैदा करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और महिला सशक्तीकरण प्रकिया की शुरूआत करना।
- जिनकी देख-रेख करने वाला कोई न हो उनकी सुरक्षा और आश्रय देना।
- उनके कल्याण के लिए बने विधानों का प्रभावी प्रवर्तन।

5. स्वशक्ति परियोजना में निर्णय लेने की भांति ही सक्रिय भागीदारी के साथ वित्तीय सहायता को भी शामिल किया गया है। यह स्वशक्ति समूहों जैसे: स्वयं सहायता समूहों के लिए है। जिसमें 10-20 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें लक्ष्य समूह निम्न दर पर कम अवधि वाले ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा पोषित योजना है। यह परियोजना 18 जिलों में काम कर रही है। इसका कार्यान्वियन **उत्तर-प्रदेश महिला विकास परिषद** और **उत्तर प्रदेश भूमि विकास परिषद** द्वारा किया जा रहा है। अब तक 5000 से अधिक समूह बनाये जा चुके हैं।

6. स्वयंसिद्ध परियोजना केन्द्र द्वारा पोषित दूसरी योजना है। स्वशक्ति परियोजना की तरह यह भी सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों, सामग्री के स्वामित्व के प्रति महिलाओं के पूर्वाभिमुखीकरण की योजना है। यह भी स्वयं सहायता समूहों की सहायता से कार्य करती है। 2003-04 की अवधि की समाप्ति तक सभी विकास खण्ड इसमें अपेक्षित थे।

7. आर्थिक सशक्तीकरण के साथ महिलाओं की सहकारी डील को भी वित्तीय सहायता के लिए महिला डेरी कार्यक्रम महिला नेतृत्व के तरीके तैयार करता है। 2003-04 के दौरान 118.08 लीटर दुग्ध के पाश्च्युरीकरण का लक्ष्य है।

   - आत्मविश्वास, आत्मविचार और स्वायत्तता बढ़ाना।
   - प्रत्येक समूह द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति, मांग और अधिकारों की क्षमता को बढ़ाना।
   - सुगमता को बढ़ाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संसाधनों पर नियन्त्रण करना।
   - जीवन की गुणवत्ता में सुधार।
   - परिवार और समुदाय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और नियोजन में भागीदारी।
   - सहयोगी संगठनों की क्षमता में वृद्धि और बढ़े हुए वित्तीय और प्रबन्धकीय अभ्यासों का संग्रहण।

8. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बैंक ऋण और सहकारी सब्सिडी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए कार्य कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य 90000 महिलाएं हैं। 2003-04 के लिए 17.60 करोड़ रू0 अनुमोदित थे। इस परियोजना की संकल्पना उन महिलाओं को सशक्त बनाना है:-

   - जिन्हे परिवार, समुदाय और सरकार से अपने अधिकारों की मांग है।
   - प्राप्तियों की वृद्धि, सम्पूर्ण सामग्री, सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों पर नियन्त्रण।
   - जो गतिशीलता और नेटवर्क द्वारा सामान्य चिन्तन के मुददों को बढ़ाने में सक्षम हों।

9. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु **रोजगार प्रशिक्षण सहायता कार्यक्रम** कार्य कर रहा हैं। 2002-03 की वार्षिक योजना के लिए 1200 लाभार्थियों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 23.74 लाख रू0 परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

10. राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना, राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी है। 65 या उससे अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 125.00 प्रतिमाह देने का प्रावधान है।

11. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता (कमाने वाले) व्यक्ति की मृत्यु पर 5000 से 10000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दसवीं योजना अवधि के दौरान 2200 लोगों को लाभ पहुंचाना प्रस्तावित है।

- स्वालम्बी महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना।
- महिलाओं के स्तर के आधार पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के प्रति स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सेनिटेशन, हाईजीन, वैध अधिकारों, आर्थिक सुदृढ़ीकरण और अन्य मुद्दों में जागरूकता और विश्वास पैदा करना।
- ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना , एकीकृत करना ओर आर्थिक संसाधनों पर उनका नियन्त्रण रखना।
- सीमान्त ऋणों पर महिलाओं के अधिगम में सुधार।
- महिला विकास, बाल विकास और अन्य विभागों की सेवाओं का विस्तार।

12. राज्य सरकार, विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत बाल विकास योजनाएं चल रही है। यह महिलाओं की तकनीकी और आर्थिक सहायता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के कियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र संस्थागत आधार प्रदान करते हैं। जो छः माह से कम के शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य सुधार में सहायता प्रदान करते हैं। यह केवल शिशुओं को ही पोषण नही देता बल्कि गर्भवती और कमजोर महिलाओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। 1998-99 से 2002-03 के पांच वर्षों के दौरान इसका अन्तिम चरण आई.सी.डी.एस. प्रत्याशित था। दसवीं योजना अवधि के लिए 779.47 करोड़ रू0 प्रस्तावित थे। जिसमें प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के लिए 312 करोड़ रू0 भी शामिल थे। 2002-03 के दौरान 840 आंगनबाड़ी केन्द्रों और 17 परियोजनाओं के लिए 85.50 करोड़ रू0 लगाए गये थे। 2004-05 के दौरान इस आंकड़े को

13.08 लाख लोगें को लाभ पहुचाने के लिए 15600 तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

योजना वर्ष	व्ययध्परिव्यय (रू0 लाख में)	परियोजनाओं की संख्या	AWC की संख्या	लाभार्थियों की संख्या(लाख में)
दसवीं योजना लक्ष्य /उपलब्धियां	77947.00	201	26010	21.85
वार्षिक योजना ;2002.03द्ध	8550	17	840	3.12

प्रत्याशित उपलब्धियां				
2003-04	8550.00	80	10400	8.72
2004-05	-	120	15600	13.08
2005-06	-	160	21800	17.44
2006-07	-	201	26010	21.85

सामाजिक रूप से उपेक्षित समूहों का सशक्तीकरण

अनुसूचित जातियों का सशक्तीकरण

भारत में उत्तर-प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की व्यापक जनसंख्या है। 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य में कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 21.4 है जो 1661 लाख है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.4 प्रतिशत है, जो अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या का 48.9 प्रतिशत है। उत्तर-प्रदेश में कुल जनसंख्या में से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या क्रमशः 40.85 और 59.20 प्रतिशत है।

दसवीं योजना की घोषणा

- अनुसूचित जातियों के साथ होने वाले सामाजिक भेद भाव को कम करना, तथा सामाजिक और आर्थिक दोनो गतिशीलताओं हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जातियों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वैधानिक, सामाजिक आर्थिक उपाए करना।
- स्वरोजगारों का सृजन करने वाले कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- चिन्हित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु औद्योगिक, तकनीकी संसाधनों और तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

सामाजिक सशक्तीकरण

1. केन्द्रीय कोर की स्थापना शिक्षा द्वारा कल्याण में उन्नति के चिन्तन की प्रकिया को तीव्र करने के लिए हुई। जिसमें नीतियां भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए है। दसवीं योजना के लिए कुल परिव्यय 90000 लाख है , जो 61.97 प्रतिशत अर्थात 55181 लाख है, शिक्षा हेतु आरक्षित है।
2. वार्षिक योजना के स्तर पर हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। 2004-05 के दौरान शिक्षा हेतु तीन योजनाओं का प्रस्तावित व्यय केवल 45.66 था।
3. तालिका .3 में दिखाया गया है कि शिक्षा को एक पूर्णकालिक प्रक्रिया के रूप मं माना गया है। पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दसवीं योजना का लक्ष्य 4353565 अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुचाना है। इस लक्ष्य के विपरीत 2002-03 और 2003-04 के लक्ष्यों की गति बहुत धीमी है।
4. छात्रवृत्ति के सम्बन्ध मे स्थिति सन्तोषजनक नही है। 2004-05 का प्रस्तावित लक्ष्य केवल 465631 विद्यार्थी हैं। दसवीं योजना में कुल 1032000 छात्रों के अतिरिक्त 566369

और अन्य छात्रों का लक्ष्य है। यह तो स्पष्ट है कि दसवीं योजना के आगामी दोनों वर्षों में योजना लक्ष्य बहुत निराशाजनक होंगे।

5. आवश्यकताउन्मुख उपागमों में कुछ योजनाएं तर्कसंगत हैं जो अनुसूचित जातियों और अन्य प्रतिकूल समूहों के विकास के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण आदान के रूप में हो सकते हैं:---

I. आश्रम पद्धति स्कूलों का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के साथ भोजन, वस्त्र, अध्ययन सामग्री, और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता बहुत गरीब हैं। दसवीं योजना के 50 ATS के लक्ष्य में से 2002-03 की वार्षिक योजना कम बेहतर रही। 2003-04 की तुलना में जहां केवल 4 ATS की स्थापना की गयी।

I. लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास

यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों हेतु है जो कक्षा IX से ऊपर के अध्ययन को जारी रखने में असमर्थ हैं। दसवीं योजना से पहले की स्थिति दर्शाती है कि 170 छात्रावासों में से लड़कियों के लिए केवल 38 छात्रावास है। दसवीं योजना में 2003-04 से गति बहुत धीमी है, यहां 25 छात्रावासों का निर्माण हुआ है। 2004-05 में 35 छात्रावासों के निर्माण का लक्ष्य है। 450 छात्रावासों के लक्ष्य की तुलना में 60 छात्रावासों की संख्या बहुत कम है।

II. कोचिंग और अन्य सम्बन्धित सेवाओं के केन्द्रों की स्थापना और निर्माण

पूर्व परीक्षा कोचिंग सुविधाएं IAS, PCS, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रदान की जाती हैं।

III. विवेकाधीन अनुदान

अनुसूचित जातियों के लोग जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो और पुत्रियों के विवाह के लिए प्रदान किया जाता है।

आर्थिक सशक्तीकरण

1. **केन्द्रीय कोरः** स्वरोजगारों की बढ़ोत्तरी द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
2. **रणनीतिः** वित्तीय सहायता एवं विकास योजनाएं

अनुसूचित जातियों के सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता दी गयी है। यह आय सृजन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को तीव्र करता है। 2002-03 और 2003-04 के लिए अनुमादित व्यय क्रमशः 164.95 और 168.86 है। 2002-03 में राशि का पूर्ण उपयोग 91077 लाभार्थियों हेतु किया गया।

अम्बेडकर ग्राम और अम्बेडकर ग्राम विकास योजना

जिन गावों में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है वहां विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास आवश्यक है, और इसके लिए अम्बेडकर ग्राम विकास योजना अधिकृत है।

रोजगार सृजन की विशेष योजनाएं

अनुसूचित जाति और विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पृथक योजनाएं बनायी गयी हैं।

स्वरोजगार योजना

- इस क्षेत्र के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास परिषद** द्वारा दी जाती है। सब्सिडी के प्रावधान और सीमान्त ऋण दोनों स्थितियों में समान हैं। जिसमें से 50 प्रतिशत परियोजना लागत सब्सिडी के रूप में 10000 रू0 दिये गये और 25 प्रतिशशत सीमान्त ऋण के रूप में (4 प्रतिशत ब्याज दर पर) दिये गये वर्ष 2004-05 के लिए रूवरोजगार योजना का भैतिक लक्ष्य 111065 है जबकि लक्ष्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास परिषद के सम्बन्ध में यह 13935 है।
- शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को (अपनी वाणिज्यिक भूमि में) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। **उत्तर-प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास परिषद** के अतिरिक्त परिषदों ने भी विशेष केन्द्रीय सहायता निधि से निजी बिल्डरों और अन्य विकास प्राधिकरणों से दुकानें खरीदी हैं।
- अनुसूचित जातियों के बेरोजगार लोगों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही है। रोजगार के बाजार के बदलते परिवेश पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। अपनी रूचि के अनुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण से लेकर ट्रैक्टर मरम्मत आदि तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और प्रतिमाह 50-300 रू0 तक की धनराशि प्रदान की जाती है। 2004-05 का भौतिक लक्ष्य 70819 है।

सामाजिक न्याय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों पर अत्याचार करने वाले लोगों को पंजीकृत करने का प्रावधान है। सामााजिक न्याय सामाजिक रूप से प्रतिकूल समूहों के सशक्तीकरण का अपराजेय तत्व हैं। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समान अवसर और उपायों का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। 2002 में अनुसूचित जातियों के विरूद्ध किये गये 1696 मामले दर्ज हैं। 2002 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नही हैं। परन्तु इन आंकडों में पंजीकरण गंभीर कमी को निर्धारित करते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्रम संख्या	प्रमुख मदें	दसवीं योजना परिव्यय	व्यय 2002-03	व्यय 2003-04
1.	निर्देशन और प्रशासन	2180.00	-	-
2.	आर्थिक विकास	5000.00	100.00	1385.06
3.	सार्वजनिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	7889.00	500.00	-
4.	शिक्षा	55781.00	4527.44	6417.31
5.	अन्य व्यय	4100.00	998.82	542.24
6.	अन्य योजनाएं	15150.00	5458.19	1284.03
	योग	**90000.00**	**11584.45**	**9628.64**

भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम संख्या	योजना का नाम	ईकाई	दसवीं योजना लक्ष्य	2002-03 में उपलब्धियां	2003-04में उपलब्धियां	2004-05 में उपलब्धियां
1.	पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्तियां (i) अनुसूचित जातियां (ii) जनजातियां	संख्या ,,	4353565 180555	411554 18988	913052 33547	1077365
2.	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्तियां	,,	1032000	139888	125743	200000
3.	लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास	,,	450	18	7	35
4.	आश्रम पद्धति विद्यालय	,,	50	15	4	14
5.	(i) पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	No.	57500	888	13468	12562
	(ii) बीमार लोगों के इलाज के लिए अनुदान	No.	5000	560	1496	

क्रम संख्या	प्रमुख मदें	अनुसूचित जातियां	जनजातियां	योग
1.	निर्देशन और प्रशासन	500.00	-	500.00
2.	आर्थिक विकास	1796.21	-	1796.21
3.	सार्वजनिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	500.00	-	500.00
4.	शिक्षा	14373.08	154.90	14527.98
5.	अन्य व्यय	1012.24	-	1012.24
6.	नयी योजनाएं	6063.50	-	6063.50
	योग	24245.03	154.90	24399.93

भौतिक

क्रम संख्या	योजना का नाम	ईकाई	लक्ष्य
1.	पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्तियां	No.	1077365
2.	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्तियां	No.	200000
3.	लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावास	No.	35
4.	आश्रम पद्धति विद्यालय	No.	14
5.	पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	No.	21562
6.	बीमार लोगों के इलाज के लिए अनुदान		

अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण

2003 में 10 नयी जनजातियों के जुड़ने के साथ उत्तर-प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 12 हो गयी है। 2001 में उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात उत्तर-प्रदेश में केवल **थारू** और **भोक्सा** जनजातियां शेष बची है। उत्तर-प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 380815 है, जिसमें से 78030 था लोगों का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि **परहिया** की संख्या बहुत कम केवल 460 है।

क्रम संख्य	ज्नजातियों का नाम	ज्नजातियों की जनसंख्या
1	2	3
1	थारू	78030 (Max)
2	बोक्सा	1875
3	गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड	148029
4	खरवार, खैरवार	61692
5	सहरिया	18267
6	परहिया	460 (Min)
7	पनखा, पनिका	15059
8	बैगा	13800
9	अगरिया	9553
10	पठारी	577
11	चेरो	24406
12	भुईया, भुंइया	9067
	योग	**380815**

दसवीं योजना के उद्देश्य

- आधारभूत संरचना का विकास, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़के-लड़कियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों और छात्रावासों में बढ़ोत्तरी और संवृद्धि।
- जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- भूमि स्थान्तरण, पूंजी ऋण आदि के क्षेत्र में शोषण से सुरक्षा।
- जनजातीय लोगों को सामान्य जनसंख्याा के विकास के स्तरों पर पहंचने में सक्षम बनाने के सामाजिक आर्थिक उपायों में बढ़ोत्तरी।
- सभी जनजातीय परिवारों को गरीबी रेखा पार करने में सक्षम बनाना।
- जिला, उपक्षेत्र, हेडक्वार्टर आदि में चल रही योजनाओं की निगरानी।

सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण

1. 1993-94 आंकड़ों के आधार पर कुल भारतीय जनसंख्या में 37.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। इसमें से 57.1 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। उत्तर-प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन

यापन करने वाली कुल जनसंख्या 45.3 प्रतिशत है, जिसमें से 66.6 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाएं, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना आदि बनायी गयी हैं। ये सभी परियोजनाएं कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर ओर ग्रामीण उद्योगों आदि से सम्बन्धित हैं।

2. जनजातियों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के निर्देशन में पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही जनजातीय उपयोजना की अवधारणा को लागू किया है। लेकिन जनजातीय विकास प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना में व्यय का वितरण समानुपाती शर्तों में शुरू किया गया है।

3. दसवीं योजना अवधि 2002-07 में पहले की अपेक्षा जनजातीय विकास पर अधिक बल दिया गया है। 2002 से कुछ योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है, जो महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुंचाएं। सामुदायिक विकास, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, विशेषकर स्थान्तरित जनजातियों के निश्चित विस्थापन आदि को दसवीं योजना के प्रमुख मुद्दों के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है।

4. जनजातीय उपयोजना के लिए नयी योजना भी प्रारम्भ की गयी है। जनजातीय उपयोजना में अनुसूचित जनजाति समुदायों की उन योजनाओं को भी शामिल किया गया है जो शत-प्रतिशत लाभ पहुचाती हैं। अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए जनजातीय उपयोजना शत-प्रतिशत परिव्यय उपलब्ध कराती है। इसी तरह सामान्य योजनाओं का लक्ष्य 6.66 और अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को लाभ पहुचाना है।

5. दसवीं योजना अवधि के दौरान 84233 करोड़ प्रस्तावित व्यय में से राज्य योजना के लिए जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 5054 करोड़ रू0 वितरित किये गये। 2002-03 और 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत प्रत्येक के लिए वितरित परिव्यय 4 करोड़ रू0 था।

6. इसके अतिरिक्त राज्य को अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के उपायों मे सहायता के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की गयी है। S.P.A. ने दसवीं योजना के लिए 2.78 करोड़ रू0 अनुमादित किये। इस अवधि की दोनों प्रारम्भिक योजनाओं में स्वीकृत परिव्यय प्रत्येक के लिए 32 करोड़ है। जबकि 2004-05 की वार्षिक योजना में सहभागी संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों की तीव्रता और सहयोग में उन्नति के लिए रणनीतियां अपनायी गयी है। । इन उद्देश्यों के लिए दसवीं योजना का अनुमोदित व्यय 3295.00 लाख और 2004-05 की अवधि के लिए 473 लाख रू0 प्रस्तावित है।

7. सामाजिक रूप से प्रतिकूल वर्गों मे अनुसूचित जातियां अधिक अयोग्य और संवेदनशील हैं। यहां पर केवल सामाजिक, आर्थिक समस्याएं ही नही हैं, बल्कि अनुसूचित जातियां को मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रश्न है। अतः इस सम्बन्ध में ऐच्छिक संगठनों की संभाव्य क्षमता की जांच की आवश्यकता है।

8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आर सांस्कृतिक विकास के लिए गतिपूर्ण शोध और सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए 1986-87 में **"अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान"** की स्थापना की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा दसवीं योजना हेतु 50.00 लाख रू0 अनुमोदित हैं। इसका भौतिक लक्ष्य 40 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन, 3000 कार्मिकों हेतु 100 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 10 सेमिनार, 10 प्रकाशन और कार्यालयी भवनों का निर्माण था। 2004-05 के लिए 5.00 लाख रू0 प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

एक प्रजातान्त्रिक राज्य होने के कारण भारत में विकास प्रक्रिया के लिए एक समान योजना लागू की है। यहां पर अल्पसंख्यक समाज के प्रतिकूल क्षेत्र है, जिन पर विशेष ध्यान देने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार छः धार्मिक समूहों जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, और जैनी कुल जनसंख्या में 18 प्रतिशत से भी अधिक हैं।

दसवीं योजना के लिए निर्धारित उद्देश्य

1. छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं द्वारा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करके अल्पसंख्यकों की शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देना।
2. मदरसों के आधुनिकीकरण, विज्ञान, कम्प्यूटर,, अंग्रेजी और आधुनिक विषयों को शामिल करके और अन्य सुविधाएं प्रदान करके नयी शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत करना, जिससे अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
3. वक्फ की सम्पत्तियों का विकास और आय में बढ़ोत्तरी करना तथा सुदृढ़ करना जो समुदाय के सामाजिक कल्याण और आधुनिकीकरण में सक्षम हो।
4. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों म लड़कियों के शैक्षिक स्तर म सुधार।
5. स्वरोजगार योजना, सीमान्त पूंजी और ऋण आदि की योजनाओं में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण

1. दसवीं योजना के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना का प्रस्तावित व्यय 1500.00 लाख रू0 है, जबकि 2002-03 की वार्षिक योजना मे यह 100 लाख था। 2003-04 की वार्षिक योजना के दौरान वास्तविक व्यय 1323.34 रू0 का भौतिक लक्ष्य 362570 था। 2004-05 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 1556.08 लाख रू0 425500 लाभार्थियों हेतु हैं।

2. 2003-04 की अवधि के दौरान नयी शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मदरसा योजना में निजी आई.टी.आई. की स्थापना के लिए वास्तविक व्यय 285.60 लाख रू0 था। 2004-05 की वार्षिक योजना के लिए यह 150 लाख हो गया है।

3. सरकार द्वारा अरबी, फारसी मदरसों के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ दोनों के लिए अनुदान दिया जाता है। ये अल्पसंख्यकों द्वारा अधिमान्य प्राथमिक शैक्षिक संस्थाएं हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण केन्द्र द्वारा पोषित योजना है। जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3000.00 और माध्यमिक कक्षाओं के लिए 4000.00 रू0 दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान, गणित या अन्य उपकरणों की खरीददारी के लिए 7000 रू0 दिये जाते है। 2003-04 में 46320 लड़कियों सहित 115800 अपेक्षित विद्यार्थियों का भौतिक लक्ष्य था। 2004-05 की वार्षिक योजनावधि के दौरान 97200 लड़कियों सहित 2.43 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 584.52 लाख रू0 की आवश्यकता है।

क्रम 4. संख्या ज ़	योजना का नाम	2003-2004 के लिए व्यय	भौतिक उपलब्धियां		
1 ह	पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति (DS)	1323.34	362570	1556.08	425500
2 उ द्य	U.P.W.D.C. का पूजीगत हिस्सा	50.00	NA	50	
3 ा ग	मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	285.60	100	150	
4 ट	यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण	110.72	1		
य ा	योग	**1769.66**			

पार, कृषि हेतु ऋण की आवश्यकताएं होती हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए **उत्तर-प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास परिषद** सीमान्त पूंजी ऋण प्रदान करता है। सीमान्त पूंजी ऋण परियोजना लागत का 15 प्रतिशत है। 2002-03 में सीमान्त पूंजी ऋण के लिए प्रस्तावित व्यय 24.62 लाख था और 2003-04 तथा 2004-05 के लिए भी 400 लाख है।

5. वित्तीय सहायता की योजना दो रूपों में चल रही है: 1. ऋण योजना

2. ब्याज रहित ऋण जिसमें 2002-03 के लिए क्रमशः 175.07 और 26.50 लाख रू0 निर्धारित हैं।

6. दसवीं योजना के दौरान इन योजनाओं की प्रगति सन्तोषजनक नही है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण और लड़कियों के लिए विद्यालयी भवनों का निर्माण 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित योजना है। भारत सरकार के 13 छात्रावासों का निर्माण अभी अधूरा हैं। इसके अतिरिक्त 2003-04 की अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नही की गयी है। लड़कियों के लिए विद्यालयों के निर्माण प्रस्ताव अभी अधर में हैं। यह देखा जा सकता है कि सभी कार्यक्रम इस अर्थ में बेकार हैं कि ये विद्यार्थियों के रहने के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं, यहां अल्पसंख्यक विद्यार्थी पर्याप्त हैं किन्तु सुविधाएं उपलबध नही हैं।

7. 2004-05 की अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 5342.00 लाख रू0 प्रस्तावित हैं।

योजना	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	ईकाई	धनराशि	ईकाई	धनराशि	ईकाई	धनराशि
सीमान्त पूंजी ऋण	118	24.62	400	400.00	400	400.00
पूर्व परीक्षा कोचिंग	335	19.85	350	25.00	350	25.00
व्यावसायिक प्रशिक्षण	1000	25.00	1000	25.00	500	25.00
ऋण योजना	5215	175.07	2600	1000.00	2600	1000.00
स्वयं सहायता समूह	300	300.00	138	138.00	100	50.00
ब्याज रहित ऋण	100	26.50	100	50.00	100	50.00
रिक्शा योजना					3000	180.00
शैक्षिक ऋण योजना					350	120.00

अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की भांति अन्य पिछड़े वर्ग भी समाज के प्रतिकूल सूमूहों के रूप में हैं। जो कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या की तुलना में पीछे हैं। 2000-01 में राज्य सरकार की **सामाजिक न्याय समिति** के अनुमान के आधार पर उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या में से 54 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग हैं। उत्तर-प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत है, जो 8966 करोड़ है।

दसवीं योजना और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1. अन्य पिछड़े वर्गों के शोषण को रोकना, उनकी उन्नति के लिए सामाजिक, आर्थिक उपायों को बढ़ाना।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को अधिक से अधिक शैक्षिक सुविधाएं जैसेः लड़के -लड़कियों के लिए छात्रावासों, बुक बैंकों की स्थापना, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को शैक्षिक ऋण प्रदान करना।
3. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं में स्वावलम्बन लाना।
4. छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चिन्हित निधि के पूर्ण दोहन को सुनिश्चित करना।

सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का केन्द्रीय विषय शिक्षा है। जिसे विकास प्रक्रिया में मत्विपूर्ण धटक के रूप में माना गया है। इस उद्देश्य के लिए पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना औ माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक, छात्रावासों का निर्माण आदि योजनाएं चल रही है।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गी के कल्याण के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित व्यय 906.00 करोड़ रू0 है। यह कुल प्रस्तावित परिव्यय का 1.08% है। 2002-03 में अन्य पिछड़े वर्गी के लिए अनुमोदित व्यय 188.00 लाख था, जबकि प्रत्याशित व्यय 2037 लाख है।

3. छात्रवृत्तियां सीमित हैं, यह केवल उन्ही छात्रों को दी जाती है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 24000 से अधिक न हो। लेकिन अन्य पिछड़े वर्गी के कल्याण में सामाजिक समानता में यह निश्चय किया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गी के छात्रों को भी उन्ही समान दरों और समान दशाओं तथा परिस्थितियों में छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी, जिन पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही है। अतः कक्षा 1 से 5 तक के लिए 25.00 रू0 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक 40.00 रू0 प्रतिमाह औरकक्षा 9 से 10 में यह धनराशि 60.00 रू0 प्रतिमाह है। 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्र द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत केवल 1916.96 लाख रू0 अनुमोदित परिव्यय था, लेकिन इसमें से 168956 विद्यार्थियों पर केवल 608.9 लाख रू0 खर्च किये गये। 2004-05 की वार्षिक योजना के लिए 12160211 विद्यार्थियों के लिए 43749.00 लाख रू0 का भैातिक लक्ष्य है।

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम/कक्षा	छात्रवृत्ति दर प्रतिमाह	वार्षिक आय की सीमा	अर्हता (माह में)
1.	कक्षा 1 से 5	25.00रू0	असीमित	12 माह
2.	कक्षा 6 से 8	40.00रू0	असीमित	12 माह
3.	कक्षा 9 से 10	60.00रू0	30,000रू0	12 माह

4. छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने भी अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए उन्ही नियमों और शर्तो को लागू किया है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियो के छात्रों के लिए लागू की गयी हैं।इस प्रयास के कारण अब अर्हता परिक्षेत्र 24000 रू0 से बढ़कर 100000 हो गया है। 2003-04 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10971.00 लाख रू0 रखा गया है।
5. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के छात्रावासों के निर्माण की योजना 50:50 के अनुपात में राज्य और केन्द्र द्वारा पोषित है। यह योजना अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी है। इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गयी है जहां अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र कम संख्या में हैं। दसवीं
योजना के दौरान इसका भौतिक लक्ष्य 140 छात्रावासों का है। इस योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी है। प्रथम वर्ष के लिए 2002-03 में 11 छात्रावासों के निर्माण के लिए 200 लाख रू0 का परिवयय राज्य क अंश के रूप में था। 2003-04 की योजना अवधि के दौरान धनराशि और भौतिक लक्ष्य दोनों समान हैं। जबकि 2004-05 के दौरान प्रस्तावित व्यय केवल 90.00 लाख रू0 है। इसमें गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

समूह	पिछली दरें				वर्तमान दरें			
	दरें प्रतिमाह		आय सीमा	अवधि (माह में)	दरें प्रतिमाह		आय सीमा	अवधि (माह में)
	छात्रावासों में न रहने वाले	छात्रावासों में रहने वाले			छात्रावासों में न रहने वाले	छात्रावासों में रहने वाले		
अ	190.00	425.00	24000	10	330	740	1 lakh	10
ब	190.00	290.00	Do	10	330	510	Do	10
स	190.00	290.00	Do	10	185	355	Do	10
द	90.00	150.00	Do	10	140	235	Do	10

6. बुक बैंक सुविधाओं (विशेषकर तकनीकी पाठ्यक्रमों जहां पर किताबें बहुत महंगी हैं), विभिन्न पाठ्यक्रमों की पूर्व परीक्षाओं के लिए कोचिंग सस्थान आदि योजनाएं कार्यरत है।

7. आर्थिक विकास के कार्यक्रम जेसे स्वरोजगार कार्यक्रम और सीमान्त पूजी ऋण आदि **उत्तर-प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास परिषद** द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। 2002-03 की पहली वार्षिक योजना के लिए **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास परिषद** ने 26.25 करोड़ रू0 अनुमोदित किये थे, लेकिन केवल 7.00 करोड़ रू0 व्यय किये गये। वर्ष 2003-04 के लिए अनुमोदित योजना व्यय 23.00 करोड़ रू0 था, जबकि केवल 5.50 करोड़ रू0 दिये गये। जिसका लक्ष्य 7000 लाभार्थी थे। इसमे से केवल 1174 लाभार्थियों को 5.69 करोड़ रू0 द्वारा लाभान्वित किया गया। 2004-05 के लिए 16.00 करोड़ रू0 योजनागत व्यय के रूप में 3970 के भौतिक लक्ष्य के लिए अनुमोदित हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य 7000 लाभार्थी हैं। जिसमें से राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1.00 करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान किया है।

8. उत्तर-प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग अधिक संख्या में हैं, यह आंकड़ों से ही स्पष्ट हैं। विकास प्रकिया में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या की अधिकता और धन की कमी की चुनौती को भी शामिल किया गया है। इसलिए अपेक्षित लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सकिय संभाव्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों और अन्य का कल्याण	पिछड़े वर्गों का कल्याण	अल्पसंख्यकों का कल्याण	जनजातियों का कल्याण	प्रशिक्षण संस्थान
68701.33	5149.39	19729.81	358.68	5.89
2299.04	326.11	843.18	48.53	-
90000.00	15000.00	2500.00	3295.00	100.00
35952.82	500.00	750.00	2000.00	25.00
1द904.00	1887.00	653.37	359.00	5.00
8975.80	85.00	50.00	200.00	1.25
17745.2	2037.00	653.37	359.00	5.00
8975.80	235.00	50.00	200.00	1.25
18000.00	1887.00	600.00	359.00	5.00
8587.37	85.00	100.00	200.00	1.25

<u>सारांश एवं संस्तुति</u>

सवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक एवं महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण के पहल को तेज करना है। जनगणना 2001 के अनुसार महिलाएं सम्पूर्ण जनसंख्या का 47.33

प्रतिशत हैं जिसका 7. 86 करोड़ उत्तर प्रदेश में है। लैंगिक अनुपात 8.76 प्रति हजार से बढ़कर 898 प्रति हजार हो गया है फिर भी यह राष्ट्रीय औसत (933) से काफी नीचे है। महिलाओं की साक्षरता भी (42.2) प्रदेश में पुरूषों की तुलना में (68.8) कम है। कर्मकर जनसंख्या अनुपात भी मात्र 16.3 प्रतिशत है जो पुरूषों (47.4) की तुलना में काफी कम है। पुनउत्पादक स्वास्थ्य के निर्देशांक (22.8) प्रदेश को एक दम नीचे में ला खड़ा करता है।

महिला कल्याण के लिए दसवीं योजना में कुल परिव्यय 30 करोड़ है। योजना के प्रथम वर्ष में यह 7.1 करोड़ था जिसमें खर्च मात्र 4.22 करोड़ हो सका। दूसरे वर्ष में परिव्यय 13.03 करोड़ रखा गया जबकि खर्च मात्र 9.25 करोड़ हो सका। वर्ष 2004–05 के लिए 14.22 करोड़ रूपये परिव्यय प्राविधानित हैं। दसवीं योजना महिलाओं के विकास के संवेदनशीलता के साथ महिला कल्याण पर केन्द्रित है। अनुदान एवं सहायता योजना के द्वारा अधिकाधिक वंचित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिवद्ध है निर्वाह भत्ता के रूप में 125 रू0 प्रति माह अत्यन्त निर्धन महिलाओं को देने की व्यवस्था की गयी है। गैर योजना खर्च में 457994 महिलाएं शामिल की गयी है। इसके अलावा 36591 महिलाएं अम्बेदकर ग्राम के अधीन 2002–03 में शामिल की गयी है। वर्ष 2003–04 में प्रस्तावित परिव्यय इस योजना के लिए 552.52 लाख का प्राविधान था। 10 हजार विधवा लड़कियों के विवाह का भी अनुदान सहायता देने की व्यवस्था थी जिसके लिए 19 लाख रू0 देने का प्राविधान वर्ष 2003–04 में था। सामान्य वर्ग के गरीब लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन 50 रू0 से 450 रू0 प्रतिमाह छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। जिसके लिए वर्ष 2003–04 में 19 लाख परिव्यय था। वृद्ध लोगों एवं बच्चों के लिए घर बनाने एवं निर्वाह का भी प्रस्ताव है। इन घरों में आवास, चिकित्सा सुविधा, एवं काम के अवसरों का भी प्राविधान है। 2003–04 में 18.48 लाख इन कामों के लिए प्रस्तावित था।

निर्णय लेने एवं वित्तीय सहायता के लिए स्वशक्ति के सहभागिता से चलाया गया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं का बनाकर मदद दी जाती है। निम्न ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा इस योजना के अधीन दिया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश के 20 जनपदों में यह योजना चालायी जा रही है। इसे लागू कराने में उत्तर प्रेदश महिला विकास निगम एवं उत्तर प्रदेश भूमि विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। लगभग 5200 समूह बनाए जा चुके हैं। स्वशक्ति परियोजना के साथ मिलकर इसे चलाया जा रहा है।

<u>अनुसूचित जाति/जनजाति :</u>

प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर से अनुसूचित जाति जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा अधिक रहा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत रहा है। साक्षरता का दर अत्यन्त ही कम रहा है। अनुसूचित जाति के महिलाओं एवं पुरूषों की कुल आबादी की तुलना में भी काफी कम है। महिलाओं की साक्षरता पुरूष का मात्र 1/4 है एवं सम्पूर्ण में 1/3 है। गरीबी रेखा के अर्न्तगत आने वाली जनसंख्या में प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत भारत से काफी अधिक है। प्रदेश की आबादी में 21 प्रतिशत होने के बावजूद जमीन के जोत में मात्र 16 प्रतिशत एवं क्षेत्रफल में मात्र 10 प्रतिशत है। लगभग 82 प्रतिशत अनुसूचित जाति प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। सामान्य कोटि के लिए यह संख्या 70 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति कर्मकर द्वितीयक एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं जबकि सामान्य कोटिका 30 प्रतिशत।

अनुसूचित जनजाति प्रदेश की आबादी का मात्र 0.1 प्रतिशत है और इनकी वृद्धिदर की कम हैं। कुल जनसंख्या के साक्षरता दर से इनकी साक्षरता दर भी कम है। लगभग 85 प्रतिशत जनजाति प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है और शेष 15 प्रतिशत द्वितीयक एवं अन्य क्षेत्रों में। लगभग 70 प्रतिशत मुख्य कर्मकर

खेतिहर है केवल 13 प्रतिशत खेतिहर मजदूर एवं शेष गैर कृषि मजदूर है। यद्यपि 66 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के 1993–94 में जबकि कुल भारत में माह 57 प्रतिशत था।

राज्य योजना के अधीन नवीं योजना में कुल खर्च लगभग 91 प्रतिशत था। 2002–03 में यह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया। विशेष अवयव योजना में नवीं योजना में केवल 56 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका। वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में यह 21.49 एवं 46 प्रतिशत था। जबकि विशेष अवयव योजना का राज्य योजना में हिस्सा नवीं योजना के 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 21 प्रतिशत हो गया जो 2003–04 में 21 प्रतिशत पर ही स्थिर रहा। जबकि अनुपातिक खर्च का प्रतिशत नवीं योजना के 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में 10 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित जाति के संदर्भ में विशेष अवयव योजना का राज्य योजना में हिस्सा खर्च नवीं योजना के 62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में मात्र 6 प्रतिशत रह गया एवं 44 प्रतिशत वर्ष 2003–04 में हो गया। यद्यपि राज्य योजना परिव्यय में हिस्सेदारी 4 से 7 प्रतिशत रही है। विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अर्न्तगत संतोषजनक प्रदर्शन रहा है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में क्रमशः 132 प्रतिशत एवं 94 प्रतिशत खर्च किया जा सका है। महिलाओं के बेहतरी के लिए कुछ सुधार के उपाय आवश्यक है। वरीयता के आधार पर महिलाओं के लिए योजना निर्माण महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कल्याण की तुलना में सशक्तीकरण अधिक अनुनादी होता है। विशेषकर सहभागिता की दृष्टि से अतः इस नीति पर बल दिया जाना चाहिए।

सामान्य विकास की बात हो या महिला केन्द्रित विकास की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की नीतिगत पहल के लिए दसवीं योजना में बल देना एक सही कदम है। ये दोनों वंचित एवं सुदूर देहात के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है बिना फल की अपेक्षा के। दूसरे शब्दों में प्रयास एवं प्रशिक्षण को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि दोनों विधाओं में अपनी टिकाऊ गति पैदा किया जा सके।

स्वास्थ्य विशेष उपायों के लिए प्रथम तीन वर्षों में समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है। सिद्यान्ततः यह विस्तारी लगता है किन्तु व्यवहारतः यह काफी जटिल है। जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करते रहने से क्रियान्वयन बेहतर एवं लाभदायी हो सकेगा। जहाँ तक समाज आर्थिक उपायों का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह आदि से निश्चय ही भागीदारी बढ़ी है किन्तु क्रमबद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसे निष्ठावान एवं समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालित किये जाने की जरूरत है जिससे समग्र दृष्टिकोण के साथ धनराशि के उपयोग से लेकर भाण्डारण, बाजार सुविधा आदि की सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बाधा इस मार्ग में समुचित धनराशि एवं निष्ठावान कर्मचारी का अभाव है। समय की मांग है कि निजी क्षेत्र को सामाजिक दायित्व के साथ जोड़ा जाय जिससे धनराशि उपलब्ध हो सके तथा गैर सरकारी संगठनों से समर्पित कर्मचारियों की पहचान की जा सकती है।

सामाजिक न्याय अभी भी दूर है। बढ़ती भागीदारी के साथ प्रशिक्षण व्यावहारिक समाधान दे सकता है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व किसी भी क्षेत्र में कर्मक्रम के वादे में जागरूकता का अभियान न केवल अनुसूचित जाति/जनजाति /एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बल्कि सामान्य वर्गों के लिए भी जरूरी है। जिससे कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए वातावरण तैयार हो सके।

जब अनुसूचित जनजाति के विकास पर केन्द्रित करते हैं तो विकास प्रक्रिया और भी नाजुक हो जाती है। इस समुदाय के लिए उनके आवश्यकता के अनुरूप विशेष रूप से प्रारूपित योजनाओं की आवश्यकता है। जल्दबाजी उनके लिए कुछ भी करना मात्र सशक्तीकरण नहीं है बल्कि सर्वप्रथम सशक्तीकरण के लिए निष्ठा की जरूरत है। समुचित गम्भीरता के अभाव में कोई भी पहल उनके बीच समाज आर्थिक एवं सांस्कृतिक भ्रम फैला सकता है।

अध्याय बारह

योजना का वित्त प्रबन्ध, संसाधनों का विदोहन एवं निजी निवेश

प्रस्तावना

इस अध्याय में हमने योजनागत व्यय से सम्बन्धित विषयों यथा वृद्धि दर से इसके सम्बन्ध. इसकी संरचना केन्द्रीय योजना सहायता, राज्य सरकार द्वारा संसाधन जुआने के प्रयास एवं लोक ऋण की प्रवृत्तियों की चर्चा की है तथा संसाधनों की बढ़ोत्तरी के सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इस अध्याय में वर्तमान में प्रदेश में होने वाले निजी क्षेत्रों में निवेशों की प्रवृत्तियों की भी चर्चा की गयी है। सर्वप्रथम हम राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की प्रवृत्तियों तथा उसके योजनागत व्ययों से सम्बन्धों की चर्चा आरम्भ करेंगे।

वृद्धि दर एवं योजनागत व्यय

उत्तर प्रदेश की राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आरम्भिक चार पंचवर्षीय योजनाओं में अत्यधिक मन्द दर से बढ़ी है। पॉचवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी आयी तथा छठी एवं सातवीं योजना अवधि में वह राष्ट्रीय वृद्धि दर के समकक्ष आ गयी (तालिका–१)। परन्तु नब्बे के दशक के आरम्भ से, जोकि आर्थिक सुधार काल भी है , उत्तर प्रदेश की वृद्धि में अत्यधिक गिरावट आयी है तथा वर्तमान योजना में भी उसके वृद्धि के कोई भी चिन्ह दृष्टिगत नहीं हैं।

राज्य घरेलू उत्पाद में उतार–चढ़ाव राज्य के योजनागत व्ययों के स्तरों से निकटतम रूप से सम्बन्धित हैं जैसा कि तालिका–२ से देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योजना व्यय का विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत अनुपात १९५१ से १९७५ की अवधि में निम्न रहा है। योजना व्यय का स्तर जो कि चतुर्थ योजना में विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग ४.७ प्रतिशत था, वह पॉचवीं, छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद का ७ प्रतिशत हो गया।

परन्तु नब्बे के दशक के आरम्भ से योजना व्यय एवं विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत अनुपात में तीव्र गिरावट आयी है , जो कि वृद्धि दर में तीव्र गिरावट में भी प्रतिबिम्बत होती है। दशम पंचवर्षीय योजना के काल में योजना व्यय के अनुपात में सीमान्त वृद्धि आयीं है। परन्तु यह अनुपात सत्तर के दशक के आरम्भ के स्तर से निम्न ही है।

तालिका १ : से उत्तर प्रदेश तथा भारत के कुल तथा प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

अवधि	कुल आय का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (%)		प्रति व्यक्ति आय का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (%)	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1951-56	2.0	3.6	0.5	1.7
1956-61	1.9	4.0	0.3	1.9
1961-66	1.6	2.2	-0.2	0.0
1966-69	0.3	4.0	-1.5	1.8
1969-74	2.3	3.3	0.4	1.1
1974-79	5.7	5.3	3.3	2.9
1981-85	3.9	4.9	1.5	2.7
1985-90	5.7	5.8	3.3	3.6
1990-92	3.1	2.5	1.1	0.4
1992-97	3.2	6.8	1.4	4.9
1997-02	3.1	5.3	1.0	3.3

स्त्रोत : योजना प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

योजना व्यय में गिरावट को नब्बे के दशक के आरम्भ से राजकोषीय स्थिति में तीव्र ह्रास से जोड़ा जा सकता है। वेतन, पेंशन तथा ब्याज के भुगतान जैसे विकासेत्तर व्ययों में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण सरकारी बजट में वृद्धि आयी है , जिससे बड़ा राजस्व घाटा निरन्तर बना हुआ है। अतः राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह विकास योजनाओं तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों पर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत ढांचे पर व्यय बढ़ा सके।

राज्य में आर्थिक .मन्दी तथा राजकोषीय संकट का निकट सम्बन्ध है। निम्न योजना व्यय, निम्न वृद्धि को जन्म देता है जोकि सरकारी राजस्व की वृद्धि में गिरावट लाती है। यह राज्य की योजना व्यय में वृद्धि की क्षमता को बाधित करती है, तथा दुश्चक्र को

सम्पूर्ण करती है। अतः यह आवश्यक है कि योजना व्यय तथा राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि लायी जाये जिससे वह लक्षित वृद्धि दर को प्राप्त कर सके।

तालिका २ : उत्तर प्रदेश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कुल योजना व्यय (करोड़ रू०)

वर्ष	योजना व्यय	योजना व्यय तथा विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत अनुपात
1951-56	153	2.05
1956-61	233	2.66
1961-66	561	4.53
1966-69	455	3.86
1969-74	1166	4.69
1974-79	2909	7.01
1979-85	7356	7.62
1985-90	11949	7.44
1990-92	7772	7.28
1992-97	21683	4.73
1997-98	5033	3.66
1998-99	5648	3.67
1999-00	5843	3.53
2000-01	5897	3.40
2001-02	5965	3.16
2002-03	6702	3.30
2003-04	7242	3.33
2004-05	9651	4.18

स्त्रोत : योजना प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

नोट : १६७७–६८ से व्यय का प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में है।

सरकारी व्यय की संरचना में पूंजीगत व्यय का योगदान ७–८ प्रतिशत रहा तालिका ३)। इसमें कुछ सुधार २०००–२००१ से हुआ है , पूंजीगत व्यय का अनुपात १० प्रतिशत हो गया परन्तु तब से यह उसी स्तर पर बना हुआ है। अतः यद्यपि बजट के आकार में वृद्वि आयी है, पूंजीनिर्माण दर निम्न ही है, जोकि अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर में ठहराव का कारण है। आर्थिक वृद्वि को त्वरित करने के लिए सरकारी बजट के पूंजीगत व्यय में सुधार की आवश्यकता है, जोकि राज्य के आधारभूत ढांचे को विकसित करने तथा निजीनिवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा।

तालिका ३ : उत्तर प्रदेश पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां

वर्ष	पूंजीगत व्यय (करोड़ रू०)	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत अनुपात	पूंजीगत व्यय तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1995-96	1129.35	6	1.06
1996-97	1435.41	7	1.12
1997-98	1667.64	7	1.21
1998-99	2096.96	7	1.36
1999-00	2533.34	8	1.53
2000-01	3267.55	10	1.88
2001-02	3555.56	10	1.88
2002-03	3794.39	10	1.87
2003-04	4985.22	11	2.29
2004-05	6320.15	10	2.74

स्त्रोत : बजट प्रपत्र से आंकलित, उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य बजट के पूंजीगत व्यय में समग्र गिरावट के अतिरिक्त, योजना व्यय की संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। योजना व्यय का लगभग पचास प्रतिशत भाग राजस्व व्यय के मद में आता है (तालिका–४)। अतः राज्य उत्पादन क्षमता के विस्तार में योजना व्यय का योगदान लगभग नगण्य है। यह स्थिति संशोधित करने की आवश्यकता है, जोकि योजना व्यय के पूंजीगत संघटक में वृद्वि द्वारा सम्भव है।

तालिका ४ : उत्तर प्रदेश में योजना व्यय का स्वरूप

(रु० करोड़)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
राजस्व व्यय	3686.01	3564.48	3574.82	3276.00	6416.45	7090.44
कुल व्यय का प्रतिशत	56.29	83.45	45.04	45.24	50.32	47.70
पूंजीगत व्यय	2862.27	706.97	3361.37	3965.76	6334.70	7773.92
कुल व्यय का प्रतिशत	43.71	16.55	42.35	54.76	49.68	52.30
कुल योजना	6548.28	4271.45	7936.19	7241.76	12751.15	14864.36

योजना परिव्यय एवं व्यय

योजना परिव्यय तथा योजना व्यय में एक बड़ा तथा बढ़ता हुआ अन्तर भी चिन्ता का विषय है (तालिका–५)। आठवीं योजना के दौरान योजना व्यय का योजना परिव्यय से प्रतिशत अनुपात ८० प्रतिशत के लगभग था। इस अनुपात में नवीं योजना में और गिरावट आयी तथा वह ७० प्रतिशत ही रह गया। यह उपयोग अनुपात २००२–२००३ में बढ़कर ६० प्रतिशत हो गया। परन्तु अगले वर्ष फिर यह गिरकर ७६.२६ प्रतिशत हो गया। योजना आवंटन के अल्प उपयोग का एक कारण यह है कि वाार्षिक योजना परिव्यय संसाधनों के आकार के अवास्तविक रूप से बढ़े हुए प्रकलन पर आधारित है। यह सरकारी विभागों की योजना आवंटनों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की कम कुशलता को भी प्रतिबिम्बित करता है। योजना व्यय के निम्न स्तर होने के कारणों की पहचान करने तथा योजना परिव्यय के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की ओर गम्भीर ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका ५ : उत्तर प्रदेश में योजनागत वार्षिक परिव्यय तथा व्यय (रू० करोड़)

वर्ष	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	व्यय का परिव्यय से प्रतिशत अनुपात
1	2	3	4
सातवीं योजना			
1985-86	1750.55	1853.66	105.89
1986-87	2150.00	2163.02	100.61
1987-88	2629.65	2343.93	89.13
1988-89	2690.75	2664.82	99.04
1989-90	2970.81	2910.97	97.99
वार्षिक योजनाएं			
1990-91	3383.05	3208.22	94.83
1991-92	3892.01	3695.54	94.95
आठवीं योजना			
1992-93	4039.92	3890.44	96.30
1993-94	4247.06	3432.78	80.83
1994-95	4760.06	4019.74	84.45
1995-96	5721.63	4436.25	77.53
1996-97	6774.03	5904.35	87.16
नवीं योजना	41910.00	28386.65	67.73
1997-98	6486.34	5032.92	77.59
1998-99	9234.96	5648.45	61.16
1999-00	10260.00	5843.24	56.95
2000-01	8122.00	5896.68	72.60
2001-02	8400.00	5965.36	71.10
दसवीं योजना			
2002-03	7250.00	6593.74	90.95
2003-04	7728.00	6124.92	79.26
2004-05	9661.51	N.A.	N.A.

स्त्रोत : योजना प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

टिप्पणी : आठवीं योजना तक आंकड़े अविभाजित उत्तर प्रदेश के हैं।

दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल योजना व्यय कुल सहमत परिव्यय रू० ५६,७०८ करोड़ का मात्र २१ .३० प्रतिशत है। वर्ष २००४–०५ में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया जायें , तब भी आरम्भिक तीन वर्षों में दशम योजना का कुल योजना व्यय सम्पूर्ण योजना आकार का ४० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अत:,योजना के बचे हुए दो वर्षों में वार्षिक योजना व्यय में बड़ी वृद्वि के लिए कटिबद्व प्रयासों की आवश्यकता है।

योजना के वित्त प्रबन्ध का स्वरूप

अब हम योजना के वित्त प्रबन्ध तथा उससे सम्बन्धित पहलुओं की चर्चा करेंगे। तालिका–६ में दसवीं पंचवर्षीय योजना के वित्त प्रबन्ध के नमूने की संक्षिप्त रूपरेखा

प्रस्तुत की गयी है। रू० ५६,७०८ करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय में से राज्य को रू० २४,२६८ करोड़ या कुल परिव्यय के ४० प्रतिशत का योगदान करना था। सहमत संसाधन योजना में राज्य का भाग २००२–०३ में केवल १६ प्रतिशत तथा २००३–०४ में ३६ प्रतिशत का पाया गया। चालू खाते में सन्तुलन का योगदान नगण्य प्रत्याशित था। संसाधनों में वृद्धि राज्य ने मुख्यतः निर्वाह निधि के प्रत्याहरण से , बाजार उधार तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा प्रस्तावित की।

प्रस्तावित वित्त प्रबन्ध योजना के विपरीत, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ऋणात्मक चालू राजस्व बचत सम्पूर्ण योजना के प्रस्तावित चालू राजस्व बचत अधिक बढ़ गया। दूसरी ओर बाजार ऋण सम्पूर्ण अवधि की प्रस्तावित मात्रा से अधिक बढ़ गया, जबकि निर्वाह निधि तथा अल्प उधार का लगभग ४० प्रतिशत उपयोग हो चुका है। अतः राज्य का अपना योगदान प्रस्तावित योगदान से कम रहा है। उसकी निर्भरता उधार के विभिन्न स्त्रोतों पर लक्ष्य से अधिक बढ़ गयी है।

केन्द्रीय योजना सहायता

तालिका–७ में योजनागत सहायता दिखायी गयी है। योजना सहायता में २००३–०४ के बाद से बड़ी वृद्धि दिखायी देती है। चालू योजना में केन्द्रीय योजना सहायता का योजना व्यय से अनुपात में सुस्पष्ट ह्रास नवीं योजना की अपेक्षा दृष्टिगत होता है। जब हम केन्द्रीय सहायता की चर्चा करते हैं तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि केन्द्रीय सहायता में ऋण तथा अनुदान ७०:३० के अनुपात में सम्मिलित हैं। केन्द्रीय योजना ऋण के आंकड़े तालिका–८ में दर्शाये गये हैं। अतः एक बड़े आकार का योजना तथा केन्द्रीय योजना सहायता की बड़ी मात्रा राज्य की ऋणग्रस्तता में वृद्धि को जन्म देता है , जोकि पहले से ही अत्यधिक उच्च है। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश द्वारा केन्द्र को कुल भुगतान (ऋण तथा ब्याज) उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली केन्द्रीय सहायता से अधिक है। अतः राज्य से केन्द्र की ओर विपरीत साधन प्रवाह देखा जा सकता है।

तालिका ६ : २००२–०३ तथा २००३–०४ में दशम पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित वित्त प्रबन्ध का नमूना (प्रतिरूप) एवं स्वीकृत संसाधन

रू० करोड़

क्रम सं०	मद	प्रस्तावित संसाधन दशम योजना	स्वीकृत संसाधन (2002-03)	स्वीकृत संसाधन (2003-04)
	राज्य निजी संसाधन (१ से ६)	**24297.88**	**1148.93**	**3499.47**
1.	चालू राजस्व में बचत	-9562.47	-6208.66	-3881.23
2.	लोक उद्यमों का योगतदान	-1080.69	-883.29	25.59
	(i) राज्य विद्युत निगम		-978. 56	
	(ii) राज्य सड़क एवं परिवहन निगम		104.27	
3.	राज्य निर्वाह निधि	8660.99	1784.48	1574.03
4.	अन्य पूंजीगत आय	-2687.61	-223.90	-126.75
5.	अल्प बचत	18281.17	3890.41	3480.00
6.	पूंजी कार्यों हेतु ऋण	198.32	108.04	160.19
7.	स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	1207.99	279.01	
8.	बाजार ऋण	4893.33	1489.55	1637.48
9.	संस्थाओं से ऋण	4386.85	913.29	630.26
	अ– सामान्य		446.86	
	एल० आई० सी०/जी० आई० सी०		343.23	
	आर०० ई० सी०		71.22	
	आई० डी० बी० आई०		32.41	
	ब– अतिरिक्त आर० आई० डी० एफ०		466.43	
	केन्द्रीय सहायता (१०–२४)	**35410.12**	**6101.07**	**6162.04**
10.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	12680.62	2379.81	3120.26
11.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता – प्रधानमंत्री ग्रम योजना हेतु	2082.83	370.87	370.87
12.	ए० आई० बी० पी० के अन्तर्गत सहायता	1825.00	365.00	275.00
13.	ब्बी० ए० डी० पी० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	41.60	8.32	8.32
14.	सड़क तथा पुल निर्माण हेतु	482.15	96.43	80.61
15.	ई० ए० पी० के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	14889.32	2085.00	1323.15
16.	राष्ट्रीय सम विकास योजना			315.00
17.	जुग्गी झोपड़ियों के विकास हेतु सहायता	200.50	40.10	42.79
18.	टी० एस० पी० हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1.60	0.32	0.29
19.	अनुच्छेद २७५ (१) के अन्तर्गत अनुदान	1.35	0.27	0.30
20.	केन्द्रीय सामाजिक सहायता योजना हेतु	493.30	98.66	98.64
21.	त्वरित ऊर्जा विकास पुनर्गठन योजना	1512.20	302.44	179.82
22.	ग्रमीण विद्युतीकरण	755.00	151.00	151.00
23.	शहरी आधारभूत ढांचे की सामार्थ्य वृद्धि हेतु ऋण	302.25	60.45	60.45
24.	किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम			6.01
25	एक मुश्त ए० सी० ए०	142.40	142.40	129.53
	कुल संसाधन	**59708.00**	**7250.00**	**9661.51**

स्त्रोत : योजना प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

तालिका ७ : उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय योजना सहायता (रू० करोड़)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
राज्य योजना कार्यक्रमों हेतु सहायता	1890.33	1994.15	1222.94	1346.53	1972.83	2283.11
केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों हेतु सहायता	187.00	79.53	123.21	36.29	11.15	10.60
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनाओं हेतु सहायता	391.16	764.72	537.62	529.66	1688.85	1454.74
कुल योजना सहायता	2468.49	2838.40	1833.77	1912.48	3672.83	3748.45
कुल योजना व्यय	6548.28	4271.45	7728.00	7241.76	12751.15	14864.36
योजना सहायता का योजना व्यय से प्रतिशत	37.70	66.45	24.38	26.41	28.80	25.22

स्त्रोत : योजना एवं बजट प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

(रू० करोड़)

तालिका ८ : उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय योजना ऋण (रू० करोड़)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
राज्य की योजना कार्यक्रमों हेतु	3187.48	2613.50	3061.66	3058.70	3759.71	4343.95
केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों हेतु	0.02	0.00	0.02	0.04	0.00	0.00
केन्द्रीय समर्थित योजनाओं हेतु	66.83	84.28	0.00	20.53	0.00	4.00
कुल केन्द्रीय ऋण	3254.33	2697.78	3061.68	3079.27	3759.71	4347.95
कुल योजना व्यय	6548.28	4271.45	7728.00	7241.76	12751.15	14864.36
ऋण का योजना व्यय से प्रतिशत	49.70	63.16	39.62	42.52	29.49	29.25

स्त्रोत : योजना एवं बजट प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

अल्प बचत का योगदान

चूँकि राज्य राजस्व घाटे को निरन्तर चल रहा है , चालू खाते से बचत योजना वित्त प्रबन्ध हेतु ऋणात्मक है। अतः राज्य योजना व्यय में अपने योगदान के लिए उधार पर ही निर्भर है जोकि मुख्यतः राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं के विरूद्व प्राप्त किया जाता है। अल्प बचत का योजना व्यय में योगदान आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजना में २६.५४ प्रतिशत तथा ३५.२८ प्रतिशत का रहा। परन्तु इसमें २००२–०३ में ६२.१४ प्रतिशत तथा २००३–०४ में ७७.५४ प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी (तालिका ६)। २००४–०५ में ऐसा

मानना है कि यह घटकर ५६.३२ प्रतिशत हो जायेगा तथा २००५–०६ के बजट में इसका ४२.९२ प्रतिशत प्रयोजित किया गया है।

तालिका ६ : उत्तर प्रदेश में अल्प बचत का योजना व्यय में योगदान (रू० करोड़)

मद	आठवीं योजना (1992-97)	नवीं योजना (1997-02)	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
कुल योजना व्यय/परिव्यय	21683.56	46248.88	7241.76	7728.00	12751.15	14864.36
राष्ट्रीय अल्पबचत के विरूद्व ऋण	5841.56	16364.29	4500.00	5992.00	7181.50	6380.00
राष्ट्रीय अल्पबचत ऋण से कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत	26.94	35.38	62.14	77.54	56.32	42.92

स्त्रोत : बजट प्रपत्र, उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सरकार द्वारा लिए गये केन्द्रीय सरकार के योजना ऋण तथा अन्य उधारों को सम्मिलित रूप से देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कुल योजना व्यय का तीन–चौथाई भाग उधार द्वारा तथा शेष एक चौथाई भाग केन्द्रीय अनुदान द्वारा वित्त प्रबंधित होता है। इस प्रकार योजना व्यय राज्य की लोक ऋणग्रस्तता को बढ़ाने में योगदान प्रदान कर रहा है , जोकि पहले से ही बहुत अधिक है। यह स्थिति इस तथ्य के कारण और भी अधिक शोचनीय है कि लगभग योजना व्यय का आधा भाग राजस्व व्यय के रूप में है , जोकि ऋण भुगतान हेतु कोई भी संसाधन नहीं उत्पन्न करेगा।

लोक ऋण की वहनीयता

राज्य सरकार बढ़ते हुए व्यय के पूरा करने के लिए भारी उधार पर निर्भर है। राज्य बजट में पिछले दो दशकों में विशाल राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बजट घाटों का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात बढ़ा है (तालिका–१०)। निकट वर्षों में जिसमें दशम योजना अवधि सम्मिलित है , राजस्व घाटे का अनुपात ३ प्रतिशत के आसपास बना रहा है तथा राजकोषीय घाटा राज्य घरेलू उत्पाद का ५ प्रतिशत के आसपास। घाटे की एक चिन्तनीय विशेषता यह है कि ऋण का एक बड़ा भाग राजस्व व्यय पर खर्च किया जा रहा है , जोकि किसी भी प्रकार से राज्य की उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी या सरकार की राजस्व आय में वृद्धि नहीं करता है।

तालिका १० : उत्तर प्रदेश की राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति : १९९१–२००६

वर्ष	राजस्व घाटा			राजकोषीय घाटा	
	रू० करोड़	राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	राजकोषीय घाटे से प्रतिशत	रू० करोड़	राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
1991-92	724.59	1.1	26	2836.50	4.4
1992-93	1014.56	1.4	27	3710.93	5.2
1993-94	1148.72	1.4	36	3165.77	4.0
1994-95	2000.74	2.2	42	4766.50	7.3
1995-96	2340.65	2.3	53	4380.61	3.8
1996-97	3179.13	2.2	53	5956.20	4.3
1997-98	4623.91	3.6	61	7575.96	5.1
1998-99	8696.16	5.1	75	11632.53	6.8
1999-00	7252.61	3.9	65	11098.73	5.9
2000-01	6289.31	3.3	62	10179.52	5.6
2001-02	6181.80	3.4	62	9898.13	5.3
2002-03	5117.32	2.6	54	9496.91	4.9
2003-04	6305.75	2.8	59	10776.25	4.9
2004-05 (RE)	7176.47	3.1	52	13686.25	5.9
2005-06 (BE)	5403.47	2.1	40	13532.58	5.3

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार, बजट पर श्वेत पत्र १९९८–९९, भाग– II तथा बजट पत्र २००५–०६

टिप्पणी : २००३–०४ के राजस्व घाटे के आंकड़े में रु० १२२७७.४० करोड़ के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ऋण के उत्तरदायित्व को सम्मिलित नहीं करता है तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में २००३–०४ के रू० ५८७१.८६ करोड़ के विद्युत शक्ति बोण्ड को राज्य व्यय को पूरा करने के लिए ऋणों पर निर्भर रहने के फलस्वरूप राज्य की ऋणग्रस्तता में निरपेक्ष तथा सापेक्ष रूप से तीव्र वृद्धि हुई है। इस वर्ष राज्य सरकार का कुल ऋण रू० १,३०,००० करोड़ के आंकड़े को स्पर्श करेगा (तालिका–११)। राज्य के ऋण का घरेलू उत्पाद से अनुपात भारतीय राज्यों में अधिकतम है, जोकि ५० प्रतिशत से अधिक हैं। ऋण भुगतान का राजस्व आय से अनुपात २००४–०५ में ४६ प्रतिशत हो गया। केवल ब्याज भुगतान ही राजस्व व्यय का लगभग ३० प्रतिशत अनुपात है। जिससे राज्य की प्राथमिक क्षेत्रों में व्यय करने की क्षमता संकुचित हो गयी।

फलस्वरूप विकासेत्तर व्यय का कुल व्यय से अनुपात बढ़ता जा रहा है और यह अब ४० प्रतिशत से अधिक हो गया है।

तालिका ११ :उत्तर प्रदेश के दायित्वों की प्रवृत्तियां

वर्ष	कुल दायित्व	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
1990-91	17966	32.4
1991-92	21101	32.6
1992-93	24157	34.2
1993-94	26920	33.9
1994-95	31658	35.1
1995-96	36145	31.2
1996-97	41768	30.2
1997-98	48365	32.6
1998-99	55952	32.8
1999-00	65135	34.7
2000-01	72766	40.2
2001-02	83011	44.4
2002-03	91182	41.6
2003-04	106407	48.9
2004-05	116794	49.9
2005-06	129155	51.4

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार, बजट पर श्वेत पत्र १९९८–९९, भाग–।। तथा बजट पत्र २००५–०६

राज्य क्रमिक रूप से ऋण पाश में गिरता जा रहा है क्योंकि उसे भूतकाल में लिए गये ऋणों का भुगतान करने हेतु और उधार का सहारा लेना पड़ता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋण भुगतान का ऋण आय से अनुपात २०००–०१ में ८७ प्रतिशत तथा २००४–०५ में १०७ प्रतिशत हो गया। दूसरे शब्दों में सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह नये उधार लेकर ऋण भुगतान सम्भव हो सके।

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी राजकोषीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत यह सुझाव दिया है कि २००६–१० तक राज्यों का ऋण – राज्य घरेलू अनुपात कम होकर २८ प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान/राजस्व व्यय अनुपात घटकर १५ प्रतिशत हो जाना चाहिए। यह आशाप्रद है कि राज्य सरकार इस राजकोषीय स्थिति की गम्भीरता के बारे में अवगत है और उसने राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम पारित करने वाले राज्यों में पॉचवां स्थान प्राप्त कर लिया है। अब यह आवश्यक है कि सरकार दृढ़ता से राजकोषीय अधिनियम में निश्चित किये गये राजकोषीय लक्ष्यों का दृढ़ता से पालन करे।

वर्तमान ऋण स्तर स्पष्ट रूप से दीर्घकाल में वहनीय नहीं है। यह राज्य सरकार के लिए अत्यावश्यक है कि वह संसाधनों को बढ़ाने तथा उधार द्वारा योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय की वित्त प्रबन्ध की निर्भरता में कमी लाने के ठोस कदम उठाये।

ऋण राहत उपाय

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए एक ऋण अदला–बदली की योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें नये निम्न लागत ऋण लेकर पूर्व के महंगे *णों का भुगतान कर सकती थी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष २००२–०३ , २००३–०४ तथा २००४–०५* में कुल मिलाकर रू० ११३६४.३१ करोड़ के ऋणों की अदला–बदली की। जिसमें से रू० ५२४२ .८० करोड़ अल्प बचतों से लिये गये तथा रू० ६१२१ .५१ करोड़ अतिरिक्त उधार लेकर। यद्यपि इस योजना से सरकार को आगामी वर्षों में ब्याज भुगतान में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अल्पकाल में इसके कारण सरकार के समक्ष तरलता की समस्या उत्पन्न हुई है। इससे एक तरफ ऋण भुगतान की मात्रा बढ़ी है और दूसरी ओर योजनागत व्यय के लिए उपलब्धता में कमी आयी है।

बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को ऋण सहायता की एक योजना प्रस्तावित की है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के ३१ मार्च, २००५ के सभी केन्द्रीय ऋण विलय कर दिये जायेंगे तथा उनका पुनर्निर्धारण कर बीस वर्ष की भुगतान परिपक्वता अवधि कर दी जायेगी जिस पर ब्याज दर ७.५ प्रतिशत की निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यह आंकलित किया गया है कि यह पुरस्कार अवधि में रू० ३१३३ करोड़ ब्याज में बचत तथा रू० १५३३ करोड़ के वार्षिक भुगतान दायित्व में गिरावट का लाभ प्रदान करेगा। राज्य ऋण माफी के लिए योग्य तभी होंगे जब वे राजस्व घाटे में कटौती पुरस्कार अवधि में ला पायें। उत्तर प्रदेश रू० ४०२० करोड़ की ऋण माफी पुरस्कार अवधि में प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ऋण माफी योजना का लाभ अपने निर्धारित प्रयासों द्वारा राजस्व घाटे में गिरावट लाकर उठा सकता है।

यह उल्लेख करना यहां आवश्यक है कि केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था में वर्ष २००५–०६ से ,बारहवें वित्त आयोग की केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण समाप्ति के सुझाव के अनुसार परिवर्तन आयेगा। अब योजना सहायता केवल योजना अनुदान के रूप में होगी तथा केन्द्र द्वारा ऋण समाप्त कर दिया जायेगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी साबित होगा क्योंकि यह राज्य के लोक ऋण वृद्धि को बाधित करेगा। राष्ट्रीय अल्प बचत कोष से

ऋण प्राप्त करने का मार्ग सरकार द्वारा अपने ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खुला है। परन्तु यह एक महंगा ऋण है ,क्योंकि इसकी चालू ब्याज दर ६.५ प्रतिशत की है।

राज्य सरकार को नवीन ऋण व्यवस्था की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए अपने आपको कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा। उसे बाजार स`अब ऋण प्राप्त करना होगा। योजना वित्त प्रबन्ध की सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। ऋण उपलब्धता अब बैंक द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं तक ही सीमित होगा। करेत्तर साधनों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के हस्तान्तरण से सरकार बच नहीं सकती, अगर उसे अपने योजना तथा योजनोत्तर व्ययों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के विदोहन के प्रयास

तालिका–१२ विभिन्न करों द्वारा राजस्व की प्रवृत्ति को दर्शाती है , जबकि तालिका–१३ कर राजस्व की वार्षिक वृद्वि को दर्शाती है। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में राज्य सरकार का कर राजस्व निजी साधनों द्वारा लगभग रू० ५३५० करोड़ अथवा रू० १७०० करोड़ वार्षिक रूप से बढ़ा। राज्य कर राजस्व की वृद्वि दर लगभग १५ प्रतिशत वार्षिक रही, जोकि सन्तोषजनक कही जा सकती है। पर व्यक्तिगत करों की वृद्वि असम रही। जबकि टिकट तथा पंजीकरण शुल्क द्वारा राजस्व की वृद्वि दर बढ़कर २१ .५ प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, तथा आबकारी एवं व्यापार कर की दर १३ प्रतिशत प्रतिवर्ष रही पर मनोरंजन कर की वृद्वि मा.त्र ४.७५ प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। दूसरी ओर परिवहन कर में नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में कर/राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अति निम्न बना रहा। २००२–०३ में ०.७५ प्रतिशत बिन्दु की वृद्वि होने के बाद, कर/राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात ६.३ प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गया। दूसरी ओर करेत्तर राजस्व में वृद्वि ६.११ प्रतिशत प्रतिवर्ष दिखायी दी और करेत्तर राजस्व का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात जोकि १ प्रतिशत से कुछ कम था और गिर गया। हाल में शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में उपभोक्ता शुल्क में कमी का राज्य वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अगर राजकोषीय अधिनियम द्वारा राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कर तथा करेत्तर संसाधनों की बढ़ोत्तरी हेतु एक स्पष्ट रणनीति अपनानी पड़ेगी तथा विकासेत्तर व्ययों की वृद्वि के नियंत्रण पर भी बल देना पड़ेगा। कुछ सुझाव इस दिशा में ज्ञापित हैं :

१ भूमि राजस्व वृद्धि की काफी क्षमता है , जिसमें कि कोई परिवर्तन काफी समय से नहीं आया है। अगर सकल कृषि आय का मात्र एक प्रतिशत भूमि राजस्व के रूप में एकत्रित किया जा सके तो राज्य राजस्व में काफी वृद्धि की संभावना है।

२ व्यवसायिक कर (प्रोफेशन कर) का आरम्भ काफी राजस्व उत्पन्न कर सकता है।

३ व्यापार कर में बड़े पैमाने पर अपवंचन पाया जाता है। प्रभावी कर प्रशासन के साथ अपवंचकों पर छापे तथा अभिग्रहण अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में सहायक सिद्व होगा।

४ सम्पत्ति कर का सुधार शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों को समृद्व करने का एक अच्छा स्त्रोत हो सकता है।

५ आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं में उपभोक्ता शुल्क की युक्तिसंगत तथा क्रमिक वृद्धि आवश्यक है।

६ विभिन्न प्रकार की सहायिकी की (सब्सिडी) की क्रमिक रूप से समाप्ति होनी चाहिए।

७ सरकार को निजीकरण तथा घाटेवाले उद्योगों तथा निगमों की बन्दी एक पारदर्शी तथा समयबद्व नीति के तहत करना चाहिए।

८ सरकार को ऐसे उपायों को दृढ़ता से लागू करना चाहिए जोकि अनुत्पादक तथा फिजूल व्ययों पर काबू पाये तथा लोक व्ययों की वृद्धि पर नियन्त्रण रखना चाहिए।

तालिका १२ : निजी कर तथा करेत्तर राजस्व की प्रवृत्तियां : २०००–०१ से (रू० करोड़)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
राज्य कर तथा शुल्क					
भूमि राजस्व	72.93	64.23	117.67	75.00	76.50
टिकट एवं पंजीकरण शुल्क	1429.29	2078.68	2296.06	2564.00	2928.00
आबकारी कर	1961.38	2555.05	2472.37	2800.00	3200.00
विक्रय कर/व्यापार कर	6163.10	7123.74	7684.13	9000.00	10524.00
परिवहन कर	503.04	618.84	676.96	429.77	588.74
वस्तु तथा यात्री कर	76.65	77.33	80.21	494.47	653.00
विद्युत कर	9.22	145.29	174.72	191.51	194.99
मनोरंजन कर	100.04	100.02	92.78	115.00	120.00
कुल कर राजस्व	10319.32	12766.90	13601.22	15675.10	18290.58
करेत्तर राजस्व	1787.07	1913.49	2282.08	2135.35	2247.19
कुल निजी राजस्व	12106.39	14680.39	15883.30	17810.45	20537.77
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	188687.08	202903.95	217432.00	246829.00	279065.00

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बजट की रूपरेखा (वार्षिक) तथा बजट प्रपत्र २००५–०६

तालिका १३ : निजीकर तथा करेत्तर राजस्व की वार्षिक वृद्वि (%)

मद	2002-03	2003-04	2004-05 संशोधित आंकलन	2005-06 बजट आंकलन	चक्रवर्ती वार्षिक वृद्वि दर
राज्य कर तथा शुल्क					
भूमि राजस्व	-11.93	83.20	-36.26	2.00	0.94
टिकट एवं पंजीकरण शुल्क	45.43	10.46	11.67	14.20	21.51
आबकारी कर	30.27	-3.24	13.25	14.29	12.60
विक्रय कर/व्यापार कर	15.59	7.87	17.12	16.93	13.45
परिवहन कर	23.02	9.39	-36.51	36.99	-5.11
वस्तु तथा यात्री कर	0.89	3.72	516.47	32.06	86.16
विद्युत कर	1475.81	20.26	9.61	1.82	174.89
मनोरंजन कर	-0.02	-7.24	23.95	4.35	4.75
कुल कर राजस्व	23.72	6.54	15.25	16.69	14.95
करेत्तर राजस्व	7.07	19.26	-6.43	5.24	6.11
कुल निजी राजस्व	21.26	8.19	12.13	15.31	13.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.53	7.16	13.52	13.06	9.37

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बजट की रूपरेखा (वार्षिक) तथा बजट पत्र

तालिका १४ : कुल निजी राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 RE	2005-06 BE
राज्य कर तथा शुल्क					
भूमि राजस्व	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03
टिकट एवं पंजीकरण शुल्क	0.76	1.02	1.06	1.04	1.05
आबकारी कर	1.04	1.26	1.14	1.13	1.15
विक्रय कर/व्यापार कर	3.27	3.51	3.53	3.65	3.77
परिवहन कर	0.27	0.30	0.31	0.17	0.21
वस्तु तथा यात्री कर	0.04	0.04	0.04	0.20	0.23
विद्युत कर तथा	0.00	0.07	0.08	0.08	0.07
मनोरंजन कर	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04
कुल कर राजस्व	5.47	6.29	6.26	6.35	6.55
करेत्तर राजस्व	0.95	0.94	1.05	0.87	0.81
कुल निजी राजस्व	6.42	7.24	7.30	7.22	7.36
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	100.00	100.00	100.00	·100.00	100.00

स्त्रोत : उत्तर प्रदेश बजट की रूपरेखा (वार्षिक) तथा बजट पत्र पर आधारित

निजी निवेश

दसवीं योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि योजना अवधि के दौरान ६० प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से आयेगा। आवश्यक आंकड़ों की अनुपलब्धि के कारण कुल निजी निवेश का पूर्ण तथा स्पष्ट आंकलन कर पाना सम्भव नहीं है। निजी निवेश क्रिया के कुछ अनुमान संस्थागत ऋण तथा सामूहिक क्षेत्र निवेशों की प्रवृत्तियों की कुछ उपलब्ध संरचना के आधार पर किये गये हैं।

तालिका १५ विगत दशक में बैंकों द्वारा ऋण की प्रवृत्तियों को व्यक्त करता है। बैंक ऋण एक अनिश्चित प्रवृत्ति प्रवाह को दर्शाता है। २००१–०२ के दौरान बैंक ऋणों में २४.४ प्रतिशत वृद्धि रही। यह गिरकर २००२–०३ में १५ .५ प्रतिशत हो गयी तथा अगले वर्ष यह तीव्रगति से गिरकर १ .४ प्रतिशत रह गयी। यह तालिका यह भी व्यक्त करती है कि अधिकतर वर्षों में बैंक ऋण मे वृद्धि बैंक जमाओं में वृद्धि की अपेक्षा कम रही। यह ऋण जमा अनुपात में ह्रास द्वारा प्रतिबिम्बित होता है , जोकि मात्र ३०–३१ प्रतिशत रहकर राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा। एक अन्य ध्यान देने योग्य तथ्य है

कि उत्तर प्रदेश बैंक ऋण में देश के कुल बैंक ऋण की मात्रा का ६–७ प्रतिशत मात्र है , जबकि कुल जमाओं में उत्तर प्रदेश का योगदान १० प्रतिशत से अधिक है। यह प्रवृत्ति सापेक्षिक रूप से राज्य में आर्थिक क्रिया की निम्न मात्रा को इंगित करती है तथा राज्य द्वारा अर्जित की गयी बचतों के उपयोग करने की अक्षमता को व्यक्त करती है। राज्य में ऋण अनुपात में सुधार लाने के लिए नियोजित प्रयासों की आवश्यकता है।

तालिका १५ : उत्तर प्रदेश में बैंक ऋण तथा जमाओं की प्रवृत्तियां

वर्ष	बैंक शाखा (संख्या)	बैंक ऋण (रू० करोड़)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	भारत से प्रतिशत	बैंक जमा (रू० करोड)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	भारत से प्रतिशत	ऋण जमा अनुपात	भारत से प्रतिशत
1995-96	8854	14614	8.76	5.73	41777	15.85	9.8	34.20	55.25
1996-97	8897	17083	16.9	6.00	49260	17.91	9.84	33.68	59.29
1997-98	8978	19636	14.95	5.95	59992	21.79	10.05	32.73	59.18
1998-99	9072	21872	11.39	5.71	70358	17.28	10.07	31.09	56.75
1999-00	9063	25514	16.65	5.54	82675	17.51	10.06	30.86	55.10
2000-01	8254	27193	6.58	5.05	85373	3.26	8.99	31.06	54.77
2001-02	8324	33826	24.39	5.15	98520	15.4	8.76	33.46	57.31
2002-03	8312	39084	15.54	7.49	108685	10.32	11.32	29.02	53.40
2003-04	8213	39634	1.41	6.39	119333	9.8	10.47	31.37	57.68

स्त्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

राष्ट्रीय साविधी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के ऋणों का दृश्य और अधिक नगण्य है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति तथा ऋण वितरित में २०००–०१ की अपेक्षा तीन चौथाई भाग से कमी आयी है। उत्तर प्रदेश का भाग कुल वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित ऋण में गिरकर नब्बे के दशक के मध्य में ८ प्रतिशत तथा नब्बे के अन्तिम चरण में ४ प्रतिशत से भी कम हो गया तथा २००२–०३ में ३.१७ प्रतिशत मात्र तथा २००३–०४ में १.८६ प्रतिशत मात्र में रहा। यह आंकड़े उत्तर प्रदेश में निम्न निवेश वातावरण को इंगित करते हैं।

तालिका १६ : उत्तर प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की प्रवृत्तियां
सांख्यिकी पुस्तिका, उत्तर प्रदेश

वर्ष	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		सम्पूर्ण भारत से उत्तर प्रदेश का प्रतिशत
	रू० करोड़	प्रतिशत परिवर्तन	रू० करोड़	प्रतिशत परिवर्तन	
1995-96	4520	53.01	2773	41.97	7.97
1996-97	3363	-25.6	2962	14.47	6.94
1997-98	2724	-18.99	2411	-33.17	4.47
1998-99	3280	20.42	2176	-3.09	3.84
1999-00	3472	5.83	2602	11.7	3.87
2000-01	3588	3.33	2686	1.34	3.65
2001-02	1709	-52.35	1661	-39.49	2.79
2002-03	841	-50.79	813	-46.84	3.17
2003-04	869	3.23	659	-23.47	1.89

प्रस्तावित सामूहिक निवेश में १६६६–६७ तथा २०००–०१ के मध्य ह्रास दृष्टिगोचर हुआ, परन्तु तत्पश्चात् वृद्वि के चिन्ह दृष्टिगत हुए (तालिका १७)। २००१–०२ तथा २००३–०४ के मध्य प्रस्तावित निवेश में उछाल रू० २०००० करोड़ की रही। परन्तु यह वास्तविक निवेश में नहीं प्रतिबिम्बित हुआ क्योकि इस अवधि के दौरान कार्यान्वयन की दर में गिरावट ४७ प्रतिशत से गिरकर ३६ प्रतिशत की दिखायी पड़ी। अगर प्रस्तावित निवेश पूर्ण रूप से सम्पन्न हो सके तो राज्य अर्थ व्यवस्था में सारवान प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को बाधित करने वाले कारकों को चिन्हित करने तथा उनके कुशलपूर्ण ढंग से हटाने का प्रयास करना चाहिए।

तालिका १७ : उत्तर प्रदेश में बकाया परियोजना निवेश : १६६५–२००४

वर्ष	प्रस्तावित निवेश रू० करोड़	पूर्व वर्ष की अपेक्षा परिवर्तन रू० करोड़	कार्यान्वयन के अन्तर्गत रू० करोड़	कार्यान्वयन की दर प्रतिशत
1995-96	58928		22363	37.95
1996-97	62077	3149	28229	45.47
1997-98	50680	-11397	19808	39.08
1998-99	48473	-2207	15257	31.48
1999-00	54514	6041	23425	42.97
2000-01	53464	-1050	23841	44.59
2001-02	59739	6275	28050	46.95
2002-03	69404	9665	24275	34.98
2003-04	72906	3502	26710	36.64

Source: Centre for Monitoring Indian Economy, Monthly Reports, U.P.

उत्तर प्रदेश घरेलू तथा विदेशी निवेशकों की नगण्य संख्या को आकर्षित करता है। अगस्त २००४ तक उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या–४३८ थी, जिसमें १८,०९८ करोड़ का निवेश प्रस्तावित था, जोकि भारत में ७.८ प्रतिशत, प्रतिशत राशि कुल परियोजनाओं की संख्या का तथा सम्पूर्ण निवेश का ६.५ प्रतिशत था (तालिका १८)। किन्तु २००३–०४ में आद्योगिक उद्यम समझौतों (आई० ई० एम्स) का उत्तर प्रदेश में भाग मात्र ५..६२ प्रतिशत तथा निवेश का भाग मात्र १ .४ प्रतिशत ही रहा।

तालिका १८ : उत्तर प्रदेश तथा भारत में आद्योगिक उद्यम समझौतों का कार्यान्वयन

संख्या तथा परियोजनाओं के प्रकार तथा प्रस्तावित निवेश	उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत में प्रतिशत भाग
औद्योगिक उद्यम समझौते (अप्रैल २००३–मार्च			
संख्या	232	4130	5.62
निवेश (रू० करोड़)	2149	154931	1.39
अगस्त २००४ तक कार्यान्वयन			
संख्या	438	5631	7.78
निवेश (रू० करोड़)	18098	189867	9.53

Source: Centre for Monitoring Indian Economy, Monthly Reports, U.P.

उत्तर प्रदेश का हिस्सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और भी कम है। अतः उत्तर प्रदेश २००३–०४ में मात्र ३८ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव एवं रू० १०२.३२ करोड़ निवेश की राशि, ही आकर्षित कर पाया। अतः प्रदेश में प्रस्तावित निवेशों की संख्या तथा निवेश की मात्रा मात्र २ .० प्रतिशत तथा १ .५ प्रतिशत सम्पूर्ण भारत के प्रस्तावित निवेशों की संख्या तथा निवेश की मात्रा की तुलना में रही। (तालिका १६)। हमारा विश्लेषण यह इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश में वाह्य निवेशों को आकर्षित करने के प्रयासों में इच्छित सफलता नहीं मिली है। इसे बाधित करने वाले तत्वों का त्वरित विश्लेषण आवश्यक है।

तालिका १६ : २००३–०४ के दौरान भारत तथा उत्तर प्रदेश में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

संख्या तथा परियोजनाओं के प्रकार तथा प्रस्तावित निवेश	उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत में प्रतिशत भाग
तकनीकी (संख्या)	13	299	4.35
वित्तीय (संख्या)	25	1630	1.53
कुल (संख्या)	38	1929	1.97
निवेश (रू० करोड़)	102.32	6833.31	1.50

Source: Centre for Monitoring Indian Economy, Monthly Reports, U.P.

समाहार

योजना निवेश तथा उनके वित्त प्रबन्ध का विश्लेषण निम्न निष्कर्षों को व्यक्त करता है :

— नब्बे के आरम्भ से योजना व्यय के विशुद्व राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत अनुपात में तीव्र ह्रास आया, जोकि वृद्वि दर के भी तीव्र ह्रास में प्रतिबिम्बित होता है। योजना व्यय में ह्रास राज्य की राजकोषीय परिस्थिति में नब्बे के आरम्भ में तीव्र ह्रास के कारण हुआ है।राज्य में आर्थिक मन्दी तथा राजकोषीय संकट में निकट अन्तर्सम्बन्ध है।

— योजना परिव्यय तथा योजना व्यय में एक बड़ा तथा बढ़ता हुआ अन्तर भी चिन्ता का विषय है। योजना परिव्यय तथा योजना व्यय में अन्तर भी चिन्ता का क्षेत्र है। अगर वर्ष २००४—०५ का आवंटन पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाये , तब भी कुल योजना व्यय दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में योजना आकार का ४० प्रतिशत से अधिक नहीं हो पायेगा।

— राज्य सरकार के केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये योजना ऋण तथा अन्य उधारों को साथ लेने पर, हम यह पाते हैं कि राज्य सरकार का कुल योजना व्यय का लगभग तीन—चौथाई भाग उधार द्वारा तथा शेष एक—चौथाई केन्द्रीय अनुदान द्वारा वित्त प्रबन्धित होता है। अतः योजना व्यय राज्य के लोक ऋण में वृद्वि में योगदान प्रदान करता है ,जोकि पहले से ही अत्यधिक उच्च है।

— प्रदेश में राज्य के ऋण का राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात भारतीय राज्यों में अधिकतम है (५० प्रतिशत से अधिक) अब केवल ब्याज भुगतान ही राजस्व व्यय कालगभग ३० प्रतिशत है।

जिससे राज्य की प्राथमिक क्षेत्रों में व्यय करने की क्षमता संकुचित हो गयी। योजना वित्त प्रबन्ध की सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। ऋण उपलब्धता अब बैंक द्वारा आर्थिक तथा वित्तीय रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं तक ही सीमित होगा।

— उत्तर प्रदेश में संस्थागत वित्त की परिस्थिति असन्तोषजनक है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल बैंक ऋण की मात्रा का ६—७ प्रतिशत मात्र बैंक ऋण है, , जबकि उत्तर प्रदेश का योगदान कुल जमाओं में १० प्रतिशत से अधिक है। राष्ट्रीय सावधि ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का दृश्य और अधिक नगण्य है।

— उत्तर प्रदेश घरेलू तथा विदेशी निवेशकों की नगण्य मात्रा आकर्षित करता है।

— कर तथा करेत्तर साधनों के माध्यम से संसाधन विदोहन तथा विकासेत्तर व्यय में वृद्वि को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर युद्वनीति को अपनाने की आवश्यकता है जिससे प्रमुख क्षेत्र में विकास व्यय में वृद्वि सम्भव हो सके।

अध्याय तेरह

शासन एवम् सुधार

विश्व में पिछले कुछ दशकों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का सम्बन्ध बेहतर प्रशासन के साथ देखने को मिलता है। ऐसे सभी जगहों पर जहां शासकीय सुधारों को महत्व एवं वरीयता दी जा रही है, अच्छी राजनीतिक एवं प्रशासनिक सरकार, अच्छी आर्थिक सरकार एवं बेहतर प्रशासन में मानव विकास के किसी भी तरीके को चुना जा सकता है। शासन क्या है ? इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है ? इस सन्दर्भ में अनेक विशेषज्ञों के मत हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये स्वयं एवं संस्थाओं को किस प्रकार परिचालित किया जा सकता है। वृहद् एवं समन्वित रूप में शासन का सम्बन्ध इस तथ्य से है कि कैसे संस्थायें (संस्थायें, विभाग, विधिक एवं सेवा प्रदाता आदि) एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

'अत्यधिक शासन अच्छी सरकार नही हो सकती' इस तथ्य के कुछ गुण हो सकते हैं, किन्तु यहां यह स्पष्ट है कि अच्छी सरकार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता और अच्छी सरकार का मतलब आवश्यक रूप से कम शासन नहीं है। यह सत्य है कि सरकार को ऐसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें जनता स्वयं कर सकती है। सरकार के लिये आवश्यक है कि वह बिना भेदभाव के निश्चित रूप से प्रभावशाली तरीके से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदान करे,, शांति स्थपित करे, उद्यमिता का अवसर प्रदान करे,, जनता का विकास करे तथा तीव्र एवं प्रभावशाली तरीके से समान सामाजिक संरचना स्थापित करे। दुर्भाग्य से सरकार का स्वरूप शिथिल, बेकार एवं बहुस्तरीय हो गया है जो नियमों, संकुचित निर्णयों, निरन्तर राजनीतिक दबावों, गुटबाजी, नौकरशाही एवं राजनीतिक व्यवस्था तक ही केन्द्रित हो कर रह गई है। इसके परिणामस्वरूप यह कम क्रियाशील, अपारदर्शी एवं मंहगी हो गई है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे इसे जवाबदेह, समानतापूर्ण, पारदर्शी एवं क्रियाशील बनाया जा सकता है। शासन एवं उसकी विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न स्तर पर कैसे नवीन प्रतिभागी एवं विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। यदि शासन में सुधार करना है तो इन प्रश्नों के जवाब ढूंढे जाने चाहिए।

राष्ट्रीय परिदृश्य :

भारत की स्वतंत्रता के समय लोकतंत्र एवं गणतंत्र के उद्देश्यों के लिये राजनीतिक व्यवस्था के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना गया। बाद में दो अन्य तत्वों, धर्म निरपेक्षता एवं समाजवाद को इसके साथ जोड़ा गया। हमारी शुरूआत मिश्रित अर्थव्यवस्था के माडल के रूप में हुई जो केन्द्रीय नियोजन एवं मजबूत सार्वजनकि क्षेत्र पर आधारित था। इस माडल के द्वारा न तो विकास और न ही सम्पन्नता को प्राप्त किया जा सका। 1980 के दशक में मुक्त अर्थव्यवस्था की दिश में धीमी किन्तु प्रभावशाली शुरूआत हुई। इसके पश्चात 1991 में स्पष्ट एवं सशक्त रूप में एक उदारीकृत व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाये गये।

1992 में संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय–स्थानीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उनके कार्यो का निर्धारण किया गया। ऐसी धारणा है कि जब तक तेजी एवं दृढ़ता के साथ समानान्तर रूप से बहुस्तरीय एवं बहु संस्थानिक सुधार नहीं किये जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं लायी जा सकती तथा असमानता, बेरोजगारी, गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता न ही वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। नब्बे के दशक के मध्य एवं उत्तरार्द्ध में प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने सहकारी संघवाद, दीर्घकालीन उदारीकरण नीति, विकेन्द्रीक्रत व्यवस्था में जनता की सुदृढ़ता, राजकोषीय स्थिरीकरण एवं प्रभावी प्रशासन के बारे में विचार किया।

इस सन्दर्भ में वृहद विक्रेन्द्रीकरण एवं प्रतिनिधित्व, जवाबदेही, मुक्त प्रशासन, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों का सम्मान, विधिक, संवैधानिक एवं चुनावी सुधार एवं नागरिक सेवाओं में सुधार महत्वपूर्ण हैं। 1999 में 12वीं लोक सभा के गठन के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनी। इसके द्वारा घोषित राष्ट्रीय कार्य–योजना में वर्तमान समय को 'सामांजस्य का राजनीतिक युग' एवं 'सरकार का सर्वानुमत स्वरूप' कहा गया। इसमें स्थायी, ईमानदार, कार्यकुशल एवं पारदर्शी प्रशासन देने की घोषणा की। इसमें आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी उन्मूलन, एवं 8 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक विकास की बात कही गई। इस कार्य योजना में खाद्य सुरक्षा, जल, पर्यावरण, सामाजिक न्याय एवं विधिक सुधारों के क्षेत्र में नई नीतियां लाने की बात कही गयी। कार्य योजना में इस महान देश के तीन व्याधियों भय, भूख एवं भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिये गम्भीर प्रयत्न करने की दृढ़ता प्रकट की गई । जिससे शासन का स्वरूप एवं संस्कृति बदली जा सके। दुर्भाग्य से यह स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित नहीं हो सका।

इसके पश्चात् संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन ने वर्ष 2004 में अपना 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' प्रस्तुत किया। जिसको सामाजिक समरसता भय एवं पक्षपात के बिना विधिक प्रक्रिया का क्रियान्वयन, दलितों, पिछड़ों एवं अनुसूचित जनजातियों, किसानों, कृषि मजदूरों की स्थिति में सुधार, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक विकेन्द्रकरण, सामाजिक एवं आधारभूत संरचना एवं उद्यमियों में सृजनात्मक उर्जा का विकास, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों एवं अन्य सभी व्यवसायियों एवं समाज के उत्पादक वर्गों का बढ़ावा देने की बात कही गई। इसमें प्रशासनिक सुधार एवं भविष्य में 7 से 8 प्रतिशत तक स्थायी विकास दर प्राप्त करने की बात कही गई जो "प्रत्येक परिवार को सुरक्षित एवं जीविका प्रदान करने वाला रोजगार सृजित कर सके"। सुधार प्रक्रिया जारी है। सूचना की स्वतंत्रता एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व से सम्बन्धित कानून को लागू किया गया है। एक रोज़गार आश्वासन कानून प्रस्तावित हैं। सूचना की स्वतंत्रता कानून को अधिक प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण सूचना अधिकार कानून में परिवर्तित करने की योजना है। कर एवं गैर कर सुधारों के साथ कई अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे विद्युतदर; राजकोषीय स्थिरिता, वित्तीय विपणन, सहभागी प्रशासन के लिये नियामक प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रक्रिया क्रियान्वित होनी है किन्तु इसे कुछ वैचारिक अवरोधों तथा संयुक्त गठबंधन की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु देश को इनकी तीव्रता से इन्तजार है।

वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार ने "प्रभावशाली एवं उत्तरदायी प्रशासन" विषय पर प्रमुख सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। विकेन्द्रीकरण एवं प्रतिनिधित्व, लोक सेवाओं में सुधार, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिक सुधार एवं नागरिक अधिकार आदि इसके प्रमुख विषय थे। परन्तु राजनीतिक सुधारों की बात कहीं नहीं उठाई गई। इसमें कई सुझाव सामने आये जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिये नैतिक संविधान, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वतंत्र आयोग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिये आचार संहिता, लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण, नियुक्ति पदोन्नति एवं लोक प्रहरी की नियुक्ति के लिये उच्च स्तरीय लोक सेवा बोर्ड के गठन की बात कही गयी। कार्यो का प्रभावी विकेन्द्रीकरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्य एवं वित्त पर विशेष बल दिया गया।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक कार्य योजना प्रस्तुत की जिसमें कई विशेष उपाय जैसे प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार, सूचकांक का निर्धारण, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक, सांसद एवं मंत्रियों द्वारा सम्पत्ति विवरण की वार्षिक घोषणा, युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत करना, तेज एवं सम्पूर्ण निवारक कार्यवाही एवं प्रभावशाली कानून, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की संवैधानिक अधिकार, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, इलेक्ट्रानिक प्रशासन, भ्रष्ट लोक सेवक (सम्पतिहरण) कानून का क्रियान्वयन, जिसे 1998 में ही संसद द्वारा पास किया जा चुका है। इसमें चुनाव सुधारों पर भी विशेष जोर दिया गया। इस सन्दर्भ में इससे पहले संवैधानिक पुनरीक्षण आयोग द्वारा सुझाव दिये गये थे परन्तु अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। केलकर समिति ने कर एवं गैर–कर क्षेत्र में कई सुझाव दिये। हौता, सुरेन्द्रनाथ, युगान्धर एवं अलघ आदि समितियों द्वारा भी कई सुझाव दिये गये। केन्द्र सरकार वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करने जा रही है (पहले आयोग का गठन 1966 में हुआ था)। यह आयोग मानव संसाधन के उचित आकार का निर्धारण, लागत नियंत्रण, मंत्रालयों का क्रियान्वयन पुर्नगठन, प्रभावी सेवाओं के लिये नियम एवं तरीको का पुनरीक्षण, संवर्ग का प्रबंधन, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, पंचायत राज एवं नगर पालिकाओं के सशक्तीकरण के साथ लोक प्रशासन से सम्बन्धित कई अन्य क्षेत्रों के लिये अपने सुझाव देगी।

उत्तर प्रदेश में उभरते परिदृश्य :

पिछले कई वर्षों में प्रदेश में शासन के मुद्दे ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। वर्ष 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को तलाशने की कोशिश की गई की राज्य के आर्थिक विकास में अवरोधों के क्या कारण है। इस परीक्षण में निम्नलिखित कमजोरियां सामने आयी।

1. शिथिल प्रशासन–जिससे सेवा प्रदान करने की क्षमता कम हुई है।
2. सार्वजनिक कोषों का अत्यधिक नियमन एवं अनावश्यक आवंटन तथा सामंजस्य का अभाव।
3. पारदर्शिता की कमी, लोक सेवाओं में जवाबदेही एवं ईमानदारी का अभाव।
4. बढ़ता राजकोषीय घाटा जिसके कारण ऋण का सहारा लेना पड़ा है।
5. मानव विकास का निम्न स्तर।
6. सार्वजनिक क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक विस्तार जिसने प्रभावी रूप से इनकी कार्यदक्षता को कम किया है।
7. आधारभूत सुविधाओं का अभाव विशेषतः विद्युत क्षेत्र में।

वर्ष 1998 में विश्व बैंक के निर्धनता निवारण एवं आर्थिक प्रबंधन (दक्षिण एशिया) ईकाई ने उ0 प्र0 की राजकोषीय समस्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 में अपने बजट में राज्य के प्रशासन में सुधार की बात कही थी। जिससे प्रशासनिक कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार को कम किया जा सके एवं राज्य में प्रशासन की गुणवत्ता एवं जवाबदेही को बढ़ाया जा सके। इसके लिये चार बातों –अनुशासन, दृढ़ता, काष्ठसंधि एवं आपूर्ति पर जोर दिया गया। उ0 प्र0 सरकार ने शासन की कार्यक्षमता बढ़ाने और नई कार्यसंस्कृति को अपनाने पर बल दिया। इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये नियमों को सरल बनाने, प्रशासन तक जनता की पहुंच बनाने के लिये विकेन्द्रीकरण, लोक सेवा नियुक्तियों में पारदर्शिता, प्रशासन की नीतियों एवं गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिये सूचना की स्वतंत्रता तथा प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिये प्रत्येक विभाग में नीति निर्धारक ईकाई बनाने जैसे कदम उठाये गये। रिपोर्ट मे आगे उ0 प्र0 की समस्याओं का प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता को माना गया है। पिछले एक दशक में प्रदेश में ग्यारह बार सत्ता परिवर्तन हुए है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के दीर्घकालीन विकास से सम्बन्धित नीति निर्धारण के स्थान पर अल्पकालिक लाभ से सम्बन्धित नीतियों पर ज्यादा जोर दिया गया है।

सत्ता में परिवर्तन एवं अस्थायी गठबन्धन के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण की प्रवृत्ति में तेजी आयी हैं जिससे इन अधिकारियों का औसत कार्यकाल अत्यन्त कम रहा है। इससे सभी लोक संस्थाओं की कार्य क्षमता दुष्प्रभावित हुई है। (विश्वबैंक रिपोर्ट 1863 एन–30/11/98) रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों में सुधार पर बल दिया गया है। उनमें प्रशासन राजकोषीय समन्वयन, अनावश्यक नियमन में कमी, सरकार के अधिकारों में कमी, सार्वजनिक उद्यमों का पुर्नगठन, लोक सेवाओं का नवीनीकरण, कार्य निष्पादन–आंकलन व्यवस्था, मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां, सरकारी विभागों के आकार में कमी, विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय प्रशासन में सुधार, भौतिक (विद्युत, सिंचाई, सड़क आदि) तथा सामाजिक (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) आधारभूत संरचना के अवरोधों को हटाना शामिल है।

वर्ष 1998–99 में राज्य सरकार ने गम्भीर वित्तीय संकट के त्वरित समाधान के लिये एक श्वेत पत्र जारी किया। मार्च 2000 में उ0 प्र0 सरकार ने एक नीति पत्र की घोषणा की जिसमें शासन को पुनर्परिभाषित करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार की भूमिका धीरे –धीरे परिवर्तित होगी। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष प्रावधान के स्थान पर निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के साथ इन्हें सुविधायें प्रदान करते हुए इनके साथ मिलकर सामाजिक सेवायें प्रदान की जायेगी। शासकीय नियमों एवं नियंत्रणों में शिथिलता को मूलमंत्र मानते हुए इसके लिये उच्च स्तरीय समिति गठित की गई । इस कार्य योजना में निम्नलिखित बातें शामिल थीं।

I. सरकार की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना।

II. सूचनाओं तक जनता की पहुंच, शिकायतों का तुरन्त निस्तारण, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था द्वारा सरकारी विभागों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना।

III. कठोर– निष्पादन आंकलन, आकार पुर्नरधारित करके लोक सेवाओं का नवीनीकरण करना।

IV. प्रशासनिक एवं संस्थागत विकेन्द्रीकरण।

V. वित्तीय प्रबन्ध सुधार।

VI. गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जनता की सरकार में भागेदारी।

रिपोर्ट में सरकार के आकार में वर्ष 2004 तक 2 प्रतिशत की कमी लाने, सभी विभागों में नीति नियंत्रक इकाई का गठन, संस्थागत कार्य निष्पादन सूचकों का गठन एवं क्रियान्वयन, मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित मुद्दों जैसे प्रशिक्षण, कार्य अवधि सुरक्षा एवं स्थानान्तरण मानक, कार्यलाभ, तकनीकी का आधुनिकीकरण– कम्प्यूटर के सन्दर्भ में इलेक्ट्रानिक साधन एवं त्वरित सूचना तंत्र, उचित वित्तीय प्रबंधन, बजट एवं व्यय सुधार एवं प्रभावी अंकेक्षण आदि अन्य तत्वों पर बल दिया गया एवं इन्हें अमल में लाने की बात कही गई। सुधारों की आवश्यकता एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में "प्रशासनिक सुधार नीति के दिशा निर्धारण एवं क्रियान्वयन पर सुझाव" के लिये एक कैबिनेट कमेटी गठित की गई।

सुधारों के लिये कार्य योजना तैयार करने के साथ उ0 प्र0 सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं का भी निर्धारण किया है। जिनमें आर्थिक उपाय, कर एवं राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, एक मध्यकालीन व्यय योजना का निर्धारण, उपभोक्ता शुल्क से सम्बन्धित व्याक्तिगत खाता प्रक्रिया की समाप्ति, उपादानों को कम करना शामिल है। जिससे इन्हें वांछित वर्ग तक पहुंचाया जा सके। इस लागू करने के लिये सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके साथ ही आर्थिक विकास पर गठित कैबिनेट समिति विभिन्न विभागों की नीतियों की त्रैमासिक समीक्षा करती है। इनके अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य मामलों तथा स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण के लिये भी कदम उठाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन नीति 2000 के परिप्रेक्ष्य में कई कदम उठाये गये किन्तु इस बीच वर्ष 1999 से 2003 के बीच लखनऊ में तीन बार सरकारें बदली यादि इसके सकारात्मक पहलू पर नज़र डालें तो निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

I. सरकारी सेवाओं में भर्ती पर रोक लगाई गई जिससे सामान्य क्षय प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त आकार के लिये कदम उठाया गया।

II. व्यय नियंत्रण, विनियमन एवं रोक के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट एवं सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

III. स्रकार द्वारा 56 विभागों में नीति नियोजन इकाई गठित करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं जिसमें उच्च स्तरीय अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग, शिक्षाविदों, आर्थिक, सामाजिक एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र से विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है।

IV. पंचायती राज संस्थाओं के लिये कार्यों एवं शक्तियों का विकेन्द्रकरण किया गया तथा विभागों के कुछ कार्य उन्हें हस्तांरित किये गये। उदाहरणस्वरूप प्राथमिक एवं उच्च–प्राथमिक शिक्षा, राज्य नलकूप, नलों स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, पशुधन, समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास आदि।

V. सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को समाप्त किया गया तथा कुछ अन्य का निजीकरण कर दिया गया है। वर्ष 2004 के आरम्भ तक 5 निगमों के 19 ईकाइयों को बन्द कर दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के पुर्नगठन कार्यक्रम में ऐसे ईकाइयों को चिन्हित करना शामिल है जिनमें राज्य का स्वामित्व आवश्यक हैं। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई तथा इन उद्यमों को बन्द करने के लिये कार्य योजना बनाई गई है। उद्यमों के संचालन की गतिविधियों के पुर्नगठन के लिये भी विचार किया गया। वर्ष 2002–03 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 50 से घटकर 41 हो गई। विनिवेश की प्रक्रिया 24 बन्द/रूग्ण चीनी मिलों के लिये की गई एवं 27 अन्य के लिये भी यह प्रक्रिया जारी है।

VI. प्रत्येक सेवा प्रदाता विभाग/ एजेन्सी के लिये एक वृहद् नागरिक अधिकार पत्र बनाना आवश्यक किया गया। जिसमें उपलब्ध सेवाओं का स्वरूप, उसकी गुणवत्ता, मूल्य, स्थान, शिकायत निवारण प्रणाली, विभिन्न अधिकारियों के नाम, पता एवं फोन नं0 (जिन्हें कि तुरन्त समस्या निवारण के लिये सम्पर्क किया जा सके) का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। इस अधिकार पत्र में निगरानी, संशोधन एवं पुनर्भरण/सुझाव प्रक्रिया शामिल है।

VII. राज्य की वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख संस्थाओं के पुर्नगठन एवं स्थिति में सुधार के लिये वर्ष 1999 में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसमें वित्तीय स्थिति का परीक्षण किया गया। इसमें गैर उत्पादक कर व्ययों को कम करके, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये संसाधनों को बढ़ाने की बात पर बल दिया गया है। इसी क्रम में उ0 प्र0 सरकार ने ''उ0प्र0 राज्य कोषीय सुधार एवं सार्वजनिक क्षेत्र पुर्नगठन कार्यक्रम'' भी शुरू किया। भारत सरकार इसके लिये विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता बढ़ाने पर राजी हो गई। मई 2004 में विश्व बैंक के साथ एक कार्ययोजना के लिये, इसके अन्तर्गत ऋण के रूप में 2001 में 1101 करोड़ रूपये प्राप्त हुये। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए एक मध्यकालीन राजकोषीय नीति तैयार की गई तथा इसे अनुमोदन के लिये विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

VIII. इस मध्यकालीन राजकोषीय नीति में कुछ विशेष राजकोषीय लक्ष्य – मध्यकालीन व्यय कार्य योजना, कर सुधार, वित्तीय प्रबंधन एवं अंकेक्षण प्रणाली में सुधार करना शामिल हैं, जिसे बाद में संशोधित किया गया। व्यय प्रबंधन के लिये भी कई कदम उठांये गये, जैसे– व्यय प्राथमिकताओं का निर्धारण, वास्तविक लेखांकन, निगरानी एवं नियंत्रक उपाय आदि। इन सुधारों एवं उपायों के फलस्वरूप राजकोषीय घाटावर्ष 1999--2000 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002--03 में 4.7प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में राजस्व घाटा भी 7251 करोड़ रूपये से घटकर

5117 करोड़ रूपये हो गया। राजस्व बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया है। जिसमें व्यापार कर सुधार, प्रवेश कर पर लेवी, उपभोक्ता शुल्क का विवेकीकरण एवं ऋणों में परिवर्तन शामिल है।

IX. उर्जा क्षेत्र में सुधार के लिये नीतियों की तीव्र आवश्यकता है। जनवरी 2004 में उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को अमल में लाया गया है। इसके पूर्व 1998 में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग गठित किया गया था। वर्ष 2000 से उ0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन आरम्भ हुआ है। वर्ष 2000 में विद्युत आवंटन बिल के रूप में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था आरम्भ की गई। विभाजन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कई अलग विद्युत वितरण कम्पनियां गठित की गई। बिजली कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये वित्तीय पुर्नगठन योजना आरम्भ की गई। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है। इन कार्यक्रमों को निरंतर कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ रहा है, किन्तु इस प्रक्रिया को और तीव्र एवं व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

X. वर्ष 2004 में सुधार के लिये उठाये कदमों में एक प्रमुख है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध कानून जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों के लिये कठोर राजकोषीय अनुशासन तथा वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लागू करना है। इसके निदेशों के अनुसार पांच वर्षों (2009)में राजस्व घाटा समाप्त करना, इसी अवधि में राजकोषीय घाटे को कम करके 2: करना, राज्य की ऋण देयताओं को वर्ष 2018 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25: तक करना है। कानून के अनुसार सरकार के लिये प्रत्येक वर्ष अगली मध्यकालीन राजकोषीय नीति विधान सभा के समक्ष रखना आवश्यक है। इसके लिये अर्द्धवार्षिक पुनरीक्षण का भी प्रावधान है। ऋण के लिये लक्ष्यों में कमी केवल प्राकृतिक आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता की स्थिति में शिथिलता दी जा सकती है।

XI. राज्य में कोषागार प्रणाली को राज्य से जिला स्तर तक कम्प्यूट्रीकृत किया जाना है। यह प्रक्रिया 80 के दशक में ही आरम्भ हो गई थी। किन्तु, इसे 90 के उत्तरार्द्ध में ही पूरा किया जा सका। इसके लक्ष्यों के उल्लेखनीय रूप से समय से एवं सुव्यवस्थित रूप से पूरा कर लिया गया है। जिसके पश्चात इसका कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वेतन एवं पेंशन वितरण, आन–लाइन चेक बनाना एवं बजट नियंयत्रण आदि में भी विस्तार किया गया है।

XII. कई क्षेत्रों में राज्य सरकार ने नई नीतियां विकसित की हैं। उदाहरण के लिये 1999 में राज्य जल नीति एवं 1999 में ही उ0 प्र0 कृषि नीति, जो वर्तमान समय में संशोधन की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त 1990 में पर्यटन नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार नीति (2000), सूचना तकनीकी नीति (1999), निर्यात नीति (2002), उ0 प्र0 वन नीति (1998), सड़क विकास नीति (1998), उत्तम शासन नीति (2000), औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति (2004), एवं आवास निर्माण नीति (2005)। चीनी नीति को 2004 में संशोधित किया है। इनके अतिरिक्त भी कई नीतियां हैं जिन्हें यहां शामिल नहीं किया जा सका है।

XIII. कुछ अपवादों को छोड़कर सरकारी दस्तावेजों (प्रलेखों) को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं। इसके लिये जिलाधिकारी कार्यालय में विभागीय इकाई स्थापित करने के आदेश दिये गये हैं। वर्तमान में 59 विभागों के नागरिक अधिकार पत्र लागू किये जा चुके हैं।

XIV. विश्व बैंक की मदद से सड़कों के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम बनाये गये हैं। इसके लिये परिवहन क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी आमंत्रित किया गया है।

XV. एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम बनाया गया हे। आगरा, कानपुर, भदोही, (वाराणसी) एवं मुरादाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना है। इसके साथ ही पांच विशेष विकास क्षेत्र, संचार क्षेत्र, जैविक क्षेत्र, अप्रवासी भारतीय क्षेत्र, बेब क्षेत्र एवं एक शापिंग माल समूह बनाये गये हैं। वर्ष 2004 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई एवं उ0 प्र0 के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित एवं गतिशील बनाने के लिये उ0 प्र0 विकास परिषद का गठन किया गया है।

यह सभी उपाय दिखावटी/प्रतीक मात्र हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि इन विभिन्न नीतियों, विधिक प्रक्रियाओं तकनीक एवं प्रशासनिक उपायों का वास्तविक परिणाम क्या रहा है।

तुलन पत्र:

अब हम उठाये गये कदमों का आंकलन करते हैं।

राजकोषीय स्थिति :

प्रस्तुत सारणी वर्ष 2001–02 से उठाये गये कदमों का आंकलन करती है।

तालिका–1 उ0 प्र0 राजकोषीय स्वास्थ्य के कुछ ठोस संकेत

(रू0 करोड़)

	2001.02 वास्तविक	2002.03 वास्तविक	2003.04 वास्तविक	2004.05 बी0 ई0	2004.05 पुनरीक्षित सी0एस0टी0	2005.06 बी0ई0
1. वर्तमान राजस्व के अवशेष	-5456	-3426	-17219 (-4942) A	-4578	-4432	-2061
2. ब्याज अनुपात	31%	24%	31%	30%	27%	24%
3. कुल कर प्राप्ति/जी0एस0डी0पी अनुपात	11.3%	12.1%	12.4%	13.3%	13.4%	14.1%
4. राज्य के कर आय/ जी0एस0डी0पी अनुपात	5.7%	6.5%	6.3%	6.9%	6.7%	7.3%
5. पूंजीगत ढांचा/पूंजी प्राप्ति अनुपात	32%	30%	27%	35%	35%	52%
6. ऋण/ जी0एस0डी0पी अनुपात	44%	41%	48.9%	49.1%	49.9%	51.4%
7. राजस्व ऋण	6181	5117	18583 (6306) B	5527	7176	5403
8. राजकोषीय घाटा	9898	9497	16648 (10776) C	10398	13686	13533
9. राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा अनुपात	62.5%	53.9%	11.5% (58.5%) D	53.2%	52.4%	39.9%

टिप्पणी : A और B में दर्शायी गयी धनराशि पूर्व में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद को दिये गये ऋण रू0 12,227.40 करोड़ के समय की गई धनराशि सम्मिलित नहीं है।

C और D दर्शायी गई धनराशि में रू0 5871.86 करोड़ के पावर बोण्ड की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

स्रोत : उ0 प्र0 बजट दस्तावेज 2005–06 खण्ड–2 भाग–1, पृष्ठ–33

उपरोक्त सारणी संक्षिप्त रूप में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को प्रदर्शित करती है। हम देख सकते हैं कि चालू राजस्व से शेष में सुधार हुआ है तथा ब्याज दर में कमी आयी है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद कर अनुपात में भी सुधार हुआ है। पूंजीगत व्यय के दबाव को कम करने के लिये वर्ष 2005–06 से प्रयास शुरू किये गये हैं। राजस्व घाटे में गिरावट की प्रवृति देखने को मिली है। लेकिन ध्यान देने योग्य दो प्रवृतियां देखने को मिलती हैं। बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटा एवं बढ़ता ऋण दबाव वर्ष 2004–05 में अकेले ऋण देयताओं का दबाव 19327 करोड़ रूपये था। 2005–06 तक कुल ऋणों के बढ़कर 1,29,155 करोड़ रू0 हो जाने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 51.4 प्रतिशत होगा। केन्द्रीय कर हस्तांतरणों को शामिल करते हुए वेतन, पेंशन एवं ब्याज का आकार राज्य सरकार के कुल कर आय का 80 प्रतिशत है। यदि राज्य कर्मचारियों की 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता को वेतन में शामिल करने की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो यह भार और बढ़ जायेगा। कर्मचारियों को दबाव के चलते सरकार ऐसा कर सकती है। जिला विकास अधिकारी स्तर तक विभागीय खातों का कम्प्यूटरीकरण अभी किया जाना है। जो कि वित्तीय प्रबंधन में सुधार एवं विभागीय एवं जमीनी स्तर तक पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक है। इसके साथ ही वित्त विभाग में कार्यकुशल नगद एवं ऋण प्रबन्धन ईकाई तथा परिपूर्ण कर्मचारियों की भी आवश्यकता है।

बजट प्रक्रिया में कई संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है जैसे कि बजट कैलेण्डर में उपयुक्त बजट पूर्ण एस0 एण्ड डी0 समीक्षा के अनुसार परिवर्तन किये जाने चाहिये। अनुपूरक मांगों का आकार निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। जिससे तदर्थता एवं अशुद्धता बढ़ी है। आकस्मिक निधि का प्रबन्धन भी अत्यन्त शिथिल है।पी0 एल0 ए0 एवं डी0 सी0 एल0 प्रावधानों में कमी की गई है। किन्तु इन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है। बजट प्रावधानों को अभी तक आय के संसाधनों एवं व्यय के अनुसार समन्वित नहीं किया जा सका है। सार्वजनिक खातों से लगातार धन की निकासी को किसी भी राजकोषीय दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता हैं। इसी कारण से किसी स्वायत्त स्वतंत्र राजस्व संस्था द्वारा भविष्य निधियों की वृद्धियों एवं निकासियों के देखरेख की मांग की जा रही है। पेंशन व्यवस्था को भविष्य में कर्मचारियों की अंशदान सहभागिता के आधार पर बनाने की आवश्यकता है जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा नये कर्मचारियों के लिये लागू किया गया है। कुछ राज्यों में इस दिशा में कदम उठाये गये हैं। बजट निर्माण में पारदर्शिता, विकेन्द्रकरण, प्रभावी अंकेक्षण, निविदाओं के आंवटन एवं क्रय के लिये कानून, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ऋणों पर सरकारी गारण्टी की सीमा का निर्धारण एवं अंकेक्षण अनुमोदनों का निस्तारण एवं त्वरित क्रियान्वयन कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे है जो बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है। निष्पादन बजटीय प्रणाली या तो कमजोर है या पर्याप्त रूप से लागू नहीं की गई है। निश्चित रूप से इसके लिये सार्वजनिक 'खाता एवं आंकलन समिति, सार्वजनिक अधिनियम समिति एवं बजट प्रावधानों पर प्रश्न एवं बहसों के माध्यम से संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। चूंकि विधानसभा में बजट पस्ताव पर गहन चर्चा के लिये समय सीमित होता है अतः इसके लिये एक समिति की व्यवस्था की जा सकती है। जैसा कि केन्द्र के लिये संसद में प्रावधान है।

नीतियां एवं उनका क्रियान्वयन :

अब हम राज्य में विकास एवं विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों की बात करते हैं। यहां भी नीतियों एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन में बड़े अन्तर देखने को मिलते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं।

उ0 प्र0 कृषि नीति :

इस नीति में भूमि के प्रभावी उपयोग, जल प्रबन्धन, कृषि के विविधीकरण, क्षेत्रीय नियोजन एवं ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं पर विशेष ध्यान देने एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास की बात कही गई है। अनेक बातों के साथ इसमें 20 प्रतिशत बीज परिवर्तन दर (मानक बीजों का प्रयोग), गहन भूमि परीक्षण, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, जैविक एवं कार्बनिक खादों का उचित प्रयोग, एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण एवं पोषण प्रबन्ध की बात कही गयी है। किन्तु इनमें से अधिकांश का व्यवहारिकता में प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अभी भी एक समुचित भू–उपयोग नीति बनाने और घोषित करना अपेक्षित है। बीज परिवर्तन की दर अभी भी केवल 10–12: के बीच है। नाइट्रोजन, फॉसफेट एवं पोटेंशियम उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग जारी है। जिसके कारण कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों के प्रयोग में असंतुलन बना हुआ है। कृषि उत्पादों में मूल्यवर्द्धन की स्थिति अत्यन्त कम एवं विपणन सुविधाओं का अभाव है। भूमि–प्रयोगशाला सम्बन्धों में समन्वय की पहुंच, विस्तार एवं प्रयोग में अनेक बाधाएं हैं। दयनीय सहकारी ढांचे के कारण कृषि ऋण का आकार भी अत्यन्त नीचा है। तकनीकी हस्तांतरण, आगत, ऋण आदि की व्यवस्था अत्यन्त निम्न स्तरीय है। जिसके परिणामस्वरूप हमारे कृषि क्षेत्र में विकास दर वर्ष 1993–94 से 2001–02 की अवधि में केवल 2.2 प्रतिशत वार्षिक रही हैं 2001–02 के बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन्हीं कारणों से हमें पुनरीक्षित (संशोधित) नीतियों की आवश्यकता महसूस होती है।

दूसरा उदाहरण एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र–जल से सम्बन्धित है। 1999 में उ0 प्र0 राज्य जल नीति घोषित की गई। इसमें राज्य में उपलब्ध भूगर्भ एवं भूतल जल का आंकलन, प्रयोग एवं भविष्य की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में जल आवंटन प्राथमिकताओं का आंकलन किया गया एवं कुछ व्यापक उद्देश्य निर्धारित किये गये। प्रमुख उद्देश्यों में सीमित जल संसाधनों का संरक्षण, उपलब्ध जल का समुचित उपयोग, बेहतर प्रबंधन, सुरक्षित प्रयोग, जल प्रयोग में समानता, बाढ़ एवं निकासी मुद्दे, जल प्रयोग एवं मानव संसाधन विकास में समन्वय आदि शामिल है। आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाना पर्यावरणीय एवं परिस्थितिकरण प्रभावों का आंकलन, जल का संयुक्त प्रयोग, जल निगरानी, सहभागी (सिंचाई) सिंचाई प्रबन्धन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सिंचाई दर, पर्याप्त विधिक एवं वैधानिक ढांचा आदि कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर जोर दिया गया है। वर्ष 1996 से ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य जल बोर्ड कार्य कर रहा है। वर्ष 2001 में राज्य जल संसाधन एजेन्सी एवं राज्य जल संस्थान आंकड़ा एवं विश्लेषण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। राज्य सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में जौनपुर एवं इमामगंज में दो उप–तराई विकास एवं जल प्रबन्ध बोर्ड गठित किये गये हैं।

किन्तु व्यावहारिक स्थिति क्या है। वास्तव में घोषित की गई इन तमाम नीतियों में से अधिकांश को अभी भी लागू किया जाना बाकी है। उपलब्ध सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचित क्षेत्र में गम्भीर अन्तर है। संयुक्त जल प्रयोग एंव अनियंत्रित कटाइ की वजह से भूजल प्रबंधन अत्यन्त दयनीय दशा में है। वर्ष 2002–2003 में घोषित सिंचाई क्षमता 27,609 हजार हेक्टेअर में केवल 19,756 हजार हेक्टेअर का ही प्रयोग किया जा सका था। प्रदेश में कुल 805 विकास खण्डों में से लगभग 70 प्रतिशत में जल स्तर सामान्य से नीचे है। इसके विपरीत यदि वर्ष 2000 में मानसून के बाद भूगर्भ जल स्तर को संज्ञान में ले तो लगभग 70लाख हेक्टेअर भूमि जल भराव से ग्रसित थी । इस आपदा पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जल प्रयोग दक्षता के अध्ययन के अनुसार खुले प्रवाहित होने वाले जल उपयोग दक्षता केवल 48 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच है। राज्य नलकूपों की हालत भी खराब है पिछले कुछ वर्षो में प्रति राज्य नलकूप सिंचित क्षेत्र मे अत्यन्त गिरावट आई है। वर्ष 2000 में यह मात्र 24 हेक्टेअर था जो कि 70 के दशक में 70 हेक्टेअर था। राज्य में इनकी मरम्मत पर होने वाला व्यय लगभग 400 करोड़ रूपये है। जबकि वर्ष 2000–01 में इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व केवल 0.73 करोड़ रूपये था। अधिकतर मामलों में जमाबंदी नही बनाई गई है न ही इनकी मांग की गई है। नहरों के मामले में भी इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व संचालन पर व्यय का केवल एक चौथाई है। राज्य की जल नीति के अनुरूप संयुक्त जल उपयोग को प्रभावी औजार के रूप में अभी भी परिपूर्ण रूप से लागू किया जाना वांछित है। जल उपयोग मूल्य एंव जल नियमन से संबंन्धित अधिनियम बनाये जाने है। हालाकिं इससे संबंन्धित एक आयोग गठित किया जा रहा है। वास्तव में राज्य जल बोर्ड बहुत प्रभावी नही रह गया है।

सामान्यतः एक दर्जन के करीब विभाग एंव एजेन्सियॉ जल प्रबन्धन से जुड़ी है जिनके बीच आपसी समन्वय एंव गतिशीलता की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग में निर्माण पर व्यय –कार्य भार के अनुपात में बहुत अधिक है। राज्य जल प्रबंधन एंव जल संचियन को अभी भी व्यवहार में उतारा जाना बॉकी है। राज्य कृषि एंव जल नीति के उदाहरण राज्य में व्याप्त नीतियों एंव उनके कियान्वयन के बीच गहन अन्तर के द्योतक मात्र है। जो कि निश्चित रूप से गम्भीर चिन्ता का विषय है और इनके तुरन्त समाधान की आवश्यकता है। नीतियों के कियान्वयन का अभाव की स्थिति राज्य में विकास के सभी क्षेत्र में व्याप्त है।

पिछले कुछ वर्षो में अपनाई गई नीतियों का प्रयोग नही हो रहा है। यहां तक कि कई नीतियॉ बदल भी दी गई है। उदाहरण के लिये नागरिक अधिकार पत्र की स्थिति को लिया जा सकता है। घोषित रूप से 41 विभागों/अभिकरणों ने अपने नागरिक अधिकार–पत्र बनाए हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि शायद ही कोई व्यावहारिक रूप से लागू है। जनता को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पारदर्शिता एंव आसानी से उपलब्ध कराने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों, यहां कि तक जिला अधिकारी कार्यालयों में विशेष इकाईयों का गठन किया गया। किन्तु इनमे से अधिकांश या तो बंद हो चुके है या कार्य नहीं कर रहे हैं। यही हाल विभागीय नियोजन इकाईयों का भी है। हालांकि कुछ अच्छे उदाहरण भी है जिनमे शिकायतों के समाधान के लिये स्थानीय स्तर पर कदम उठाये गये हैं।

उदाहरण स्वरूप जनवरी 2004 में जिलाधिकारी सीतापुर ने लोकवाणी कार्यक्रम आरम्भ किया जो कि जिले के सभी नागरिकों के लिये इंटरनेट पर आधारित सूचना प्राप्त करने एवं समस्याओं के समाधान की प्रणाली है। अब तक इससे 7000 से भी अधिक शिकायतें एवं सूचनाओं के आग्रह प्राप्त किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के पहले तीन महीनों में 60 प्रतिशत से भी अधिक मामलों में निस्तारण किया गया। ऐसे प्रयासों का स्वागत करके इन्हें प्रोत्साहित करना एवं आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्ष 1999 में अनेक विकास कार्यों एवं विभागीय कार्यों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया। (लगभग 11 कार्यों एवं 8 विभागीय कार्यकारियों) किन्तु कम या अधिक मात्रा में यह सभी अवरूद्ध हो गये हैं।

अत्यधिक प्रसार :

राजकीय विभागों एवं राजकीय कर्मचारियों के प्रसार पर रोक लगाना राज्य में स्वीकृत नीति का विषय रहा है। (देखिये, उ0 प्र0 वार्षिक योजना, पत्र 2005–06 वाल्यूम–1, पेज–113)। वास्तविकता को प्रकट करने के लिये कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। पहला उ0प्र0 सचिवालय एवं दूसरा राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

वर्ष 1965 में जब उत्तरांचल राज्य भी उ0 प्र0 का हिस्सा था उस समय मुख्य सचिव के अतिरिक्त राज्य सरकार में सचिवों की संख्या केवल 21 थी। जिनकी मदद के लिये 114 अन्य विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त एवं उप सचिव थे। 1998 तक प्रमुख सचिवों की संख्या 359 हो गई। सचिवालय में अधिकारी स्तर की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ गई। मंत्रालयों में कर्मचारियों की संख्या भी 2252 से बढ़कर 3348 हो गई। सचिवालय इसमें सबसे ऊपर है। क्या यह प्रवृत्ति जारी है।

अगर राज्य कर्मचारियों की स्थिति देखें तो 1971 में इनकी संख्या 5.44 लाख थी । यह संख्या 1999 में जब उ0 प्र0 व उत्तरांचल एक साथ थे। बढ़कर 9.23 लाख हो गई। उ0 प्र0 सरकार की नीति के अनुसार पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य विभागों में प्रतिवर्ष कर्मचारियों की संख्या में 2 प्रतिशत की कमी करना था। वर्ष 2002–03 से 2005–06 तक राज्य सरकार के वार्षिक बजट पत्र देखें तो पिछले तीन वर्षों में (2001–04) में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 16.31 प्रतिशत बढी है। जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या थोड़ी घटकर गयी है (4–5 प्रतिशत) निम्नलिखित सारिणी से स्थिति स्पष्ट होती है।

तालिका–2 : उ0 प्र0 सरकार द्वारा राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या

दिनांक	राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या	अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या	कुल सरकारी कर्मचारी
1-4-2001	50,857	8,02,283	8,53,140
1-4-2002	54,415	8,24,067	8,78,482
1-4-2003	57,006	8,35,833	8,92,839
1-4-2004	59,125	7,66,358	8,25,483

स्रोत : उ0 प्र0 बजट दस्तावेज (2002–03 से 2005–06)

तीन वर्ष में कुल अनुमोदित संख्या में 3–5 प्रतिशत से थोड़ा कम की कमी आयी हैं इसके अतिरिक्त कई लाख अध्यापक हैं जो राजकीय कर्मचारी नहीं है, किन्तु उनका वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है।

न्यायिक प्रशासन :

राज्य में विभिन्न न्यायालयों में दिवानी, फौजदारी एवं राजस्व मुकदमों के बढ़ती संख्या से सभी परिचित हैं, इनकी संख्या लाखों में है। सभी स्तरों पर इनके ढेर लगे हुए हैं। अनेक विचाराधीन कैदियों को मुकदमों की सुवनाई ओर फैसले से पहले ही कई वर्ष जेल में बिताने पड़ते हैं। दिवानी एवं राजस्व मुकदमों में देरी पुरानी प्रवृत्ति है। शासन में सुधार का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। विवादों के वैकल्पिक समाधान तुरन्त निर्णय एवं व्यवस्था में विस्तार की आवश्यकता है। लोक अदालत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी प्रकार उपभोक्ता अदालतें भी महत्वपूर्ण है इस समय न्याय पंचायतों का पुर्नगठन, नवीनीकरण तथा उन्हें पुर्नजीवित करने की जरूरत है। जिससे जनता को सुविधापूर्वक न्याय दिलाया जा सके।

कानून एवं व्यवस्था:

विकास एवं नियोजन को आगे बढ़ाने के लिये शांति की आवश्यकता है। यह शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जिसके लिये सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास किये गये हैं। किन्तु अभी और उपाय की जरूरत है, राज्य में प्रमुख अपराधों से सम्बन्धित कुछ आंकड़े यहां उपयुक्त होंगे। निम्न सारिणी पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका– उ0 प्र0 में घटित मुख्य अपराध (2002–04)

क्रम संख्या	अपराध के प्रकार	वर्ष 2002	वर्ष 2003	वर्ष 2004
1.	डकैती	340	230	260
2.	लूट	2206	1607	2031
3.	हत्यायें	6802	5421	6068
4.	दर्ज	4184	2059	3539
5.	सेंध लगायी	4968	3122	4277
6.	सड़क चक्का जाम	13	11	6
7.	फिरौती के लिए अपहरण	180	142	223
8.	दहेज हत्या	1797	1311	1624
9.	बलात्कार	1289	858	1263
10.*	बैंक डकैती तथा लूट	19	17	12

नोट : बैंक डकैती तथा लूट की संख्या उपर दी गयी सीधे कालम स0 1 व 2 में दर्शायी गयी डकैती व लूट में सम्मिलित है।

अनुसचित जाति एवं जनजाति के खिलाफ अपराधों की संख्या वर्ष 2002 में पांच हजार चार सौ पैंतीस (5435) से घटकर वर्ष 2004 में दो हज़ार छः सौ सत्तहतर (2677) हो गयी । बहुत कम मात्रा में सही, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी थोड़ कमी आयी है। वर्ष 2002 में इनकी संख्या 14814 से घटकर वर्ष 2004 में 14136 हो गयी। सामान्य प्रवृत्ति अपराधों में कमी की है। व्यापक परिवेश में स्थिति में और सुधार की आवश्यकता है, पुलिस व्यवस्था में अनेक सुधारों की जरूरत है। जिसमें अतिरिक्त बल, बेहतर प्रशिक्षण एवं बेहतर उपकरण शामिल हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में पुलिस बल को गैर पुलिस कार्यो में लगाया गया है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य

नागरिक एवं निवेशकों, जो उत्तर प्रदेश में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं, को उनकी मनोदशा को प्रभावित करता है। कुछ अन्य बातों भू–माफियाओं की संख्या में वृद्धि अवैध हथियारों की संख्या में वृद्धि, पर ध्यान देने की जरूरत है।

पारदर्शिता सूचना का अधिकार एवं शिकायत समाधानः

निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता एक अच्छे शासन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जनता की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णय व नीतियों की जानकारी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में उ0 प्र0 में शिकायत कर्त्ता के समाधान की प्रक्रिया एवं सरकारी पत्रावलियां तक पहुंच अत्यन्त मुश्किल कार्य है। अदालत द्वारा संविधान की धारा 19 व 21 के अर्न्तगत सूचना के अधिकार को जनता का अधिकार माना गया है। पूर्व में अपने देश में सरकारी व्यवस्था की चारों ओर अत्यन्त गोपनीयता रही है। विभागीय गोपनीयता अधिनियम 1923 इसका प्रतीक है जो जनता को सूचना से वंचित रखता है तथा जिसके अर्न्तगत ऐसा करने वाले को दण्डित करने का प्राविधान है। देश में सूचना के अधिकार की मांग पिछले कुछ वर्षों से उठने लगी है। भारतीय राज्यों में तमिलनाडु में इसकी पहल हुई जिसमें 1997 में सूचना अधिकार बिल पारित किया। बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली में यह कानून अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा भी दिसम्बर 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया किन्तु इसमें विभागीय मांग के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित अधिकारी के लिये किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं हैं। इस केन्द्रिय कानून को सूचना के अधिकार अधिनियम में परिवर्तित करने की योजना है जिससे इस अधिकार को वास्तविकता में बदला जा सके। उ0 प्र0 में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिये केवल प्रशासनिक आदेश जारी किये है जिसे अभी तक कोइ विधिक मान्यता नहीं प्राप्त है ऐसे कानून की अतिशीघ्र आवश्यकता है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को रोकने, घटाने एवं उन्मूलन के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह जनता के सशक्तिकरण, नागरिक सहभागिता एवं संतुष्टि दोनों में सुधार करता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य माध्यमों से भी प्रशासन में खुलापन जवाबदेही एवं जिम्मेदारी प्राप्त की जा सकती है।

नागरिक अधिकार पत्र को प्रचार के माध्यम से ज्यादा क्रियाशील एवं प्रभावी बनाया जा सकता है जहां सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं अथवा जनता निर्णयों से सीधे जुड़ी है। एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। क्रियात्मक क्षेत्रों, जैसे पेंशन भुगतान, वजीफा, कर निर्धारण वसूली, ऋण, निविदा, सरकारी खरीद, भूमि आवंटन, भवन योजना की अनुमति, विद्युत एवं जल सेवा, बिलिंग आदि में स्पष्टता एवं मानकता आधारित खुलेपन की आवश्यकता हैं। सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने वाले विभागों में विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण से सम्बन्धित अधिकारियों के नाम, पते एवं फोन के विवरण वाले सूचना बोर्ड लगाए जाने चाहिए। सार्वजनिक सुविधा वाले स्थानों पर टोकन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ऐसे उपाय स्वच्छ प्रशासन को बढ़ावा देने तथा स्वयं ही भ्रष्टाचार रोकने में सहायक होंगे। उद्योग बन्धु एवं आवास बन्धु ऐसे दो व्यवस्थाएं हैं, जिनसे उद्योग एवं आवास से सम्बन्धित अनेक लोगों को मदद मिली है। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी पहल की आवश्यकता है तथा इसे जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण :

संविधान के 73 तथा 74वें संशोधन के क्रम में राज्य द्वारा इनके अनुपालन के लिये तथा पंचायत राज्य संस्थाओ की सुदृढ़ता के लिये 1994 में बजाज कमेटी गठित की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पंचायत राज्य अधिनियम में संशोधन करते हुए 11 विभागों के कार्यों तथा 8 विभागों के कर्मचारियों को ग्राम विभागों को हस्तानतरण कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राज्य सरकार ने सहभागिता के महत्व को उत्तम शासन के लिये मुख्य यन्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया है।

भारत सरकार के 'पंचायत राज्य संस्थाओं को शक्ति हस्तांतरण' पर टास्क फोर्स (2001) ने इसके लिये कुछ मुख्य तत्वों जैसे कोषों कार्यों एवं कार्यकारियों को आवंटन, पंचायत को उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक नियंत्रण बजट के साथ कार्यक्रमों का आवंटन स्थानीय स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय की स्वतंत्रता एवं क्षमता का निर्माण को चिन्हित किया है। पंचायत राज्य संस्थानों में समन्वय एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। दुर्भाग्यवश उ0 प्र0 में विकेन्द्रीकरण के कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में इसे कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। अध्यापकों सहित पंचायत राज्य संस्थाओं को हस्तातंरित किये गये कर्मचारियों को वापस ले लिया गया। बजट का नियंत्रण भी अभी तक सम्बन्धित व सरकारी विभाग या एजेंसी के हाथों में है। परिणामस्वरूप ये संस्थाएं निष्प्रभावी हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण निशचित रूप से शासन सुधार का प्रमुख एवं आवश्यक क्षेत्र है। प्रभावी स्थानीय शासन के लिये इस सम्बन्ध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी सम्भव कदम उठाने चाहिए। ग्राम पंचायत को प्रभावशाली प्रशासनिक इकाई एवं आर्थिक रूप से कम खर्चीला बनाने के लिये इसका आकार 10,000 के आस–पास रखा जाना चाहिए। 74वें संशोधन के संविधान अनुरूप आवश्यक प्राविधान से सरकार ने जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 भी बनाया है। यह पुनः असंतोषजनक है कि जिला नियोजन इकाईयों को व्यावहारिक नहीं बनाया जा सका। केन्द्र सरकार ने इस बात के संकेत दिये कि प्रत्येक राज्य में जिला नियोजन इकाईयों द्वारा बनायी गयी योजना ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना का आधार होगी केन्द्रिय पंचायत मंत्री ने मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों के एक दिवसीय सम्मेलन के कहा है कि 'उन राज्यों में जहां जिला नियोजन इकाई गठित की गयी है और जिला योजना बनाया गया है, वह इसके लिए 20,000 करोड़ रू0 प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते है।' (टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ 13 अप्रैल, 2005)। इस समय जिला नियोजन इकाइयों को वास्तविक अर्थों में क्रियाशील बनाने की तीव्र आवश्कता है।

वितरण व्यवस्था एवं एकीकरण की आवश्यकता :

आलोचनात्मक कार्यवाही का क्षेत्रः

यदि शासन में उद्देश्यों के अनुरूप उपाय के स्तर पर सुधार होता है, जो कि निर्विवाद रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्तर है तथा निर्धनता निवारण कार्यक्रम एवं विकास के लाभ सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचते है तो वितरण

व्यवस्था में सर्वाधिक सुधार कर चुस्त दुरूस्त करना होगा। पर्याप्त लागत लगाकर बहुत से विकास कार्यक्रम जोर शोर से शुरू किये गये किन्तु पर्याप्त वितरण व्यवस्था के अभाव में बेकार साबित हुये हैं।

जनता को सरकार एवं इसकी एजेन्सियों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम सेवायें लाभ, सुविधाएं, उपादान, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, पेंशन, ऋण आदि प्रदान किये जाते हैं। इसे भौतिक आधारभूत संरचनाओं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, आवास, यातायात एवं संचार से सम्बद्ध किया जा सकता है। सामाजिक आधारभूत संरचनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, पोषण आदि सेवायें शामिल हैं। अन्य सुविधाओं में, ऋण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदान उपलब्धता, उपादान, वित्तीय सहायता, तकनीकी हस्तांतरण आदि है। ये गतिविधियों के कुछ उदाहरण मात्र है। एक कुशल वितरण प्रणाली में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं, कर्मचारियों, संस्थागत सुविधाओं, भौतिक एवं आगत सामग्री पूर्ति, ऋण एवं अन्य सहायतायें, सुविधायें, कर जमा करने की सुविधा गैर कर एवं उपभोग शुल्क बकायों को जमा करने की सुविधा एवं समान सुविधायें प्रदान करने वाले अन्य तत्वों को एकरूप करने की जरूरत होती है।

यहां हम वितरण प्रणाली के लिये महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास सम्बन्धों पर एक नज़र डालेंगे। यह दृश्य जिला स्तर की स्थिति को सामान्य रूप से प्रकट करता है। संलग्नक II प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की स्थिति को प्रकट करता है। वास्तव में वितरण बिन्दु कई स्तरों पर स्थित है। जैसे जिला विकास खण्ड, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत । सामान्य रूप से इन सम्बन्धों को देखते हुए इन सभी स्तरों पर वितरण प्रणाली को विकेन्द्रीकृत एवं अभिसारित होना चाहिए। इन सभी स्तरों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं के लिये अपसी मेल होना चाहिए।

वितरण प्रणाली में सुधार के लिये प्रमुख आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

1. लोकतांत्रिक, संस्थागत, वित्तीय एवं प्रशासनिक संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण।
2. सुविधाओं एवं सेवाओं का वितरण बिन्दु पर अभिसरण।
3. जन सहभागिता, नागरिक दृष्टिकोण एवं अंश धारकों की सहभागिता।
4. सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, खुली निर्णय प्रक्रिया।
5. एकल खिड़की व्यवस्था।
6. त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था।
7. सामाजिक निगरानी वाले विश्वसनीय एवं कार्यकारी नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था।
8. प्रभावी कार्य निरीक्षण, निगरानी, सुधार एवं सुझाव कार्यवाही।
9. उपादानों, रियायती मूल्यों, वित्तीय सहायताओं के लाभों का सावधानीपूर्वक निर्धारण।
10. गुणवत्ता एवं लागत के दृष्टिकोण से किफायती होने पर बाहरी एजेन्सियों से वितरण कराना।
11. निगरानी, वितरण, विस्तृत नियंत्रण, पूर्ति व्यवस्था, लागत घटाने एवं कुशलतापूर्वक संचालन के लिये सूचना तकनीकी का प्रयोग।

भ्रष्टाचार :

भ्रष्टाचार मानव विकास का एक बड़ा दुश्मन है। यह खतरा एवं चुनौती दोनों है। लगभग दो शताब्दी पूर्व एडमंड वर्क ने कहा था "सामान्य रूप से भ्रष्ट व्यक्तियों के बीच आजादी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती"। देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैल चुका है। जनता के सेवक केवल धन और शक्ति के सेवक

रह गये हैं। यह जीवन का एक तरीका बन चुका है। इससे दृढ़तापूर्वक निपटने की आवश्यकता है। यहां राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है जिसकी सबसे पहले सफाई की जरूरत है। इसके बाद सरकारी विभागों एवं इनकी तमाम एजेन्सियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी हाल में टाइम्स ऑफ इण्डिया द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण में जनता के सामने सबसे बड़ी कठिनाइयों में 60 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार को कारण माना है।

भ्रष्टाचार दो पहलू हैं– रक्षात्मक एवं निवाराणात्मक। हमें रक्षात्मक उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जैसे पारदर्शिता सूचना का अधिकार, खुली निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था को गलत प्रक्रियाओं से विमुख करना। रक्षात्मक उपायों में सतर्कता, निगरानी, सार्वजनिक सेवकों द्वारा सम्पत्ति की नियमित घोषणा एवं समय समय पर औचक निरीक्षण, निष्पादन अंकेक्षण एवं कड़ाई से पालन, नागरिक सहभागिता एवं पर्यवेक्षण नागरिक (जहां सम्भव हो) निवारण के स्तर पर शीघ्र जांच, अपराधियों को सजा दिलाने के लिये तेज प्रक्रिया एवं सजा शामिल है। इसके साथ ही सार्वजनिक सेवक (सम्पत्ति जब्त) अधिनियम बनाये जाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार एक खतरनाक संकट है जिसे सार्वजनिक, राजनीतिक, विधिक न्यायिक एवं प्रशासनिक एवं सभी प्रकार से निपटने की जरूरत है।

<u>गैर सरकारी संस्थाएं :</u>

गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवा क्षेत्र का अभिव्यक्ति एवं प्रतिनिधित्व करता है जो कि सबसे निचले स्तर पर विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से मुख्य धारा में शामिल हो गया है। गैर सरकारी संगठन शहरी/मोहल्ला, बस्ती, गांव रिहायशी इलाकों के विकास एवं सुविधायें पहुंचाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह नियमों से बंधी होने की जगह ज्यादा लचीली है। यह प्रबन्ध ढांचे में ज्यादा सरल है। यदि इनको सावधानीपूर्वक, निरीक्षण के साथ चयनित किया जाता है तो यह कम लागत पर ज्यादा प्रभावी तरीके से जनता की सहभागिता के साथ कोषों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से सेवायें प्रदान कर सकती हैं।

उ0 प्र0 में यह आन्दोलन धीमा है। नियोजित विकास की प्रक्रिया में इन्हें सुदृढ़ बनाते हुए पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता है। यहां हमें एक सावधानी पर ध्यान देना उचित होगा। बहुत सारे नकली संस्थायें, गैर सरकारी संस्थाओं के रूप में उभर आयी हैं। इन्हें निरीक्षण द्वारा पर्याप्त प्रमाणन एवं आवश्यकता पड़ने पर काली सूची में रखकर विकास प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए।

<u>इलेक्ट्रॉनिक शासन :</u>

सूचना तकनीकी के महत्व को कार्यक्षमता में तीव्रता एवं विकास के साधन के रूप में सभी ने स्वीकार लिया है। कम्प्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क, वैश्विक सूचना तंत्र, उपग्रह नक्शों, सूचनाओं के संग्रह, एकत्रण एवं प्रसंस्करण के साधन पहले ही फायेमंद साबित हुए है तथा विज्ञान, शिक्षा, आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रसारण, बैंकिग, बिल प्रणाली, वित्त बीमा एवं यातायात, अवरोध नियंत्रण, पर्यटन आदि क्षेत्रों में इनका प्रयोग सफलतापूर्वक हो रहा है।

इलेक्ट्रानिक शासन–प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, सरकारी विभागों इसकी एजेन्सियों एवं विभागों का आधुनिकीकरण, उनके कार्य वातावरण, तुरंत सूचना के लिये स्थानीय क्षेत्र तंत्र (LAN) एवं वृहद क्षेत्र तंत्र (WAN) की स्थापना, परामर्श एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया, कर, गैर कर एवं उपयोग शुल्क का एकत्रण, नागरिकों विशेषतः किसानों एवं छोटे उद्यमियों को सूचना (ज्ञान) प्रदान करना, कार्य एवं कार्यक्रमों की निगरानी, तथा सेवा एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने वाले क्षेत्रों में सूचना तकनीकी का प्रयोग महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से आवश्यक उपायों की शुरूआत करनी चाहिये। कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं कुछ अन्य राज्यों में इस दिशा में शुरूआत की गई है। इसमें ग्रामीण सूचना तंत्र के द्वारा ग्रामीण विाकस के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन की शुरूआत की है। विभिन्न एजेन्सियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान, निगरानी एवं नियोजन में मदद के लिये सूचना संवाद तकनीकी की आधारभूत संरचना ने कुछ साफ्टवेयर विकसित किये हैं। कम्प्यूटरीकरण के द्वारा सेवाओं एवं सूचनाओं का वृहद सार्वजनिक प्रयोग सम्भव हो सका है। उ0 प्र0 के लिये प्रशासनिक सन्दर्भ में उत्साह, बहुमूखी, ई0 प्रशासन के लिये आवश्यक है, जो कि निश्चित रूप से राज्य शासन में सुधार के लिये मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

प्राथमिकताओं का संक्षेपणः शासन सुधार के मुख्य क्षेत्रः

राजनीतिक क्षेत्रः

जब तक राजनीतिक व्यवस्था में स्वच्छता नहीं लाई जाती दूसरे क्षेत्रों में हस्तक्षेप एवं सुधार की आशा नहीं की जा सकती जो कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसे व्यावहारिकता में बदलना कठिन है। राजनीतिक सुधार के लिये राजनीतिक पार्टियों में विवेकपूर्ण स्थिति के लिये इच्छाशक्ति एवं एकमत होना जरूरी है। शासन सहित राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिये यह सर्वथा उपयुक्त समय है जब इन्हें अपने तुच्छ, अल्पकालीन स्वार्थों से उठकर इसके लिये सहमत होना चाहिए।

प्रशासनिक क्षेत्रः

1. प्रशासन की लागत में कमी।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं सरकार की क्षमता बढ़ाना।
3. सरकारी विभागों एवं पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराना।
4. सूचना के लिये नागरिकों के अधिकार के कानून को लागू करना।
5. भ्रष्टाचार निरोधक कानून/उपकरणों/संस्थाओं का सुदृढ़ करना।
6. एक प्रभावी त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करना।
7. ई–शासन, खुली निर्णय प्रक्रिया एवं पारदर्शिता पर विशेष बल।
8. बजटीय/ वित्तीय अनुशासन लागू करना एवं सभी स्तरों पर वित्तीय जवाबदेही स्थापित करना।
9. न्यायिक व्यवस्था के प्रशासन में सुधार एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ करना मुख्यतः वितरण व्यवस्था में समानता लाना।
10. सभी विकास प्रक्रियाओं में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थायित्व।

राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबन्धनः

1. अत्यधिक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा की मात्रा में कमी लाना।
2. राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून का कठोरता से पालन।
3. उपादान व्यवस्था पुनरीक्षण/उपादानों को केवल आवश्यक वस्तुओं एवं समुचित रूप से चयनित एवं लक्षित व्यक्तियों तक सीमित करना।
4. कर आधार को विस्तृत एवं गहन बनाना। उपयोग शुल्क का विवेकीकरण, लागत आधारित मूल्य निर्धारण एवं आवश्यकता पड़ने पर क्षैतिज उपादान प्रदान करना।
5. ऐसे क्षेत्रों, जहां यातायात सिंचाई, जल, एवं स्थानीय सेवायें आदि नहीं उपलब्ध हैं उनके लिये संवैधानिक नियामक अभिकरण बनाना।
6. संवैधानिक उपायों द्वारा सरकारी गारण्टी पर रोक।
7. पेंशन एवं भविष्य निधि व्यवस्था में सुधार।

आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण/शहरी विकासः

1. उर्जा, सड़क, सिंचाई एवं यातायात से बड़ी मात्रा में निवेश के आय स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पोषण, महिला एवं बाल सुविधाओं पर जोर।
2. पूर्व निर्मित सम्पतियों का रख रखाव।
3. विद्युत दरों का विवेकीकरण एवं अराजनीतिकरण साथ ही जल मूल्य भी इतना ही महत्वपूर्ण है।
4. आधारभूत संरचना से सम्बन्धित सेवाओं के मूल्य के लिये अलग से नियामक प्राधिकरण स्थापित करना चाहिए।
5. आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं में निजी एवं सार्वजनकि क्षेत्र की भागीदारी के लिये विधिक, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय वातावरण तैयार करना।
6. शहरी विकास से सम्बन्धित समस्याओं पर विशेष बल।

रोजगार एवं मानव संसाधन विकासः

1. बड़ी मात्रा में बेरोजगारों की संख्या का समाधान एवं श्रम संख्या में वृद्धि को समाहित करना। जब तक रोजगार नहीं प्रदान किया जाता तब तक सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना चाहिए।
2. वर्तमान श्रम कानून में सुधार की आवश्यकता है। स्व–रोजगार पर ज्यादा जोर देना चाहिए।
3. सभी स्तर पर कौशल निर्माण में सुधार करना चाहिए।

सारांश :

तेजी से परिवर्तनशील विश्व में सरकार को परिवर्तन के साथ रहना एवं चलना है तब तक सरकार को यह सुनिशचित करना चाहिए कि इस परिवर्तन के साथ सामाजिक अशांति, असमानता में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं बढ़नी चाहिए। हमें एक मध्यमार्ग की आवश्यकता है। जिससे नागरिकों का सशक्तीकरण एवं चुनाव की स्वतंत्रता के द्वारा उद्यमिता को बढ़ाया जा सके। जिससे विकास द्वारा कार्य, अवसर एवं आय को बढ़ाया जा सके। यह समान एवं स्थायी होना चाहिए। इसके लिये सरकार को उत्प्रेरक का कार्य करना चाहिए। इसे परिचालक होना चाहिए न कि बाधक। सरकार को कार्यकुशल,

उद्देश्यपरक, परिणाम उन्मुख, खुला होना चाहिए। इसे नागरिकों विशेषतः गरीबों एवं कमजोरों के प्रति मित्रतापूर्ण होना चाहिए। इसे प्रतिनिधित्व एवं निचले स्तर तक केन्द्रीकृत से विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। इसे लोकतंत्र की मजबूती, नागरिकों के सशक्तीकरण एवं समानता के लिये वचनबद्ध होना चाहिए। इन सभी बातों के लिये सामान्य एवं तकनीकी तौर पर आवश्यक रूप से स्वच्छ एवं उपयुक्त राजनीतिक प्रबन्धन, नैतिकतापूर्ण व्यवसाय, ईमानदार एवं जवाबदेह नौकरशाही, उदार एवं सुलभ प्रशासन, मजबूत राजकोषीय नीति, विधि का शासन, मजबूत संस्थाओं एवं जागरूक नागरिकों की आवश्यकता है। चुनौतियां बहुत है इनका जवाब सकारात्मक एवं दृढ़ प्रतिक्रिया में निहित है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं प्रतियोगिता के वर्तमान दौर में ऐसा लगता है जैसे सरकार की भूमिका में कमी आ रही है। यह भारत जैसे देश या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिये सही बात नहीं है जहां गरीबी, वंचन एवं भोग बहुत विचारणीय रूप से मौजूद हैं। वृहद् सहभागी एवं स्थायी विकास की प्राप्ति के लिये बाजार ताकतों को समानता आधारित नीतियों एवं कानून, उत्तम प्रशासन, मजबूत संस्थाओं एवं जीवंत लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाकर इनके अनुकूल ढालना चाहिए। बाजार एवं राज्य के एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। करीब आठ दशक पहले गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन के सात पापों को इंगित किया था। सिद्धान्त के बिना राजनीति, कार्य के बिना सम्पत्ति, चेतना के बिना आनन्द, व्यक्तित्व के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा। यह सबक एक उत्तम प्रशासन के लिये आज जितना उपयुक्त है उतना पहले कभी नहीं रहा होगा।

ANNEXURE-I

Source: Convergence: The Imperative of Rural Development, T.N Dhar & S.P.Gupta (1999). IIPA (U.P.Regional Branch)

Source: Convergence: The Imperative of Rural Development, T.N. Dhar & S.P.Gupta (1999). IIPA(U.P.Regional Branch)